CIMETRIX
SKILLED INDIANS · SKILLED INDIA

PAPER-IV(B)

LAXMI®

Exam Notes

अध्ययन क्षेत्रों और विषयों की समझ

(UNDERSTANDING DISCIPLINES & SUBJECTS)

B.Ed.-2nd Year

डॉ. राजेश कुमार वशिष्ठ

Ch. Ranbir Singh University, Jind,
Maharshi Dayanand University, Rohtak,
Indira Gandhi University, Meerpur,
Guru Jambheshwar University, Hisar

According to the New Syllabus Maharshi Dayanand University, Rohtak; Ch. Bansi Lal University, Bhiwani; Ch. Ranbir Singh University, Jind; Indira Gandhi University, Meerpur and Guru Jambheshwar University, Hissar

LAXMI®

EXAM NOTES

अध्ययन क्षेत्रों तथा विषयों की समझ

[UNDERSTANDING DISCIPLINES & SUBJECTS]

[Paper–IV(B)]

For :
B.Ed.–2nd year

लेखक :
डॉ. राजेश कुमार वशिष्ठ
एम.ए. एम.एड.,
एम.फिल्. (अंग्रेजी) पी.एच.डी.

Ph. : 7206043575

–: प्रकाशक :–

LAXMI BOOK DEPOT™ Hansi Gate, Bhiwani

लक्ष्मी बुक डिपो
(उच्च कोटि की लक्ष्मी पुस्तकों के प्रकाशक)
हांसी गेट, भिवानी (हरियाणा)

New Edition

Price : Rs. 150 /

CIMETRIX
SKILLED INDIANS – SKILLED INDIA

Published by :
LAXMI Book Depot
Hansi Gate, Bhiwani
Haryana
Ph. : 8295643575, 7206043575

Sales Executives :
BRIJ LAL & SONS
Railway Road, Rohtak, Haryana
Phone : 09355911047,
09355911077

Sales Executives :
HARYANA Educational Store
Model Town, Rohtak-124001
Phone : 01262-282142 (Shop)
Mo(b) : 09812221923

Sales Executives :
KALA MANDIR
1687, Nai Sarak, Delhi-110006
Phone : 011-43068496, 09999369804
011-23278828, 09999369805

Registered Trade Mark No. 832158, 831949

"This book is meant for educational and learning purposes. The author(s) of the book has/have taken all reasonable care to ensure that the contents of the book do not violate any existing copyright or other intellectual property rights of any person in any manner whatsoever. In the event the author(s) has/have been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action..."

Every effort has been made to avoid errors or omissions in this publication. In spite of this, some errors might have crept in. Any mistake, error or discrepancy noted may be brought to our notice which shall be taken care of in the next edition. It is notified that neither the publisher nor the authors or seller will be responsible for any damage or loss of action to any one, of any kind, in any manner, therefrom.

© Laxmi Book Depot
No part of this book may be reproduced or copied in any form or by any means [graphic, electronic or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information retrieval system] or reproduced on any disc, type perforated media or other information storage device, etc., without the written permission of the publishers. Breach of this condition is liable for legal action.

Design by :
Daksh Graphics
New Delhi

Printed by :
Novelty Printing Press
Delhi-110053

SYLLABUS

CH. RANBIR SINGH UNIVERSITY, JIND & MAHARISHI DAYANAND UNIVERSITY, ROHTAK

UNDERSTANDING DISCIPLINES AND SUBJECTS

[Paper–IV (B)]

Time: 1.30 Hours ***Max. Marks: 50***

(Theory: 40, Internal: 10)

NOTE FOR PAPER SETTER

(i) Paper setters will set 5 questions in all, out of which students will be required to attempt 3 questions.

(ii) Q. No. 1 will be compulsory and will carry 8 marks. There will be 2 short-answer type questions of 4 marks each to be selected from the entire syllabus.

(iii) Two long answer type questions will be set from each of the two units, out of which the students pwill be required to attempt one question from each unit. Long answer type questions will carry 16 marks each.

(iv) All questions will carry equal marks.

OBJECTIVES

After completion of the course, student teachers will be able to:

➢ describe the characteristics and nature of disciplinarity
➢ discuss paradigm shift in the nature of disciplines
➢ explain the nature of education as a discipline
➢ examine issues related to education as interdisciplinary knowledge
➢ discuss the emerging issue of school and Teacher education
➢ understand the multiple perspective of pedagogy

COURSE CONTENT

UNIT-I

1. **The Doctrine of Disciplinarity**
   - Meaning, characteristics and nature of Academic disciplines
   - Teacher's Subject matter knowledge and disciplinarity
   - Alternatives to Disciplinarity
2. **Paradigm shifts in the nature of Disciplines**
   - History and origin of Pedagogic Subjects; Philosophical, Sociological & Educational Perspective
   - Understanding subject, interdisciplinary, multidisciplinary and trans-disciplinary approach within different subjects.

UNIT-II

3. Education as Interdisciplinary knowledge

- Critical analysis of education as a discipline/area of study.
- Education as a socially contrived system influenced by different factors.
- Interdisciplinary nature of education; relationships with disciplines/subjects such as philosophy, psychology, sociology, management, economics, anthropology etc. connecting knowledge across disciplinary boundaries to provide a broad framework for insightful construction of knowledge.

4. Theoretical Perspective of Education

- School education – contemporary challenges
- Linkage between education and other development sectors.
- Emerging dimensions of school and teacher education.
- Knowledge and pedagogy

5. Support system of Education

- Re-conceptualism of learning resources – textbooks, workbooks, multimedia, etc.
- Monitoring and evaluation of schools

Task and Assignments: Any one of the following **(5 marks)**

- Critical analysis of a curriculum/syllabus of particular school subject
- Evaluate a textbook of secondary class with reference to its adequacy and in achieving expected learning outcome

विषय-सूची

UNIT-I

1. अध्ययन क्षेत्र की नीति
[Doctrine of Disciplinarity] 3

1. अध्ययन क्षेत्र के अर्थ, विशेषताओं तथा प्रकृति का वर्णन कीजिए।
(Describe the meaning, characteristics and nature of academic disciplines.)

अथवा

शैक्षिक विषयों से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक विषयों की प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
(What do you mean by Academic disciplines? Describe the nature and characteristics of Academic disciplines.).......... 3

2. अध्यापक के विषय-वस्तु ज्ञान तथा अध्ययन क्षेत्र का वर्णन कीजिए।
(Describe teacher subject matter knowledge and disciplinary.) 5

3. अध्ययन क्षेत्र तथा अध्ययन क्षेत्र के विकल्प का वर्णन कीजिए।
(Describe disciplinarity and alternatives to disciplinarity.) 9

2. अध्ययन क्षेत्रों की प्रकृति में प्रतिमान परिवर्तन
[Paradigm Shifts in Nature of Disciplines].......................... 12

1. स्कूली विषयों के उदय के दार्शनिक, सामाजिक और ऐतिहासिक आधार का वर्णन कीजिए।

अथवा

अध्ययन विषयों के दार्शनिक तथा शैक्षिक परिप्रेक्ष्य का वर्णन कीजिए।
(Describe the philosophical and education perspectives of disciplines.)... 12

2. पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार की सविस्तार व्याख्या कीजिये।
(Describe in detail the philosophical base of Curriculum.)

अथवा

दर्शनशास्त्र की कौन-सी विचारधाराएँ पाठ्यक्रम को प्रभावित करती हैं? बताइए।
(Which streams of philosophy affect the curriculum? Describe.)

अथवा

आदर्शवाद, प्रकृतिवाद व प्रयोजनवाद के संदर्भ में पाठ्यक्रम पर पड़ने वाले प्रभावों को समझाइए।
(Clarify the effects upon curriculum in the reference of Idealism, Naturalism and Pragmatism.) 15

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

3. भारतीय समाज के संदर्भ में स्कूली विषयों की व्याख्या कीजिए।
(Explain the school subjects in the context of India is society?)

अथवा

स्कूली स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण के सामाजिक आधार का वर्णन कीजिए।
(Desribe the social foundation of curriculum at school level.)

अथवा

स्कूल में पढ़ाए जाने वाले विषयों के निर्धारण में कौन-से सामाजिक पक्षों को ध्यान में रखा जाता है?
(What are the social aspects considered while determining the school subjects?)

अथवा

भारत में स्कूली शिक्षा किस प्रकार सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करती है?
(How does school education meets the demand of Indian Society?)

अथवा

स्कूल में विभिन्न विषयों को पढ़ाए जाने का सामाजिक आधार क्या है?
(What is the social foundation of teaching various subjects in school?)... 22

4. पाठ्यक्रम विकास पर प्रभाव डालने वाले सामाजिक तत्वों की विवेचना कीजिए।
(Discuss the social factors affecting curriculum development.)

अथवा

वे कौन से सामाजिक तत्त्व हैं जो पाठ्यक्रम विकास पर प्रभाव डालते हैं?
(What are the social factors affecting the curriculum development?)... 24

5. विषय, अंतर अध्ययन क्षेत्र, बहु-अध्ययन क्षेत्र तथा परे अध्ययन क्षेत्र का वर्णन कीजिए।
(Discribe subject, interdisciplinary multidisciplinary and transdisciplinary approach.) 30

UNIT-II

3. **अंतर अध्ययन क्षेत्र ज्ञान के रूप में शिक्षा**
[Education as Interdisciplinary Knowledge]........................... 35

1. शिक्षा क्या है? अध्ययन क्षेत्र के रूप में शिक्षा का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
(What is education? Give critical analysis of education as discipline/area of study.)... 35
2. विभिन्न कारकों से प्रभावित सामाजिक निरूपित व्यवस्था के रूप में शिक्षा का वर्णन कीजिए।
(Describe education as a socially contrived system influenced by different factors.)... 41
3. अन्तर अध्ययन क्षेत्र उपागम के साथ शिक्षा की सम्बद्धता का वर्णन कीजिए।
(Explain the affiliation of inter disciplinary approach with education.)

अथवा

शिक्षा की अंतर अध्ययन क्षेत्र प्रवृत्ति का वर्णन कीजिए।
(Decribe Interdisciplinary nature of education.) 48
4. शिक्षा तथा दर्शनशास्त्र के साथ संबंध का वर्णन कीजिए।
(Describe the relationship between the education and philosophy.) 49
5. शिक्षा तथा मनोविज्ञान का क्या संबंध है?
(What is relationship between education and psychology.)
.... 55
6. शैक्षिक समाजशास्त्र क्या है? शिक्षा का समाजशास्त्र के साथ क्या संबंध है?
(What is educational sociology? What is the relationship of education with sociology.)

अथवा

शैक्षिक समाजशास्त्र किसे कहते हैं? शैक्षिक समाजशास्त्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्पष्ट कीजिए।

अथवा

शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ और क्षेत्र को बताते हुये इसके शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना कीजिए।

अथवा

शैक्षिक समाज के अर्थ और विषय-वस्तु को स्पष्ट करते हुये इसके शिक्षा में योगदान या शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख कीजिये।

अथवा

शैक्षिक समाजशास्त्र क्या है? शिक्षा तथा समाजशास्त्र में आपसी सम्बन्ध की परिचर्चा कीजिए।
(What is educational sociology? Discuss the relationship between Education and Sociology.)................................ 61
7. समाजशास्त्र किसे कहते हैं? समाजशास्त्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्पष्ट करें।

अथवा

समाजशास्त्र तथा इसके शिक्षा पर प्रभाव के बारे में एक संक्षिप्त नोट अथवा टिप्पणी लिखिए।

अथवा

समाजशास्त्र के अर्थ को स्पष्ट करते हुये इसके शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट करें।... 65
8. प्रबंध से आप क्या समझते हैं? शिक्षा तथा प्रबंध में क्या संबंध है? विद्यालय प्रबंध की प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए।
(What do you mean by management? What is relationship between education and management? Describe the process of school management.) 66
9. शिक्षा तथा आर्थिक विकास में क्या सम्बन्ध है?
(What is relationship between education and economic development?)... 70

CIMETRIX
SKILLED INDIA SKILLED INDIA

10. शिक्षा तथा मानवशास्त्र का क्या सम्बन्ध है?
(What is relationship between education and anthropology?) 73

अथवा

अध्ययन विषयों के मानवशास्त्रीय सन्दर्भ का वर्णन कीजिए।

4. शिक्षा का सैधान्तिक परिप्रेक्ष्य
[Theoretical Perspective of Education] 75

1. विद्यालय का क्या अर्थ है? इसकी आवश्यकता एवं महत्त्व किन कारणों से है? विवेचना कीजिए।

अथवा

विद्यालय के अर्थ को स्पष्ट कहते हुए इसकी आवश्यकता एवं महत्त्व पर प्रकाश डालिए।

अथवा

विद्यालय शिक्षण से आप क्या समझते हैं? विद्यालय शिक्षा की समकालीन चुनौतियों का वर्णन कीजिए।
(What do you mean by school education? Describe the contemporary challenges in school.) 75

2. भारतीय विद्यालयों के बाधक तत्त्वों तथा उनके सुधार के उपायों का वर्णन करें।

अथवा

भारतीय साधारण विद्यालयों की दशा या बाधक तत्त्वों या कारकों तथा उनके सुधार के उपायों की विवेचना कीजिये।

अथवा

भारत के विद्यालयों के बाधक तत्त्वों या कारकों तथा विद्यालय के समाज पर पड़ने वाले प्रभावों तथा कार्यों का वर्णन कीजिये। 80

3. मानव संसाधन विकास में शिक्षा की भूमिका की विवेचना करो।
(Discuss the role of education in human resource development.)

अथवा

शिक्षा और मानव संसाधन विकास पर संक्षिप्त नोट लिखिए।
(Write short note on 'Education and Human Resource Development'.) 82

4. शिक्षा व नई तकनीकी के एकीकरण से आप क्या समझते हैं?
(What do you mean by integration between Education and new technology? What is its importance?) 85

5. विद्यालय के उभरते हुए आयामी का वर्णन कीजिए।
(Describe the emerging dimension of school.) 87

6. अध्यापक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता, महत्त्व तथा उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। हमारे देश में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएँ कितने प्रकार की हैं?
(What do you understand by teacher Education? Discuss the need, importance and objectives of teacher education. What are the different types of teacher training institutions in our country?) 90

7. ज्ञान की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। ज्ञान प्राप्त करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए।
(Describe the concept of knowledge Outline the various methods of acquiring the knowledge.) 97

8. ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए।
(Describe the various sources of knowledge.) 100

9. ज्ञान के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए।
(Describe various types of knowledge.) 102

10. शिक्षाशास्त्र से आप क्या समझते हैं? शिक्षा शास्त्र के अध्ययन का क्या महत्त्व है?
(What do you mean by Pedagogy? What is the importance of study of Pedagogy?) 103

5. शिक्षा की समर्थन व्यवस्था
[Support System of Education] 108

1. अधिगम संसाधन से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो अधिगम संसाधनों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।
(What do you mean by learning process? Explain any two types of learning Resources.)

अथवा

अधिगम या सीखने के संसाधनों के अर्थ तथा प्रकारों से आपका क्या अभिप्राय है? अधिगम या सीखने के संसाधनों के प्रबन्ध की आवश्यकता तथा उद्देश्यों की विवेचना कीजिए।
(What do you mean by meaning and types of learning resources? Discuss about the need or objectives of management of learning resources.) 108

2. पाठ्यपुस्तक तथा कार्यपुस्तक के बारे में क्या जानते हैं? कार्यपुस्तक तथा पाठ्यपुस्तक के महत्त्व का वर्णन कीजिए।
(What do you know about textbook and workbook. Describe the importance of workbooks and textbooks.)

अथवा

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्य-पुस्तकों के स्थान और महत्त्व की विवेचना कीजिए।
(Discuss the importance and place of textbook in the teaching learning process.) 111

3. बहु-माध्यम उपागम से क्या तात्पर्य है? अनुदेशनात्मक विकास में बहुमाध्यम के प्रयोग की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसके प्रयोग में आप किन-किन सिद्धान्तों को ध्यान में रखेंगे।
(What do you mean by Multimedia Approach? How multimedia can be used in instructional development and what are the principles of using multimedia approach in teaching & learning?)

अथवा

बहु-माध्यम क्या है? शैक्षिक तकनीकों में बहु-माध्यम उपागम के उपयोगों की व्याख्या कीजिए।
(What is multimedia? Discuss the uses of multimedia approach to educational technology.) 118

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILL INDIA

4. शिक्षण अधिगम हेतु बहु-माध्यम या बहु-माध्यमिक उपागम से आपका क्या अभिप्राय है? शिक्षण अधिगम में बहु-माध्यम उपागम के प्रयोग तथ महत्त्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालिए।

अथवा

शिक्षण-अधिगम के क्षेत्र में बहु-माध्यमिक या बहु-माध्यम उपागम का क्या अर्थ है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अन्तर्गत इस उपागम के प्रयोग तथा उपयोगिता एवं महत्त्व की विवेचना कीजिए।

अथवा

शिक्षा तकनीकी में बहु-माध्यम उपागम का वर्णन कीजिए। इस उपागम का कक्षा-कक्ष शिक्षण में प्रभावशाली रूप में कैसे प्रयोग किया जा सकता है?

अथवा

शैक्षिक तकनीकी में बहु-माध्यम उपागम क्या है? विद्वता परिणाम को प्रभावी रूप से अधिकतम सीमा तक बढ़ाने में इसके प्रयोगों की चर्चा कीजिए। 122

5. विद्यालयों के परिवीक्षण तथा मूल्यांकन का वर्णन कीजिए।
(Describe monitoring and evaluation of school.)............... 126

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

LAXMI®

EXAM NOTES

अध्ययन क्षेत्रों तथा विषयों की समझ

[UNDERSTANDING DISCIPLINES & SUBJECTS]

[Paper–IV (B)]

UNIT–I

1. ***The Doctrine of Disciplinarity***
   - *Meaning, characteristics and nature of Academic disciplines*
   - *Teacher's Subject matter knowledge and disciplinarity*
   - *Alternatives to Disciplinarity*
2. ***Paradigm shifts in the nature of Disciplines***
   - *History and origin of Pedagogic Subjects; Philosophical, Sociological & Educational Perspective*
   - *Understanding subject, interdisciplinary, multidisciplinary and trans-disciplinary approach within different subjects.*

–: प्रकाशक :–

LAXMI BOOK DEPOT LBD Hansi Gate, Bhiwani ™

लक्ष्मी बुक डिपो

हांसी गेट, भिवानी (हरियाणा)

1

अध्ययन क्षेत्र की नीति
[Doctrine of Disciplinarity]

1.1 शैक्षणिक अध्ययन क्षेत्र का अर्थ, विशेषताएँ तथा प्रकृति
(Meaning, Characteristics and Nature of Acedemic Disciplines)

1. अध्ययन क्षेत्र के अर्थ, विशेषताओं तथा प्रकृति का वर्णन कीजिए।
(Describe the meaning, characteristics and nature of academic disciplines.)

अथवा

शैक्षिक विषयों से आप क्या समझते हैं? शैक्षिक विषयों की प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
(What do you mean by Academic disciplines? Describe the nature and characteristics of Academic disciplines.) (June 2018)

CIMETRIX
SKILLED INDIANS - SKILLED INDIA

उत्तर–अध्ययन क्षेत्र का अर्थ–बहु-अध्ययन क्षेत्र आज वैज्ञानिक चर्चा का विषय बन चुका है और इसे सामाजिक अध्ययनों में रिसर्च का एक महत्त्वपूर्ण विषय माना जाने लगा है। बहुत से अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार एक अध्ययन क्षेत्र की अवधारणा को परिभाषित करना आसान नहीं है। अध्ययन क्षेत्र एक दूसरे से इतने भिन्न हैं कि कोई ऐसी सटीक परिभाषा देना बहुत कठिन है जो सभी को समान रूप से परिभाषित कर सके। 'अध्ययन क्षेत्र' एक ही समय पर बहुत कुछ हो सकता है और इस शब्द के विभिन्न अर्थों को समझाना आवश्यक है। इसलिए इस शब्द को अनेकों अर्थों में समझा जाता है।

अध्ययन क्षेत्र को अंग्रेजी में 'discipline' कहते हैं जो लैटिन शब्द discipulus, जिसका अर्थ है विषय या विद्यार्थी, और disciplina, से बना है जिसका अर्थ है शिक्षण या अध्यापन। शब्दकोष इस शब्द के अनेकों अर्थ देता जिनमें प्रशिक्षण से लेकर प्राधिकार के नियंत्रण में रहना और अपने व्यवहार पर आत्म नियंत्रण रखना तक शामिल हैं। एक क्रिया शब्द के रूप में इसका अर्थ है किसी को निर्देशों का पालन करके प्रशिक्षण देना है लेकिन इसका अर्थ अनुपालना करवाने के लिए दण्ड देना भी है। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण है 'सैन्य अध्ययन क्षेत्र' जिसमें कड़े निर्देश देकर अनुपालना करवाई जाती है। चिकित्सा के क्षेत्र में 'अध्ययन क्षेत्र' का अर्थ है डॉक्टर के द्वारा दिए गए परहेज ताकि रोगी को आराम मिल सके। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षा में अध्ययन क्षेत्र को एक विशिष्ट और कठिन वैज्ञानिक प्रशिक्षण के रूप में समझा जा सकता है जिससे भागीदार उस विषय क्षेत्र का अपने लाभ के लिए अभ्यासकर्ता बन जाता है जिसमें वह अध्ययन करता है।

इसके अलावा 'अध्ययन क्षेत्र' का अर्थ एक विशेष तरह के व्यवहार या चिंतन को नियंत्रित करना भी है। जो लोग अपने अध्ययन क्षेत्र को छोड़ देते हैं उन्हें वापिस रास्ते पर लाया जा सकता है। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र का एक नैतिक पक्ष भी है जो परिभाषित करता है कि लोगों को कैसे व्यवहार करना चाहिए या सोचना चाहिए।

माइकल फॉकल्ट (Michel Foucault) ने 'अध्ययन क्षेत्र' को एक हिंसक राजनैतिक शक्ति और अभ्यास के रूप में परिभाषित किया है जो एक व्यक्ति विशेष पर प्रयोग की जाती है ताकि उसके शरीर और मन को नियंत्रित किया जा सके। आर्थिक शोषण और राजनैतिक अधीनता के उद्देश्य से अनुशाषित करने की इस प्रक्रिया में 'अध्ययन क्षेत्र' उस व्यक्ति के लिए बाहरी नहीं रहता जिस पर इसे प्रयोग किया जा रहा है, बल्कि उसके लिए आंतरिक बन जाता है। हालांकि फॉकल्ट ने 'अध्ययन क्षेत्र' को बहुत ही सामान्य और विशेष संदर्भ में प्रयोग किया है, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से शैक्षिक विषयों और समाज में अनुशासन लाने में उनके योगदान को शामिल किया है। एक अनुशासित व्यक्ति बाहरी तर्क और मूल्यों को अपने खुद के मानता है जिसका अर्थ है कि अब उसके स्पष्ट दमन करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार फॉकल्ट के लिए अध्ययन क्षेत्र एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य लोगों की आजादी को सीमित करना और उसके चिंतन को नियंत्रित करना है। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र को मुक्त चिंतन में बाधा माना जाता है।

'शैक्षणिक अध्ययन क्षेत्र' की अवधारणा में निश्चित रूप से ऊपर वर्णित 'अध्ययन क्षेत्र' के तत्त्व शामिल हैं। साथ ही यह नए ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया को संगठित करने के लिए एक तकनीकी अवधारणा भी बन गई है। प्रायः अध्ययन क्षेत्रों को कठिन विषयों के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों को अध्ययन क्षेत्र नहीं कहा जा सकता। अध्ययन क्षेत्र केवल तथ्यों को पढ़ाना ही नहीं है बल्कि इससे अधिक कुछ है।

अध्ययन शैक्षणिक की विशेषताएँ (*Characteristics of Academic Discipline*)

वास्तव में एक विषय एक अलग अध्ययन विषय है यह निर्धारित करने के लिए मानकों और विशेषताओं की एक लम्बी सूची है। अध्ययन क्षेत्र की निम्न विशेषताएँ होती हैं जिनके आधार पर उसे अध्ययन क्षेत्र कहा जाता है–

1. अध्ययन क्षेत्रों में रिसर्च का एक विशेष उद्देश्य होता है (उदाहरण के लिए, कानून, समाज, राजनीति), हालांकि यह उद्देश्य किसी दूसरे अध्ययन विषय का भी हो सकता है।
2. अध्ययन क्षेत्रों का एक विशेष ज्ञान संग्रह होता है जिसका संबंध रिसर्च के उद्देश्य से होता है, जो उनसे संबंधित होता है और वह ज्ञान किसी दूसरे अध्ययन विषय में नहीं होता।
3. अध्ययन क्षेत्रों के सिद्धांत और अवधारणाएँ होती हैं जिनकी सहायता से विशेष रूप से संग्रहित ज्ञान को संगठित किया जा सकता है।
4. अध्ययन क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट शब्दावली होतीं है या तकनीकी भाषा होती है जो उन अध्ययन विषयों में हुई रिसर्च के अनुसार समायोजित होती है।
5. अध्ययन क्षेत्रों की विशिष्ट रिसर्च विधियाँ होती हैं जो उनकी रिसर्च आवश्यकताओं के अनुसार विकसित हुई हैं और वे उनके लिए बहुत आवश्यक हैं।
6. अध्ययन क्षेत्रों के यूनिवर्सिटी या कॉलिजों, संबंधित शैक्षणिक विभागों और इनसे जुड़े व्यावसायिक संगठनों में पढ़ाए जाने वाले विषयों के रूप में कुछ संस्थागत स्वरूप होते हैं। वास्तव में संस्थानीकरण से ही अध्ययन विषय एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विशेष शिक्षण तैयारी के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। इस प्रकार एक यूनिवर्सिटी में एक नया अध्ययन विषय इसको समर्पित एक प्रोफेसनल चेयर को सृजित करके स्थापित किया जाता है।

सभी विषयों में ये छह विशेषताएँ होना जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए, अंग्रेजी साहित्य की समस्या यह है कि इसमें कोई सैद्धांतिक मानदण्ड या विधि नहीं है और रिसर्च का कोई परिभाषित किए जाने योग्य स्थायी उद्देश्य नहीं है, लेकिन फिर भी यह एक अध्ययन विषय है। सामान्य तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस विषय में जितनी अधिक ये विशेषताएँ होंगी वह उतना अधिक अध्ययन विषय होता है जिसमें खुद के ज्ञान में बढोतरी करने की क्षमता होती है। अगर एक विषय को अध्ययन कहा जाए तो इससे अभिप्राय है कि इसका जन्म नया है (दूसरे विश्वयुद्ध के बाद) और उसमें ऊपर दी गई विशेषताओं की कमी हो सकती है। सिद्धांतों की कमी या विशेष विधियों की कमी के कारण इसे रिसर्च का विषय नहीं समझा जाता। इन अध्ययनों का उद्देश्य या तो अध्ययन विषय न बनना होता है, जैसे 1970 में नारी अध्ययन का था, या वे उनके अध्ययन विषय बनने और संस्थानों में पढ़ाए जाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं।

अध्ययन क्षेत्रों या विषयों के प्रकार (*Types of Disciplne*)

हालांकि विज्ञान के क्षेत्र में कोई वास्तविक क्रम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक विषय में विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसलिए सभी अध्ययन विषय समान हैं। कुछ अध्ययन विषयों को अधिक उपयोगी, अधिक कठिन, या दूसरों से अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाएगा। अध्ययन विषयों में भारी अंतर भी हैं, जिन्हें विद्यार्थियों की संख्या और उनकी रिसर्च में खर्च किए जाने वाले धन या उन्हें आबंटित संसाधनों के आधार पर देखा जा सकता है। अधिक स्टाफ और महँगे उपकरणों वाले विभागों का यूनिवर्सिटी के अंदर छोटे और कम उपकरणों वाले विभागों की अपेक्षा अधिक प्रभाव होता है। यूके में इसका अर्थ है कि वाइस चांसलर को विज्ञान और तकनीकी के अध्ययन विषयों से इस आधार पर नियुक्त किया जाता है कि उसके पास अधिक प्रबंधकीय अनुभव होता है। इसके अतिरिक्त कुछ नए अध्ययन विषय जैसे आईटी और प्रबंधन भी अधिक प्रभावशाली हैं क्योंकि उनका संबंध व्यापार जगत से है और इसलिए विद्यार्थी उनकी तरफ अधिक आकर्षित होते हैं, जबकि साहित्य जैसे कुछ दूसरे अध्ययन विषयों में विद्यार्थी कम रूची लेने लगे हैं जिसके कारण वे समाप्त होने के कगार पर पहुँच रहे हैं।

मनोवैज्ञानिक एंथनी बिगलन ने अध्ययन विषयों में शामिल लोगों के विश्वासों के अनुसार अध्ययन विषयों के वर्गीकरण के लिए एक प्रणाली का विकास किया है, जिसके आधार पर अध्ययन विषयों के बीच अंतर किया जा सकता है। इसके अंतर्गत अध्ययन विषयों को कठिन या निदर्शनात्मक अध्ययन विंषयों और आसान या पूर्व-निदर्शनात्मक अध्ययन विषयों के रूप में विभाजित किया जाता है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों को भी विभाजित किया जाता है। बिगलन उन विषयों का विभाजन करते हैं जो शुद्ध रूप से या प्राथमिक रूप से सैद्धांतिक होते हैं (उदाहरण के लिए, गणित) और वे विषय जो प्रयोगात्मक है (जैसे इंजिनियरिंग), और तीसरी प्रकार के विषय वे हैं जिनमें निर्जीव प्रणालियाँ होती हैं (जैसे इतिहास)। सामान्य तौर पर कठिन प्राकृतिक विज्ञानों का अधिक सम्मान किया जाता है, प्राकृतिक वैज्ञानिक पत्रिकाओं में अधिक लेख लिखते हैं और वे समाज से अधिक जुड़े होते हैं। इसके विपरीत आसान विज्ञानों को कम सम्मान मिलता है, उनके अभ्यासकर्ता शिक्षण करने और मोनोग्राफ लिखने पर अधिक बल देते हैं और वे समाज से अपेक्षाकृत कम जुड़े होते हैं। इस प्रकार बिगलन का वर्गीकरण विषयों की ज्ञानमीमांसा और सांस्कृतिक पक्षों को संयुक्त करता है और इसे इसलिए उचित माना जाता है क्योंकि यह सांस्कृतिक रूप से अध्ययन विषयों में अंतर करता है।

इसी प्रकार का वर्गीकरण शैक्षिक अनुसंधानकर्ता टोनी बेचर ने किया है। उसने विषयों का वर्गीकरण 'ग्रामीण' और 'शहरी' आधार पर किया है जिसका अर्थ है अध्ययन क्षेत्रों के बीच सामाजिक सम्बद्धता की गति में विभिन्नता।

◆◆◆

1.2 अध्यापक का विषय-वस्तु ज्ञान तथा अध्ययन
(Teacher's Subject-matter, Knowledge and Disciplinary)

2. अध्यापक के विषय-वस्तु ज्ञान तथा अध्ययन क्षेत्र का वर्णन कीजिए।
(Describe teacher subject matter knowledge and disciplinary.)

उत्तर–अध्यापक शिक्षा पद्धति का केन्द्र बिन्दु होता है। मुख्याध्यापक की सफलता उसके अध्यापकों पर कहीं हद तक निर्भर करती है। चाहे मुख्याध्यापक कितना भी विद्वान व कुशल क्यों न हो। यदि उसे योग्य शिक्षकों का सहयोग नहीं मिलता है तो वह विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने में समर्थ नहीं हो सकता।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

मानवीय साधनों में मुख्याध्यापक एवं अध्यापक दो बड़ी शक्तियाँ हैं जो किसी भी विद्यालय के लिए महत्त्वपूर्ण अंग हैं। संसाधनों का सफल प्रयोग केवल इसी आधार पर संभव हो सकता है यदि दोनों ही शक्तियाँ ईमानदारी तथा निष्ठापूर्वक अपने-अपने कार्य संभाले। यह अतिश्योक्ति नहीं होगी यदि हम कहें कि मुख्याध्यापक के बाद अध्यापक विद्यालय की दूसरी बड़ी शक्ति होती है जो विद्यार्थियों के जीवन को एक सकारात्मक दिशा देकर योग्य नागरिक बनाती है। अध्यापक वास्तव में देश का महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व होता है जो इतिहास रचियता भी होता है। इस विषय में **एच. जी. वैलज (H.G. Wells)** का कथन है, **"इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। मनु ने अध्यापक को ब्रह्मा का रूप माना है।"** *("The sole maker of the history in the teacher, Manu observes a teacher as the image of Brahma.")*

शिक्षा विद्यालय को गति देती है। यह बात सत्य है कि विद्यालय भवन, पाठ्यक्रम, निर्देशन कार्यक्रम, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएँ, पाठ्य-पुस्तकें आदि सभी वस्तुएँ शैक्षिक कार्यक्रम में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं परन्तु यदि उसमें काम करने वाले अध्यापकों का स्तर तथा चरित्र उच्च नहीं होगा तो वह विद्यालय कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। निःसन्देह वह अध्यापक ही है जो वर्तमान पीढ़ी के साथ आने वाली पीढ़ियों पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। वह दुनिया को 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के रूप में देखता है तो पूरे संसार को भाई चारे का पाठ पढ़ाता है। अतः हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि अध्यापक वह शक्ति है जो विद्यार्थियों के जीवन को ही नहीं अपितु देश के स्वरूप को बदल सकती है। अध्यापक की स्थिति तथा उसके कार्य को समझने के लिए भिन्न-भिन्न विद्वानों ने अलग-अलग परिभाषाएँ दी हैं। जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:–

1. **हुमायूँ कबीर** ने अध्यापक के विषय में कहा है **"अच्छे अध्यापकों के बिना शिक्षा की सर्वोत्तम पद्धति भी सफल नहीं हो सकती। अच्छे अध्यापकों से शिक्षा पद्धति के दोषों को भी दूर किया जा सकता है।"** *("Without good teachers, even the best of system is bound to fail. With good teachers, even the defects of a system can be largly over-come.")*

अध्यापक का स्थान तो समाज में भगवान से भी बड़ा माना गया है। गुरु की प्रशंसा में रहीमदास, कबीरदास जैसे महान् कवियों ने अनेकों दोहे तथा छन्द लिखे हैं। कबीरदास जी ने तो गुरु की महिमा तथा पद को भगवान से भी बड़ा माना है। **कबीरदास** जी लिखते हैं :–

"गुरु गोबिन्द दोऊ खड़े काके लागे पाय।
बलिहारी गुरु आपने गोबिन्द दियो बताए।।"
"सब धरती कागद करन, लेखनी सब बन राय।
सात समुद्र की मंसी करू, गुरु गुण लिखा न जाए।"

हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता है जिनमें श्रेष्ठ गुण हों। उसका काम मात्र सूचनाएँ एकत्रित करना, उन्हें बाँटना ही नहीं है, उसे तो एक समाज-सुधारक का काम करना है तथा नैतिकता का प्रचार भी करना है।

अध्यापक के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए मुदालियर शिक्षा आयोग (Mudaliar Education Commission) ने कहा है कि, **"हम इस बात से पूर्णरूप से सहमत हैं कि शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व अध्यापक है–उसके व्यक्तिगत गुण, उसकी शैक्षणिक योग्यताएँ, उसका व्यावसायिक जीवन, प्रशिक्षण तथा विद्यालय और समुदाय में उसका स्थान। विद्यालय की प्रसिद्धि तथा सामुदायिक जीवन पर उसका प्रभाव, उसमें कार्यरत अध्यापकों पर आधारित होता है।"**

("We are however, convinced that the most important factor in the complete educational reconstruction is the teacher—his personal qualities his educational qualities, his professional training and the place he occupies in the school as well as in the community. The reputation of a school and the influence on the life of community invariably depends upon the kind of teachers working in it.")

इसी संदर्भ में **कोठारी शिक्षा आयोग (1964-66) (Kothari Education Commission 1964–66)** ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि, **"शिक्षा के गुणात्मक रूप से प्रभावित करने वाले सभी विभिन्न तत्त्वों में अध्यापक के गुण, कुशलता एवं चरित्र का महत्त्व निःसन्देह सर्वोपरि है।"**

("If all different factor which influence the quality of education and its contribution to material development, the quality, competence and character of teacher are undoubtedly the most significant.")

हुमायूँ कबीर ने अध्यापक के विषय में एक और परिभाषा देते हुए लिखा है, **"शाब्दिक अर्थ में शिक्षक राष्ट्रीय भाग्य का निर्णायक है।"**

("Teachers are literally the arbiters of a nation.")

भारत के महानतम ऋषिवर मनु ने अध्यापक के विषय में कहा है कि, **"अपनी माता के प्रति श्रद्धा द्वारा बालक विश्व को प्राप्त करता है, पिता की श्रद्धा से मध्य जगत तथा शिक्षक के प्रति श्रद्धा से ब्रह्माण्ड जगत को प्राप्त करता है।"**

(Manu, the greatest of Samiti says, "A child by devotion to his mother obtains this world, by devotion to his father the middle world, and by the devotion to his teacher, the Brahma world.")

इस प्रकार शिक्षा का महत्त्व समाज तथा शिक्षा पद्धति दोनों से ही स्पष्ट है। वस्तुतः शिक्षक उन भावी नागरिकों का निर्माण करता है जिनके ऊपर राष्ट्र के उत्थान एवं पतन का भार है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति इस अध्यापन कार्य को चुनता है तो यह किसी विवशता के कारण नहीं होना चाहिए। उसका यह चुनाव उसकी रुचियों, प्रवृत्तियों तथा इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। केवल ऐसा होने पर ही वह इस व्यवसाय में कोई सार्थक कार्य कर सकता है। उसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग को अध्यापकों के चयन के समय इस बात का अधिक ध्यान देना चाहिए कि केवल उन्हीं व्यक्तियों का इस व्यवसाय में चयन हो जो वास्तव में इसे इससे जुड़ना चाहते हैं।

प्रभावी अध्यापक होने के लिए सर्वप्रथम अध्यापक में विषय-वस्तु का ज्ञान (अवधारणात्मक कौशल) होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति विषय के ज्ञान के अभाव में शिक्षक नहीं हो सकता है। अतः शिक्षक के लिए यह अति आवश्यक है कि वह विद्यालय में जिस विषय का शिक्षण करे, उसका पूर्ण ज्ञान हो। यदि उसका विषय संबंधी ज्ञान अधूरा या कम होगा तो वह अपने छात्रों का विश्वासपात्र नहीं बन सकेगा। इस संबंध में एक विद्वान का मत है–"एक अयोग्य चिकित्सक मरीज के शारीरिक हित के लिए खतरनाक है। परंतु एक अयोग्य शिक्षक राष्ट्र के लिए इससे भी अधिक घातक है, क्योंकि वह न केवल अपने छात्रों के मस्तिष्क को विकृत बनाता और हानि पहुंचाता **है, वरन्** उनके विकास को अवरुद्ध करता है तथा उनकी आत्मा को मरोड़ देता है।" इसलिए एक अच्छे शिक्षक से यह **आशा** की जाती है कि वह अपने विषय का सदैव विद्यार्थी बना रहे।

के.जी. सैयदेव ने सत्य ही कहा है–"आप एक बर्तन में से कोई वस्तु तब तक उड़ेलकर नहीं निकाल सकते; जब तक कि आपने वह वस्तु उसमें रख न दी हो। यदि शिक्षक ज्ञान एवं बुद्धि की दृष्टि से हीन एवं खोखला है, यदि उसमें ज्योति प्रदान करने वाली शक्ति नहीं है, तो वह अपने बालकों के मस्तिष्क को प्रखर या उनकी भावनाओं को मानवीय रूप प्रदान नहीं कर सकता। यदि वह स्वयं प्रदीप्त दीप नहीं है तो वह दूसरों में ज्ञान के प्रकाश को प्रसारित करने में सदैव असमर्थ रहेगा।"

"You cannot pour out of a vessel except that you have put into it and if a teacher is poor and shallow from within, he cannot quicken the mind or humanise the emotions of his children – if he is not delighted candle himself he will never be able to lighten up to the flames in other."–**K.G. Saiydain**

यदि अपने विषय क्षेत्र में यथेष्ट दक्षता का अध्यापक में अभाव है तो अध्यापक विश्वासपूर्वक अपने विद्यार्थियों का सामना नहीं कर पाएंगे और उन्हें अपेक्षित अवधारणाओं, कौशलों और अभिवृत्तियों के अधिगम के लिए अभिप्रेरित नहीं कर पाएंगे। अतः अध्यापक से सर्वप्रथम यह अपेक्षित है कि उसके पास **अपनी** विशेषज्ञता के क्षेत्र से संबंधित ज्ञानाधार हो। यदि अध्यापक को अपने में प्रत्याशित विषय-वस्तु **प्रवीणता** का अभाव दिखाई देता है, तो अध्यापकों को यथाशीघ्र आधारभूत विषय-वस्तु ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आधारभूत ज्ञानाधार के अतिरिक्त अध्यापक को विधियों और साधनों, विद्यार्थियों और

उनके अभिलक्षणों, शैक्षिक उद्देश्य आदि का भी ज्ञान होना चाहिए। अध्यापक ज्ञानाधार के विविध तत्वों में जितने अधिक प्रवीण होंगे उतने ही अध्यापक के रूप में अपने कार्य संबंधित दायित्व को निभाने में अधिक समर्थ हो जाएंगे।

केवल अपने विषय और उससे संबंधित क्षेत्रों के ज्ञान से ही कोई प्रभावी नहीं बन जाता। इसके साथ अध्यापक को योजना बनाने, तैयारी करने, व्यवहार में हस्तक्षेप करने और शिक्षण करने जैसे कुछ व्यावसायिक कौशलों का भी विकास करना चाहिए। अध्यापक को इस योग्य होना चाहिए कि वह विद्यार्थियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण कर सकें। अध्यापक में प्रभावी शैक्षणिक पद्धतियों के चयन और उपयुक्त दृश्य-श्रव्य साधनों के उपयोग की योग्यता भी होनी चाहिए। अध्यापक से यह भी अपेक्षित है कि सुनिश्चित उपचारात्मक, प्रतिपूरक और यथार्थवादी शिक्षण प्रविधियों के उपयोग द्वारा विद्यार्थी के अधिगम को सुसाध्य बनाएंगे। अध्यापक में परिचर्चा, वाद-विवाद, श्यामपट्ट आरेखन, साक्षात्कार, प्रश्न, स्पष्टीकरण आदि जैसे विभिन्न माध्यमों के द्वारा सम्प्रेषण करने की योग्यता भी होनी चाहिए। अवसरानुकूल निम्न स्तर, मध्यम स्तर तथा उच्च स्तर के प्रश्न पूछने की योग्यता के द्वारा अध्यापक से अपेक्षा की जाती है कि विद्यार्थियों को परिचर्चा में इस प्रकार सम्मिलित करेंगे कि वे स्वयं खोज करने में सफल हो सके। इसके अतिरिक्त अध्यापक में ऐसी निर्देशात्मक सामग्री की रचना करने की भी योग्यता होनी चाहिए कि जो विषय स्पष्टीकरण तथा प्रतिपूरक सामग्री के रूप में प्रयोग की जा सके। अध्यापक में एक अन्य अपेक्षित दक्षता है—अंतर्वैयक्तिक कौशल। अध्यापक के नाते उनसे यह भी अपेक्षित है कि वह अपने विद्यार्थियों के सरोकार और आवश्यकताओं के निर्धारण के लिए विद्यार्थियों के प्रति मुक्त एवं स्थिर अभिवृत्ति अपनाते हुए अनुक्रिया करने के लिए उनके साथ व्यवहार करते समय आत्म-विश्वास प्रदर्शित करने के लिए तथा अनुकूल अंतर्क्रिया करने के लिए उनके साथ स्पष्ट और सुनिश्चित ढंग से सम्प्रेषण करने की योग्यता विकसित करें। इस प्रकार उनके साथ उदारतापूर्वक, प्रभावी और निष्पक्ष रूप में व्यवहार करने से अपने प्रति उनमें दृढ़-आत्मविश्वास उत्पन्न करने में सफल हो सकेंगे।

संगठनात्मक दक्षता अध्यापक की एक अन्य संपत्ति है। अध्यापक में कक्षा में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करने तथा विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का निर्माण एवं उपयोग करने की योग्यता होनी चाहिए। समूह गतिकी का बोध कक्षा-प्रबंध में काफी सहायक होता है। व्यक्ति सापेक्ष समूह तथा अध्यापक केन्द्रित शिक्षण प्रविधियों की अच्छी जानकारी अध्यापक के कार्य को सहज बनाएगी। इसके अतिरिक्त अध्यापक में पुस्तकालय संसाधन, जैसे शब्दकोश, पुस्तकालय केटालॉग, एटलस, मानचित्रों और के प्रयोग में भी विशेषज्ञता विकसित करनी होगी। इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि अध्यापक को साक्षात्कार करने, नोट्स बनाने, संदर्भ सामग्री का उपयोग करने जैसे सूचना संग्रहण कौशलों में भी समर्थ होना चाहिए।

अपने विद्यार्थियों को अनुप्रमाणित एवं अभिप्रेरित करने की योग्यता अध्यापक की एक अन्य महत्वपूर्ण सम्पत्ति है। अध्यापक के नाते अध्यापक को यह जानना चाहिए कि अधिगम में मुख्य बाधा डर है—असफलता का डर, आलोचना का डर तथा मूर्ख प्रतीत होने का डर। अध्यापक को गलतियों को बर्दाश्त करना आना चाहिए। उसे अधिगम के लिए विद्यार्थी द्वारा सबोध प्रयास करना चाहिए। विद्यार्थियों की भर्त्सना करने के बजाय, अध्यापक को प्रत्येक विद्यार्थी के विशेष गुणों का पता लगाना चाहिए। अध्यापक उनकी संवृद्धि और विकास के संवर्धन के लिए उन्हें अपेक्षित अवसर और अभिप्रेरणा प्रदान करनी चाहिए। केवल इसी प्रकार के अभिमुखीकरण और अभिप्रेरणा से अध्यापक उन्हें आत्म-सिद्धि की ओर ले जा सकेंगे।

इन सब दक्षमताओं के अतिरिक्त अध्यापक में निदानात्मक और मूल्यांकन कौशल भी होना चाहिए। उसमें विद्यार्थी से संबंधित आधार-सामग्री का संग्रहण करने, कक्षा में विद्यार्थी के दुराचार का विश्लेषण करने तथा उसके कारणों का निर्धारण करने की योग्यता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे विद्यार्थी के वैयक्तिक पूर्व वृत्त का मूल्यांकन करने और उसके व्यवहारपरक लक्षणों को पहचानने में भी समर्थ होना चाहिए। इसी प्रकार अध्यापक में यह योग्यता भी हो कि वह विद्यार्थियों की उपलब्धियों के मापन के लिए उपयुक्त उपकरणों की अभिकल्पना, उनका विकास और प्रयोग कर सके और इस प्रकार के उपकरणों के प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों की वस्तुपरक व्याख्या भी कर सकें।

◆◆◆

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

1.3 अध्ययन क्षेत्र तथा अध्ययन क्षेत्र के विकल्प
(Disciplinarity and Alternatives to Disciplinarity)

3. अध्ययन क्षेत्र तथा अध्ययन क्षेत्र के विकल्प का वर्णन कीजिए।
(Describe disciplinarity and alternatives to disciplinarity.)

उत्तर–परिचय–पाठ्यक्रम और अनुदेशात्मक क्रियाओं में विषयों की प्रधानता होती है। स्कूलों को भावी पीढ़ी को अनिवार्य रूप से शैक्षिक विषयों का शिक्षण करना पड़ता है जैसे गणित, रसायनशास्त्र, भूगोल, इतिहास, और अर्थशास्त्र। शिक्षकों से कक्षा में शिक्षण करने के लिए अध्ययन क्षेत्रों की विषय-वस्तु में परिवर्तन करना पड़ता है। इस पाठ्यक्रम के नीचे एक आधारभूत अंतर छिपा होता है जिस पर नीति निर्माताओं, अनुसंधानकर्ताओं और शिक्षाशास्त्रियों ने अधिक ध्यान नहीं दिया है—और वह अंतर है स्कूली विषयों और अध्ययन क्षेत्रों के बीच। लेकिन पाठ्यक्रम के विकास और शिक्षाशास्त्रीय व्यवहारों को समझने के लिए इस अंतर को समझना बहुत महत्त्वपूर्ण है।

एक स्कूली विषय का अर्थ है स्कूली पाठ्यक्रम के अंदर ज्ञान का एक क्षेत्र जिसमें संस्थागत रूप से परिभाषित ज्ञान का क्षेत्र और शिक्षण और अधिगम के लिए व्यवहार शामिल होता है। शैक्षणिक विषय का अर्थ है एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक शैक्षणिक विभाग में ज्ञान का एक क्षेत्र या शाखा, जिसका निर्माण रिसर्च और ज्ञान को आगे बढाने के लिए किया जाता है। स्कूली विषय पारम्परिक अध्ययन के विषय हो सकते हैं जैसे गणित, इतिहास और भूगोल जिनका सीधा संबंध उनके मुख्य शैक्षणिक विषयों से होता है। वे गैर-पारम्परिक भी हो सकते हैं जैसे पर्यटन और आतिथ्य जिसका शैक्षणिक अध्ययन विषयों से कोई संबंध नहीं है।

पिछली शताब्दी से स्कूल को चार विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कहा गया है जो चार पाठ्यचर्या संबंधी विचारधाराओं में परिलक्षित होते हैं। ये विचारधाराएँ हैं— शैक्षणिक तर्कवाद, मानवतावाद, सामाजिक योग्यता, और सामाजिक पुनर्निर्माणवाद।

शैक्षणिक तर्कवादियों के अनुसार स्कूल का मुख्य उद्देश्य ज्ञान के विशिष्ट निकायों, विधियों और ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों के माध्यम से विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास करना है। दूसरी ओर मानवतावादियों के अनुसार बालक का सम्पूर्ण विकास करना है। सामाजिक योग्यता के समर्थकों के अनुसार स्कूल का उद्देश्य एक समाज की वर्तमान और भविष्य की मानव शक्ति की माँग को पूरा करना है जिसके लिए युवाओं को समाज के लिए योगदान देने के लिए प्रशिक्षित करना है। सामाजिक पुनर्संरचनावादियों के लिए स्कूल सामाजिक समस्याओं को दूर करने का उपकरण है (जैसे असमानता, शोषण, गरीबी आदि) और इसका उद्देश्य सामाजिक विकास और इसकी पुनर्संरचना करना है। ये चार प्रतिस्पर्धात्मक विचारधाराएँ पाठ्यक्रम के निर्माण में हावी रहती हैं जो अपने अपने ढंग से स्कूल के उद्देश्यों और ज्ञान को परिभाषित करती हैं।

21वीं सदी में पाठ्यक्रम संबंधी तीन संवाद-स्वतंत्र अधिगमकर्ता, सहभागी नागरिकता, और भूमण्डलीकरण चर्चा का विषय रहे हैं। इन्हें नया मानवतावाद, सामाजिक सक्षमता और कुछ हद तक सामाजिक पुनर्संरचना के रूप में देखा जा सकता है। ये विचारधाराएँ तर्क देती हैं कि समकालीन स्कूलों को व्यक्ति की ज्ञान का निर्माण करने के खुद के आधार को विकसित करने में सहायता करनी चाहिए। स्कूल को विद्यार्थियों को प्रजातान्त्रिक समाज में अपनी भूमिकाएँ निभाने में योग्य बनाना चाहिए। इसके अलावा स्कूलों से यह भी उम्मीद की जाती है कि वे विद्यार्थियों को इस काबिल बनाएँ कि वे आर्थिक और सांस्कृतिक भूमण्डलीकरण की चुनौतियों का सामना कर सकें। इन विचारधाराओं को संसार भर की सरकारों द्वारा पाठ्यक्रम को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है।

स्कूली विषय और शैक्षणिक अध्ययन क्षेत्रों में संबंध

उद्देश्यों, विषय-वस्तुओं, और विकास के स्तरों के आधार पर स्कूली विषयों के शैक्षणिक विषयों के साथ अलग अलग और परिवर्तनीय संबंध हैं। स्टेंजेल के अनुसार स्कूली विषयों और शैक्षणिक अध्ययन क्षेत्रों के बीच तीन तरह से तुलना की जा सकती है–

- स्कूली विषय और शैक्षणिक अध्ययन क्षेत्र मूल रूप से निरंतर हैं
- स्कूली विषय और शैक्षणिक अध्ययन क्षेत्र मुख्य रूप से अनिरंतर हैं
- स्कूली विषय और शैक्षणिक अध्ययन क्षेत्र अलग-अलग हैं लेकिन आपसे में जुड़े हुए हैं।

इनमें से प्रत्येक तुलना एक विशेष पाठ्यचर्या संबंधी अवस्था की ओर संकेत करती है जिनका संबंध शैक्षणिक विषयों के संबंध में स्कूली विषयों के निर्माण से है।

1. **निरंतरता**–निरंतर अवस्था का संबंध शैक्षणिक तर्कवाद से है–जो कि एक ऐसी विचारधार है जिसके अनुसार विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास और शैक्षणिक संस्कृति को कायम रखने के लिए विषयों से संबंधित ज्ञान को दिया जाना महत्त्वपूर्ण है। यह बहुविषयता का सिद्धांत है जिसके अनुसार स्कूली विषयों का संगठन शैक्षणिक अध्ययन क्षेत्रों की संरचना के अनुसार किया जाता है। शैक्षणिक तर्कवादियों के लिए स्कूली विषयों का मुख्य उद्देश्य, शैक्षणिक विषयों की तरह, युवा विद्यार्थियों को शैक्षणिक समुदाय में शामिल करना है। इस प्रकार स्कूली विषय उनसे संबंधित शैक्षणिक अध्ययन क्षेत्रों से विकसित होते हैं और उन्हीं के अनुसार बदलते हैं। वे उस शैक्षणिक विषय का परिचय देते हैं जिनसे वे पैदा हुए हैं और जिनके नाम पर उनका नाम रखा जाता है। स्कूल स्तर पर विद्यार्थी सापेक्षिक रूप से साधारण विचारों और विधियों से संबंध रखते हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं विचारों का अध्ययन करते हैं जो शैक्षणिक विचारों में शामिल होते हैं। इस प्रकार से तैयार किए गए पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की रुचियों, दृष्टिकोणों, और भावनाओं को अनदेखा किया जाता है। इसके अलावा इस प्रकार का पाठ्यक्रम सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक आवश्यकताओं पर कोई ध्यान नहीं देता और सामाजिक विकास और पुनर्संरचना जैसी समस्याओं पर मौन रहता है। टैनर और टैनर के अनुसार ज्ञान, अधिगमकर्ता की आवश्यकताएँ, और समाज की जरूरतें और आवश्यकताएँ तीन मुख्य कारक हैं जो पाठ्यक्रम के निर्माण को निर्धारित करते हैं। ये कारक शैक्षणिक अध्ययन क्षेत्रों को स्कूली विषयों से अलग करते हैं।

2. **अनिरंतरता**–निरंतरता के सिद्धांत को यह तर्क देकर नकारा जा सकता है कि स्कूली विषय और शैक्षणिक अध्ययन क्षेत्रों के उद्देश्य और विषयवस्तु में भिन्नता है, जिसके कारण स्कूली विषयों के निर्माण में उन विषयों को भी शामिल किया जा सकता है जो शैक्षणिक अध्ययन क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आते। यह अनिरंतर स्थिति मानवतावादी, सामाजिक सक्षमता और सामाजिक पुनर्संरचना से समर्थित है। मानवतावादी शिक्षक तर्क देते हैं कि स्कूली विषयों का निर्माण विद्यार्थियों को आंतरिक रूप से अच्छे अनुभव प्रदान करने के लिए किया जाता है जो आत्म-वास्तवीकरण, व्यक्तिगत विकास, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढावा देते हैं। इसलिए स्कूली विषयों का निर्माण विद्यार्थियों की रुचियों, दृष्टिकोणों, और विकास की अवस्थाओं के अनुसार किया जाना चाहिए। उनकी विषय-वस्तु विभिन्न स्रोतों से लेनी चाहिए जैसे व्यक्तिगत अनुभव, मानवीय गतिविधियाँ, और सामुदायिक संस्कृतियाँ और ज्ञान। अध्ययन क्षेत्रों का ज्ञान स्कूली विषयों के निर्माण में उपयोगी हो भी सकती है और नहीं भी।

   सामाजिक सक्षमता के संदर्भ में स्कूली विषयों का निर्माण मुख्य रूप से आर्थिक और सामाजिक उत्पादकता को बढाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए भावी नागरिकों को आवश्यक ज्ञान, कौशल, और पूंजी प्रदान की जाती है। इसलिए स्कूली विषयों का निर्माण व्यवसायों और पेशों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। इसलिए विशिष्ट और प्रयोगात्मक क्षेत्र (जैसे इंजिनियरिंग, अकाउंटिंग, और मार्केटिंग) स्कूली विषयों की विषय-वस्तु के स्रोत होते हैं। शैक्षणिक अध्ययन क्षेत्रों का सहारा उसी हद तक लिया जाता है जहाँ तक उन कौशलों और ज्ञान की आवश्यकता होती है जो व्यवसायों के लिए जरूरी है।

   सामाजिक पुनरसंरचानावादियों के लिए स्कूली विषयों का निर्माण विद्यार्थियों को अर्थपूर्ण अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए किया जाता है जो समाज को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए स्कूली विषयों का निर्माण सामाजिक संदर्भ, सामाजिक समस्याओं, और भविष्य के परीक्षण के आधार पर किया जाता है, ताकि व्यक्ति अपने खुद के विश्लेषणों, दृष्टिकोणों, और कार्यों की पुनर्संरचना कर सके। मानवतावादी शिक्षकों की तरह सामाजिक पुनः संरचनावादी विश्वास करते हैं कि स्कूली विषयों की विषय-वस्तु में व्यापक स्रोतों से लिया जाना चाहिए।

3. **अलग लेकिन संबंधित**–ये तीनों तुलनाएँ स्कूली विषयों और शैक्षणिक अध्ययन क्षेत्रों के बीच संबंधों को दर्शाती हैं जो तीनों में से किसी भी एक तरह का हो सकता है–

   (क) शैक्षणिक अध्ययन विषय स्कूली विषयों का आधार हो सकते हैं।

   (ख) स्कूली विषय शैक्षणिक अध्ययन विषयों का आधार हो सकते हैं।

   (ग) दोनों के बीच संबंध तर्कशास्त्रीय हो सकता है।

   पहली स्थिति के अनुसार स्कूली विषय एक शैक्षणिक अध्ययन क्षेत्र का परिणाम हो सकते हैं। दूसरी स्थिति हरबर्ट के सिद्धांत को दोहराती है, जिसके अनुसार विषयों के ज्ञान के एतिहासिक विकास की अवस्थाओं और व्यक्ति के विकास की अवस्थाओं के बीच समानांतरता है। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक की व्यक्ति की शैक्षिक यात्रा में स्कूली विषय पहले आते हैं और शैक्षणिक अध्ययन क्षेत्र में बाद में। तीसरी स्थिति को पहली और दूसरी स्थिति का संयुक्त रूप समझा जा सकता है, जैसा कि डिवी की पुस्तक **बालक और पाठ्यक्रम** के रूप में परिलक्षित होता है। डिवी के लिए शैक्षणिक अध्ययन क्षेत्र स्कूली पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक है और स्कूली विषय शैक्षणिक अध्ययन क्षेत्र को जानने का अवसर प्रदान करता है।

   उपरोक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि स्कूली विषय अलग विषय होते हैं, उनका अपना उद्देश्य होता है, उनका निर्माण विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, और राजनैतिक जरूरतों और चुनौतियों के लिए किया जाता है, और उनका उद्देश्य शैक्षिक होता है।

◆◆◆

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

2

अध्ययन क्षेत्रों की प्रकृति में प्रतिमान परिवर्तन

[Paradigm Shifts in Nature of Disciplines]

2.1 शिक्षाशास्त्रीय विषयों का इतिहास तथा उत्पत्ति
(History and Origin of Pedagogical Subjects)

1. स्कूली विषयों के उदय के दार्शनिक, सामाजिक और ऐतिहासिक आधार का वर्णन कीजिए।

अथवा

अध्ययन विषयों के दार्शनिक तथा शैक्षिक परिप्रेक्ष्य का वर्णन कीजिए।

(Describe the philosophical and education perspectives of disciplines.) (June 2018)

उत्तर–अध्ययन विषयों का दार्शनिक संदर्भ–एक दार्शनिक के लिए शैक्षिक विषय का प्रश्न ज्ञान के संगठन और वास्तविकता के साथ इसके संबंध से जुड़ी एक समस्या है। प्लूटो के समय से ही दार्शनिक विश्वास करते रहे हैं कि संसार की एकता को इसके बारे में ज्ञान की एकता से कायम रखा जा सकता है। इसका अर्थ है कि दार्शनिकों ने वास्तविकता और ज्ञान के एकीकृत सिद्धांत को विकसित किया है–जो कि ऐसा सिद्धांत था जिसे 20वीं सदी में तत्त्वमीमांसा का नाम दिया गया।

कैंट के समय से दर्शन तत्त्वमीमांसा से दूर होता चला गया और ज्ञान पर आधारित होता गया, या जिसे आज ज्ञानमीमांसा कहते हैं, जिसका संबंध ज्ञान और सत्य से है। विषय और अंतरविषय आंतरिक रूप से वस्तुपरक वास्तविकता के साथ ज्ञान के संबंध की समस्या से जुड़े हुए हैं और सम्पूर्ण ज्ञान की एकता और विभिन्नता की समस्या से जुड़े हैं।

अधिक पारम्परिक दार्शनिक संदर्भ में शैक्षिक विषय ज्ञान की विशिष्ट शाखाएँ हैं और सभी को मिलाकर वे सम्पूर्ण ज्ञान बनते हैं जिसे वैज्ञानिक प्रयासों से सृजित किया जाता है। इसलिए अध्ययन विषय एक दूसरे के प्रतियोगी होते हैं और सैद्धांतिक रूप से एक एकीकृत सिद्धांत या ज्ञान की प्रणाली में संयुक्त हैं। प्राचीन समय में शिक्षा और दर्शन अंतर्विषयक थे क्योंकि दार्शनिक अपने द्वारा खोजे गए सत्य की वैद्यता की कोई सीमा स्वीकार नहीं करते थे।

प्लुटो के लिए दर्शन एक एकीकृत विज्ञान था और दार्शनिक एक ऐसा व्यक्ति था जो सम्पूर्ण ज्ञान को जोड़ता है। कोई भी ऐसा ज्ञान जो केवल राय के स्तर से ऊपर होती थी वह अपने आप दर्शन का विषय था और इसे इसकी स्वयं की विधि के द्वारा समझा जा सकता था। अरस्तू ने सबसे पहले ज्ञान का विभाजन किया और इसे सैद्धांतिक और व्यावहारिक खोज के रूप में विभाजित किया और इस प्रकार शुद्ध चिंतन (वार्तालाप, तर्क, गणित, धर्म) और प्रकृति के अवलोकन (भौतिकी, खगोल विज्ञान) को संतुलित किया। दार्शनिक ज्ञान के इस विभाजन ने ज्ञान के असंख्य विभाजनों के लिए आधार तैयार किया जिसके अंतर्गत अधिक विशिष्ट विज्ञान क्षेत्रों का विभाजन हुआ। और इस प्रकार ज्ञान की एकरूपता खो गई।

20वीं सदी में एक नए दर्शन तार्किक निश्चयात्मकता (logical positivism) का उदय हुआ। तार्किक निश्चयात्मकता ने विज्ञान और ज्ञान की एकरूपता को वापिस प्राप्त करना शुरू किया जो तेजी से विकसित हो रहे शैक्षणिक विषयों और रिसर्च उद्देश्यों के कारण नष्ट हो चुकी थी। इसका उदय 1920 के दशक में जर्मनी और ऑस्ट्रीया में हुआ। तार्किक निश्चयवादियों का दावा था कि विज्ञान एक संचयी प्रक्रिया है जो प्रकृति के वस्तुपरक अवलोकन पर आधारित है। तार्किक निश्चयात्मकता विज्ञान को अनुभवजन्य अवलोकन से निर्देशित मानता है जिसमें तर्क या तार्किक योग्यता महत्त्वपूर्ण होती है। उन्होंने वैज्ञानिक विधि को परिभाषित किया और ज्ञान और सिद्धांतों की पुष्टि करने के विचार को बढावा दिया। कुछ तार्किक निश्चयवादी दार्शनिक संयुक्त संगठित विज्ञान को महत्त्व देते थे जो एक सार्वभौमिक वैज्ञानिक भाषा के आधार पर विकसित हुआ है। इस प्रकार सभी शैक्षणिक विषयों में एक समान सार्वभौमिक वैज्ञानिक तर्कशीलता होती है। तार्किक निश्चयात्मकता की दृष्टि से शैक्षिक विषयों की संख्या और उनकी विषय-वस्तु अपेक्षाकृत स्थायी हो सकती है, क्योंकि ज्ञान का विभाजन नहीं किया जा सकता।

शैक्षिक विषयों का सामाजिक आधार

हालांकि समाज शास्त्र एक अध्ययन विषय है जिसे परिभाषित करना कठिन है, लेकिन इस विषय के एक प्रारंभिक चिंतक ने तर्क दिया है कि 'एक समाजशास्त्री वह व्यक्ति होता है जो समाज के तथ्यों का एक निश्चित ढंग से अध्ययन कर रहा होता है।' दार्शनिकों की तरह समाजशास्त्री मानवीय जीवन से संबंधित होते हैं, लेकिन इसके समाज के साथ संबंधों पर अधिक ध्यान होता है। एक समाजशास्त्री मानव जीवन के किसी भी पक्ष में रुचि ले सकता है, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण उसे औरों से अलग बनाता है। सामान्यतः समाजशास्त्री का दृष्टिकोण यह होता है कि मानव व्यवहार मुख्य रूप से सामाजिक गतिविधियों और सामाजिक संगठनों से प्रभावित होता है। किसी भी मानव व्यवहार या सामाजिक समूह के व्यवहार का विश्लेषण इस विशेष दृष्टि से किया जा सकता है।

अगर उन विषयों को देखा जाए जिनमें लोग पारम्परिक रूप से रूची लेते हैं, जो अपने आपको समाजशास्त्री कहते हैं, तो हम शायद शैक्षणिक विषयों को कार्य के समाजशास्त्री के वर्गों को देखेंगे। समाजशास्त्री की यह शाखा श्रम के व्यावसायिक और सामाजिक विभाजन से संबंध रखती है। व्यावसायिकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक गतिविधि लोगों के जीवनयापन का साधन बन जाती है। एक व्यवसायी वह व्यक्ति होता है जो एक अप्रशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा अधिक कौशलों के आधार पर एक निश्चित गतिविधि कर सकता है और जिसे उस इस गतिविधि के लिए पर्याप्त भुगतान किया जाता है ताकि वह अपना निर्वाह कर सके। 19वीं सदी के दौरान वैज्ञानिक गतिविधि या अनुसंधानों को विशेष व्यवसायों का रूप नहीं दिया जा सका, क्योंकि स्थायी वेतन के आधार पर उस समय वैज्ञानिक पद नहीं होते थे और वैज्ञानिक कार्य प्रक्रियाओं, मैटीरियल या शैक्षिक नौकरियों को नहीं कर सकते थे। यह बदलाव व्यावसायिक संघों के द्वारा केवल 19वीं सदी में ही आया है, जिन्होंने अध्ययन विषय आधारित शैक्षणिक पत्रिकाओं के माध्यम से वैज्ञानिक कार्यों का मूल्यांकन और वितरण किया और जिसके कारण ख्याति और रिवार्ड की प्रणाली विकसित हुई।

इस प्रकार शैक्षणिक विषयों को विज्ञान में श्रम विभाजन का एक विशेष रूप समझा जा सकता है और विज्ञान के सम्पूर्ण व्यावसायिकरण का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष समझा जा सकता है। शैक्षणिक व्यवसाय बहुत प्रभावी हो सकते हैं क्योंकि वे शैक्षणिक विभागों के संसाधनों, व्यवसायों तक पहुँच को डिग्री प्रदान करके और रोजगार प्रदान करके नियंत्रित करते हैं, और क्योंकि वे यह परिभाषित करते हैं कि व्यवसाय में अच्छा व्यवहार क्या होता है। दूसरे शब्दों में अध्ययन विषय श्रम मार्केट की परिभाषा और नियंत्रण, और बौद्धिक उत्पादन और वैधता दोनों की ही इकाइयाँ थे। परिणामस्वरूप शैक्षणिक विषयों का व्यवसायीकरण होने से इन विषयों के विद्वान स्वतंत्र रूप से अपने व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा कर सकते थे। साथ ही व्यावसायिकरण विषय व्यवसायियों के समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करता है जिसका कारण संसाधनों का सीमित होना है। इस प्रकार अध्ययन विषय विश्वविद्यालयों में और सम्पूर्ण वैज्ञानिक समुदाय में पैसे और प्रभाव की प्रतिस्पर्धाएँ हैं।

1980 के दशक की शुरूआत से समाजशास्त्रियों ने आधुनिक समाज में व्यावसायिक पहचान और विशेषताओं में कमी को देखा है। यह तर्क दिया जाता है कि शैक्षणिक व्यवसायियों की स्वतंत्रता में कमी आई है क्योंकि शैक्षणिक ज्ञान कमजोर हो गया है और व्यापक वैज्ञानिक समुदाय और सम्पूर्ण समाज का बाहरी दबाव है कि वे अपने कामों को और अधिक प्रासंगिक बनाएँ। इस पूरी प्रक्रिया में मुख्य कारक हैं 'ऑडिट संस्कृति' या शैक्षणिक कार्यों पर गुणवत्ता के बाहरी मानकों को लागू करने की प्रवृत्ति है। इसलिए यह हैरानी की बात नहीं है कि विद्वान अलग-थलग महसूस करते हैं और उनकी व्यावसायिक पहचान पर संकट छा गया है।

श्रम का विभाजन आधुनिकता की एक सबसे प्रभावी विशेषताओं में से एक है और सामाजिक संगठनों की बढती हुई तर्कसंगतता की एक अभिव्यक्ति है। विज्ञान, जो अलग से ज्ञान का सम्पूर्ण विकास करता है, की एक परियोजना को विशेष व्यवसायों में विभाजित करना एक तर्क और सक्षम व्यवस्था माना जाएगा, जो कि सम्पूर्ण समाज में श्रम विभाजन के समान ही है। विज्ञान में श्रम के इस विभाजन ने विशेषज्ञों को अपने अपने विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों को सीधे रूप से अलग अलग व्यवसायों के रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रेरित किया।

शैक्षणिक विषयों में दूसरे व्यवसायों की सभी मुख्य विशेषताएँ मौजूद हैं जैसेः

1. उनमें व्यावसायिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण की स्वतंत्रता होती है।
2. उनके अपने ज्ञान और कौशल होते हैं जिन्हें एक पाठ्यक्रम शामिल किया जा सकता है।
3. उनके अलग व्यावसायिक नियम होते हैं और व्यवसायियों का एक समुदाय होता है।

अधिक अच्छी तरह से स्थापित विषय इतने स्थापित आ जाते हैं कि उन्हें अलग व्यवसाय समझा जाता है जबकि अपेक्षाकृत नए और कम स्थापित विषयों के सदस्य अपने आपको वैज्ञानिक समझते हैं।

एक शैक्षणिक विषय शिक्षा के क्षेत्र से बाहर कैरियर या व्यवसाय से जितना अधिक जुड़ा हुआ, उसका व्यावसायिकरण होने की संभावनाएँ उतनी ही अधिक होती हैं। इस प्रकार सामाजिक संदर्भ यह व्याख्या करता है कि कुछ शैक्षणिक विषय दूसरों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय क्यों होते हैं।

शैक्षणिक विषय या व्यवसाय को शैक्षणिक वातावरण में एक मुख्य शक्ति माना जाता है। समाज के दूसरे क्षेत्रों में विकास की तरह ही व्यवसायियों की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि उन पर बाहरी दबाव है और समाज उनसे माँग करता है, इसलिए प्रोफेसरों के सामाजिक सम्मान में कमी आई है, उनके वेतनों में कमी आई है।

ऐतिहासिक आधार

दूसरी सामाजिक प्रक्रियाओं की तरह ही शैक्षणिक विषयों का भी इतिहास है। प्रत्येक अध्ययन विषय का एतिहासिक विश्लेषण किया जा सकता है। विज्ञान के इतिहासकार एक विशेष एतिहासिक परिस्थिति को देख सकते हैं जिसके कारण उस शैक्षिक विषय का विकास हुआ और यह देख सकते हैं कि समय के साथ साथ इसमें बदलाव कैसे आया या इसका विकास कैसे हुआ। एतिहासिक संदर्भ यह समझने में सहायता करता है कि एक विषय निरंतर कैसे रहा, और समय के साथ उसमें बदलाव कैसे आए (जिसे थॉमस कुहन ने 'मानक परिवर्तन' कहा है। कई बार इससे पुराना विषय समाप्त हो जाता है और इसके स्थान पर एक नया विषय आ जाता है। दूसरे शब्दों में एतिहासिक संदर्भ विज्ञान और शैक्षणिक विषयों के विकास की गति को समझने में सहायता करता है।

इतिहासकार प्रायः उन व्यवहारिक सामाजिक संदर्भों और सम्पूर्ण परिस्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं जिनके कारण एक विशेष अध्ययन विषय का विकास हुआ, जैसे राजनीतिक वातावरण या समाज की कोई अन्य आवश्यकता, और आंतरिक कारकों को समझने की कोशिश करता है जिन्होंने इन विषयों के विकास में योगदान दिया। उदाहरण के लिए, जूली थॉम्पसन ने बताया है कि शैक्षणिक विषय मध्यकालीन युग के उत्तरार्ध की खोजे हैं। यह शब्द सबसे पहले तीन शैक्षणिक क्षेत्रों के लिए प्रयोग किया गया था जिनमें व्यवसायियों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालयों की थी— ये तीन क्षेत्र थे धर्म, कानून और औषधि। थॉम्पसन तर्क देती हैं कि ज्ञान के ये प्रारंभिक विषय बाहरी माँग के कारण विकसित हुए, जबकि

19वीं सदी में विकसित होने वाले अध्ययन विषय आंतरिक कारणों से विकसित हुए थे। उस समय तक विज्ञान और ज्ञान प्राप्ति संस्थाओं का विषय बन चुका था और एक बेहद उच्च स्तरीय प्रणाली बन गया था। बहु-विषयों के उदय के कारण विशेषज्ञों को भर्ती करने और उन्हें प्रशिक्षित करने की जरूरत महसूस हुई जिनकी आवश्यकता औद्योगिकरण और विज्ञान और तकनीकी को आगे बढाने के लिए थी। समाज जटिल होता चला गया, सामाजिक विज्ञानों की खोज हुई, जिन्होंने प्राकृतिक विज्ञानों के साथ प्रतिस्पर्धा की। इसका परिणाम यह था कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी की शुरूआत में नए अध्ययन क्षेत्र संस्थागत तरीके से स्थापित हुए जिनमें मुख्य सामाजिक विज्ञान शामिल थे जैसे समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीतिकशास्त्र और अर्थशास्त्र।

नए विषयों के पीछे तर्क यह था कि उनके संबंध एक विशेष विषय से था जो दूसरे विषय के अंतर्गत नहीं आते थे। समाजशास्त्रियों का संबंध समकालीन सामाजिक संगठनों से था जो राजनैतिक क्षेत्र से बाहर थे, इस प्रकार वे राजनैतिक वैज्ञानिकों से अलग थे। एक मानवशास्त्री का संबंध संस्कृति से था जिससे उसका अभिप्राय साहित्य या कला से नहीं था बल्कि समूह के दृष्टिकोणों था, और जो प्रायः शिक्षित होने से पूर्व समाजों पर था। अर्थशास्त्री केवल उत्पादन के साधनों का अध्ययन करता था। यह विभाजन व्यावहारिक था, क्योंकि इसकी सहायता से विषय स्वतंत्र रूप से और स्थायी रूप से विकसित हुए। कुछ विषय अधिक सफल हुए लेकिन दूसरे या तो जल्दी ही लुप्त हो गए (जैसे कपालविद्या, मुखाकृति विज्ञान) या पहले से स्थापित विषय से निकलकर अध्ययन क्षेत्र बने (जैसे धार्मिक अध्ययन) जिसका कारण बदलती हुई राजनैतिक और सामाजिक परिस्थितियाँ थी।

◆◆◆

2. पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार की सविस्तार व्याख्या कीजिये।
(Describe in detail the philosophical base of Curriculum.)

अथवा

दर्शनशास्त्र की कौन-सी विचारधाराएँ पाठ्यक्रम को प्रभावित करती हैं? बताइए।
(Which streams of philosophy affect the curriculum? Describe.)

अथवा

आदर्शवाद, प्रकृतिवाद व प्रयोजनवाद के संदर्भ में पाठ्यक्रम पर पड़ने वाले प्रभावों को समझाइए।
(Clarify the effects upon curriculum in the reference of Idealism, Naturalism and Pragmatism.)

उत्तर–आदर्शवाद तथा पाठ्यक्रम (Idealism and Curriculum)–दर्शन एवम् दार्शनिक विचारधाराओं का शिक्षा से घनिष्ठ संबंध होता है। दर्शन शिक्षा को अत्यंत प्रभावित करता है। दर्शन के क्षेत्र में विभिन्न वाद एवम् विचारधारायें समय-समय पर विकसित एवम् प्रचलित होती रही हैं जिनमें सर्वाधिक प्राचीन विचारधारा आदर्शवाद है। आदर्शवाद का सूत्रपात भारत तथा पाश्चात्य देशों में ही प्राचीन युग में हुआ। पाश्चात्य देशों में सर्वप्रथम सुकरात तथा प्लेटो ने आदर्शवाद का प्रतिपादन किया तथा भारतवर्ष में प्राचीन ऋषि-मुनियों ने आदर्शवाद की बात कही।

आदर्शवाद का आधार आध्यात्म है। आदर्शवाद मूलभूत रूप से शाश्वत मूल्य एवम् आदर्शों को स्वीकार करता है। इस विचारधारा के अनुसार आत्मा, परमात्मा और विचार ही शाश्वत हैं तथा भौतिक जगत की कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है। अतः इसका कोई महत्त्व नहीं है। आदर्शवाद के प्रवर्तक प्लेटो ने भी विचारों के संसार को ही वास्तविक जगत माना है। इन विचारों के प्रकटीकरण से ही यह भौतिक संसार बना है। इस मत को प्रत्ययवाद या विचारवाद (Idealism) कहते हैं। परंतु बाद में विभिन्न आध्यात्मिक सिद्धांतों के आधार पर आदर्शवाद को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया गया। आदर्शवाद एक जटिल विचारधारा है। आदर्शवाद मन की प्रकृति को शाश्वत व सत्य मानता है। इसके अनुसार वे ही तथ्य सत्य एवम् वास्तविक हो सकते हैं जो आध्यात्मिक या मानसिक हो। आदर्शवाद मस्तिष्क (Mind) को संसार का आधार मानता

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

है। हेंडरसन ने कारण बताते हुए कहा है, "आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक मूल्य और मनुष्य और जीवन से सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं। आदर्शवादियों का विश्वास है कि मनुष्य अपने सीमित मस्तिष्क को असीमित मस्तिष्क से प्राप्त करता है। वे ये मानते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्तियाँ हैं। वे कहते हैं कि भौतिक संसार की व्याख्या मस्तिष्क से ही की जा सकती है।"

आदर्शवाद को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि यह विचारधारा भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक संसार को विशेष महत्त्व देती है। यह जड़ प्रकृति की तुलना में चेतन मनुष्य को अधिक महत्त्व देती है। इसका प्रमुख कारण है 'मनुष्य की बौद्धिक शक्ति' जिससे वह अपने आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करता है। आदर्शवाद आध्यात्मिक मूल्य–सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम् को विशेष महत्त्व देता है। इसमें आत्मानुभूति को परम लक्ष्य माना गया है।

आदर्शवादी विचारधारा ने अपने सिद्धांतों से शिक्षा को सर्वाधिक प्रभावित किया है। आदर्शवाद के अनुसार हमारा पर्यावरण दो भागों में बँटा है–भौतिक पर्यावरण तथा आध्यात्मिक पर्यावरण। इसीलिए शिक्षा भी दो रूपों में होनी चाहिए–भौतिक शिक्षा एवम् आध्यात्मिक शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद के महत्त्व को रस्क महोदय के शब्दों से जाना जा सकता है–"यदि संस्कृति की रक्षा करनी है और विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति प्रेम पैदा करता है तो हमें आदर्शवाद का ही सहारा लेना होगा।"

शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम का विशेष महत्त्व होता है। पाठ्यक्रम का निर्धारण शिक्षा क्षेत्र में स्थित दार्शनिक विचारधारा ही करती है। आदर्शवाद के अनुसार, मानव के अनुभवों, विचारों, आदर्शों व मूल्यों का अत्यधिक महत्त्व है। इसीलिए आदर्शवाद के अनुसार, शिक्षा के पाठ्यक्रम में मानव जाति के अनुभवों, आदर्शों, मूल्यों व विचारों का अधिक से अधिक समावेश होना चाहिए। आदर्शवाद के मतानुसार शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक व सांस्कृतिक विकास हेतु धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, भाषा व साहित्य जैसे विषय पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने चाहिए।

हरबार्ट ने पाठ्यक्रम में उन विषयों को स्थान दिया है जो नैतिक विकास में सहायक हैं। इसके लिए रॉस ने पाठ्यक्रम में साहित्य, कला, इतिहास, संगीत आदि विषयों को प्रमुख स्थान तथा गणित, विज्ञान व भूगोल आदि विषयों को गौण स्थान दिया है। पाठ्यक्रम की योजना बनाते समय छात्र के वातावरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती। चूँकि भौतिक जगत में रहकर ही अन्तिम सत्य 'ईश्वर' की अनुभूति की जा सकती है, अतः पाठ्यक्रम में व्यक्ति के प्राकृतिक वातावरण को भी महत्त्व दिया गया है।

आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास, आत्मानुभूति एवमं सौन्दर्यानुभूति है, इसलिएं पाठ्यक्रम भी अत्यंत विस्तृत रखा है। पाठ्यक्रम में बौद्धिक विकास हेतु भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान आदि विषयों को रखा गया है। नैतिक विकास के लिये धर्म, नीति शास्त्र व आध्यात्म शास्त्र को महत्त्व प्रदान किया गया है। कलात्मक विकास के लिये कला, संगीत, ललित कलाएँ, दस्तकारी व कविता आदि को प्रमुखता दी गयी है। व्यक्ति के प्राकृतिक वातावरण के ज्ञान हेतु भौतिक, रासायनिक, जन्तु विज्ञान व वनस्पति विज्ञान, भूगोल, भूगर्भशास्त्र, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित आदि विषयों को रखा गया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आदर्शवाद के पाठ्यक्रम में जीवन के उच्च मूल्यों व आदर्शों के अनुसार पाठ्य विषयों को स्थान दिया गया है। पाठ्यक्रम में सामाजिक विषय, वैज्ञानिक विषय एवम् व्यावसायिक विषयों को पूर्ण महत्त्व दिया गया है। आदर्शवादी शिक्षा का पाठ्यक्रम जीवन के सर्वोच्च आदर्शों पर आधारित माना गया है। पाठ्यक्रम में विभिन्न मानवशास्त्रों एवम् विज्ञानों का समावेश किया गया है क्योंकि मनुष्य के अनुभव भौतिक व सामाजिक पर्यावरण से संबंधित होते हैं। आदर्शवादी शिक्षा का पाठ्यक्रम सभ्यता को प्रतिबिम्बित करता है।

प्रकृतिवाद तथा पाठ्यक्रम *(Naturalism and Curriculum)*

प्रकृतिवाद का प्रवर्तक फ्राँसीसी दार्शनिक रूसो को माना जाता है। रूसो स्वच्छन्द प्रकृति का व्यक्ति था। उसने सामाजिक बन्धनों से त्रस्त होकर कहा, "मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु वह सभी जगह बन्धनों से जकड़ा हुआ है।" *("Man is born free but everywhere he is in chains.")* प्रकृतिवादी विचारकों के

मतानुसार वह शिक्षा सर्वोत्तम होती है जो बालक का स्वाभाविक विकास करे और उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ये मानते हैं कि प्रकृति के नियम ही शाश्वत हैं और इनके अतिरिक्त कोई पारलौकिक सत्ता नहीं है। ब्रह्माण्ड की रचना का मूल कारण भी प्रकृति ही है। विश्व की अन्य रचनाओं के समान ही मनुष्य भी प्रकृतिजन्य है। मनुष्य का मन (Soul), मस्तिष्क (Mind) व अन्य विचार (Thoughts) भी प्रकृतिजन्य ही हैं। प्रकृतिवाद किसी प्रकार की आध्यात्मिक सत्ता को स्वीकार नहीं करता।

थॉमस तथा लैंग के शब्दों में, "प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मस्तिष्क को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अन्तिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं।

(Naturalism as opposed to idealism subordinates mind to matter and holds that ultimate reality is material, not spiritual.") प्रकृतिवादी विचारधारा का मूल सिद्धांत है–प्रकृति की ओर लौटो (Back to Nature) तथा समाज के बंधनों को तोड़ो (Break to social bonds). प्रकृतिवादी प्रकृति के सुरम्य वातावरण में जीवन व्यतीत करने का समर्थक है तथा राज्य के कठोर नियंत्रण का विरोध करता है।

शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवादी विचारधारा का समावेश सर्वप्रथम बेकन तथा कॉमेनियस ने किया था परंतु शैक्षिक क्षेत्र में प्रकृतिवादी सिद्धांतों को सर्वाधिक महत्त्व रूसो ने दिलाया। इन प्रकृतिवादी विद्वानों ने प्राकृतिक स्थानों के साथ-साथ बालक की मूल प्रकृति के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाए इस बात पर भी बल दिया। रूसो ने कहा है–"बच्चे का स्वभाव मूलतः अच्छा होता है और समाज ही उसे भ्रष्ट करता है।" *(Child's nature is essentially good and it is society which corrupts him.)* बालक की अपनी प्रकृति (स्वभाव) की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। बालक की मूल प्रवृत्तियों, आवेगों, रुचियों व क्षमताओं का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। बालक को शैक्षिक क्षेत्र में इस बात की सुविधा एवम् अवसर प्रदान करने चाहिये कि वह अपनी प्रकृति के ही अनुसार विकसित हो सके। बालक के विकास में प्रकृति का योगदान होना चाहिये न कि शिक्षक, पुस्तकों या विद्यालय का। शिक्षा बाल केन्द्रित होनी चाहिए। इस विषय में रॉस महोदय का कथन उल्लेखनीय है, "प्रकृतिवादी शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख स्थान बालक का है न कि शिक्षक, स्कूल, पुस्तक या अध्ययन की वस्तु का।"

प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में प्रचलित विषयों का विरोध किया गया है तथा पुस्तकीय शिक्षा को बच्चों के लिए अनावश्यक बताया गया है। कारण है कि पुस्तकीय ज्ञान व्यावहारिक नहीं होता। बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान अनुभव, निरीक्षण एवम् स्वयं करके सीखने से ही प्राप्त होता है। इसलिए इन्द्रिय प्रशिक्षण को अनिवार्य माना गया है। साथ ही कहा गया है कि प्रकृति ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण शिक्षक है जो अच्छे कार्य करने पर प्रोत्साहन तथा गलत कार्य करने पर दण्ड भी प्रदान करती है। प्रकृतिवादी विचारकों के अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिये जो बालक के स्वाभाविक विकास में सहायक हो।

प्रसिद्ध प्रकृतिवादी विचारक कॉमेनियस के अनुसार, "वास्तव में बालक के व्यावसायिक विकास हेतु उसे सब विषय पढ़ाये जाने चाहिए अर्थात् पाठ्यक्रम में सब विषयों का समावेश होना चाहिए। कॉमेनियस के विचारों को रस्क महोदय ने इस प्रकार व्यक्त किया है, "कॉमेनियस का उद्देश्य था – सब मनुष्यों को सब विषय पढ़ाना। यह सब विषयों में से कुछ को चुनना आवश्यक नहीं समझता था।" *(Comenius aim was to teach all things to all men, no selection deemed necessary.)*

हरबर्ट स्पेन्सर ने पाठ्यक्रम के विषय में अपने विचार सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किए हैं। इनके अनुसार जीवन की सभी क्रियाओं का उनके महत्त्व के अनुसार विभाजन होना चाहिए और उन क्रियाओं के अनुसार विषयों का निर्धारण पाठ्यक्रम में होना चाहिए। स्पेंसर ने जीवन संबंधी समस्त क्रियाओं व उनके अनुरूप विषयों का विभाजन इस प्रकार किया है–

(i) प्रथम वर्ग में आत्मसंरक्षण संबंधी क्रियायें आती हैं। अतः पाठ्यक्रम में इनसे संबंधित विषय शरीर विज्ञान तथा स्वास्थ्य विज्ञान आदि रखे जाने चाहिए।

CIMETRIX SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

(ii) द्वितीय वर्ग में मानवीय क्रियायें आती हैं जो आत्मसंरक्षण के लिए अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होती हैं। जैसे–भोजन, वस्त्र और आवास। इन क्रियाओं की पूर्ति के लिये पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञान, गणित, भूगोल, आदि विषय रखे जाने चाहिए।

(iii) तृतीय वर्ग में उन क्रियाओं को सम्मिलित होना चाहिये, जो व्यक्ति को संतान के पालन-पोषण में सहायक होती हैं। इन क्रियाओं में दक्षता प्राप्त करने के लिये गृह विज्ञान, शरीर विज्ञान और बालमनोविज्ञान आदि विषय पाठ्यक्रम में होने चाहिए।

(iv) चतुर्थ वर्ग में उन मानवीय क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जो व्यक्ति के सामाजिक व राजनैतिक संबंध स्थापित करने के लिए आवश्यक होती हैं। इन क्रियाओं के परिणामस्वरूप व्यक्ति, योग्य नागरिक व अच्छा पड़ोसी बनता है। इन क्रियाओं के सहायक मुख्य विषय होते हैं–इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र तथा राजनीतिशास्त्र। इन विषयों का पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान होना चाहिए।

(v) पंचम वर्ग में उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो मनोरंजक होती हैं तथा व्यक्ति की रुचियों तथा भावनाओं को संतुष्ट करती हैं। इन क्रियाओं से संबंधित विषय कला, भाषा एवम् साहित्य, संगीत हैं तथा इनको भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

इस प्रकार स्पष्ट है कि स्पेन्सर के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम में विभिन्न आवश्यक विषयों का समावेश होना चाहिए।

रूसो ने बालक की नैसर्गिक प्रवृत्तियों का विकास का आधार बनाकर बालक के जीवन-काल के आधार पर शिक्षा का निर्धारण किया है–

रूसो ने बाल्यावस्था (5-12 वर्ष तक) के लिए ज्ञानेन्द्रियों के प्रशिक्षण एवम् शारीरिक शिक्षा आवश्यक बताते हुए पाठ्यक्रम में केवल दौड़ने, भागने, यात्रा करने, कूदने, तैरने तथा संगीत आदि विषयों को स्थान दिया है।

पूर्व किशोरावस्था (12-15 वर्ष तक) में शारीरिक विकास व ज्ञानेन्द्रियों के प्रशिक्षण हेतु तथा तर्कशील, सामाजिक व बौद्धिक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम में विज्ञान, गृहविज्ञान, बैंकिंग तथा कला आदि विषयों को स्थान दिया है।

किशोरावस्था (15–25 वर्ष तक) में नैतिक व सामाजिक शिक्षा का विशेष महत्त्व है। साथ ही काम संबंधी उचित शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम में समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान तथा साहित्य एवम् अन्य कलात्मक विषयों का समावेश किया है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के पाठ्यक्रम में सभी आवश्यक क्रियाओं हेतु आवश्यक विषय रखे हैं तथा पाठ्यक्रम में आध्यात्मिकता को कोई स्थान नहीं दिया है।

प्रयोजनवाद तथा पाठ्यक्रम *(Pragmatism and Curriculum)*

प्रयोजनवाद आँग्लभाषा के Pragmatism (प्रेग्माटिज़्म) शब्द का हिन्दी रूपांतरण है जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के Pragma शब्द से तथा Pragmatikos शब्द से हुई है, जिनका अर्थ है–'व्यावहारिकता' या 'उपयोगिता'। स्पष्ट है कि इस विचारधारा के अन्तर्गत क्रियाशीलता तथा व्यावहारिकता को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस दर्शन के अनुसार, 'जिस क्रिया से काम चल जाये, वह ठीक भी है और अच्छी भी, नहीं तो गलत भी है और बुरी भी।' *(Anything when works is both good and right, otherwise bad and wrong both.)*

ब्राइटमैन के अनुसार, **"प्रयोजनवाद सत्य का मापदण्ड है। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि यह वह सिद्धांत है, जो समस्त विचार प्रक्रिया के सत्य की जाँच करके उसके व्यावहारिक परिणामों से करता है। यदि व्यावहारिक परिणाम सन्तोषजनक हैं तो विचार-प्रक्रिया को सत्य कहा जा सकता है।"**

(Pragmatism is a criterion of truth speaking broadly, we may say that it is the theory that the test of the truth of all thinking is to be foud in practical consequences if the practical consequences are satisfactory, the thinking is said to be true.)

प्रयोजनवादी दार्शनिक विचारों की अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्त्व प्रदान करते हैं क्योंकि विचारों का जन्म सदा क्रिया के बाद होता है। इसीलिए शिक्षा में क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत अत्यधिक महत्त्व रखता है। प्रयोजनवाद परिवर्तनों पर बल देता है। संसार में कुछ भी स्थिर व स्थायी नहीं है अतः प्रत्येक मूल्य व प्रत्येक वस्तु परिवर्तन के योग्य है व संसार परिवर्तनशील है।

प्रयोजनवाद का प्रयोगों से अटूट संबंध व विश्वास है। प्रयोग द्वारा परखे जाने से पहले कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती। केवल वही वस्तु अच्छी या सुन्दर है जो प्रयोगवाद द्वारा लाभदायक सिद्ध होती है। अर्थात् उपयोगिता ही सत्य की कसौटी है। प्रयोगवाद का कोई निश्चित मूल्य नहीं होता। ये केवल उसी मूल्य को अपनाते हैं जिनका परिणाम सन्तोषजनक होता है। जहाँ एक ओर आदर्शवाद मन केन्द्रित (Psychocentric) तथा प्रकृतिवाद प्रकृति केन्द्रित (Nature Centred) वहीं दूसरी ओर प्रयोजनवाद अनुभव केन्द्रित (Experience Centric) है जो कि मानवीय अनुभव को ही वास्तविकता का केन्द्र मानता है। प्रयोजनवाद मानवतावाद में विश्वास रखता है तथा सामाजिक व लोकतांत्रिक मूल्यों में भी विश्वास रखता है। प्रयोजनवादी विज्ञान तथा वैज्ञानिक तथ्यों और विषयों में विश्वास रखते हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोजनवाद का प्रयोग करने का श्रेय प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन ड्यूवी को है। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम अमेरिका में अपनाया गया। प्रयोजनवादी एक ऐसे पाठ्यक्रम के पक्ष में है, जो विद्यार्थियों के सभी पक्षों के गुणों का विकास करे, उसके मूल्य निर्माण तथा सामाजिक कुशलता की प्राप्ति हो, उसे समायोजन एवम् समस्याओं के समाधान योग्य बनाये। प्रयोजनवादियों का न तो कोई निश्चत व पूर्वनिर्धारित उद्देश्यों और न ही कोई पूर्वनिर्धारित पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम परिस्थितियों व आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। प्रयोजनवाद विचार केन्द्रित पाठ्यक्रम का विरोध करता है और इसे पाठ्यक्रम का समर्थन करता है जो व्यावहारिक जीवन की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो। प्रयोजनवाद ने शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण कुछ सिद्धांतों के आधार पर किया है जिससे बालक का पूर्ण विकास हो सकें।

प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम का पहला सिद्धांत **उपयोगिता** का है। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम में उन विषयों का समावेश होना चाहिए जो बालक के वर्तमान एवं भावी जीवन के लिये उपयोगी हों तथा जीविकोपार्जन में सहायक हों। इस सिद्धांत को स्वीकार करके पाठ्यक्रम में भाषा, स्वास्थ्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान और शारीरिक विज्ञान जैसे विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिये। इसी आधार पर बालिकाओं के लिये गृह विज्ञान तथा बालकों के लिये कृषि विज्ञान का भी विशेष महत्त्व स्वीकार किया गया है।

दूसरा सिद्धांत बालकों के **स्वभाव एवम् रुचि** का है। पाठ्यक्रम निर्धारण के समय बालकों के स्वभाव एवम् रुचि का भी ध्यान रखना अनिवार्य है। भिन्न-भिन्न स्तरों पर बालक की रुचियाँ एवम् प्रवृत्तियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं। अतः भिन्न-भिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्न विषयों की शिक्षा देनी चाहिए। अतः प्रारंभिक स्तर के पाठ्यक्रम में पढ़ना, लिखना, गिनती बोलना, चित्रकला तथा हस्तकला आदि विषय होने चाहिए।

तीसरा सिद्धांत **अनुभव** का है। इसके अनुसार पाठ्यक्रम का सीधा संबंध बालक के अनुभवों, भावी व्यवसायों तथा क्रियाओं से होना चाहिये। रटने के पाठ्यक्रम का पूर्ण विरोध किया गया है। ताकि बालकों को जीवन के लिये उपयोगी अनुभव प्राप्त हो सके।

चौथा सिद्धांत **एकीकरण** का है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि और ज्ञान की एकता पर बल दिया गया है। इसके अनुसार ज्ञान अखण्ड होना चाहिए तथा पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों में विभक्त नहीं होना चाहिए। रॉस महोदय ने कहा भी है कि, "अलग-अलग विषय पढ़ाने के बजाय छात्र को वह सब ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिसका उस क्रिया से संबंध है, जिसे वह कर रहा है।"

पाँचवाँ सिद्धान्त **लचीलेपन** का सिद्धांत है जिस प्रकार जीवन के आदर्शों और शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन आते रहते हैं, उसी प्रकार पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन होना आवश्यक है। प्रयोजनवादी लचीलेपन के सिद्धान्त को इसलिए अपनाते हैं क्योंकि पाठ्यक्रम में समय व स्थान की आवश्यकताओं के अनुसार व्यक्ति व समाज के विकास हेतु परिवर्तन करने पड़ते हैं।

इस प्रकार इस विचारधारा ने पाठ्यक्रम का आधार सामाजिक जीवन एवम् बालक की क्रियाओं व रुचियों को माना है। इसके अनुसार ऐसे विषयों को महत्त्व दिया जाना चाहिए जो सामाजिक कुशलता व सामाजिक भावना का विकास कर सके।

यथार्थवाद एवम् पाठ्यक्रम *(Realism and Curriculum)*

यथार्थवादी विचारधारा का जन्म सत्रहवीं शताब्दी में हुआ था। इस विचारधारा के उत्पन्न होने के दो प्रमुख कारण थे। प्रथम कारण यह था कि जो आदर्शवादी विचारधारा चली आ रही थी। वह सोलहवीं शताब्दी तक इतनी आडम्बरपूर्ण हो गई थी कि वह वर्तमान जीवन के लिए बिल्कुल उपयोगी न रही एवम् द्वितीय कारण अनेकों प्रकार के वैज्ञानिक अनुसंधान थे। चूँकि आदर्शवादी विचारधारा से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही थी, फलस्वरूप एक के बाद एक 'वाद' (Ism) का जन्म होता रहा और साथ ही अवनति भी। सत्रहवीं शताब्दी में कॉपरनिकस (Copernicus) न्यूटन (Newton), केपलर (Capler), बेकन (Bacon) गैलीलियो (Galileo), हारबीग (Harbegs) आदि वैज्ञानिकों की नवीन खोजों एवम् आविष्कारों ने मानव मस्तिष्क में एकत्र अंधविश्वास और दृष्टि की संकीर्णता को समाप्त कर दिया तथा मनुष्य का ध्यान वास्तविकता व यथार्थता की ओर आकर्षित हुआ। इस प्रकार भौतिक दार्शनिकता एवम् वैज्ञानिक प्रवृत्ति ने ही यथार्थवाद को जन्म दिया।

यथार्थवाद ऑंग्लभाषा के Realism (रियलिज्म) शब्द का हिन्दी रूपान्तरण हैं जो ऑंग्लभाषा के ही Real (रियल) शब्द से बना है। Real शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के रेस (Ras) नामक शब्द से हुई है। जिसका अर्थ वस्तु से है। अतः, शाब्दिक अर्थ में यथार्थवाद का अभिप्राय वस्तु संबंधी विचारधारा से है। अधिक स्पष्ट तौर पर हम कह सकते हैं कि यथार्थवाद का तात्पर्य उस विचारधारा से है जो उस वस्तु तथा भौतिक जगत को सत्य मानती है जिसे हम ज्ञानेन्दियों द्वारा अनुभव करते हैं। यथार्थवाद आदर्शवाद की बिल्कुल विपरीत विचारधारा है। यथार्थवाद प्रकृतिवाद की भाँति भौतिक जगत को सत्य मानता है। यथार्थवाद की प्रयोजनवाद से समता इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि दोनों ही मानव अनुभवों में विश्वास रखते हैं तथा दोनों ही इस बात को मानते हैं कि बिना अनुभव व प्रयोग के वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं हैं। उपर्युक्त आधार पर हम कह सकते हैं कि यथार्थवाद से तात्पर्य उस दार्शनिक विचारधारा से है जो अनुभव में भौतिक जगत को वास्तविक व आधारभूत मानती है। स्वामी रामतीर्थ के शब्दों में, "संक्षेप में यथार्थवाद का अर्थ उस विश्वास या सिद्धांत से है, जो जगत को वैसा ही स्वीकार करता है, जैसा कि वह दृष्टिगोचर होता है।"

रॉस के अनुसार, "यथार्थवाद का सिद्धांत यह मानता है कि जिन वस्तुओं का हमें प्रत्यक्षीकरण होता है उनके पीछे उन जैसी ही वस्तुओं का एक यथार्थ जगत है।" यथार्थवादी विचारक व्यक्ति के वर्तमान व्यवहारिक जीवन को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण मानता है। वे स्वर्ग व मोक्ष जैसी काल्पनिक वस्तु की अपेक्षा प्रत्यक्ष व व्यावहारिक जीवन को अधिक महत्त्वपूर्ण मानता है। यथार्थवाद उन आदर्शों, मूल्यों तथा नियमों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, जिनका वर्तमान व्यावहारिक जीवन से कोई संबंध न हो।

यथार्थवादी विचारक शिक्षा का उद्देश्य बालक को उसके वास्तविक जीवन के लिये तैयार करना है। साथ ही मानव समाज का पूर्ण ज्ञान प्रदान करना ताकि वह समाज का विकास कर सके। इसके अतिरिक्त यथार्थवादी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास एवम् उसकी प्राकृतिक प्रवृत्तियों व क्रियाओं का स्वतंत्र विकास करना है तथा बालक की व्यावसायिक कुशलता व योग्यता का विकास करना है। शिक्षा के पाठ्यक्रम का ताना-बाना भी इन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए ही बुना होता है। इन उद्देश्यों को सामने रखकर ही पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का निर्माण किया गया है जो इस प्रकार हैं—

1. उपयोगिता का सिद्धांत
2. वर्तमान आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत
3. व्यापक पाठ्यक्रम का सिद्धांत
4. एकीकरण का सिद्धांत
5. क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम का सिद्धांत
6. व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत।

इन सिद्धांतों के अनुसार ही कॉमेनियस ने मातृभाषा एवम् उद्योग को अनिवार्य विषय घोषित किया है क्योंकि मातृभाषा सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है और उद्योग शिक्षा जीविकोपार्जन के लिए। यथार्थवादियों ने प्रकृति विज्ञान तथा व्यावसायिक विषयों को प्रमुखता प्रदान की है तथा भाषा साहित्य, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल, राजनीति को गौण स्थान प्रदान किया है। यथार्थवादी पाठ्यक्रम में विषय की महत्ता की दृष्टि से उसका स्तरीकरण किया गया है परंतु किसी भी विषय की अपेक्षा नहीं की गई है। वे बालकों को पूर्ण जीवन की तैयारी के लिये सभी विषयों को पढ़ाना चाहते थे। उन्होंने विस्तृत पाठ्यक्रम में लगभग तीस विषयों को रखा है तथा बालकों को इनमें से अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता प्रदान की है। संक्षेप में यथार्थवादी पाठ्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले कुछ विषय इस प्रकार हैं— विज्ञान, भाषा, कौशल व हस्तकार्य, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान, गृहस्थ शास्त्र, स्वास्थ्य रक्षा व व्यायाम, खेलकूद, भ्रमण, गणित, इतिहास, धर्म, भूगोल, नक्षत्र विज्ञान आदि।

इस प्रकार स्पष्ट है कि यथार्थवादी शिक्षा ने शिक्षा के व्यावहारिक उद्देश्यों पर बल दिया है। जिसके लिये पाठ्यक्रम में प्राविधिक व व्यावसायिक शिक्षा को स्थान दिया है। शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय भी यथार्थवाद को जाता है।

अस्तित्ववाद एवम् पाठ्यक्रम *(Existentialism and Curriculum)*

अस्तित्ववाद एक आधुनिकतम दार्शनिक विचारधारा है। इस विचारधारा का जनक एडमण्ड हर्सल, मार्टिन हीडेगर तथा ज्या पाल सार्त्र को माना जाता है। अस्तित्ववाद में भी ईश्वरवादी व अनीश्वरवादी दो प्रकार की विचारधाराएँ प्रचलन में हैं। इसमें ईश्वरवादी विचारधारा के प्रवर्त्तक सोरेन किर्कगार्ड को, जबकि अनीश्वरवादी विचारधारा का प्रवर्तक ज्या पाल सार्त्र है। सार्त्र के अनुसार जीवन के अस्तित्व के लिए ईश्वर पर आस्था रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्या पाल सार्त्र ने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अपनी साहित्यिक कृतियों के माध्यम से इस सिद्धांत को प्रसिद्धि दिलवाई। इस प्रकार इस नवीन दर्शन को स्थापित करने का श्रेय सार्त्र को ही जाता है। परंतु फिर भी इस विचारधारा ने शिक्षा के क्षेत्र को बहुत अधिक प्रभावित नहीं किया है।

अस्तित्ववाद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को यह मानना चाहिए कि उसका वर्तमान, अस्तित्व धीरे-धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहा है अर्थात् एक-एक दिन व्यतीत होने के साथ-साथ जीवन का अस्तित्व भी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अस्तित्ववाद के अनुसार जीवन एवम् मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का बराबर महत्त्व व अधिकार मानव पर है। इसलिये प्रतिदिन जीवन व्यतीत करते हुए हम जीवित रहने की प्रक्रिया के साथ ही साथ मृत्यु की प्रक्रिया में भी है। इस बात का मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए। प्रतिदिन हम मृत्यु के और समीप आते जा रहे हैं तथा इस समय में जो हूँ, वही मेरा अस्तित्व है। इस जीवन के बाद मेरा अस्तित्व समाप्त हो जायेगा। इस तथ्य का भी मनुष्य को अनुभव होना चाहिए।

अस्तित्ववाद का प्रमुख अर्थ इसके नकारात्मक स्वरूप पर बल देना है। यह धारणा प्रसिद्ध अस्तित्ववादी सिद्धांत अस्तित्व तत्त्व के पूर्व है। (Existence procedes essence) को बल प्रदान करती है। अस्तित्वादी मानव जीवन में चिन्ता को भी विशेष महत्त्व प्रदान करते हैं। इनके अनुसार मनुष्य की अनेकों भावनाओं तथा अनुभवों व बोधों से उत्पन्न चिन्ता केवल चिन्ता मात्र नहीं है अपितु उसके अस्तित्व की सत्यता का भी उसे बोध कराती है।

अस्तित्ववाद ने शैक्षिक क्षेत्र को भी अधिक प्रभावित नहीं किया है तथा शिक्षा के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण सिद्धांत या विचार नहीं प्रतिपादित किये हैं परंतु शिक्षा दर्शन के रूप में अस्तित्ववाद के बारे में कुछ अनुमान अवश्य लगा सकते हैं। अस्तित्ववाद व्यक्तिवाद का समर्थक सिद्धांत है। इसके अनुसार व्यक्ति या बालक में स्वयं इतनी क्षमता है कि वह अपने जीवन के महत्त्वपूर्ण निर्णय ले सके अपने अस्तित्व के लिये योजनाएँ बना सके। इसलिए शिक्षा बाल केन्द्रित होनी चाहिये। इसके अनुसार बालक अपना स्वामी स्वयं है। बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिये आवश्यक है कि बालक को अपने निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता हो। यह वाद सामूहिक प्रवृत्ति का पूर्ण विरोध करता है। अतः बालक के लिये सामूहिक शिक्षा का प्रबन्ध करना व्यर्थ है तथा उस पर कोई सामाजिक स्वीकृति न थोपी जाये। इनके अनुसार बालक की प्रवृत्ति एकाकी प्रवृत्ति है। उसमें सामूहिकता जैसा कुछ भी नहीं होता। इस प्रकार अस्तित्ववादी शिक्षा दर्शन बालक को शिक्षा का केन्द्र मानकर उसे अपने स्वतंत्र निर्णय लेने व व्यक्तित्व के विकास पर बल देने का समर्थन करता है।

अस्तित्ववादी विचारधारा किसी सर्वमान्य शैक्षिक व उद्देश्य का समर्थन नहीं करता बल्कि बालक को आधार बनाकर ही शिक्षा को व स्वयं बालक को अपने शैक्षिक उद्देश्य निर्धारित करने चाहिये। इस तथ्य का समर्थन करता है। अतः अनुमानतः इस शैक्षिक दर्शन के प्रमुख उद्देश्य हैं—

1. बालकों को स्वानुभूति के अनुकूल व्यक्तित्व का विकास करना।
2. बालक को स्वतंत्रतापूर्वक मूल्यों का चयन करना।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS, SKILLED INDIA

3. बालकों में वैयक्तिकता की भावना विकसित करना।
4. बालकों के जीवन की तैयारी तथा उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना।

इस विचारधारा ने बालकों के लिये किसी निश्चित पाठ्यक्रम की बात नहीं कही हैं बल्कि बालक हेतु शिक्षा व्यवस्था में पाठ्यक्रम के चयन का अधिकार बालक को होना चाहिए ताकि प्रत्येक बालक अपनी रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं तथा जीवन की परिस्थितियों के अनुसार पाठ्य-विषयों का चयन कर सके।

अस्तित्ववादी शिक्षा दर्शन वैज्ञानिक विषयों के स्थान पर सामाजिक व मानवीय विषयों के अध्ययन को बालकों के लिए प्राथमिकता दी है। इसका कारण यह है कि ये मानवीय विषय बालकों को उनके अस्तित्व, चिन्ता, दुःख, जीवन, मृत्यु, घृणा आदि का बोध कराते हैं व इनके प्रति बालक को सजग बनाए रखते हैं। अस्तित्ववाद बालक को अध्ययन द्वारा स्वाभाविक रूप से ज्ञान प्राप्त करने पर बल देते हैं तथा अपने नैतिक उत्थान के लिए उच्च मूल्यों के चुनाव के लिये भी बालक को स्वतंत्र छोड़ देते हैं।

चूंकि अस्तित्ववाद ने कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं बनाया है। अतः इसके कुछ सम्भावित विषय इस प्रकार हो सकते हैं–चिंतन, उत्तरदायित्व, कला, संगीत, साहित्य, धर्म, नैतिक विषय, वैयक्तिक चयन आदि।

इस प्रकार अस्तित्ववादी शैक्षिक दर्शन पूर्णतया बाल केन्द्रित दर्शन है।

◆◆◆

3. भारतीय समाज के संदर्भ में स्कूली विषयों की व्याख्या कीजिए।
(Explain the school subjects in the context of India is society?)

अथवा

स्कूली स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण के सामाजिक आधार का वर्णन कीजिए।
(Desribe the social foundation of curriculum at school level.)

अथवा

स्कूल में पढ़ाए जाने वाले विषयों के निर्धारण में कौन-से सामाजिक पक्षों को ध्यान में रखा जाता है?
(What are the social aspects considered while determining the school subjects?)

अथवा

भारत में स्कूली शिक्षा किस प्रकार सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करती है?
(How does school education meets the demand of Indian Society?)

अथवा

स्कूल में विभिन्न विषयों को पढ़ाए जाने का सामाजिक आधार क्या है?
(What is the social foundation of teaching various subjects in school?)

उत्तर–किसी भी समाज में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा को एक मुख्य कारक माना जाता है। शिक्षा आयोग ने इस बिन्दु को यह कहकर और पुष्ट कर दिया कि शिक्षा भारतीय उपमहाद्वीप में नई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था लाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। स्वतंत्र भारत के संवैधानिक दायित्वों में से एक, सार्विक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में निर्देशात्मक सिद्धान्त का अनुपालन अभी भी पूरा नहीं किया जा सका है। इससे समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना का कार्य और अधिक बढ़ गया है जबकि, यह लोकतान्त्रिक समाजवादी भारतीय गणतन्त्र के मुख्य लक्ष्य हैं–

1. सामाजिक बदलाव के अनुसार स्कूली विषय–पूरा विश्व एक गरीबी से बाहर निकल कर आधुनिक एवं कल्याणकारी समाज बन गया है। इसके पीछे बहुत से कारण मौजूद हैं। पारम्परिक सोच बदल रही है। इसी के साथ पुराने मूल्यों को जीवित रखने की कोशिश भी की जाती है। भारत में सामाजिक बदलाव हुआ है और समाज एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। ग्रामीण समाज पहले जैसा संकीर्ण समाज नहीं रहा है। बिजली की पहुँच, यातायात के साधनों का विकास, डाकघरों, स्कूलों, पंचायती राज संस्थाओं आदि ने ग्रामीण

समाज को बदला है। भूमि सुधार, सिंचाई के साधनों, नए बीजों का विकास, खाद आदि ने ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था का विकास किया है। परिणामस्वरूप ग्रामीण लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा है। इसके अलावा मोबाईल फोन तक सभी की पहुँच ने सूचना के क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास किया है।

परिवार, जाति, ग्रामीण समुदाय और शहरी अर्थव्यवस्था, वास्तव में सम्पूर्ण समाज में ही बदलाव देखे जा सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश, छुआछूत को मिटाने, और औरतों के अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान करने के बाद भारतीय समाज का रंगरूप ही बदल गया है। साझा परिवार की परम्परा समाप्त हो रही है और एकल परिवारों का जन्म हो रहा है जो शहर की ओर पलायन करते हैं। इसके कारण पारिवारिक संबंधों में बदलाव आ रहे हैं। किसानों के पास जमीनें कम हो रही हैं और वे नए रोजगारों की तलाश में हैं। औरतों और बच्चों की स्थिति में सुधार हुआ है। औरतें कार्य और सामाजिक गतिविधियों के क्षेत्र में भागीदार बन रहीं हैं और उनमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आ रही है। शिक्षित लोग जाति और धर्म के बंधनों को तोड़ रहे हैं। अंतर्जातीय विवाह अब आम बात है। बढते हुए आर्थिक विकास के कारण लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है। प्रजातंत्र धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है। आम आदमी अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बन रहा है।

2. सामाजिक न्याय और समानता के लिए स्कूली विषय–तेजी से बदल रहे संसार में शांतिपूर्ण समुदाय की स्थापना के लिए शिक्षा एक सकारात्मक भूमिका निभा सकती है। इस प्रकार शिक्षा के कार्यक्रम और आधारभूत संरचनाओं को समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने का कार्य-भार सौंपा जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने सही विकास किया है। 2001 के आँकडों के अनुसार भारत में साक्षरता दर 65 प्रतिशत है। शिक्षा ने सभी स्तरों, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर पर अच्छी प्रगति की है। लेकिन इन उपलब्धियों के बावजूद भारत में शिक्षा प्रणाली में कुछ गंभीर कमियाँ हैं। पहली कमी यह है कि देश भर में भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार सामाजिक वर्गों के अनुसार शिक्षा में बहुत अधिक असमानता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर 59 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में यह दर 80 प्रतिशत है। इसके अलावा विभिन्न जिलों और राज्यों के मध्य भी असमानता है। सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की शिक्षा अन्य वर्गों की तुलना में बहुत कम है। सबसे अधिक अंतर लिंग के आधार पर है।

शिक्षा सामाजिक पूँजी का निर्माण करने का एक बहुत ही प्रभावी उपकरण है। यह अनुसंधानों से समय-समय पर सामने आया है। इसलिए किसी देश के सामाजिक विकास में शिक्षा को बहुत महत्त्वपूर्ण माना जाता है। वो देश जहाँ शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है, वहाँ शिक्षा का उद्देश्य असमानता को कम करना होना चाहिए। किसी भी समाज की प्रगति उस समाज की सामाजिक पूँजी का निर्माण करने की योग्यता पर निर्भर करती है। सामाजिक पूँजी का निर्माण करने की गति, प्रक्रिया, और समान विकास आदि कारक लोगों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।

सामाजिक पूँजी द्वारा सामाजिक बदलाव इस बात पर निर्भर हैं कि उस सामाजिक पूँजी में किस स्तर तक की गुणवत्ता है। उदाहरण के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सामाजिक सम्पत्ति है और इनकी गुणवत्ता सामाजिक विकास को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। इस प्रकार सामाजिक सम्पत्ति की गुणवत्ता सामाजिक विकास को प्रभावित करती है।

3. विविधतापूर्ण समाज और पाठ्यक्रम–शिक्षा व्यवस्था उस समाज से अलग-थलग होकर काम नहीं करती, जिसका वह एक भाग है। जातिगत, आर्थिक तथा स्त्री-पुरुष संबंधों का पदानुक्रम, सांस्कृतिक विविधता और असमान विकास से, जो भारतीय समाज की विशेषताएँ हैं, शिक्षा की प्राप्ति और स्कूलों में बच्चों की सहभागिता प्रभावित होती है। स्कूल में नामांकित होने वाले और स्कूल की पढ़ाई पूरी करने वाले बच्चों के अनुपात के मामले में विभिन्न सामाजिक व आर्थिक समुदायों के बीच जो गहरी विषमता देखी जाती है, उसमें यह प्रतिबिंबित होता है। इस प्रकार ग्रामीण व शहरी गरीब वर्गों तथा धार्मिक एवं अन्य जातीय अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय की लड़कियाँ शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक असुरक्षित होती हैं। शहरी इलाकों में और अनेक गाँवों में, स्कूली व्यवस्था स्वयं में अनेक स्तरों में बँटी हुई है और

SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

बच्चों को असाधारण रूप से अलग-अलग शैक्षिक अनुभव देती है। असमान लैंगिक संबंध न केवल वर्चस्व को बढ़ावा देते हैं, बल्कि वे लड़के-लड़कियों में तनाव भी पैदा करते हैं तथा उनकी मानवीय क्षमताओं के पूर्ण विकास की स्वतंत्रता में बाधा पहुँचाते हैं। यह सबके हित में है कि मनुष्य को लिंग असमानताओं से मुक्त कराया जाए।

यदि मुफ्त शिक्षा का अर्थ शिक्षा से सभी प्रतिबंधों को हटाना समझा जाए, तो सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार की सामाजिक नीति के अन्य क्षेत्रों की महत्ता बढ़ जाती है। भूमण्डलीकरण व समाज के हर क्षेत्र में बाजार के संबंधों के फैलाव का शिक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण निहितार्थ है। एक तरफ तो हम शिक्षा के बढ़ते व्यवसायीकरण को देख रहे हैं तो दूसरी तरफ शिक्षा के लिए अपर्याप्त कोष (धन) व 'वैकल्पिक' स्कूलों को सरकारी बढ़ावा, इस ओर संकेत करते हैं कि शिक्षा का उत्तरदायित्व अब सरकार से हट कर, समुदायों व परिवारों पर आ रहा है। हमें स्कूलों को वस्तु बनने और बाज़ार संबंधी अवधारणाओं के स्कूलों की गुणवत्ता पर लागू होने के बारे में सतर्क रहना पड़ेगा। बढ़ती प्रतियोगिता के वातावरण के चलते, जिसमें स्कूल खिंचते चले जाते हैं और अभिभावकों की महत्त्वाकांक्षाओं के कारण बहुत छोटे बच्चों समेत सभी बच्चों पर जबरदस्त दबाव पड़ता है और उनमें भयंकर तनाव पैदा होता है। इससे उनके वैयक्तिक विकास और सीखने के आनंद में बाधा खड़ी होती है।

संविधान का 73वाँ व 74वाँ संशोधन स्थानीय समुदायों को अपने बच्चों के लिए शिक्षा में निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक वैधानिक संस्थागत अवसर मुहैया करवाता है, जो एक महत्त्वपूर्ण बदलाव है। बहरहाल, शिक्षा को लेकर माता-पिता की महत्त्वाकांक्षाएँ स्थानीय गरीबी और असमान सामाजिक संबंधों व पर्याप्त समस्तरीय स्कूली शिक्षा की कमी के कारण ध्वस्त हो जाती हैं। शहरी गरीबों की लगातार बढ़ती जनसंख्या के प्रति चिंता योजनाओं में अभी तक दिखलाई नहीं देती।

शिक्षा को लेकर निर्धन वर्ग की अपेक्षाओं व महत्त्वाकांक्षाओं को पाठ्यचर्या की रूपरेखा के उद्देश्यों से अलग नहीं रखा जा सकता। इस प्रकार भारत में शिक्षा का सामाजिक संदर्भ अनेक चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है, जिनको पाठ्यचर्या की रूपरेखा द्वारा परिकल्पना व व्यवहार, दोनों रूपों में संबोधित किया जाना चाहिए।

◆◆◆

---

4. पाठ्यक्रम विकास पर प्रभाव डालने वाले सामाजिक तत्त्वों की विवेचना कीजिए।
(Discuss the social factors affecting curriculum development.)

अथवा

वे कौन से सामाजिक तत्त्व हैं जो पाठ्यक्रम विकास पर प्रभाव डालते हैं?
(What are the social factors affecting the curriculum development?)

उत्तर–मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना व्यक्ति का किसी प्रकार का विकास संभव नहीं। समाज से पृथक् रहने वाला मनुष्य या तो पशु है अथवा देवता। व्यक्ति समाज की ही एक इकाई है। समाज का विकास एवम् समाज के हितों की सुरक्षा से व्यक्ति का विकास एवम् सुरक्षा स्वयं ही हो जाती है। व्यक्ति में जन्म से ही मानवीय एवम् पाशविक दोनों प्रवृत्तियाँ होती हैं, परंतु समाज में रहकर बालक अन्य व्यक्तियों से सम्पर्क के द्वारा अपनी पाशविक प्रवृत्तियों का दमन करता है तथा पारस्परिक अन्तः क्रिया तथा सामाजिक प्रभाव के परिणामस्वरूप वह वास्तविक अर्थों में मनुष्य बनता है। समाज व्यक्ति के लिए कितना आवश्यक है, इस बात का ज्ञान इसी बात से हो जाता है कि मनुष्य की समस्त आवश्यकतायें समाज में रहकर ही पूर्ण होती है। भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा, जीविका, अनेकों मानवीय गुण एवम् व्यावहारिक ज्ञान भी मनुष्य समाज में रहकर ही अर्जित करता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास भी समाज में रहकर ही संभव है। इस विषय में बाल्डविन का मत है, **"व्यक्तित्व सामाजिक शब्दों के अतिरिक्त किसी भी रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है।"** *("Personality can not be defined in any other from accept social words.* **—Baldwin**)

शिक्षा एवम् समाज शास्त्र का सम्बन्ध अधिक प्राचीन नहीं है। यह लगभग 60 वर्ष प्राचीन माना जा सकता है। इस शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में शिक्षा का सामूहिक जीवन पर और सामूहिक जीवन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता हैं, का अध्ययन प्रारंभ हुआ और इस प्रकार एक नवीन विषय 'शिक्षा का समाजशास्त्र (Sociology of Education) का प्रादुर्भाव हुआ। समाजशास्त्र तथा शैक्षिक समाजशास्त्र का शिक्षा की प्रक्रिया पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा है कि अब शिक्षा के सभी अंगों की व्याख्या सामाजिक व समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से की जाने लगी है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से व्यक्ति द्वारा समाज को उन्नतिशील बनाना ही शिक्षा है। अतः ब्राउन ने उचित ही कहा है, "शिक्षा चैतन्य रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाये जाते हैं तथा व्यक्ति के द्वारा समाज में।"

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से शिक्षा के उद्देश्य भी निर्धारित किये गये हैं तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम का भी निर्धारण किया गया है। **शैक्षिक समाजशास्त्र के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य** इस प्रकार हैं–

1. बालकों में सामाजिक गुणों का विकास
2. बालकों में प्रजातांत्रिक गुणों का विकास
3. बालकों में सामाजिक विकास व विश्व कल्याण की भावना जागृत करना
4. बालकों में श्रेष्ठ नागरिकता के गुणों का विकास करना
5. बालक को जीविकोपार्जन की शिक्षा देना।
6. अवकाश के समय के सदुपयोग की शिक्षा देना।

शैक्षिक उद्देश्यों के अतिरिक्त शैक्षिक समाजशास्त्र में शिक्षा के कार्यों का भी वर्णन है। **मुनरो** ने अपनी पुस्तक ब्रीफ कोर्स इन दि हिस्ट्री ऑफ एजूकेशन (Brief course in the History of Education) में शिक्षा के प्रमुख सामाजिक कार्य निम्नलिखित बताये हैं–

1. ज्ञान का प्रसार
2. सामाजिक परंपरा की सुरक्षा व हस्तान्तरण
3. सामाजिक विकास
4. सामाजिक नियंत्रण।

शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता जॉर्ज पाइन ने शिक्षा के अन्य अंगों जैसे शिक्षण विधियों, शिक्षा, शिक्षार्थी, अनुशासन व विद्यालय आदि पर भी शैक्षिक समाजशास्त्र के प्रभाव का वर्णन किया है। परंतु यहाँ हम केवल पाठ्यक्रम के संदर्भ में ही इस प्रभाव का उल्लेख करेंगे।

पाठ्यक्रम विकास पर सामाजिक तत्त्वों के प्रभाव की विवेचना करने से पूर्व संक्षेप में **शिक्षा एवम् समाज के पारस्परिक कार्यों एवम् प्रभावों को** जान लेना आवश्यक होगा। शिक्षा का उद्देश्य बालक का सामाजिक विकास करना है। शिक्षा मानव में सामाजिक गुणों का विकास करती है। शिक्षा ही मनुष्य को बताती है कि वह निजी हितों व स्वार्थों के स्थान पर समाज के हित को अधिक महत्त्व दे। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति को समाज का एक उपयोगी अंग बनाया जा सकता है। शिक्षा ही बालक में सहयोग, सहानुभूति, त्याग, परोपकार, सेवाभाव, भ्रातृत्व, देशप्रेम जैसे सामाजिक गुणों का विकास करती है। बालक में योग्य नागरिकता की भावना एवम् जनतंत्र के प्रति आस्था भी शिक्षा द्वारा ही विकसित की जाती है। बालकों में सामाजिक अनुशासन की भावना भी शिक्षा ही भरती है। इस विषय में **ब्राउन** महोदय ने इस प्रकार कहा है–"शिक्षा चैतन्य रूप में एक नियंत्रित प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाये जाते हैं और व्यक्ति के द्वारा समाज में।" इन अप्रत्यक्ष कार्यों के अतिरिक्त शिक्षा समाज के प्रति कुछ प्रत्यक्ष कार्यों का भी निर्वहन करती है। उदाहरण के लिये, समाज में प्रचलित कुप्रथाओं का विरोध, समाजवाद की स्थापना करना, साम्प्रदायिकता का उन्मूलन करना, नेतृत्व की भावना का विकास करना, सहयोग व संगठनकारी भावना का विकास करना, सामाजिक परंपरा की सुरक्षा एवम् हस्तांतरण करना तथा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना को प्रोत्साहित करना आदि। इसी संदर्भ में **स्मिथ** ने भी अपना मत इन शब्दों में व्यक्त किया है, **"विद्यालय को व्यापक कार्य संभालना चाहिए एवम् उसे निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे कि सामाजिक कृतज्ञता, सामुदायिक शक्ति के उत्पन्न तथा पोषित किये जाने का कार्य हो सके।"** *("School should assume wider functions and definitely set itself to the task of creating and fastering the sense of social obligation and loyalty to the community."* **—W.O. Lister Smith**)

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

इस प्रकार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया भी है और सामाजिक विकास व परिवर्तन का कारक भी है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री **ब्रुक ओवर** ने स्पट कहा है, "शिक्षा समाजीकरण का पर्याय है।" इसी प्रकार के विचार माग्रेट मीड ने व्यक्त करते हुए कहा है, "शिक्षा एक ऐसी सांस्कृतिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा प्रत्येक शिशु मानव समाज का सदस्य बनता है।"

शिक्षा समाज में परिवर्तन लोगों की धारणा में परिवर्तन लाकर सम्पन्न करती है तथा व्यक्तियों के विचारों में परिवर्तन पाठ्यक्रम एवम् पाठ्य वस्तुओं द्वारा ही लाया जाता है। अतः स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके माध्यम से विद्यालय सामाजिक लक्ष्यों तक पहुँचने के प्रयास करता है। यहाँ हम उन सामाजिक तत्त्वों का विवेचना करने का प्रयास करेंगे जो पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करते हैं।

(अ) पाठ्यक्रम विकास के समाजशास्त्रीय सिद्धांत—ब्राउन तथा मूरे (Brown and Moore) ने पाठ्यक्रम निर्माण एवम् विकास हेतु कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किये हैं। जो इस प्रकार हैं—

1. पाठ्यक्रम में समाज के सांस्कृतिक मूल्यों का स्थान होना चाहिए। पाठ्यक्रम द्वारा ही नवीन पीढ़ी को उच्च आदर्श प्रदान किये जाने चाहिए।
2. पाठ्यक्रम विकास सामाजिक समस्याओं, दशाओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए।
3. पाठ्यक्रम विकास में सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिये शैक्षिक योजनायें सम्मिलित होनी चाहिए।
4. विद्यालय का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बाल-विकास के स्तर के अनुसार हो।
5. पाठ्यक्रम विकास के द्वारा पाठ्यक्रम में जीविकोपार्जन एवम् सामाजिक सेवाओं के लिए स्थान प्रदान करना चाहिए।
6. पाठ्यक्रम विकास के द्वारा बालकों को अपने कार्य के उत्तरदायित्व निभाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
7. पाठ्यक्रम को बालकों का निर्माण विश्व समाज के लिये करना चाहिए।
8. पाठ्यक्रम को सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तनशील एवम् लचीला होना चाहिए।

(ब) समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित विषय—समाजशास्त्र का पाठ्यक्रम पर भी पूर्ण प्रभाव है। पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय भी समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। कुछ प्रमुख विषय इस प्रकार हैं—

1. स्वास्थ्य शिक्षा,	2. भाषा
3. शारीरिक प्रशिक्षण	4. गणित
5. सामाजिक अध्ययन	6. संगीत एवं कला
7. प्रारंभिक विज्ञान	8. प्रयोगात्मक कलाएँ
9. प्राणिशास्त्रीय विज्ञान	10. जीविकोपार्जन संबंधी विषय।

(स) सामाजिक एवम् राष्ट्रीय विचारधाराओं का पाठ्यक्रम विकास पर प्रभाव—सामाजिक तत्त्व पाठ्यक्रम विकास पर कितना प्रभाव डालते हैं, इस बात का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि समाज में होने वाले परिवर्तन पाठ्यक्रम परिवर्तन के लिये भी प्रेरित करते हैं। दूसरे शब्दों में सामाजिक परिवर्तन एवम् पाठ्यक्रम परिवर्तन एक दूसरे के सापेक्षिक होते हैं। उदाहरण के लिये शिक्षा के इतिहास पर संक्षेप में दृष्टि डालना समीचीन होगा। वैदिक काल में शिक्षा का पाठ्यक्रम नैतिक एवम् आध्यात्मिक विषयों से पूर्ण था। परा विद्या, अपरा विद्या, शास्त्र तथा संस्कृत आदि विषय पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान रखते थे। परंतु मुस्लिम काल में अरबी, फारसी भाषाओं का अध्ययन हस्तकलाओं की शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा, सैन्य शिक्षा आदि विषय प्रमुखता से पढ़ाये जाते रहे हैं। मध्य युग के बाद ब्रिटिशकालीन शिक्षा में, जब पूरे देश पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया तब ईसाई मिशनरियों ने अपने हितों की पूर्ति हेतु पाठ्यक्रम का निर्माण किया। ईस्ट इण्डिया कंपनी का आज्ञा पत्र प्रत्येक 20 साल बाद पुनःशोधित होता था। ब्रिटिश काल में भी अनेकों आज्ञा पत्र व घोषणा पत्र आते रहे। इन्होंने पाठ्यक्रम को अपने हितों की पूर्ति हेतु विकसित किया तथा पाठ्यक्रम में अंग्रेजी भाषा, पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान तथा व्यावसायिक शिक्षा को स्थान दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अनेकों आयोगों का गठन किया गया तथा उनके अनुसार ही पाठ्यक्रम का विकास किया गया। समय-समय पर अनेकों शिक्षाशास्त्रियों तथा समाजशास्त्रियों ने भी पाठ्यक्रम को सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुरूप विकसित करने हेतु अपने विचार व्यक्त किए।

विभिन्न राष्ट्रीय विचारधाराओं का भी शिक्षा एवम् पाठ्यक्रम पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, राजतंत्र या एकतंत्रीय शासन व्यवस्था में सभी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में निहित होती हैं। राजशाही शासन व्यवस्था में शासक वर्ग के लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध किया जाता है, जबकि जनसाधारण की शिक्षा हेतु निर्मित पाठ्यक्रम के द्वारा कर्त्तव्यपरायणता, आज्ञापालन व अनुशासन की भावना का विकास करने पर बल दिया जाता है। फासिस्ट समाज में राज्य के हित को सर्वोपरि माना जाता है तथा इसी के अनुसार पाठ्यक्रमों का विकास किया जाता है। जनसाधारण का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय भावना एवम् सैनिक शिक्षा प्राप्त करने तक सीमित था। ऐसे समाज में सबको शिक्षा प्राप्ति का अधिकार भी नहीं प्राप्त था। साम्यवादी समाज में पाठ्यक्रम में समाजवादी विचारों तथा श्रमिक दर्शन को महत्त्व दिया जाता है। पाठ्यक्रम विकास द्वारा श्रम का महत्त्व, मार्क्सवादी दर्शन का अध्ययन तथा राजनीतिक दल की नीतियों का ज्ञान बालकों को कराया जाता है। लोकतंत्रीय व्यवस्था में व्यक्ति की स्वतंत्रता व गरिमा को महत्त्व दिया जाता है। पाठ्यक्रम विकास द्वारा सुनागरिकता के गुण, जीविकोपार्जन की क्षमता का विकास, आत्मानुशासन व व्यक्तित्व का विकास आदि करने का प्रयास किया जाता है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामाजिक दशाओं तथा राष्ट्रीय विचारधाराओं का पाठ्यक्रम विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। सामाजिक विचारधाराओं में परिवर्तन आने से पाठ्यक्रम स्वतः ही परिवर्तित हो जाता है।

(द) सामाजिक संस्थाओं एवम् परिवर्तनों का पाठ्यक्रम विकास पर प्रभाव—समाज का शिक्षा पर प्रभाव अत्यंत स्पष्ट है। शिक्षा पर समाज की विभिन्न संस्थाओं तथा समाज में होने वाले परिवर्तनों का पूरा प्रभाव पड़ता है। कुछ प्रमुख सामाजिक संस्थाएँ एवम् सामाजिक परिवर्तनों का पाठ्यक्रम विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे हम निम्नांकित प्रकार से देख सकते हैं—

1. परिवार एवम् पाठ्यक्रम विकास—परिवार समाज की एक आधारभूत संस्था है। बालक के व्यवहार, चरित्र, व्यक्तित्व, ज्ञान आदि के निर्धारण में परिवार का महत्त्वपूर्ण स्थान है। **पेस्टॉलाजी** के मतानुसार, "घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है।" परिवार बालक के समाजीकरण का आधार होता है। परिवार ही बालक के प्रति प्रेम, निःस्वार्थता, त्याग, सहयोग, सहानुभूति, सहिणुता, परोपकार, आज्ञापालन, अनुशासन आदि शैक्षणिक कार्यों का सम्पादन करता है। वास्तव में परिवार बालक की अनौपचारिक शिक्षा की प्रथम संस्था है। बालक के प्रारंभिक पाँच-छः वर्ष बालकों की प्रतिभा के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण होते है। इसी समय में बालक विभिन्न प्रकार की शैक्षिक जीवन की तैयारी करते हैं तथा आवश्यक विषयों के प्रारंभिक ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। पहले बालकों की विद्यालयी शिक्षा प्राथमिक शिक्षा स्तर से आरंभ होती थी तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था विद्यालयों द्वारा नहीं की जाती थी परंतु बदलती पारिवारिक परिस्थितियाँ जैसे एकाकी परिवार, माता-पिता दोनों का व्यावसायिक जीवन आदि बालक को, परिवार द्वारा दी जाने वाली पूर्व प्रारंभिक शिक्षा में बाधा डालती हैं। अतः विभिन्न प्रकार के खेल विद्यालय (Play School), किण्डरगार्टेन संस्थायें तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षण संस्थाएँ प्रचलन में आ रही हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि परिवार बालक की शिक्षा पर प्रभाव डालता है। बदलती पारिवारिक स्थितियों के अनुसार ही बालक के पाठ्यक्रम को भी विकसित किया जाता है। वस्तुतः परिवार का शिक्षा में महत्त्वपूर्ण स्थान है। अतः पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया में परिवार द्वारा लिए जाने वाले शैक्षिक कार्यों तथा पारिवारिक व्यवस्था में आते नवीन परिवर्तनों को ध्यान में अवश्य रखा जाता है।

2. समुदाय तथ पाठ्यक्रम विकास—**विलियम ईगर** के शब्दों में, **"मानव स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसने वर्षों के अनुभव से सीख लिया हैं कि व्यक्तित्व तथा सामूहिक क्रियाओं का समुचित विकास सामुदायिक जीवन द्वारा ही संभव है।"** *("Since man is by nature a social being he has learnt through the years that his personality as well as group activities can be better developed through community being."*— **William A. Yeagar)**

शिक्षा के अनौपचारिक साधनों में समुदाय का महत्त्वपूर्ण स्थान है। बालक समुदाय की प्रगति के लिये विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। बालक समय-समय पर समुदाय में होने वाले त्योहार, उत्सव, मेले, प्रदर्शनी, सामाजिक सम्मेलन आदि में भाग लेकर सामाजिक जीवन का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करता है।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS - SKILLED INDIA

समुदाय बालक को स्वतंत्रता, अनुशासन, अधिकार, कर्त्तव्य, सेवा, परोपकार, त्याग तथा सहयोग आदि गुणों की शिक्षा देता है। समुदाय बालक के आर्थिक विकास तथा व्यावसायिक ज्ञान में भी वृद्धि करता है। समुदाय बालक पर नैतिक एवम् सांस्कृतिक प्रभाव भी डालता है बालक अपने समुदाय के द्वारा भाषा, रहन-सहन के ढंग, धर्म, नैतिकता आदि अनेकों बातों को विद्यालय के बाहर ही सीख लेता है जो कि उसकी संस्कृति को बताती हैं। व्यक्ति पर समुदाय का राजनैतिक प्रभाव भी पड़ता है। इससे बालक के राजनैतिक विचारों को एक निश्चित दिशा की प्राप्ति होती है। इस विषय में सर्वश्री **क्रो एवम् क्रो** (Crow & Crow) ने लिखा है, "समुदाय की राजनैतिक विचारधारा उस सीमा तक प्रतिबिम्बित होती है, जहाँ तक कि उसके सब सदस्यों को शैक्षणिक अवसर प्रदान किये जाते हैं और उसके राजनैतिक नेता उसके नागरिकों की शैक्षणिक प्रगति के लिये उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। समुदाय बालक की शिक्षा एवम् पाठ्यक्रम विकास पर भी व्यापक प्रभाव डालता है। शिक्षा की प्रकृति का निर्धारण सामुदायिक व्यवस्था पर अत्यंत निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, अपराधी समाज, सभ्य समाज, ग्रामीण समाज, नागरिक समाज की शिक्षा के स्वरूप में विभिन्नता होती है। पाठ्यक्रम का निर्माण एवम् विकास समुदाय की आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के आधार पर ही किया जाता है। उदाहरण के लिये, वर्तमान सामुदायिक प्राथमिकता है बालकों में आत्मनिर्भरता एवम् जीविकोपार्जन के गुणों का विकास करना। इसी के अनुसार, आज बालकों के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक, तकनीकी एवम् प्रौद्योगिकी ज्ञान का प्रमुखता से समावेश किया जा रहा है। इसी प्रकार **ओटावे** के शब्दों में, "शैक्षणिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का अनुकरण करते हैं, शिक्षा में तब तक परिवर्तन नहीं होता, जब तक कि सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं होता है।"

3. आधुनिकीकरण तथा पाठ्यक्रम विकास—आधुनिकीकरण से तात्पर्य है आधुनिकतम विचारों तथा आधुनिकतम सामाजिक स्तर से अनुकूलन करना। इस अनुकूलन के अन्तर्गत परंपराओं को त्यागकर हम नवीन विचारों एवम् कार्यों को अपनाते हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रोनिक्स का विकास, चिकित्सा की नवीनतम पद्धतियाँ, विकसित यातायात व संचार के साधन, नए-नए कृषि उपकरण एवम् विधियाँ, उद्योग धँधों का विकास आदि सभी कुछ आधुनिकीकरण की ही देन है। आज समाज तीव्रता से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को आत्मसात कर रहा है। शिक्षा एवं आधुनिकीकरण का सम्बन्ध अत्यंत घनिष्ठ है। शिक्षा आधुनिकीकरण का एक सशक्त साधन है। जिन समाजों में शैक्षिक वातावरण का स्तर उच्च होता है, उन समाजों में सामाजिक परिवर्तन की गति भी तीव्र होती है। ऐसे समाजों में ग्रहणशीलता भी अधिक होती है। शिक्षा द्वारा ही आर्थिक विकास संभव होता है तथा उच्च सामाजिक आकांक्षाओं का निर्धारण किया जाता है। आधुनिकीकरण के लिये समाज में परिवर्तन, ग्रहणशीलता, प्रेरणा एवम् उच्च आकांक्षाएँ, औद्योगिक उन्नति, परिवर्तनशील सामाजिक एवम् नैतिक व्यवस्था का होना आवश्यक होता है तथा यह सभी शिक्षा के द्वारा ही संभव है। शिक्षा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करती है। शिक्षा आधुनिकीकरण लाने में निम्नांकित प्रकार से सहायता करती है—

1. दृष्टिकोणों की विस्तृतता प्रदान करके
2. ज्ञान भण्डार में वृद्धि करके
3. सामाजिक परिवर्तन में तीव्रता लाकर के
4. जीवन स्तर का उन्नयन करके
5. साम्यावस्था (Equilibrium stage) का सृजन करके।

जिस प्रकार शिक्षा आधुनिकीकरण को प्रभावित करती है। इसी प्रकार आधुनिकीकरण भी शिक्षा एवम् पाठ्यक्रम विकास को अत्यंत प्रभावित करता है। आधुनिकीकरण को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम विकास के लिये शिक्षाविदों को अग्रलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए—

1. पाठ्यक्रम में विविधतापूर्ण एवम् जीवनोपयोगी ज्ञान सम्मिलित होना चाहिए।
2. पाठ्यक्रम विकास द्वारा ज्ञान को इस प्रकार प्रेषित किया जाना चाहिए कि वह सभी को प्रभावित एवम् सबका विकास कर सके।
3. पाठ्यक्रम के द्वारा सांस्कृतिक विलम्बना (Cultural Lag) को समाप्त कर देना चाहिए।
4. पाठ्यक्रम का विकास इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे ज्ञान के भण्डार में वृद्धि हो।
5. पाठ्यक्रम विकास इस प्रकार किया जाना चाहिए कि व्यक्ति एवम् समाज भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में प्रगति करे।

6. पाठ्यक्रम का स्वरूप व्यावहारिक होना चाहिए जिससे इसके द्वारा कुशल श्रमिक, कुशल कारीगर तथा कुशल प्रशासक बन सकें।
7. समाज में ऐसी शिक्षा की व्यवस्था हो जो विभिन्न समाजों में हो रहे विविध परिवर्तनों और उनके हितकर तथा अहितकर पक्षों की जानकारी प्रदान कर सके।

4. लोकतंत्र तथा पाठ्यक्रम विकास—लोकतंत्र एक बहुअर्थक शब्द है। इसकी व्याख्या कई रूपों में की जाती है। जैसे—राजनैतिक जनतंत्र आर्थिक जनतंत्र, शैक्षिक जनतंत्र आदि।

1. अब्राहम लिंकन के शब्दों में, "लोकतंत्र जनता के उस शासन को कहते हैं, जो जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाता है।" स्पष्ट है कि राजनैतिक जनतंत्र मतदान की स्वतन्त्रता पर आधारित होता है।
2. आर्थिक लोकतंत्र के अनुसार राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को धन कमाने एवम् उपयोग करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। बी.डी.मारिया के शब्दों में, "आर्थिक लोकतंत्र का तात्पर्य आर्थिक शक्ति का सब लोगों के हाथ में होना है न कि कुछ पूँजीवादियों या विशेष वर्ग के हाथ में।"

उपर्युक्त दोनों अर्थ जनतंत्र के किसी एक पहलू पर जोर देते हैं परंतु वास्तव में जनतंत्र वही होगा जिसमें उसके प्रत्येक पक्ष का समावेश हो। अतः वास्तविक अर्थ में, "लोकतंत्र का तात्पर्य उस व्यवस्था या पद्धति से है जिसमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समाज के सदस्य को अपनी समस्त शक्तियों के विकास के अवसर प्रदान किए जाते हैं। इस संबंध में बॉयड का कथन है, "लोकतंत्र जीवन यापन की एक रीति है और जीवन-यापन की रीति का तात्पर्य है—जीवन के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र को प्रभावित करना।"

भारतीय सामाजिक व्यवस्था लोकतांत्रिक है और शिक्षा के ऊपर प्रभाव डालती है। कुछ वर्षों से लोकतांत्रिक भावना के साथ-साथ शैक्षणिक विचारों में पर्याप्त विकास हुआ है। वर्तमान समय में लोकतंत्र की सफलता के लिए दो मूलभूत दशाओं को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा है—

1. सम्पूर्ण जनता की अच्छी आर्थिक स्थिति तथा
2. प्रत्येक व्यक्ति के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था।

लोकतंत्र को सफल बनाने के लिये शिक्षा के स्थान का महत्त्व शिक्षाविदों तथा जनसामान्य ने भी स्वीकार किया है। अतः शैक्षणिक दृष्टि से "लोकतंत्र का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसमें सभी प्रकार के लोगों को ज्ञानार्जन करने तथा पढ़ने लिखने का अवसर प्राप्त होता है।" **जॉर्ज वाशिंगटन** के कथनानुसार, "प्रत्येक देश में ज्ञान जन-सुख कारक निश्चित आधार है। सरकार के साधनों पर शिक्षा का वैसा ही तात्कालिक प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे ऊपर दूसरे समुदाय के विचार से उसी अनुपात में आवश्यक है।"

लोकतंत्र के लिए ऐसी वास्तविक शिक्षा होनी चाहिए जो शिक्षार्थियों को ज्ञान प्राप्ति की, सत्य व धारणाओं में अन्तर करने की, निष्कर्षों तक पहुँचने की, उन वस्तुओं को पहचानने की जो सामाजिक परिवर्तन व संकटों के समय काम आती है में सहायता प्रदान करे।

भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण लोकतांत्रिक है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व इसके प्रमुख अंग हैं। भारतीय शिक्षा इन्हीं लोकतंत्रीय सिद्धांतों पर आधारित है। जनतंत्रीय सिद्धांत भी शिक्षा के सभी अंगों पर अपना पूर्ण प्रभाव रखते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण एवम् विकास के दौरान लोकतंत्रीय सिद्धांतों का पूर्णतया अनुसरण किया जाता है तथा इसी के अनुसार पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को ही स्थान दिया जाता है जो लोकतंत्रीय आदर्शों के अनुकूल हो। विभिन्न पाठ्य विषयों तथा क्रियाओं द्वारा तथा खेलों के माध्यम से भी बालक को ऐसा ज्ञान प्रदान किया जाता है जिससे बालक प्रजातंत्रीय जीवन बिताने में समर्थ हों सके। पाठ्यक्रम के विकास में ऐसे विषयों को स्थान देना चाहिये जो बालकों को सुनागरिकता की शिक्षा दे, व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखे, अवकाश काल का सदुपयोग करना सिखाए तथा व्यावसायिक विकास कर सकें। लोकतंत्रीय व्यवस्था के अनुरूप ही पाठ्यक्रम विस्तृत व लचीला होना चाहिए।

इस प्रकार ऐसे अनेकों सामाजिक तत्त्व हैं जो पाठ्यक्रम विकास पर पूर्ण प्रभाव रखते हैं तथा उन्हें गहराई से प्रभावित करते हैं।

◆◆◆

CIMETRIX SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

2.2 विभिन्न विषयों में विषय, अंतर अध्ययन क्षेत्र, बहु-अध्ययन क्षेत्र तथा परे अध्ययन क्षेत्र उपागम की समझ
(Understanding Subject, Interdisciplinary, Multidisciplinary and Transdisciplinary approach)

5. विषय, अंतर अध्ययन क्षेत्र, बहु-अध्ययन क्षेत्र तथा परे अध्ययन क्षेत्र का वर्णन कीजिए। (Discribe subject, interdisciplinary multidisciplinary and transdisciplinary approach.)

उत्तर–विषय (Subject)–विषय एक शैक्षिक अध्ययन की परिसीमा में होता है, इसके अन्तर्गत एक ही विषय का अध्ययन किया जाता है। इसमें एक ही विषय की प्राकृतिक सीमाओं, विशेषताओं व क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। इसमें अनुसंधान के भी विशिष्ट लक्ष्य, क्षेत्र एवं विधियां होती है। इस उपागम में अभ्यास व अनुसंधान (विषय पर आधारित) के द्वारा किसी समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत एक ही अध्ययन खोजा जाता रहा है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि कोई समस्या किसी विशेष अध्ययन क्षेत्र के विशिष्ट भाग या पक्ष से संबंधित हो। अनुसंधानकर्ता किसी एक ही अध्ययन क्षेत्र पर कार्य करता है।

किन्तु जब एक से अधिक अध्ययन क्षेत्र में समस्या समाधान हेतु शोध पर विचार किया जाता है तो यह अध्ययन क्षेत्र अपनी सीमाओं में बंध जाता है, क्योंकि इसके द्वारा एक समय में केवल एक ही विषय को विस्तृत रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। अतः मुख्य जोर समस्या के समाधान करने, कार्य करने, ज्ञान व कौशलों कासंचार करने तथा ज्ञान व कौशलों के समन्वय पर जोर दिया जाता है। एक ही विस्तृत अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत कई उप-अध्ययन क्षेत्र हो सकते हैं जिससे उच्च स्तर की विशेषता प्राप्त की जा सकती है।

अंतर अध्ययन क्षेत्र उपागम *(Inter disciplinary Approach)*

अंतर अध्ययन क्षेत्र में कई असंबंधित शैक्षिक अध्ययन इस तरह अनुसंधान क्षेत्र में कार्य करते हैं कि दोनों विषय अपनी सीमाओं को पार कर नवीन ज्ञान व सिद्धांत का निर्माण करते हैं जो सामान्यतया अनुसंधान का लक्ष्य या उद्देश्य होता है। असंबंधित शैक्षिक अध्ययन से तात्पर्य यह है कि कई विभिन्न अनुसंधान के क्षेत्र अर्थात् गुणात्मक तथा संख्यात्मक उपागम और अन्वेषण तथा विश्लेषण उपागम को एक साथ उपयोग में लेना है जो कला व विज्ञान से संबंधित है। यह अध्ययन दो भिन्न अध्ययन क्षेत्र की समस्या का अध्ययन करता है जो समग्र रूप से प्रत्येक अध्ययन पर लागू किया जा सके। अंतर शास्त्रीय शिक्षा अध्ययन क्षेत्र उपागम का उपयोग कर समस्या कथन का अध्ययन करती है जो अंतर्दृष्टि के आधार पर विभिन्न प्रकार के अध्ययन को एक-दूसरे से सार्थक बनाती है। यह अध्ययन क्षेत्र का विश्लेषण कर उसके योगदान की समझ तथा कई दृष्टि के आधार पर समस्या से संबंधित विचारों को पूर्ण करने तथा विश्लेषण की रूपरेखा निर्मित करने में सहायक होता है। अतः अंतर अध्ययन का विश्लेषण किसी मुद्दे को बहुदृष्टि के परिप्रेक्ष्य से जांचता है तथा क्रमबद्ध प्रयासों के द्वारा समग्र रूप से विश्लेषण कर किसी नतीजे पर पहुंचता है, जिसे विश्लेषण की रूपरेखा के नाम से जाना जाता है।

अंतर अध्ययन को भिन्न-भिन्न विद्वानों ने अपने अनुसार परिभाषित किया है, जिसमें प्रमुख परिभाषाएं निम्न है–

1. **Klein and Newell (1997)**–अंतर अध्ययन क्षेत्र वह प्रक्रिया है जो प्रश्नों के उत्तर देने की समस्या-समाधान या प्रकरण से परिचित कराता है जो एक अध्ययन क्षेत्र या व्यवसाय के द्वारा प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है तथा अध्ययन क्षेत्र परिप्रेक्ष्य में उत्तरों को प्राप्त कर उनमें एकीकरण द्वारा अंतर्दृष्टि विकसित कर सोचने व समझने के दायरे को फैला देती है।
2. The National Academy of Science the National Academy of Engineering and Institute of Medicine (2005) के अनुसार अंतर अध्ययन क्षेत्र अनुसंधान का

वह माध्यम या तरीका है जिसके द्वारा एसी समस्याओं का समाधान किया जाता है जो किसी एक अध्ययन क्षेत्र या अनुसंधान अभ्यास के क्षेत्र के बाहर या परे होता है। इस अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता या अनुसंधान टीम के द्वारा सूचनाओं का एकीकरण, दत्त संकलन, विधि, उपकरण, परिप्रेक्ष्य, सम्प्रत्यय व सिद्धांतों जो दो या दो से अधिक अंतर अध्ययन क्षेत्र से संबंधित होते हैं, जिसके अनुसार आसानी से समस्या के मूल को समझकर विशिष्ट तरीके से समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है।

यह अनुसंधान बताता है कि केवल दो या दो से अधिक अनुसंधान के आधार पर सूचना एकत्रित कर नए उत्पाद को तैयार करना अंतर अध्ययन क्षेत्र अनुसंधान नहीं है। वरन् वह है जिसमें दो या दो से अधिक विचारों व विधियों के द्वारा समस्या का समाधान ढूंढना अनुसंधान को नई दिशा देता है।

3. **Dain Rhoten, Veronica Boix Mansitta, Mark Chun and Tulie T. Klein (2006) in Interdisciplinary Education Antlibesal Arts Institution** के अनुसार अंतर अध्ययन क्षेत्र शिक्षा एक ऐसी पद्धति है जो पाठ्यक्रम रूपरेखा, अनुदेशन, जिसमें व्यक्ति संकाय या टीम पहचान करती है, मूल्यांकन कर सूचनाओं का एकीकरण, दत्त संकलन, विधि उपकरण परिप्रेक्ष्य, सम्प्रत्यय या सिद्धांत जो दो या दो से अधिक अनुसंधान द्वारा विद्यार्थी के ज्ञान को बढ़ाती है। अंतर अध्ययन क्षेत्र उन्नति की क्षमता, मुद्दों को समझने की योग्यता, समस्याओं से परिचित कराने की क्षमता तथा नए उपागम व समाधानों को खोजना जो एक अश्ययन क्षेत्र से परे हो या अनुदेशन क्षेत्र से परे हो।
4. **Veronica Boix Mansitta (2005) in Assessing Student work at Disciplinary Crosswords**–इनके अनुसार अंतर अध्ययन क्षेत्र को समझने हेतु इनका मुख्य केन्द्र है कि अंतर अध्ययन क्षेत्र कार्य के द्वारा उत्पन्न उत्पाद ही अंतर अध्ययन क्षेत्र की समझ कहलाती है। इनके अनुसार अंतर अध्ययन क्षेत्र वह सोचने की पद्धति तथा ज्ञान एकीकरण की क्षमता है जो दा या दो से अधिक अध्ययन के द्वारा संज्ञानात्मक वृद्धि को बढ़ाने के लिए उपयोग में ली जाती है; जैसे घटना की व्याख्या करना, समस्या का समाधान, उत्पाद का सृजन या नवीन प्रश्न उठाना। इस प्रकार से वह एक ही अध्ययन क्षेत्र के अर्थ में हो जाता है।
5. William Newell (2007) in Decision Making in Interdisciplinary Student के अनुसार अंतर अध्ययन क्षेत्र द्विभागीय प्रक्रिया है जो अनुशासनात्मक परिप्रेक्ष्य पर कटाक्ष तथा एकीकरण के माध्यम से अधिक वृहद अंतर्दृष्टि विकसित कर उपस्थित घटना को नवीन सृजनात्मक घटना में बदल देती है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर मुख्य तत्त्व को जानना संभव हो सकता है जो अंतर अध्ययन क्षेत्र के एकीकरण का आधार बना है। अंतर अध्ययन क्षेत्र अध्ययन की एकीकृत परिभाषा के आधार पर सामान्य तत्त्व निकलकर आए हैं जो निम्न हैं–
   (i) अंतर अध्ययन क्षेत्र अनुसंधान का विशिष्ट वास्तविक केन्द्र होता है।
   (ii) अंतर अध्ययन क्षेत्र अनुसंधान का केन्द्र एक अध्ययन क्षेत्र के यथार्थ से परे होता है।
   (iii) यह अध्ययन क्षेत्र जटिल समस्या या प्रश्न पर केन्द्रित होता है।
   (iv) यह अनुसंधान प्रक्रिया या अन्वेषण की पद्धति की विशिष्टता का गुण रखता है।
   (v) यह अनुसंधान अध्ययन क्षेत्र के संदर्भ में उत्तर देता है।
   (vi) वास्तविक केन्द्रित अनुसंधान अध्ययन क्षेत्र को अंतर्दृष्टि देता है।
   (vii) इस अनुसंधान में उद्देश्य आधारित एकीकरण होता है।
   (viii) इस अनुसंधान का उद्देश्य प्रयोजनवाद (Pragmatic) होता है, जो नवीन समझ के रूप में संज्ञानात्मक वृद्धि, नवीन उत्पाद व नवीन अर्थ विकसित करने में विश्वास रखता है।

बहु-अध्ययन क्षेत्र उपागम *(Multidisciplinary Approach)*

बहु-अध्ययन क्षेत्र से तात्पर्य है–दो या दो से अधिक अध्ययन के संदर्भ में अंतर्दृष्टि विकसित करना। जैसे–इस उपागम का प्रयोग एक पाठ्यक्रम में किया जा सकता है, जिसे तैयार या उस पर विचार जानने

हेतु अनुदेशकों को आमंत्रित किया जाता है, जो भिन्न-भिन्न अध्ययन क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। विशेषज्ञों को प्रकरण पर क्रमबद्ध विधि से विचार प्रकट करने के निर्देश दिए जाते हैं, जहां वह विषय या प्रकरण से संबंधित अंतर्दृष्टि का प्रयोग नहीं करते। यहां अध्ययन क्षेत्र के मध्य बहुत समीपता का संबंध होता है। किन्तु उनके मध्य एकीकरण का संबंध नहीं होता। अतः विभिन्न अध्ययन क्षेत्र की अंतर्दृष्टि को किसी तरह एक साथ लाना, परंतु कड़े प्रयास के बाद भी एकीकरण न कर पाना ही बहु-अध्ययन है। संक्षेप में अध्ययन में दो या दो से अधिक अध्ययन क्षेत्र अपना योगदान कर स्वतंत्र भूमिका निभाते हैं; जैसे—हमारे घर की डाइनिंग टेबल पर रखा फलों का बावल जिसमें भिन्न-भिन्न पूर्ण फल रखे होते हैं, जो अपनी विशिष्टता, रंग व स्वाद के आधार पर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं।

बहु-अध्ययन क्षेत्र दो या दो से अधिक व्यावसायिक या शैक्षिक अध्ययन क्षेत्र से संबंधित ज्ञान को कहा जाता है। इस अध्ययन क्षेत्र का निर्माण कई विभिन्न अध्ययन क्षेत्र व व्यावसाय के व्यक्तियों से होता है। प्रत्येक व्यक्ति एक साथ जवाबदेही की तरह कार्य करते हैं तथा संस्था एक सामान्य लक्ष्य व चुनौती को पूरा करने में अपनी अहम् भूमिका निभाती है। बहु-अनुशासनात्मक व्यक्ति वह होता है जो दो या दो से अधिक शैक्षिक उपलब्धि लिए हुए होता है अर्थात् एक व्यक्ति जो कई अनुशासनों का ज्ञाता होता है। वह बहु-अनुशासनात्मक संस्था में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का स्थान ले सकता है। यह शैक्षिक अध्ययन क्षेत्र की संख्या को बढ़ाता या घटाता नहीं है। जैसे एक मुख्य प्रकरण की चुनौती को कैसे उपभागों में विभाजित किया जाता है या तोड़ा जाता है जिससे उनके द्वारा समुदाय में ज्ञान को वितरित किया जाए। कई बार समुदाय में शब्दावली के माध्यम से व्यक्तियों के मध्य शब्दों का आदान-प्रदान कम होने से सूचना कभी-कभी मुद्दे का रूप धारण कर लेती है यदि किसी विशिष्ट प्रकार की चुनौती को बार-बार संबोधित किया जाता है। सभी व्यक्ति उस विषय को एक प्रभावी व सक्षम बनाने का प्रयास करते हैं। बहु-अनुशासनात्मकता व्यक्ति को भविष्य में नवाचार के लिए प्रोत्साहित करती है। अतः बहु अनुशासनात्मकता उपागम कई अध्ययन क्षेत्र को सही मात्रा में सम्मिलित कर समस्याओं को नए तरीके से परिभाषित करता है तथा उन समस्याओं को सामान्य बाधाओं से हल करके नवीन उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है जो नवीन जटिल परिस्थितियों की समझ पर आधारित होती है। बहु-अध्ययन उपागम में विभिन्न शैक्षिक अध्ययन क्षेत्र एक ही प्रकरण या अनुसंधानिक समस्या पर अनुसंधान करते हैं जिसके बहु-अध्ययन उद्देश्य होते हैं। बहु-अध्ययन क्षेत्र में प्रतिभागी ज्ञान का आदान-प्रदान करते हैं लेकिन विषय अध्ययन क्षेत्र की सीमाओं का उल्लंघन किए बिना नवीन ज्ञान व सिद्धांत निर्माण में अपना योगदान देता है। यह अध्ययन क्षेत्र अनुसंधान प्रक्रिया विभिन्न अध्ययन में साथ-साथ चलती है। इसका प्रमुख उद्देश्य समग्रता से परिणामों की तुलना करना है।

परे अध्ययन क्षेत्र उपागम *(Transdisciplinary Approach)*

परे अध्ययन क्षेत्र में Transcend शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के Transfix से हुई है जिससे तात्पर्य है जो दृष्टि से परे हो, जो जल्दी-जल्दी बदलता रहे अर्थात् वह अध्ययन जिसमें दो या उससे अधिक अध्ययन की झलक मिले किन्तु किसी एक विशिष्ट अध्ययन के संबंध में स्पष्ट रूप से व्याख्या करना संभव न हो। वह अध्ययन जो अन्य अध्ययन के आर-पार हो तथा उनके साथ-साथ तथा पास से निकल जाए तथा जो सभी अध्ययन क्षेत्रों से परे हो। इसके मुख्य उद्देश्य हैं—

1. वर्तमान विश्व को समझना, जिसमें परमावश्यक है ज्ञान की एकता।
2. बृहद् व जटिल समस्या का समाधान निकालना जो विशेषज्ञों के विचारों एवं अध्ययन क्षेत्र समाकलन या एकीकरण पर आधारित सिद्धांत द्वारा प्राप्त किए गए हो।

इस प्रकार के अनुसंधान द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित समस्याओं का हल निकाला जाता है। अनुभव, अंतक्रिया व समाधान के आधार पर प्राप्त नवीन परिणाम प्राकृतिक वास्तुविकता को नया दृष्टिकोण देता है। यह एक नए प्रकार का ज्ञान है जिसने विश्व में नवीन दृष्टिकोण व जीवन के अनुभवों को समाहित कर एक नवीन बुद्धिमत्ता के रूप में अपनी समाहित कर एक नवीन बुद्धिमत्त के रूप में अपनी जगह बना ली है।

◆◆◆

LAXMI®

EXAM NOTES

अध्ययन क्षेत्रों तथा विषयों की समझ

[UNDERSTANDING DISCIPLINES & SUBJECTS]

[Paper–IV(B)]

UNIT–II

3. ***Education as Interdisciplinary knowledge***
   - *Critical analysis of education as a discipline / area of study.*
   - *Education as a socially contrived system influenced by different factors.*
   - *Interdisciplinary nature of education; relationships with disciplines / subjects such as philosophy, psychology, sociology, management, economics, anthropology etc. connecting knowledge across disciplinary boundaries to provide a broad framework for insightful construction of knowledge.*
4. ***Theoretical Perspective of Education***
   - *School education – contemporary challenges*
   - *Linkage between education and other development sectors.*
   - *Emerging dimensions of school and teacher education.*
   - *Knowledge and pedagogy*
5. ***Support system of Education***
   - *Re-conceptualism of learning resources – textbooks, workbooks, multimedia, etc.*
   - *Monitoring and evaluation of schools*

–: प्रकाशक :–

LAXMI BOOK DEPOT LBD Hansi Gate, Bhiwani TM

लक्ष्मी बुक डिपो

हांसी गेट, भिवानी (हरियाणा)

GIMETRIX SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

3

अंतर अध्ययन क्षेत्र ज्ञान के रूप में शिक्षा
[Education as Interdisciplinary Knowledge]

3.1 अध्ययन क्षेत्र के रूप में शिक्षा का आलोचनात्मक विश्लेषण
(Critical Analysis of Education as a Discipline / Area of Study)

1. शिक्षा क्या है? अध्ययन क्षेत्र के रूप में शिक्षा का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
(What is education? Give critical analysis of education as discipline/ area of study.)

उत्तर–इस धरती पर सभी प्राणियों में से मनुष्य का जीवन सर्वोत्तम है। निश्चय ही मनुष्य ईश्वर की सब से अनुपम रचना है। मनुष्य का जीवन बहुत ही जटिल तथा प्रगतिशील है। उसके जीवन में दो पहलू हैं–पहला है शारीरिक तथा दूसरा है सामाजिक तथा सांस्कृतिक (Social and Cultural)। इन दोनों पहलुओं के आधार पर ही उसका जीवन आगे बढ़ता है। जीवन के शारीरिक पक्ष के लिये निरन्तर भोजन की आवश्यकता रहती है। शरीर का विकास तथा दैनिक कार्य भोजन पर निर्भर है। परन्तु सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास के लिये शिक्षा की आवश्यकता होती है। इसी शिक्षा के द्वारा वनस्पति, पशु आदि अन्य प्राणियों से मानव में अन्तर उत्पन्न होता है तथा उसका स्थान सबसे ऊँचा हो जाता है। वनस्पतियों तथा पशु-पक्षियों में भी शारीरिक पहलू की मात्रा पाई जाती है, परन्तु सामाजिक तथा सांस्कृतिक ज्ञान केवल मानव को ही थाती है। मानव और केवल मानव ही शिक्षा प्राप्त करने का सुयोग्य पात्र है। शिक्षा के द्वारा ही वह नये विचारों तथा जीवन के विभिन्न रूपों का आदान-प्रदान ग्रहण करता है। इसी के द्वारा ही वह अपनी बुद्धि तथा ज्ञान में वृद्धि करता है। इस ज्ञान के आधार पर ही वह संसार में अपनी इच्छानुसार मंगल तथा अमंगल भावनाओं की सृष्टि करता है। शिक्षा द्वारा ही वह समस्त संसार पर शासन करता है। वास्तव में, शिक्षा ही जीवन की एक मुख्य प्रक्रिया है। जैसे–शारीरिक अर्थ में जीवन की कतिपय आवश्यक प्रक्रियाएँ होती हैं, वैसे ही सामाजिक अर्थ में भी शिक्षा के रूप में जीवन की एक आवश्यक प्रक्रिया है। सामान्य जीवन शिक्षा के बिना असम्भव है।

शिक्षा का अर्थ *(What is Education?)*

शिक्षा शब्द को परिभाषा की सीमा में बांधना उतना ही कठिन है जितना कि किसी बेगवती नदी के प्रवाह को तटों से बांधना, किन्तु फिर भी इसके सम्बन्ध में कुछ न कुछ कहा गया है। विभिन्न दार्शनिकों, विद्वानों, विचारकों, राजनीतिज्ञों, नेताओं, व्यापारियों, कलाविदों तथा पुरोहित-पादरियों ने अपने-अपने दृष्टिकोण को लेकर देशकाल अनुसार इसके विषय में अपने मत प्रस्तुत किये हैं। इसका कारण यह भी है कि शिक्षा शब्द भावनात्मक है और इस में संचालन-शक्ति अधिक है। इसलिये कई युगों से इस शब्द के अनेक अर्थ उत्पन्न हो रहे थे तथा हो रहे हैं। अभी भी शिक्षा के बारे में दिए गए मत अधूरे हैं तथा उनकी इतिश्री

नहीं हुयी है। इतना निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि शिक्षा के विषय में परिपूर्ण सर्वांगीण परिभाषा शायद ही कभी दी जा सके। इसके अर्थ तथा उद्देश्य में गति है, सजीवता है जो सदा विकासशील तथा परिवर्तनशील बनी रहेगी।

शिक्षा शब्द की व्युत्पत्ति तथा उद्भव (Derivation and Origin of the term 'Education')—व्युत्पत्ति के आधार पर शिक्षा शब्द के कई अर्थ हैं। कई लोगों का मत है कि शिक्षा (Education–एजुकेशन) शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन के तीन शब्दों– एजुकेयर (Educare), एजुकीयर (Educere) तथा एजुकेटम (Educatum) से हुयी है। एजुकेयर (Educare) से लालन पालन, एजुकीयर (Educere) से 'प्रेरणा' तथा एजुकेटम (Educatum) से शिक्षण अथवा प्रशिक्षण का भाव निकलता है। इनमें से एजुकेयर (Educare) तथा एजुकेटम (Educatum) बालक के वहिर्मुखी विकास तथा एजुकीयर (Educere) अन्तर्मुखी विकास के प्रेरक हैं। इसलिए बालक जब शिक्षा ग्रहण करता है तो उसे अन्तर्मुखी तथा बहिर्मुखी दोनों क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता पड़ती है। अन्तर्मुखी विकास के बल पर वह अपने ज्ञान को बढ़ाता है तथा बहिर्मुखी धरातल पर वह अपने अनुभव की वृद्धि करता है। अनुभव के अन्तर्गत स्वभाव, आचार-व्यवहार, योग्यता आदि की बातें आती हैं जिनमें प्राणी संसार में निपुण बन जाता है। इसी ज्ञान तथा अनुभव के सामंजस्य से ही जब बालक व्यवहार कुशल बन जाता है तथा संसार में आगे बढ़ता है तो यही शिक्षा का भी मुख्य उद्देश्य बन जाता है।

शिक्षा क्या है? इसकी क्या परिभाषा है। ऊपर से तो यह प्रश्न बड़ा सरल लगता है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा शब्द है जिसका हम नित्य जीवन में प्रयोग करते रहते हैं। परन्तु इसे किसी परिभाषा में बांधना सरल नहीं है। शिक्षा एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक युग में जैसे-जैसे मानव की आवश्यकताएँ बदलती रहती हैं वैसे ही शिक्षा की विभिन्न परिभाषाएँ भी प्रस्तुत की गयी हैं।

शिक्षा क्या है? इस प्रश्न के उत्तर को हम तीन भागों में बांट सकते हैं–

(1) शिक्षा क्या नहीं है? (2) शिक्षा केवल क्या नहीं है?

(3) शिक्षा क्या है?

(1) शिक्षा क्या नहीं है–शिक्षा चाहे कुछ भी हो, परन्तु यह साक्षरता (Literacy) नहीं है। यह माना कि साक्षरता शिक्षा का साधन तो हो सकता है। परन्तु साधन को साध्य नही माना जा सकता। "शिक्षा वह है जो एक व्यक्ति है– और वह नहीं जो एक व्यक्ति जानता है" *("Education is what you are rather than what you know")* इसका प्रमाण है आज के डिग्रियाँ प्राप्त पढ़े-लिखे कहलाने वाले युवक जिनका न मानसिक विकास होता है और न ही नैतिक और सामाजिक। ये विद्यार्थी कुछ ज्ञान को रट कर परीक्षाओं में उत्तर-पुस्तिकायों में उगल देते हैं और वह ज्ञान उनका नहीं बनता। ऐसे विद्यार्थियों के बारे में हम कह सकते हैं कि उन्होंने साक्षरता तो प्राप्त कर ली है परन्तु शिक्षा कदापि नहीं।

(2) शिक्षा केवल क्या नहीं है–शिक्षा एक बहुत विस्तृत शब्द है। इसमें मानव जीवन के सभी पहलू, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक आदि आते हैं। परन्तु कुछ लोग ऐसे हैं जो शिक्षा के एक भाग को ही शिक्षा समझते हैं। उदाहरण के तौर पर–

(क) प्राचीन काल से स्पार्टा (Sparta) के लोग शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित करते थे–"शिक्षा वह है जो व्यक्ति को प्राकृतिक प्रकोपों से बचाने की क्षमता प्रदान करती है।" *("Education is that which enables one to face the hazards of nature.")*

इस परिभाषा का जन्म इसलिये हुआ कि स्पार्टा प्राचीन समय में एक यूनानी नगर राज्य (Greek city state) था जो चारों ओर से शत्रुओं द्वारा घिरा हुआ था। कभी किसी ओर से कोई शत्रु स्पार्टा पर आक्रमण करके लूट-पाट कर जाता तो कभी किसी दूसरे ओर से कोई अन्य शत्रु। अब स्पार्टा के लोगों के सामने दो ही विकल्प रह गए थे कि या तो किसी पड़ोसी राज्य की अधीनता स्वीकार कर लें या फिर स्पार्टा के लोगों को इतना हृष्ट-पुष्ट बनाएँ और शस्त्रों का

प्रयोग सिखाएँ कि वे किसी भी शत्रु से अपनी रक्षा कर सकें तथा ये सब कुछ लाने के लिये उन्हें शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाना होगा। अपनी शिक्षा प्रणाली में शासकों ने केवल वही विषय रखे जिन से शारीरिक विकास हो और शस्त्रों का प्रयोग करने में वहाँ के निवासियों को दक्षता प्राप्त हो।

(ख) एक और मत शिक्षा की परिभाषा कुछ इस प्रकार देता है- "शिक्षा वह है जो एक व्यक्ति को उसकी आजीविका कमाने में समर्थ बनाये" *("Education is that which enables one to earn ones livelihood.")*। यह शिक्षा का आर्थिक पहलू है। इस में कोई सन्देह नहीं कि यह पहलू बहुत महत्त्वपूर्ण है। मानव जीवन के बहुत से पहलू हैं जिनमें से आर्थिक पहलू सबेसे अधिक तीव्रता से महसूस किया जाता है। आर्थिक आवश्यकताओं का पूरा करना मानव के लिये सब से आवश्यक कार्य है। आर्थिक आवश्यकताएँ आधारभूत आवश्यकताएँ हैं जिन पर उनकी सभी दूसरी आवश्यकताओं का ढाँचा खड़ा है। इस लिये शिक्षा में व्यावसायिक उद्देश्य को सबसे प्रथम उद्देश्य माना जाता है। यदि कोई शिक्षा किसी व्यक्ति को आजीविका कमाने में समर्थ नहीं करती तो ऐसी शिक्षा का क्या लाभ है?

(ग) कुछ लोगों का विश्वास है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उस देश की संस्कृति का संरक्षण, संचारण तथा समृद्धि है *(Education is the conservation, development and transmission of culture of ones land.)*

जब व्यक्ति जाति के उपयोगी अनुभवों को आत्मसात् कर लेता है तो उसके जीवन में मधुरता आ आ जाती है। जीवन को समृद्धिशाली बनाने के लिये व्यवहार तथा चरित्र की छोटी-छोटी बातें भी बहुत महत्त्व रखती हैं जैसे आप कैसे उठते-बैठते हैं? आप का दूसरों के साथ कैसा व्यवहार है? आप कैसे कपड़े पहनते हैं या किस प्रकार का भोजन करते हैं? यह सब संस्कृति में आता है। जीवन को सुन्दर तथा मधुर बनाने के लिये शिक्षा विद्यार्थियों को विकसित (cultured) अवश्य बनाए।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

शिक्षा की कुछ विस्तृत परिभाषाएँ *(Some broad definitions of Education)*

भारतीय शिक्षाशास्त्रियों के विचार (Views of Indian Eductionists)—

(1) स्वामी विवेकानन्द (Swami Viveka Nand) के कथनानुसार, "मनुष्य में पहले विद्यमान आध्यात्मक तत्त्व की पूर्णता ही शिक्षा है।" *("Education is the manifestation of divine perfection already existing in man.")*

(2) महाकवि रवीन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार, "शिक्षा मनुष्य के जीवन का समस्त विश्व के साथ सम्बन्ध स्थापित करती है" *("Education is that which makes ones life in harmony with all existence."* **— Tagore**)

(3) डा. जाकिर हुसैन (±kir Hussain) ने शिक्षा को सम्पूर्ण जीवन का कार्य माना है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक जारी रहता है" *("Education is the work of the whole of the life. It beings from the time of birth and continues till the last moment of death.")*

(4) श्री अरबिन्दु (Aurbindo), "अन्तर्निहित ज्योति की उपलब्धि के लिये शिक्षा विकासशील आत्मा की प्रेरणादायिनी शक्ति है"। *("Education is helping the growing soul to draw out that in the itself.")*

(5) महात्मा गांधी ने शिक्षा की परिभाषा इस प्रकार दी है, "शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा उसकी आत्मा के सर्वोत्तम गुणों को व्यक्त करना है।" *("By Education I mean an all round drawing out of the best in child and man - body, mind and spirit.")*

(6) **विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग** (University Education Commission) के शब्दों में, "भारतीय परम्परा के अनुसार शिक्षा केवल आजीविका कमाने का साधन नहीं है, न ही यह नागरिकता की शिक्षा का साधन है। यह आध्यात्मिक जीवन का आरम्भ है, यह सत्य की प्राप्ति तथा नेकी के अभ्यास के लिये मानवीय-आत्मा का प्रशिक्षण है यह दूसरा जन्म या द्वितीय जन्म है।" *(" Education according to Indian traditions is not merely a means to earning a living, not is it only nursery of thought or a school for citizenship. It is nitiation into the life of spirit, a training of human soul in the pursuit of truth and the practice of virtue. It is a second birth is dutiyam Janma.")*

(7) **ऋगवेद के अनुसार,** शिक्षा मनुष्य को आत्मविश्वासी तथा स्वार्थहीन बनाती है *("Education makes a man self confident and selfless.")*

(8) **उपनिषद्** (Upnishads) के अनुसार, "शिक्षा का अन्तिम लक्ष्य निर्वाण है।"*(" Education is that whose end product is salvation.")*

(9) **कौटिल्य** (Kautilya) के अनुसार, "शिक्षा का अर्थ है देश के लिये प्रशिक्षण तथा राष्ट्र के लिये प्यार।" *("Education means training for the country and love for the nation.")*

पाश्चात्य विचारकों की परिभाषाएँ
(Definitions of Education given by Western thinkers)

(1) **पेस्टालोजी** (Pestalozzi)–पेस्टालोजी ने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार देने का प्रयास किया है। उसके अनुसार, "शिक्षा मनुष्य की आन्तरिक शक्तियों का प्राकृतिक, सुसामंजस तथा प्रगतिशील विकास है"। *("Education is the national, harmonious and progressive development of man's innate powers.")*

(2) **फ्रोबल** के अनुसार, "बीज में जो विद्यमान है, उसे खोलना ही शिक्षा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपनी वास्तविक योग्यताओं को बाह्य रूप प्रदान करता है"। *("Education is unfoldment of what is already enfolded in the germ. It is process through which the child makes internal external.")*

(3) **जान डीवी** (John Dewey) के शब्दों में, "शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जो उसे अपने वातावरण पर नियन्त्रण करने व अपनी सम्भावनाओं को पूरा करने में योग्यता प्रदान करती है।" *("Education is the development of all those capacities in the individual which enable him to control his environment and fulfil his possibilities.")*

(4) **टी.पी. नन** (T.P. Nunn) के अनुसार, "शिक्षा बच्चे के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है ताकि वह अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार मानव जीवन में अपना मौलिक योगदान दे सके"। *("Education is the complete development of the individuality of the child so that he can make an original contribution to human life according to the best of his capacity.")*

(5) **बोसिंग** (Bossing) के अनुसार, "शिक्षा का कार्य मनुष्य का उसके वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना है जिससे व्यक्ति और समाज दोनों का स्थायी सन्तोष प्राप्त हो सके") *("The Function of education is conceied to be the adjustment of man to his environment, to the end that most enduring satisfaction may accure to the individual and society.")*

(6) **रस्किन** (Ruskin) के अनुसार, "शिक्षा का अर्थ मनुष्य को वह सिखाना नहीं है जो उसे नहीं आता है। इसका अर्थ उसे व्यवहार सिखाना है जो वह नहीं करता।" *("Education does not mean teaching people what they do not know. It means teaching them to behave as they do not behave.")*

(7) **जेम्स** (James) के अनुसार, "शिक्षा कार्य सम्बन्धी अर्जित आदतों का संगठन है, जो व्यक्ति को उसके भौतिक तथा सामाजिक वातावरण में उचित स्थान देती है"। *("Education is the organization of acquired habits of such action as will fit the individual to his physical and social environment.")*

(8) **रैडन** (Redden) के अनुसार, "शिक्षा वह प्रभाव है जो परिपक्व व्यक्ति सोच-समझ कर व्यवस्थित ढंग से अपरिपक्व पर डालता है। यह प्रभाव व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण अनुशासन तथा व्यक्ति की शारीरिक, बौद्धिक, सौन्दर्यात्मक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों को इसी क्रम में सामंजयस्यपूर्ण विकास द्वारा डाला जाता है। इस प्रभाव का अन्तिम उद्देश्य, विद्यार्थी का ईश्वर के साथ सम्बन्ध स्थापित करना है"। *("Education is the deliberate and Systematic influence exerted by the mature person upon the immature, through instruction, discipline and harmonious development of physical, intellectual, aesthetic, Social and Spiritual powers of the human being according to their essential heirarchy, by and for the individual and social uses and directed towards the union of the educand with the creator as the final end.")*

अध्ययन क्षेत्र के रूप में शिक्षा का आलोचनात्मक विश्लेषण
(Critical analysis of education as discipline or area of study)

शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है जिसके सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दो पक्ष हैं। सैद्धान्तिक पक्ष का सम्बन्ध दर्शन तथा समाजशास्त्र से है जबकि व्यावहारिक पक्ष का सम्बन्ध मनोविज्ञान से है। अतः शिक्षा का एक अध्ययन क्षेत्र में रूप में विकास दर्शन, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र तथा मनोविज्ञान के योगदान से हुआ है। शिक्षा को एक स्वतन्त्र अध्ययन क्षेत्र के रूप में मानने के लिए यह जरूरी है कि इसमें मानव ज्ञान की प्रमुख विशेषताएँ होनी चाहिए। मानव ज्ञान की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

1. मानव ज्ञान संचित किया जाता है।
2. मानव ज्ञान का प्रसार किया जाता है।
3. मानव ज्ञान में वृद्धि की जाती है।

मानव ज्ञान को संचित करने के लिए पुस्तकालयों की व्यवस्था की जाती है। पुस्तकालयों में सुगमता के लिए अध्ययन क्षेत्र के आधार पर विभाग होते हैं। साधारणतः महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में शिक्षा की पुस्तकों के लिए अलग-विभाग होते हैं। ज्ञान को केवल संचित ही नहीं किया जाता बल्कि इसका प्रसार व संचालन भी किया जाता है जिसका लाभ नई पीढ़ी द्वारा उठाया जाता है। शिक्षा शास्त्र के ज्ञान का प्रसार व संचालन के लिए महाविद्यालयों में शिक्षा विभाग तथा शिक्षा संकाय की व्यवस्था की गई है। इन महाविद्यालयों के अन्तर्गत बी.ए., बी. एड., एम. ए., एम. एड., की उपाधी प्रदान की जाती है। मानवीय ज्ञान की तीसरी विशेषता ज्ञान में वृद्धि करना है। इस कार्य को शोध प्रक्रिया द्वारा पूरा किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसके प्रसार व विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एन. सी. ई. आर. टी. का निर्माण किया गया है। इसका प्रमुख कार्य शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों का विकास करना तथा प्रसार करना है। इसके अतिरिक्त बड़ोदा में एक शिक्षा संस्थान सी. ए. एस. ई. भी इस दिशा में कार्य कर रहा है। जो छात्र शिक्षा अध्ययन क्षेत्र के अन्तर्गत शोध कार्य करते हैं, उन्हें अन्य अध्ययन क्षेत्रों की भाँति विश्वविद्यालयों से शोध के लिए उपाधियाँ प्रदान की जाती है। इस विश्लेषण से स्पष्ट है कि शिक्षा मानवज्ञान का स्वतन्त्र

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

अध्ययन क्षेत्र है जिसे अन्य अध्ययन की भांति उच्च स्तर प्राप्त हो चुका है। शिक्षा के अब केवल एक प्रक्रिया तथा प्रशिक्षण के रूप में ही नहीं बल्कि एक स्वतन्त्र अध्ययन क्षेत्र के रूप में मान्यता दी जाती है।

एक अध्ययन क्षेत्र की विशेषताएँ *(Characteristics of a discipline)*

प्रत्येक अध्ययन क्षेत्र की अपनी विशेषताएँ होती है जिसके आधार पर उस अध्ययन क्षेत्र को अन्य अध्ययन क्षेत्रों से भिन्न समझा जाता है। अध्ययन क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं—

1. निजी पाठ्यवस्तु—प्रत्येक अध्ययन क्षेत्र की अपनी निजी पाठ्यवस्तु होती है। शिक्षा भी एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जिसकी अपनी निजी पाठ्यवस्तु है। इस पाठ्यवस्तु के अन्तर्गत शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के सिद्धान्त, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, प्रविधियाँ, पुस्तकें, शिक्षक, प्रशासन, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षण के प्रतिमान शिक्षक व्यवहार, शैक्षिक निर्देशन, परीक्षाएँ, मूल्यांकन, शैक्षिक तकनीकी, अध्यापक शिक्षा आदि को सम्मिलित किया जाता है।

2. निजी क्रियाएँ—प्रत्येक अध्ययन क्षेत्र की पाठ्यवस्तु किसी सामाजिक तथा व्यावसायिक क्रिया से सम्बन्धित होती है। शिक्षा की समस्त पाठ्यवस्तु प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से 'शिक्षण क्रिया' से सम्बन्धित है। शिक्षण क्रिया सामाजिक तथा व्यावसायिक दोनों ही है। शिक्षण को कला तथा विज्ञान दोनों ही माना जाता है।

3. निजी विधियाँ—प्रत्येक अध्ययन क्षेत्र निजी विधियाँ होती है। इस प्रकार शिक्षा भी एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है। जिसकी अपनी निजी विधियाँ है। चूँकि शिक्षा की पाठ्यवस्तु व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक दोनों ही हैं इसलिए शिक्षा में दो प्रकार की विधियाँ प्रयोग में लाई जाती है। छात्रों द्वारा पाठ्यवस्तु का अध्ययन किया जाता है और कक्षा में पाठ्यवस्तु का शिक्षण भी किया जाता है। परीक्षाओं में सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक दोनों पक्षों पर बल दिया जाता है। प्रयोगात्मक परीक्षाओं को भी बराबर का महत्व दिया जाता है।

4. शोध की निजी विधियाँ—एक स्वतन्त्र अध्ययन क्षेत्र के शोध की निजी विधियाँ होती हैं। शिक्षा सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों ही हैं इसलिए शिक्षा के शोध कार्य में सर्वेक्षण विधि, ऐतिहासिक विधि तथा प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग होता है। सामान्यतः विज्ञान के विषयों के शोध कार्यों में दोनों प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है।

5. निजी चिन्तन क्षेत्र—प्रत्येक अध्ययन क्षेत्र का अपना निजी चिन्तन क्षेत्र होता है। प्रत्येक अध्ययन क्षेत्र के अपने मूल्य होते हैं और उनका अपना प्रभाव होता है। शिक्षा एक अध्ययन क्षेत्र है जिसका चिन्तन क्षेत्र बालक में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाने से सम्बन्धित होता है। शिक्षा शास्त्रियों द्वारा इस दिशा में चिन्तन किया जाता है तथा बालकों के विकास के लिए नवीन विधियों के लिए प्रयास किया जाता है। शिक्षा के शिक्षा शास्त्रियों की कार्यशैली, व्यवहार, समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण अन्य अध्ययन क्षेत्रों के शिक्षा शास्त्रियों से अलग होता है।

6. निजी शोध क्षेत्र—प्रत्येक अध्ययन क्षेत्र के अपने शोध कार्य के निजी क्षेत्र होते हैं। शिक्षा के भी अपने निजी शोध क्षेत्र हैं। शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, शैक्षिक तकनीकी, शिक्षक-व्यवहार, शिक्षक प्रभावशीलता, शैक्षिक प्रशासन एवं व्यवस्था, अभिक्रमित-अनुदेशन, परीक्षा प्रणाली, शैक्षिक निर्देशन, अध्यापक शिक्षा, शिक्षण विधियाँ आदि शिक्षा के निजी शोध क्षेत्र हैं।

7. अलग संकाय—विश्वविद्यालय के सभी अध्ययन क्षेत्रों को संकायों में विभाजित किया गया है। जैसे कला संकाय के अन्तर्गत सामाजिक विषयों सभी साहित्यों तथा शिक्षा को शामिल किया गया है। विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान आदि को शामिल किया गया है। बी ए तथा एम ए शिक्षा को कला संकाय में रखा जाता है। परन्तु अधिकांश विश्वविद्यालयों ने शिक्षा संकाय की अलग से व्यवस्था की है।

◆◆◆

3.2 विभिन्न कारकों से प्रभावित सामाजिक निरूपित व्यवस्था के रूप में शिक्षा (Education as a Socially Contrived System Influenced by Different Factors)

2. विभिन्न कारकों से प्रभावित सामाजिक निरूपित व्यवस्था के रूप में शिक्षा का वर्णन कीजिए। (Describe education as a socially contrived system influenced by different factors.)

उत्तर—शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। समाज की व्यवस्था जिस प्रकार की होती है उसी प्रकार शिक्षा के उद्देश्य बनते हैं। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में ऐसी योग्यता और क्षमता उत्पन्न करना होना चाहिए जिससे वह समाज की भलाई कर सके। शिक्षा विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित होती है।

शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक—

1. मानवीय व्यवस्था के सिद्धान्त (Theories of Human Organization)
2. दार्शनिक कारक (Philosophical factors)
3. ऐतिहासिक कारक (Historical factors)
4. भौगोलिक कारक (Geographical factors)
5. सामाजिक कारक (Sociological factors)
6. वैज्ञानिक कारक (Scientific factors)
7. भाषायी कारक (Linguistic factors)
8. पारिस्थितिक कारक (Ecological factors)
9. आर्थिक कारक (Economic factors)

उपरोक्त प्रभावकारी कारकों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है; जो निम्नलिखित हैं—

(क) संरचनात्मक कारक (Structural factors)
(ख) कार्यपरक कारक (Functional factors)
(ग) मिश्रित कारक (Mixed factors)

(क) संरचनात्मक कारक (Structural factors)—शिक्षा प्रणाली के स्वरूप को प्रभावित करने वाले कारक **संरचनात्मक कारक** कहलाते हैं। ये कारक शिक्षा के सैद्धान्तिक प्रारूप को पेश करते हैं। उदाहरण के तौर पर शिक्षा का सैद्धान्तिक प्रारूप उस राष्ट्र के दर्शन का निर्धारण करता है जो शिक्षा दर्शन-शिक्षा के उद्देश्य व लक्ष्य, शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम, अनुशासन, अध्यापक व विद्यार्थी की भूमिकाओं का निर्धारण करता है। तुलनात्मक शिक्षा के प्रभावकारी कारकों के संरचनात्मक कारकों के अन्तर्गत निम्नलिखित कारकों को शामिल किया गया है—

1. मानवीय कारक	2. दार्शनिक कारक
3. ऐतिहासिक कारक	4. भौगोलिक कारक
5. सामाजिक कारक	6. पारिस्थितिक कारक

(ख) कार्य-परक कारक (Functional factors)—शिक्षा की प्रक्रिया में व्यवहारिकता व कार्यपरकता की अधिकता होती है। सम्पूर्ण शिक्षा प्रक्रिया में प्रायः तीन क्रियाओं को सम्पादित किया जाता है, ये क्रियाएँ है—शिक्षण, अनुदेशन और प्रशिक्षण हैं। इसे ही शिक्षण शास्त्र (Pedagogy) कहते हैं। सम्पूर्ण शिक्षा पद्ध

GIAETRIX SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

ति को कार्यपरक बनाने हेतु शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी तथा शिक्षण शास्त्र आदि वैज्ञानिक कारकों की भूमिका अहम होती है। कार्यपरक कारकों के अन्तर्गत निम्नलिखित कारकों को शामिल किया गया है–

1. वैज्ञानिक कारक
   I. मनोविज्ञान II. तकनीकी III. शिक्षा शास्त्र
2. भाषायी कारक
3. सांस्कृतिक कारक

(ग) मिश्रित कारक (Mixed factors)–शिक्षा पद्धति के कुछ कारक पूर्ण रूप से संरचनात्मक कारक होते हैं व कुछ पूर्णरूपेण कार्य-परक कारक होते हैं। लेकिन कुछ कारक ऐसे भी होते हैं, जो कि शिक्षा प्रणाली/पद्धति की संरचनात्मकता और कार्य-परकता दोनों ही पक्षों पर प्रभाव डालते हैं, ऐसे कारकों को मिश्रित कारकों की श्रेणी में रखा गया है। तुलनात्मक शिक्षा के प्रभावकारी कारकों के अन्तर्गत मिश्रित कारक निम्नलिखित हैं–

1. सामाजिक कारक 2. सांस्कृतिक कारक
3. ऐतिहासिक कारक 4. भौगोलिक कारक
5. मानवीय कारक 6. पारिस्थितिक कारक

तुलनात्मक शिक्षा के प्रभावकारी कारकों का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार से है–

1. मानवीय व्यवस्था के सिद्धान्त (Theory of Human Organization)–शिक्षा एक सामाजिक व मानवीय प्रक्रिया है। यह मानवीय विकास की अति महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है। वर्तमान में योग्य नागरिकों का निर्माण करना शिक्षा का प्रमुखा उद्देश्य है। इसका प्रबन्धन व स्वरूप मानवीय व्यवस्था सिद्धान्तों से अधिक प्रभावित है। मानवीय व्यवस्था के मुख्य तौर पर तीन सिद्धान्त माने जाते हैं। प्रायः संसार के सभी देशों की शिक्षा पद्धति का प्रारूप इन मानवीय व्यवस्था सिद्धान्तों पर ही आधारित है। ये मानवीय सिद्धान्त निम्नलिखित हैं–

1. परम्परागत मानवीय व्यवस्था सिद्धान्त-कार्य केन्द्रित (Classical human Organization Theory—Task-Centred)
2. मानवीय सम्बन्ध व्यवस्था सिद्धान्त-सम्बन्ध केन्द्रित (Human relationship Organization theory—Relationship—Centred)
3. आधुनिक मानवीय व्यवस्था सिद्धान्त-कार्य तथा सम्बन्ध केन्द्रित (Modern human Organization Theory—Task—and relationship-centred)

उपरोक्त मानवीय सिद्धान्तों का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार से है–

1. परम्परागत मानवीय व्यवस्था सिद्धान्त–कार्य-केन्द्रित (Classical Human Organization Theory-Task-Centred)–परम्परागत सिद्धान्त से प्रभावित मानवीय व्यवस्था को **एक तन्त्र शासन प्रणाली** (Authoritarian) भी कहा जाता है। इस तरह की शासन व्यवस्था (एकतन्त्र-शासन) परम्परागत मानवीय व्यवस्था सिद्धान्त, कार्य-केन्द्रित सिद्धान्त पर आधारित होती है। इस सिद्धान्त की विचारधारा है कि व्यवस्था के सदस्यों में कार्य करने की योग्यता होती है और वे निर्देशों का पालन करने में भी सक्षम होते हैं लेकिन उनमें कार्य हेतु **स्वोपक्रम (initiation)** की क्षमता नहीं होती है। उनकी इच्छाओं, अभिलाषाओं तथा अभिवृत्तियों को कोई स्थान नहीं दिया जाता है। इस तरह की शासन व्यवस्था में शिक्षण-प्रक्रिया भी इसी विचारधारा से प्रभावित होती है। **एकतन्त्र शासन** प्रणाली में शिक्षण-प्रक्रिया के तहत शिक्षक का स्थान प्रधान होता है और छात्र गौण स्थानीय होता है। इसमें शिक्षक ही सर्वेसर्वा होता है। छात्र तो केवल एक श्रोता की भांति होता है। इसमें शिक्षण की आलोचना का कोई स्थान नहीं होता।

एकतन्त्र शासन के अन्तर्गत शिक्षण को परिभाषित करते हुए **एच.सी. मौरीसन** ने कहा है, **"शिक्षण वह प्रक्रिया है, जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के सम्पर्क में आता है और कम विकसित व्यक्तित्व की अग्रिम शिक्षा हेतु विकसित व्यक्तित्व व्यवस्था करता है।"**

["Teaching is an intimate contact between a more mature personality and a less mature one which is designed to further the education of the later."—**H.C. Morrison (1934)**]

2. मानवीय सम्बन्ध व्यवस्था सिद्धान्त-सम्बन्ध-केन्द्रित (Human relationship organization theory—Relationship-Centred)–मानवीय सम्बन्ध व्यवस्था सिद्धान्त से प्रभावित मानवीय व्यवस्था को **लोकतन्त्र शासन प्रणाली** (Democracy) भी कहा जाता है। संसार के ज्यादातर देशों की शासन-व्यवस्था इसी सिद्धान्त पर आधारित है। लोकतन्त्र शासन व्यवस्था मानवीय सम्बन्ध, व्यवस्था सिद्धान्त, सम्बन्ध केन्द्रित सिद्धान्त का अनुसरण करती है। इस सिद्धान्त की मान्यता है कि व्यवस्था के सदस्य अपनी-अपनी अभिवृत्तियों, अभिरुचियों और मूल्यों को लेकर आते हैं। अतः शासन उनके व्यवहारों को अभिप्रेरित करता है। इस तरह की शासन व्यवस्था में शिक्षण-प्रक्रिया भी इसी तरह की विचारधारा से प्रभावित होते हैं। लोकतंत्र शासन व्यवस्था में शिक्षण-प्रक्रिया के अन्तर्गत शिक्षक तथा छात्र दोनों का स्थान प्रमुख होता है। लोकतन्त्र शासन के अन्तर्गत **एडमण्ड एमीडोन** ने शिक्षण की परिभाषा निम्न प्रकार से दी है–

"शिक्षण को अन्तःप्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके अन्तर्गत कक्षा-कथन को शामिल किया जाता है, जो शिक्षक तथा छात्र के बीच परिचालित होते हैं। कक्षा-कथन का सम्बन्ध अपेक्षित क्रियाओं से होता है।"

["Teaching is defined as an interactive process, primarily involving classroom talk which takes place between teacher and pupil and occurs during certain definable activities."—**Edmond Amidon (1967)**]

एन. एल. गेज ने शिक्षण को लोकतन्त्र शासन के प्रतिमान के अनुरूप निम्न प्रकार से परिभाषित किया है–

"शिक्षण-प्रक्रियाओं में पारस्परिक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें दूसरों के व्यावहारिक क्षमताओं के विकास का लक्ष्य होता है।"

["Teaching is a form of inter-personal influence aimed at changing the behaviour potential of another person."—**N.L. Gage (1962)**]

3. आधुनिक मानवीय व्यवस्था सिद्धान्त-कार्य व सम्बन्ध-केन्द्रित (Modern Human Organization theory-Task and Relationship Centred)–आधुनिक मानवीय व्यवस्था सिद्धान्त से प्रभावित मानवीय व्यवस्था **हस्तक्षेप शासन व्यवस्था** (Laissez Faire) भी कहलाती है। यह सिद्धान्त व्यवस्था के सदस्यों में कार्य करने की क्षमता होने की विचारधारा रखता है। सिद्धान्त की मान्यता है कि व्यवस्था के सदस्य अपनी-अपनी अभिरुचियों, अभिवृत्तियों एवं मूल्यों को लेकर आते हैं, शासन उनके व्यवहारों को अभिप्रेरित तथा प्रोत्साहित करता है। व्यवस्था के सदस्यों में निर्णय लेने तथा कठिनाइयों को हल करने की क्षमता भी होती है। व्यवस्था के सदस्यों को स्वायत्तता भी प्रदान की जाती है। इस तरह की शासन व्यवस्था आधुनिक व्यवस्था सिद्धान्त, कार्य सम्बन्ध-केन्द्रित पर आधारित होती है।

इस तरह की शासन व्यवस्था में शिक्षण प्रक्रिया के तहत शिक्षक की अपेक्षा छात्र का भूमिका अहम होती है। छात्र शिक्षक की अपेक्षा अधिक क्रियाशील रहता है।

हस्तक्षेप शासन व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षण को परिभाषित करते हुए **जॉन ब्रूबेकर** ने कहा है–

"शिक्षण में ऐसी परिस्थितियों की व्यवस्था की जाती है, जिनमें कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए जाते हैं और कठिनाइयाँ उत्पन्न की जाती हैं, छात्र उन कठिनाइयों पर विजय पाने का प्रयत्न करता है तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का प्रयत्न करता है, छात्र की इस तरह की क्रियाएं सीखने में सहायक होती हैं।"

("Teaching is an arrangement and manipulation of a situation in which there are gaps and obstructions which an individual will seek to overcome and from which he will learn in the course of doing so."—**John Brubacher**)

2. दार्शनिक कारक (Philosophical Factors)–किसी भी राष्ट्र का जीवन दर्शन उस राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली के स्वरूप का निर्धारण करता है। राष्ट्र के जीवन दर्शन में तत्व-विचार, प्रमाण विचार, मूल्य मीमांसा तथा आचार संहिता आदि उस राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली के सिद्धान्तों, नियमों, शिक्षा के उद्देश्यों,

SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

पाठ्यक्रम के स्वरूप, शिक्षण विधियों तथा तकनीकों, शिक्षक-छात्र सम्बन्ध तथा उनकी भूमिकाओं के स्वरूप को निर्धारित करते हैं। दर्शन जीवन को प्रभावित करता है तथा शिक्षा और जीवन का निकटतम सम्बन्ध होता है। अतः शिक्षा पर भी दर्शन का प्रभाव पड़ना लाजमी हो जाता है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन यूनान को ही ले लीजिए। वहाँ के अनेक दार्शनिकों (सुकरात, प्लेटो व अरस्तू आदि) ने एक विशिष्ट दर्शन को सम्पूर्ण राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था का आधार बनाया तथा राष्ट्र के सम्पूर्ण शासन को दार्शनिक विचारधारा के आधार पर चलाने की मांग की। आधुनिक समय में चीन की शिक्षा प्रणाली का आधार साम्वादी दर्शन होना एक ज्वलन्त उदाहरण है। प्राचीन भारत में वैदिक दर्शन को अपनाया गया। इसी के आधार पर गुरुकुल शिक्षा पद्धति का विकास किया गया। तत्पश्चात बौद्ध दर्शन के आधार पर **विहार** एवं **मठ शिक्षा** पद्धति का विकास किया गया। महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रतिपादित गुरुकुल के प्रधान तत्त्वों को शामिल करते हुए, आधुनिक युग के जीवन के अनुकूल शिक्षा व्यवस्था की स्थापना पर बल दिया गया। वर्तमान में कुछ व्यक्ति महात्मा गाँधी व विनोबा भावे के **सर्वोदय दर्शन** का अनुसरण करने वाली एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा व्यवस्था के विकास हेतु प्रयासरत हैं। इसी तरह अरविन्द घोष तथा अन्य अनेक ऐसे महापुरुषों के दर्शन पर आधारित शिक्षा संस्थाएँ भारतवर्ष में देखने को मिलती हैं। इससे यह बात अनायास स्पष्ट हो जाती है कि शिक्षा के विकास में दार्शनिक घटक की अहम भूमिका है। इसलिए तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन करते समय दार्शनिक घटक पर ध्यान देना भी अति आवश्यक है। वर्तमान भारतीय शिक्षा पद्धति का अगर हम अन्तर्राष्ट्रीय विश्लेषण करके देखें तो भारतीय शिक्षा पद्धति पर पाश्चात्य दर्शन (Western Philosophy) के प्रभाव की अधिकता हमें स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाती है। इसका प्रमुख कारण भारत का लम्बे समय तक ब्रिटेन के अधीन होना है। अतः हमारी शिक्षा पद्धति पर इंग्लैण्ड का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा पारस्परिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अन्य पाश्चात्य देशों के दर्शन का भी भारतीय शिक्षा पद्धति पर प्रभाव पड़ा है। अतः दार्शनिक कारकों का किसी भी देश की शिक्षा पद्धति पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

3. ऐतिहासिक कारक (Historical Factors)–किसी भी राष्ट्र के भूत की जानकारी के बिना उसकी वर्तमान शिक्षा समझना अत्यन्त कठिन है अर्थात् किसी भी राष्ट्र की वर्तमान शिक्षा पद्धति को समझने से पहले उस राष्ट्र के भूत (अतीत) को समझना अति आवश्यक है तथा वर्तमान की जानकारी प्राप्त करने में भूत के इतिहास की अहम भूमिका है। भूत के सामाजिक व राजनैतिक परिवर्तन किसी भी राष्ट्र की शिक्षा पद्धति को प्रभावित करते रहे हैं।

प्रायः संसार के अधिकतर राष्ट्रों में अनेक सामाजिक व राजनैतिक बदलाव आते रहे हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी शिक्षा पद्धतियाँ भी प्रभावित होती रही हैं। अगर हम भारत की शिक्षा पद्धति के ऐतिहासिक पक्ष की चर्चा करें तो हमें ज्ञात होगा कि यहाँ की शिक्षा पद्धतियों को ऐतिहासिक युगों में बांटा गया है। जैसे कि–वैदिक युग में वैदिक शिक्षा, वैदिक काल में बौद्ध शिक्षा, जैन सम्प्रदाय के समय जैन शिक्षा, मुस्लिम शासकों के समय मुस्लिम शिक्षा, औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शिक्षा तथा 1947 के पश्चात् आधुनिक शिक्षा पद्धति का विकास हुआ। सन् 1947 के बाद (स्वातन्त्रोत्तर काल) भारत में तीन **राष्ट्रीय शिक्षा आयोग** सन् 1968, सन् 1979 और सन् 1986 में गठित किये गए। इन आयोगों के गठन का प्रमुख कारण उस समय सत्ता में राजनैतिक दलों का बदलना था। क्योंकि प्रत्येक दल के अपने-अपने लक्ष्य तथा उद्देश्य होते हैं। अपने इन्हीं लक्ष्यों व उद्देश्यों के अनुरूप ये राजनैतिक दल भारतीय शिक्षा पद्धति में भी बदलाव करते रहे और राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप बदलता रहा।

अगर हम विश्व के अन्य देशों की शिक्षा पद्धति के ऐतिहासिक पक्ष पर नजर डाले तो हमें ज्ञात होगा कि **दूसरे विश्व** युद्ध से पहले प्रायः सभी राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के स्वरूप को अपने-अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल विकसित करते रहे। इस समय तक प्रायः सभी राष्ट्रों की शिक्षा पद्धति राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के जो दुष्परिणाम सामने आये, उन दुष्परिणामों से प्रायः सभी राष्ट्र बचना चाहते थे। फलस्वरूप विश्व बन्धुत्व की भावना

से ओत-प्रोत **संयुक्त राष्ट्र संघ** (United Nations Organisation—UNO) व **यूनेस्को** (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation—UNESCO) जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को स्थापित किया गया। इन संगठनों के परिणामस्वरूप विश्व के सभी राष्ट्रों की शिक्षा पद्धतियों में अहम परिवर्तन आया। अब इन राष्ट्रों ने अपनी शिक्षा पद्धतियों में राष्ट्रीयता की भावना की बजाय अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना व विश्व बन्धुत्व की भावना को विकसित किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक व राजनैतिक कारक किसी राष्ट्र विशेष ही नहीं अपितु विश्व के सभी राष्ट्रों की शिक्षा पद्धतियों पर प्रभाव डालते हैं तथा शिक्षा के उद्देश्यों व लक्ष्यों को परिवर्तित करते रहते हैं।

4. भौगोलिक कारक (Geographical Factors)–किसी भी राष्ट्र भौगोलिक परिस्थितियाँ उस राष्ट्र की सभ्यता व संस्कृति के साथ-साथ उस राष्ट्र की शिक्षा पद्धति पर भी गहरा प्रभाव डालती हैं। प्रायः संसार के विभिन्न राष्ट्रों की भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग-अलग होती हैं। वहाँ के रहन-सहन, सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था तथा शिक्षा पद्धति में भी भिन्नता पाई जाती है। ठण्डे राष्ट्र की जलवायु गर्म राष्ट्र की जलवायु से भिन्न होती है। ठण्डी जलवायु वाले राष्ट्रों के व्यक्तियों की कार्यक्षमता अधिक होती है जबकि गर्म राष्ट्र वाले व्यक्तियों की कार्यक्षमता प्रायः कम होती है। अतएव ठण्डे और गर्म राष्ट्रों के रहन-सहन तथा सामाजिक व्यवस्था आदि में काफी भिन्नता होती है। किसी भी राष्ट्र के रहन-सहन व सामाजिक व्यवस्था से उस देश की शिक्षा पद्धति से सदैव प्रभावित होती है, जो राष्ट्र कृषि प्रधान होते हैं उन राष्ट्रों की शिक्षा पद्धति में कृषि की शिक्षा को विशेष महत्त्व दिया जाता है। जो देश उद्योग प्रधान देश हैं अर्थात् जिनकी आय का मुख्य साधन उद्योग हैं। उन देशों की शिक्षा पद्धति में तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त ठण्डे राष्ट्रों में दीर्घकालिक अवकाश (लम्बी छुट्टियाँ) सर्दी के दिनों में तथा गर्म राष्ट्रों में गर्मी के दिनों में होता है। अतः यह स्पष्ट है कि किसी भी राष्ट्र के भौगोलिक कारक उस राष्ट्र की शैक्षिक पद्धति को आवश्यक रूप से प्रभावित करता है।

5. सामाजिक कारक (Social Factors)–किसी भी राष्ट्र की शिक्षा-पद्धतियों पर उस राष्ट्र के सामाजिक कारक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सर्वाधिक प्रभाव डालते हैं, दूसरी ओर शिक्षा भी समाज पर गहरा प्रभाव डालती है। अर्थात् समाज शिक्षा को और शिक्षा समाज को प्रभावित करती है।

अनेक विद्वानों ने भी यही कहा है–**"समाज शिक्षा को जन्म देता है और शिक्षा समाज का निर्माण करती है।"**

("Education is creature and creator of the society.")

शिक्षा हमेशा भविष्य हेतु दी जाती है, शिक्षा का उद्देश्य भावी समाज का निर्माण करना है। इसलिए शिक्षा को भविष्य का विज्ञान (Futurology) भी कहते हैं। शिक्षा को समाजशास्त्री सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन के रूप में स्वीकारते हैं। उनका मानना है कि भूत में सामाजिक परिवर्तनों का प्रमुख कारण युद्ध, महायुद्ध व विश्व युद्ध होते थे लेकिन वर्तमान में सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण शिक्षा है और इसके द्वारा समाज में नव-चेतना का विकास किया जा सकता है। दूसरे **विश्व युद्ध** के बाद का समय इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात् महापुरुषों ने सामाजिक परिवर्तन हेतु युद्ध की प्रवृत्ति को बदलते हुए यूनेस्को (UNESCO) नामक संगठन की स्थापना कर शिक्षा के द्वारा समाज में परिवर्तन लाने का सफल प्रयास किया। शिक्षा के नवीन परिवर्तनों द्वारा समाज में अनेक कठिनाइयाँ भी पैदा हो जाती हैं, जिनका हल शिक्षा के माध्यम से ही किया जाता है।

वर्तमान काल में मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर समाजवाद का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। समाजवाद के तत्त्व **प्लेटो**, **रूसो** आदि अनेक विद्वानों के विचारों में निहित है। प्लेटो ने व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को प्रमुखता दी। इन्होंने सम्पूर्ण सम्पत्ति व नागरिकों पर राज्य के एकाधिकार को स्वीकारा है। प्लूटो के इस सिद्धान्त का यूनान की शिक्षा पर समय के साथ-साथ पर्याप्त प्रभाव पड़ा। ब्रिटेन के **सर टॉमस मोर** पर भी उनके इस सिद्धान्त का गहरा प्रभाव पड़ा तथा अपनी पुस्तक **यूटोपिया** (Utopia) में प्लेटो के विचारों

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

के अनुरूप ही समाजवादी सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला। **रूसो** आदर्श राज्य के नियन्त्रण में सार्वजनिक शिक्षा को आवश्यक मानते हैं। सार्वजनिक शिक्षा के सन्दर्भ में **कदोरसा** का नाम भी उल्लेखनीय है। कदोरसा तथा रूसो के शैक्षिक विचारों को फ्रांस व ब्रिटेन के कई विद्वानों ने समर्थन किया। वर्तमानकालीन समाजवादी विचारधारा का प्रारूप कार्ल मार्क्स (Karl Marks, 1818-83) की रचनाओं पर आधारित है। उनके अनुसार किसी राष्ट्र की व्यवस्था की प्रणाली (सामन्तवाद, पूँजीवाद, समाजवाद आदि) उस राष्ट्र की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया का सृजन करती है। समाजवादी विचारधारा के तहत शिक्षा का कार्य उत्पादन के साधनों को राज्य हित में विकसित करना है। अतः शिक्षा के प्रारूप को समाजवादी घटक गहन रूप से प्रभावित करते हैं। इसलिए तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन के तहत इस घटक पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए।

6. वैज्ञानिक कारक (Scientific Factors)–वर्तमान समय विज्ञान एवं तकनीकी का युग है। निरन्तर विज्ञान एवं तकनीकी का विकास होता जा रहा है। नए-नए वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, इन आविष्कारों के फलस्वरूप प्रायः संसार के सभी राष्ट्रों का आपस में सम्पर्क हो गया है तथा वे परस्पर एक दूसरे से जुड़ गए हैं; जिससे संसार बहुत छोटा प्रतीत होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विज्ञान एवं तकनीकी विकास के राष्ट्रों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में अत्यधिक समीपता ला दी है। विज्ञान एवं तकनीकी ने इस विकास का शिक्षा पद्धति पर भी गहन प्रभाव पड़ा है। वैज्ञानिक आविष्कारों तथा माध्यमों के उपयोग के फलस्वरूप वैकल्पिक शिक्षा पद्धति विकसित हुई है, जिसे दूरस्थ शिक्षा (Distance Education) भी कहा जाता है। दूरस्थ शिक्षा हेतु संसार के राष्ट्रों में मुक्त विश्वविद्यालयों (Open Universities) को स्थापित किया गया। लोकतांत्रिक देशों ने अपने संविधानों के तहत सभी के लिए शिक्षा के समान अवसरों का प्रावधान किया है। इस प्रावधान की पूर्ति मुक्त विश्वविद्यालयों और दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था करने से ही सम्भव हो सकती है। मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा पद्धति औपचारिक शिक्षा पद्धति से कम खर्चीली पद्धति है। मुक्त विश्वविद्यालय व दूरस्थ शिक्षा पद्धति को इंग्लैण्ड और फ्रांस ने सर्वप्रथम अपनाया। उसके बाद दूसरे देशों में इस पद्धति का विकास हुआ। भारतवर्ष में सन् 1985 ई. में इस पद्धति को अपनाते हुए सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्तर पर इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) स्थापित किया गया। यह पद्धति कम खर्चीली तथा अधिक प्रभावशाली है। अतः इसका अनुकरण करते हुए भारत के अन्य राज्यों में भी अनेक विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने लगे। इसके साथ-साथ वैज्ञानिक आविष्कारों के अन्तर्गत मोबाइल, कम्प्यूटर आदि के द्वारा दूसरे देशों के सम्पर्क स्थापित किये जाने लगे हैं। अतः वैज्ञानिक घटकों का भी किसी राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली पर काफी प्रभाव पड़ता है।

7. भाषायी कारक (Linguistic Factors)—प्रत्येक राष्ट्र की शिक्षा-पद्धति में भाषा विशिष्ट स्थान रखती है। क्योंकि भाषा शिक्षा का एक माध्यम व आधारभूत सम्प्रेषण का साधन है इसलिए भाषा के अभाव में शिक्षा-पद्धति का सम्पादन करना असम्भव है। हम जानते हैं कि जिस राष्ट्र की शिक्षा पद्धति का माध्यम मातृभाषा होती है, उस राष्ट्र का राष्ट्रीय चरित्र प्रबल होता है। ठीक इसके विपरीत जिस राष्ट्र की शिक्षा का माध्यम कोई विदेशी भाषा होती है वहाँ का राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में कई अन्य घटक सक्रिय होते हैं। लेकिन इन सब में शिक्षा पद्धति के माध्यम (भाषा) की अहम भूमिका होती है। इस सन्दर्भ में श्रीमती **एनी बेसेन्ट** ने कहा था, **"मातृभाषा द्वारा शिक्षा के अभाव ने भारतवर्ष को निश्चय ही, संसार के सभ्य राष्ट्रों में अत्यन्त अज्ञानी बना दिया है।"** रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी मातृभाषा के माध्यम के प्रश्न पर कहा था, **"जब तक मातृभाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जाएगा, तब तक पाठ्य पुस्तकें कैसे लिखी जाएंगी, नई शब्दावली कैसे बनेगी, भाषा का विकास उसके उपयोग से होता है।"** ब्रेल्स फोर्ड के अनुसार, **"केवल एक ही भाषा के अन्तर्गत हमारे भावों की स्पष्ट व्यंजना हो सकती है, केवल एक ही भाषा के शब्दों के सूक्ष्म संकेतों को हम सहज तथा निश्चित रूप से ग्रहण कर सकते हैं। यह भाषा वह होती है, जिसे हम**

अपनी माता के दूध के साथ सीखते हैं, जिसमें हम अपनी प्रारम्भिक प्रार्थनाओं, हर्ष तथा शोक के उद्गारों को व्यक्त करते हैं। दूसरी किसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना छात्र के श्रम को अनावश्यक रूप से बढ़ाना ही नहीं, वरन् उसके मस्तिष्क की स्वच्छन्द गति को पंगु बनाना है, जिससे विकास में रुकावट उत्पन्न होती है।" अतः भाषा किसी भी राष्ट्र की शिक्षा-पद्धति को प्रभावित करने वाला एक महत्त्वपूर्ण घटक है।

8. पारिस्थितिक कारक (Ecological Factors)–परिस्थिति विज्ञान और कला है, जिसके बहुत से नियम व सिद्धान्त हैं। ये नियम व सिद्धान्त जीवों और उनके वातावरण के सम्बन्ध में पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट करते हुए उसका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी एक जैविक अन्तःप्रक्रिया का ऐसा विज्ञान है जिसके अन्तर्गत व्यक्तियों, समुदायों व जनसंख्या की अन्तःप्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। इसके तहत सभी जैविक, भौतिक घटकों अथवा उनके प्रभावकारी घटकों के सम्बन्धों का अध्ययन किया जाता है। यह एक दार्शनिक विचारधारा भी है, जिसमें सांसारिक-जीवन और प्राकृतिक क्रियाओं के अध्ययन को भी महत्त्व दिया जाता है।

पारिस्थितिकी और शिक्षा में सह-सम्बन्ध–शिक्षा कला और विज्ञान दोनों ही है, जिसका अध्ययन शिक्षण शास्त्र के अन्तर्गत किया जाता है। इसे (शिक्षा को) विकास की एक प्रक्रिया माना जाता है तथा विकास की प्रक्रिया में वातावरण का प्रमुख योगदान होता है। शिक्षा की प्रक्रियाएँ सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करती है, जिसमें विद्यार्थी अनुभव प्राप्त करने के साथ-साथ कुछ कार्य भी करता है, जिसके फलस्वरूप विद्यार्थी कुछ सीखकर अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। शिक्षा में भौतिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक तीनों तरह के वातावरणों की अहम भूमिका होती है। विद्यार्थी इन तीनों वातावरणों के तहत एक साथ अन्तःक्रिया करता है, अध्यापक कक्षा-कक्ष में सामाजिक व भावात्मक वातावरण का निर्माण करता है। अध्यापक छात्रों के व्यवहारों को नियन्त्रित कर उनके आपेक्षिक व्यवहारों को विकसित करता हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र की शिक्षा-पद्धति उस राष्ट्र के पारिस्थितिक घटकों पर निर्भर करती है। प्रायः संसार के सभी राष्ट्रों से भी शिक्षा पद्धति मुख्य तौर से पारिस्थितिक घटकों से प्रभावित होती है।

9. आर्थिक कारक (Economic Factors)–प्रायः प्रत्येक राष्ट्र की शिक्षा-पद्धति का अपनी आर्थिक स्थिति से गहरा सम्बन्ध होता है। राष्ट्र की आर्थिक स्थिति के अनुकूल ही शिक्षा के लक्ष्यों तथा पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाता है। राष्ट्र का आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में जो दृष्टिकोण होता है, प्रायः उसी दृष्टिकोण का विकास उस राष्ट्र के बच्चों में भी किया जाता है। इस सन्दर्भ में चीन का उदाहरण हमारे सामने है। चीन में समाजवादी आर्थिक व्यवस्था के तहत राष्ट्र की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर राज्य का एकाधिकार माना जाता है। फलतः वहाँ बच्चों में प्राथमिक स्तर पर ही यह भावना विकसित की जाती है कि सम्पूर्ण सम्पत्ति पर राज्य का अधिकार है तथा इसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का उत्तरदायित्व है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इंग्लैण्ड जैसे देशों में आर्थिक व्यवस्था के सम्बन्ध में राष्ट्र का दृष्टिकोण चीन से पूर्णतः भिन्न है। इन राष्ट्रों में सम्पत्ति राज्य की अपेक्षा व्यक्ति के अधिकार को प्रमुखता दी गई है। इसलिए यहां व्यक्तिगत सम्पत्ति को पूर्ण रूप से मान्यता प्रदान की गई है। अतः यहाँ की शिक्षा-पद्धति में भी वैयक्तिक अधिकारों पर पूर्ण ध्यान दिया गया है। फलतः इन राष्ट्रों की शिक्षा-पद्धति में पब्लिक स्कूल वास्तव में आम-जनता के लिए न होकर कुछ विशिष्ट लोगों (धनी-वर्ग) के बच्चों हेतु संचालित होते हैं।

शिक्षा को एक उत्तम विनियोग माना जाता है क्योंकि शिक्षा पर व्यय का लाभांश सर्वाधिक होता है। अगर किसी राष्ट्र की साक्षरता दर अधिक होगी, तो उस राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय दर में निरन्तर वृद्धि होती जाती है। अतः किसी भी राष्ट्र की शिक्षा-पद्धति को वहाँ की आर्थिक व्यवस्था तथा आर्थिक व्यवस्था को वहाँ की शिक्षा-पद्धति प्रभावित करती है।

◆◆◆

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

3.3 शिक्षा की अंतर अध्ययन क्षेत्र प्रवृत्ति–अध्ययन क्षेत्रों / विषयों के साथ संबंध
(Interdisciplinary Nature of Education : Relationship with Disciplines / Subjects)

3. अन्तर अध्ययन क्षेत्र उपागम के साथ शिक्षा की सम्बद्धता का वर्णन कीजिए।
(Explain the affiliation of inter disciplinary approach with education.)

अथवा

शिक्षा की अंतर अध्ययन क्षेत्र प्रवृत्ति का वर्णन कीजिए।
(Decribe Interdisciplinary nature of education.)

उत्तर–अन्तर अध्ययन क्षेत्र उपागम के साथ शिक्षा कई रूपों में उपयोगी होती है। शिक्षा की अंतर अध्ययन क्षेत्र प्रवृत्ति–

1. अधिगम में वृद्धि–विद्यार्थी को व्यस्त रखना, उनकी मदद करना, ज्ञान का विकास, अंर्तदृष्टि, समस्या समाधान, आत्मविश्वास, स्वक्षमता तथा अधिगम करने की इच्छा शक्ति को बढ़ाना ही अंतर अध्ययन क्षेत्र उपागम व शैक्षिक प्रशिक्षण का कक्षा-कक्ष में मुख्य उद्देश्य होता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति अंतर अध्ययन क्षेत्र अनुदेशन का विस्तारीकरण करना है। केपको (2009) इस बात पर जोर देते हैं कि अंतर अध्ययन क्षेत्र अनुदेशन विद्यार्थी में उत्तरोत्तर संज्ञानात्मक क्षमता व शैक्षिक अनुसन्धान मे मदद करता है तथा निम्नलिखित क्षमताएँ विकसित करता है–

1. पहचान
2. आलोचनात्मक सोच
3. अस्पष्टता को सहना
4. नैतिक चिंता को सराहना व स्वीकार करना।

(i) अन्तर अध्ययन क्षेत्र विद्यार्थी के पूर्वाग्रह को पहचानने में सहायक होता है। यह विद्यार्थी को अनुदेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करता है। यह वर्तमान में हो रही नवीन घटनाओं व नवीन विज्ञान की उन्नति के द्वारा विद्यार्थी में अधिगम क्षमता को शक्तिशाली बनाने में सहायक होती है। अंतर अनुशासनात्मक उपागम पूर्व में समाहित अधिगम क्षमता को अधिक शक्तिशाली बनाकर अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से बालकों में विचारों को उद्वेलित करता है। यह अध्ययन क्षेत्र अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में दो तरीके अपनाता है–

(a) विद्यार्थी की अर्न्तदृष्टि को पहचान कर समझ को बढ़ाने में अध्ययन क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान होता है।

(b) विद्यार्थी में कई अध्ययन क्षेत्रों को एकत्रित करने की अवधारणा व विचारों को अन्य अध्ययन क्षेत्र के सन्दर्भ में विस्तृत अवधारणात्मक रूप रेखा व विश्लेषण करना।

(ii) अन्तर अनुशासनात्मक शिक्षण उन्नत आलोचनात्मक विचार व संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। अंतर अनुशासनात्मक अनुदेशन विद्यार्थी की संज्ञानात्मक क्षमताओं, मस्तिष्क आधारित कौशल व मानसिक क्रियाओं जो कार्य को पूरा करने में आवश्यक है को विकसित करता है। अंतर अध्ययन क्षेत्र विद्यार्थियों में निम्न योग्यतायें व क्षमताएँ विकसित करने में सहायक है–

(a) विभिन्न परिप्रेक्ष्य में विषय या प्रकरण को भिन्न-भिन्न विचारधाराओं व घटनाओं के आधार पर समझना;

(b) संरचनात्मक ज्ञान विकसित करना–उद्घोषणा ज्ञान व प्रक्रियात्मक ज्ञान।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

(iii) अंतर अध्ययन क्षेत्र विद्यार्थी में सहन शक्ति उत्पन्न करने में सहायक–इसके अन्तर्गत कई मुद्दों से सम्बन्धित नियमों के सन्दर्भ में विचार किया जाता है किन्तु जब अधिगम एक अध्ययन क्षेत्र परिप्रेक्ष्य तक सीमित होता है तो उसमें कमियों और अस्पष्टता होने की अधिक संभावना बढ़ जाती है। अतः वह मुद्दे से सम्बन्धित स्पष्ट पूर्व अनुमान नहीं हो पाते हैं।

(iv) अंतर अध्ययन क्षेत्र शिक्षण नीति सम्बन्धी आयामों की सराहना करने में सहायक–अंतर अध्ययन क्षेत्र इस बात पर जोर देता है कि विद्यार्थी के कुछ मुद्दे नीति आयामों से सम्बन्धित होते हैं। नीति सम्बन्धी आयामों से अर्थ है अच्छे तथा बुरे में अन्तर ढूँढना तथा न्याय करने की क्षमता विकसित करना। बहुत से अध्ययन क्षेत्र इस सैद्धान्तिक घटना को स्पष्ट करते हैं तथा इनका विश्लेषण अधिक वस्तुनिष्ठ कारकों पर आधारित तथा वैज्ञानिक तरीके से होता है।

2. अंतर अध्ययन क्षेत्र शिक्षण-अधिगम को सार्थक व महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास करता है–सार्थक शिक्षण अधिगम उस समय होता है जब कक्षा-कक्ष में अर्थपूर्ण व अनुभव से युक्त अधिगम होता है। फिंक के अनुसार जब शिक्षक, शिक्षार्थी को कई कौशल सिखाता है, शैक्षिक प्रक्रिया के प्रति अंतदृष्टि विकसित करता है जो शिक्षार्थी के लिए अर्थपूर्ण होता है वह धीरे-धीरे अधिगम प्रक्रिया में व्यवस्थित करना सीख लेता है और अंततः सर्वश्रेष्ठ अधिगम होता है। फिंक ने छः मूलभूत तत्व बताये हैं जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सार्थक बनाते हैं तथा अंतर अध्ययन क्षेत्र अनुदेशन के सामान्य गुण हैं–

(i) सूचना ग्रहण करना तथा विचारों को समझने का आधारभूत ज्ञान

(ii) प्रयोगात्मक को विकसित करना कैसे की समझ को विकसित करना तथा कौशल को कब उपयोग में लेना है के ज्ञान विकसित करना।

(iii) समाकलन–विभिन्न विचारों को जानने की क्षमता।

(iv) मानवीय आयाम–सामाजिक व व्यक्तिगत मुद्दों को पहचानना

(v) ध्यान देना–विद्यार्थियों की भावना, रुचि व मूल्यों को पहचानने की क्षमता को विकसित करने में ध्यान देना।

(vi) अधिगम कैसे सीखें–विद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया को कैसे सीखें, इस अर्न्तदृष्टि को विकसित करना। अंतर अध्ययन क्षेत्र अन्तदृष्टि किसी अनुसंधान समस्या विशेष्य पर विशेषज्ञों का दृष्टिकोण या विचार व्यक्त करना होता है। वही अन्तर अध्ययन क्षेत्र अंतदृष्टि तब उत्पन्न होती है जब अंतर अध्ययन क्षेत्र अनुसन्धान प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण व समाकलित समाधान प्राप्त ढूँढने के लिए प्रयोग में लिया जाता है।

◆◆◆

4. शिक्षा तथा दर्शनशास्त्र के साथ संबंध का वर्णन कीजिए।
(Describe the relationship between the education and philosophy.)

उत्तर–**शिक्षा और दर्शन का संबंध (Relationship between Education and Philosophy)**–शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ संबंध है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री **रॉस** ने कहा है कि, "दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो एक ही वस्तु के विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करते हैं और वे एक दूसरे में निहित हैं। दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है और शिक्षा क्रियात्मक पक्ष है।"

Ross : *"Philosophy and education are like the two sides of a coin present different views of the same thing and that the one is implied by the other the former is the contemplative side of life while the latter is the active side."*

शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा के उद्देश्य, व्यवस्था तथा संगठन और शिक्षण विधियों का विकास समझने के लिए दार्शनिक विचारधाराओं का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है।

फिशे–"शिक्षा-दर्शन की सहायता के बिना पूर्णता तथा स्पष्टता प्राप्त नहीं कर सकती।"

Fichte : *"The art of education can never attain complete clearness in itself without philosophy."*

पेट्रिज–"गहन अर्थ में यह कहना सर्वथा उचित होगा कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है, उसी प्रकार दर्शन शिक्षा पर आधारित है।"

G.E. Patridge : *"In a very deep sense it is quite as reasonable to say that philosophy is based on education as education is based on philosophy.."*

दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव या शिक्षा का दार्शनिक आधार
(Impact of Philosophy on Education or Philosophical Foundation of Education)

(1) दर्शन का शिक्षा के विभिन्न अंगों से संबंध (Relationship of Philosophy with Different Parts of Education)–शिक्षा और दर्शन के आपसी संबंधों से परिचित होने के पश्चात् अब हम दर्शन का शिक्षा पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे।

(क) दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य (Philosophy and Aims of Education)
(ख) दर्शन तथा पाठ्यक्रम (Philosophy and Curriculum)
(ग) दर्शन तथा शिक्षण विधियाँ (Philosophy and Methods of Teaching)
(घ) दर्शन तथा अनुशासन (Philosophy and Discipline)
(ङ) दर्शन तथा पाठ्यपुस्तकें (Philosophy and Textbooks)
(च) दर्शन तथा अध्यापक (Philosophy and Teacher)
(छ) दर्शन तथा शैक्षिक प्रशासन (Philosophy and Educational Administration)
(ज) दर्शन तथा मूल्यांकन (Philosophy and Evaluation)

(क) दर्शन तथा शिक्षा के उद्देश्य (Philosophy and Aims of Education)–प्रत्येक कार्य की तरह शिक्षा का भी निश्चित उद्देश्य होता है, क्योंकि निरुद्देश्य शिक्षा अंधकार में छलांग मारने के समान है। वस्तुतः शिक्षा एक सोद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षा एक सुनियोजित एवं उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। इसलिए शिक्षा के कई उद्देश्य होते हैं। ये उद्देश्य जीवनदर्शन द्वारा निर्धारित होते हैं। दर्शन गम्भीर, अन्तर्दृष्टि तथा मौलिक चिन्तन के आधार पर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करता है।

रस्क (Rusk) के शब्दों में "दर्शन जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करता है और शिक्षा उन्हें प्राप्त करने का सुझाव देती है।" *("Philosophy formulates what it conceives to be the end of life, education offers suggestions how this end is to be achieved."* **—Rusk**) दर्शन ही इस बात का निश्चय करता है कि शिक्षा का उद्देश्य नैतिक या बौद्धिक विकास होना चाहिए या शिक्षा व्यावसायिक हो या उदार। शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में इस प्रकार के विरोधी विचारों का समाधान दर्शन के प्रकाश में ही हो सकता है।

जीवन दर्शन के परिवर्तन के साथ-साथ शिक्षा के उद्देश्यों में भी परिवर्तन होता रहता है। ये उद्देश्य विभिन्न देशों में अपने-अपने दर्शन के अनुसार बदलते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर **स्पार्टा** (Sparta) में यह लक्ष्य रहा है कि जीवन जीने योग्य बनाना होगा तथा देश के सम्मान की रक्षा की जाए। इसका कारण यह था कि स्पार्टा एक छोटी सी यूनानी **सिटी स्टेट** (city state) थी जिसको चारों ओर से शत्रुओं ने घेरा हुआ था। कभी कोई शत्रु इस राज्य पर आक्रमण कर देता तो कभी दूसरा। स्पार्टा के लोगों के सामने दो ही विकल्प थे कि या तो वे किसी दूसरे शक्तिशाली देश का प्रभुत्व स्वीकार कर लें या अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाएँ कि सब देशों से टक्कर लेने के समर्थ हो सकें। उन्होंने दूसरा मार्ग अपनाया। स्पार्टा के लोगों का जीवन दर्शन ही यही बन गया कि जीवन एक संघर्ष है। शिक्षा का मुख्य कार्य व्यक्ति को प्राकृतिक प्रकोपों से बचाने की क्षमता प्रदान करना है। परिणामस्वरूप शिक्षा के उद्देश्य अग्रलिखित बन गए–

(i) शारीरिक शक्ति को उत्पन्न करना
(ii) बलवान योद्धाओं का निर्माण करना
(iii) नागरिकों में देश-प्रेम की भावना भरना
(iv) उन्हें उत्साही, साहसी तथा राज्य के प्रति आज्ञाकारी बनाना।

प्राचीन भारत का ही उदाहरण लीजिए। यहाँ चारों ओर धर्म का बोलबाला था। इसलिये जीवन का लक्ष्य ईश्वर को पाना (To realise Him) तथा आवागमन के चक्कर से बचकर मोक्ष प्राप्त करना था। इसके लिए आत्म-शक्ति तथा आध्यात्मिक विकास की आवश्यकता थी। इसलिये शिक्षा का उद्देश्य आत्म-शक्ति का विकास करना था।

आधुनिक युग तथा प्रचलित जीवन दर्शन का ही उदाहरण लीजिए। आधुनिक युग में दो घटनाएँ हुई हैं–(1) औद्योगिक क्रान्ति (Industrial Revolution) (2) जनतन्त्र का प्रसार (Spread of Democracy)। इन दो घटनाओं से लोगों का जीवन दर्शन ही बदल गया। इसका एक परिणाम तो यह हुआ कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को किसी व्यवसाय के लिए तैयार करना हो गया। दूसरे शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति (बालक) के व्यक्तित्व का विकास करना है। जिन देशों में जनतन्त्र के स्थान पर साम्यवाद (Communism) है जैसे चीन, वहाँ शिक्षा का उद्देश्य बालक को राज्य के लिए तैयार करना है।

इसी प्रकार भिन्न-भिन्न दर्शन जैसे प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद तथा यथार्थवाद में शिक्षा के उद्देश्य भिन्न-भिन्न हैं। प्रकृतिवाद आत्म-अभिव्यक्ति (self expression) को शिक्षा का उद्देश्य मानता है तो आदर्शवाद आत्म-अनुभूति (self realization) को अधिक महत्त्व देता है। प्रयोजनवाद सामाजिक कुशलता (Social efficiency) को शिक्षा का उद्देश्य मानता है। यथार्थवाद बालक की क्रियाओं के स्वतन्त्र रूप से विकसित करने पर बल देता है जिससे वह अपने जीवन को सुखी बना सके।

(ख) दर्शन तथा पाठ्यक्रम (Philosophy and Curriculum)–दर्शन के दो पक्ष होते हैं–एक सैद्धान्तिक तथा दूसरा क्रियात्मक। पाठ्यक्रम शिक्षा की विषय-वस्तु है। इसलिए इसे शिक्षा का क्रियात्मक पक्ष कहा जाता है। शिक्षा-दर्शन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करता है। **रस्क** (Rusk) के अनुसार, "दर्शन पर शिक्षा की निर्भरता है तथा कहीं और इतनी अधिक दिखाई नहीं देती जितनी कि पाठ्यक्रम निर्धारण में" *("Nowhere is the dependence of education on philosophy is more marked than in the question of curriculum.")*

पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों के अनुसार बनाया जाता है। शिक्षा के उद्देश्य जीवन के उद्देश्यों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं तथा जीवन के उद्देश्यों पर दर्शन का बहुत प्रभाव होता है। विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्तों के आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं। प्रकृतिवाद उन विषयों तथा अनुभवों को निर्धारित करते हैं जो बच्चे की वर्तमान रुचियों, अनुभवों तथा क्रियाओं के अनुकूल हों। यह मुख्यतः भौतिक विज्ञानों (Physical Sciences)तथा प्रत्यक्ष अनुभव (Direct experience) के साथ हैं। आदर्शवादी जीवन के आदर्शों पर बल देते हैं तथा नीति शास्त्र (Ethics) तथा तर्कशास्त्र (Logic), साहित्य तथा मानवीय शास्त्र (Humanities) के अध्ययन को प्रधानता देते हैं। प्रयोजनवादी लाभप्रद, लचीला और सुसम्बद्ध पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहते हैं। यथार्थवाद वैज्ञानिक विषयों को प्रमुखता प्रदान करता है। पाठ्यक्रम में प्राकृतिक घटनाओं को प्रधानता देता है, मातृ-भाषाओं को भी विशेष स्थान प्रदान करता है। व्यावहारिकता पर बल दिया जाता है।

(ग) दर्शन तथा शिक्षण विधियाँ (Philosophy and Methods of Teaching)–दर्शन का शिक्षण विधियों से घनिष्ठ संबंध है। जीवन के आदर्श की प्राप्ति के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए, यह दर्शन का विषय है। दर्शन शिक्षण का लक्ष्य बतलाता है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री **रॉस (Ross)** ने कहा है, "शैक्षिक उद्देश्य तथा विधियाँ दार्शनिक सिद्धांतों की संबंधिनी है।" दर्शन प्राचीन तथा प्रचलित शिक्षण विधियों के गुण दोषों की खोज करता है और इन दोषों से बचने के लिए निर्देश देता है, जिससे इसका अधिक से अधिक सदुपयोग किया जा सके। साथ ही दर्शन केवल प्राचीन तथा प्रचलित शिक्षण विधियों के गुण-दोषों का स्पष्टीकरण ही नहीं करता अपितु इनका निर्माण भी करता है।

CIMETRIX SKILLED INDIANS · SKILLED INDIA

प्रकृतिवाद दर्शन के अनुसार बालक ही शिक्षा का केंद्र बिंदु है। इसलिए समस्त शिक्षा कार्य उसकी मूल प्रवृत्तियों, इच्छाओं, रुचियों और आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। इस दार्शनिक विचारधारा के अनुसार प्रकृतिवाद ने एक नयी शिक्षा विधि का प्रणयन किया जिसमें स्वानुभव द्वारा सीखने (Learning by Experience) और करके सीखने (Learning by doing) पर बल दिया गया। इनके द्वारा प्रतिपादित विधियों में हरिस्टिक पद्धति, प्रोजेक्ट प्रणाली, डाल्टन प्रणाली तथा मोन्टेसरी पद्धति प्रमुख है। प्रयोजनवादी दार्शनिकों के अनुसार जीवन की वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा के सिद्धांतों तथा शिक्षण की विधियों का निर्माण होना चाहिए। शिक्षण विधि प्रायोगिक, उपयोगी और क्रियाशील होनी चाहिए। इस विचारधारा के आधार पर किलपैट्रिक ने योजना पद्धति का आविष्कार किया। हमारी 'बेसिक शिक्षा पद्धति' पर भी विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षा विधियों का आधार दार्शनिक होता है।

(घ) दर्शन तथा अनुशासन (Philosophy and Discipline)–किसी भी देश या समाज के जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्त्व है। अनुशासन की भावना पैदा करने में विद्यालय या स्कूल प्रमुख हैं। परंतु विद्यालय का अनुशासन देश और काल की दार्शनिक विचारधाराओं पर अवलम्बित होता है। दार्शनिक विचारधाराओं से परे अनुशासन चलता है जो तत्कालीन राजनैतिक, धार्मिक और धार्मिक विचारधारा के अनुकूल अपेक्षित होता है। उदाहरण के लिए, स्पार्टा में जहाँ राष्ट्र की सुरक्षा को जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य माना जाता था, कठोर सैनिक अनुशासन प्रचलित था। प्राचीन भारत में जीवन का अंतिम उद्देश्य धर्म पर आश्रित था, इसलिए गुरु को महान स्थान प्राप्त था और उसकी आज्ञाओं का पालन करना प्रत्येक विद्यार्थी का परम कर्तव्य था, उसकी अवज्ञा करने की बात कोई सोच भी नहीं सकता था। इससे स्पष्ट है कि अनुशासन व्यवस्था दर्शन से पूर्ण प्रभावित होती है।

प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एडम्स **(Adams)** ने अनुशासन के निम्नलिखित तीन रूप बताए है जो इस प्रकार है–

दमनात्मक अनुशासन
(Repressionistic Discipline)

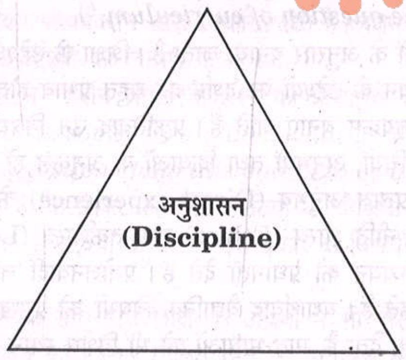

प्रभावात्मक अनुशासन
(Impressionistic Discipline)

मुक्तयात्मक अनुशासन
(Emancipationistic Discipline)

(1) दमनात्मक अनुशासन (Represssionistic Discipline)–दमनात्मक अनुशासन के अंतर्गत दंड के भय से बालकों में अनुशासन पैदा किया जाता है। इस विचारधारा के अनुसार बालक को दबाकर बलपूर्वक नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। उसे किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। इस विचारधारा का मूल सिद्धांत है–डंडे से छुटकारा मिला और बालक बिगड़ा (Spare the rod and spoil the child)।

(2) प्रभावात्मक अनुशासन (Impresssionistic Discipline)–इसके अंतर्गत शिक्षा द्वारा अपने व्यक्तित्व के चारित्रिक शिक्षाओं तथा आदर्शों के प्रभाव से बालकों में अनुशासन किया जाता है। इस विचारधारा के अनुसार बालकों में श्रद्धा और विनय की भावना पैदा करके अनुशासन स्थापित किया जाता है।

(3) मुक्तयात्मक अनुशासन (Emancipationistic Discipline)–इसके अंतर्गत बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। इस विचारधारा के अनुसार यह स्वीकार किया जाता है कि यदि बालक के ऊपर नियंत्रण न हो और उनको उनके स्वाभाविक विकास के अवसर दिये जाएँ तो स्वयं अपने अंदर आत्मानुशासन की भावना पैदा कर लेंगे। आजकल इसी विचारधारा को मान्यता प्राप्त है।

तानाशाही तथा साम्यवादी देशों में दमनात्मक अनुशासन (Represssionistic Discipline) लागू किया जाता है जबकि जनतंत्र में प्रभावात्मक (Impressionistic) तथा मुक्तात्मक अनुशासन (Emancipationistic) लागू किया जाता है। हिटलर के समय जर्मनी में दमनात्मक अनुशासन था। ऐसे देश में प्रत्येक नागरिक से यह आशा की जाती है कि वह राज्य के आदेशों का पूरी तरह से पालन करे। यह बालकों को सुधारने हेतु दंड भय विधान पर विश्वास करता है।

मुक्तात्मक अनुशासन प्रकृतिवाद पर आधारित है। प्रकृतिवाद बालक को स्वाभाविक तौर पर अच्छा लगता है। उसे बिगाड़ने वाला समाज है। इसलिए बच्चे को समाज से दूर प्रकृति की गोद में शिक्षा मिलनी चाहिए। अतः मुक्तिवादी बालक को अनियंत्रित स्वतंत्रतापूर्ण आत्माभिव्यक्ति का समर्थन करते हुए स्वाभाविक परिणामों के अनुशासन (Discipline by Natural Consequences) का समर्थन करते हैं।

(ङ) दर्शन तथा पाठ्य-पुस्तकें (Philosophy and Text-books)–दार्शनिक विचारधाराओं का प्रभाव पाठ्यपुस्तकों पर भी पड़ता है। देश और समाज की दार्शनिक विचारधाराओं के अनुरूप ही पाठ्य-पुस्तकों का निर्माण किया जाता है। साम्यवादी देशों में ऐसी पाठ्य-पुस्तकों का निर्माण किया जाता है जो साम्यवादी विचारधाराओं का प्रसार, प्रचार करने में सहायक हो सके, जिनके माध्यम से पाठकों में साम्यवाद के प्रति आस्था और श्रद्धा पैदा हो सके। प्रचलित विचारधाराओं के विपरीत समाज में जो पुस्तकें होती है उनका बहिष्कार होता है। आज हमारे देश के आदर्श है–जनतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। अतः हमारे देश में ऐसी ही पुस्तकें निर्मित की जा रही है जिनमें हमारे देश और समाज के ये आदर्श प्रतिबिंबत होते हैं। यदि देश के किसी भाग में कोई ऐसी पुस्तक दिखाई देती है जिसमें हमारे उन आदर्शों और विचारधाराओं के विपरीत कोई बात होती है तो उसकी निंदा की जाती है और भारतीय समाज द्वारा उसका बहिष्कार होता है। चूंकि पुस्तकों के माध्यम से बालकों में वांछित आदर्शों के प्रति श्रद्धा की भावना उत्पन्न की जा सकती है, इसलिए पुस्तकों का चयन करते समय यह देखना आवश्यक है कि वह समकालीन विचारों और आदर्शों के अनुकूल है अथवा नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाठ्य पुस्तकों का निर्माण दार्शनिक सिद्धांतों ओर आदर्शों पर आधारित हो।

(च) दर्शन तथा अध्यापक (Philosophy and Teacher)–प्रत्येक अध्यापक एक प्रकार से दार्शनिक है। शिक्षा राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है और शिक्षक शिक्षा प्रणाली का प्रमुख अंग है। शिक्षण की सफलता शिक्षक की योग्यता पर निर्भर करती है। बालक के ऊपर शिक्षक का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक शिक्षक के अपने निश्चित विचार, सिद्धांत, मान्यताएँ और आदर्श होते हैं। चाहे वह आदर्शवादी हो या निराशावादी, सकारात्मक हो या नाकारात्मक और भौतिकवादी हो या आशावादी। शिक्षक के इन आदर्शों को शिक्षण की विविध समस्याओं, शिक्षार्थी, शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण, अनुशासन, शिक्षा प्रणाली, विद्यालय की सामाजिक व्यवस्था आदि पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शिक्षक की विचारधारा और आदर्श दर्शन से ही निकलते हैं। इसलिए दर्शन की सहायता के अभाव में शिक्षक का कार्य नहीं चल सकता।

दर्शन के अध्ययन से जहाँ एक ओर शिक्षक का ज्ञान बढ़ता है वहीं दूसरी ओर उसमें नैतिकता, व्यवहार, कुशलता, कर्तव्य परायणता, आत्मविश्वास और चारित्रिक दृढ़ता आदि गुणों का विकास होता है।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

दर्शन के अध्ययन से शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया को संचालित करने में बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि इसके द्वारा उसे शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षण-विधियों, अनुशासन आदि का ज्ञान भली प्रकार से हो जाता है। इसके अतिरिक्त दर्शन के माध्यम से शिक्षक अपनी तार्किक ओर आलोचनात्मक शक्ति के द्वारा नवीन आदर्शों तथा विचारधाराओं का निर्माण करने में सक्षम हो जाता है।

(छ) दर्शन तथा शैक्षिक प्रशासन (Philosophy and Educational Administration)–विद्यालय प्रशासन से संबंधित प्रश्नों पर भी दर्शन विचार करता है और उनका हल खोजने का प्रयत्न करता है। विद्यालय का प्रशासन किस प्रकार का हो? शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण किस प्रकार का हो? आदि प्रश्नों पर विभिन्न दार्शनिक, विचारधाराओं ने अपने-अपने दृष्टिकोण से विचार किया है। समाजवादी विचारधारा शिक्षा पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण पर बल देती है। जबकि व्यक्तिवादी विचारधारा शिक्षा पर राज्य का कम से कम नियंत्रण स्वीकार करती है। प्रजातान्त्रिक विचारधारा विद्यालय के प्रशासन की व्यवस्था प्रजातान्त्रिक आधारों पर स्थापित करने पर बल देती है जबकि अधिनायकवादी विचारधारा शिक्षा की व्यवस्था अधिनायकवादी दृष्टिकोण से करना चाहती है।

(ज) दर्शन तथा मूल्यांकन (Philosophy and Evaluation)–जिस प्रकार दर्शन ने शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, अनुशासन आदि को प्रभावित किया है उसी प्रकार शिक्षा के अन्य महत्त्वपूर्ण अंग मापन को भी प्रभावित किया है। **लिंक्विस्ट (Linquist)** ने मापन पर दर्शन के गहन प्रभाव को इन शब्दों में व्यक्त किया है–"यदि शैक्षिक मापन को अधिक प्रभावशाली कार्य करना है तो मापकों को केवल तकनीकी नहीं होना चाहिए। जब तक मापन के प्रयत्न के पीछे दर्शन नहीं होता तब तक उनका कार्य प्रभावपूर्ण और मूल्यवान नहीं होगा।"

(1) दर्शन जीवन के वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है (Philosophy determines the real goal of life)–दर्शनशास्त्र शिक्षा का मार्गदर्शन करता है। दर्शनशास्त्र के प्रकाश में शिक्षा अपने पथ पर अग्रसर होती है।

(2) दर्शन शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को निर्धारित करता है ("Philosophy determines the various aspects of education)–दर्शन शिक्षा के विभिन्न पहलुओं को निर्धारित करता है, जैसे शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण-विधियों, अनुशासन, शिक्षक, शैक्षिक प्रशासन, मूल्यांकन आदि पर दर्शन का प्रभाव होता है जो हम उपर्युक्त में विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं। जे.एस. रास. के अनुसार, "दर्शन तथा शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो एक ही वस्तु के विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करते हैं और वे एक-दूसरे पर अन्तर्निहित हैं। *("Philosophy and education are like the sides of a coin present different views of the same thing and that one is implied by the other."* **—J.S. Ross***)*

(3) शिक्षा-दर्शन का गत्यात्मक रूप है (Education is the dynamic side of philosophy)–मानव जीवन के दो पहलू हैं (1) सिद्धान्त स्थापित करना (2) उन सिद्धान्तों को व्यवहार में लाना। दर्शन जीवन के लक्ष्य निर्धारित करता है, सिद्धान्तों का निर्माण करता है। शिक्षा इन सिद्धान्तों को व्यवहार में लाती है।

एडम्स (Adams) के अनुसार, "शिक्षा-दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। यह दार्शनिक विश्वासों का सक्रिय रूप है तथा जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए प्रयोगात्मक साधन है।" *("Education is the dynamic side of philosophy. It is the active aspect of philosophical belief, the practical means of realising the ideals of life."***—Adams***)*

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा लक्ष्य प्राप्त करने का एक साधन है। शिक्षा का समस्त ताना-बाना (Paraphernalia) दर्शन पर निर्भर है।

(4) महान दार्शनिक महान शिक्षा-शास्त्री हुए हैं (Great Philosophers have been great educationists)–इतिहास बताता है कि सुकरात, गांधी तथा टैगोर आदि जैसे महान् दार्शनिक महान् शिक्षा-शास्त्री भी हुए हैं। इन सभी दार्शनिकों ने अपने-अपने दर्शन को व्यावहारिक रूप देने के लिए शिक्षा का सहारा लिया।

(5) दर्शन का ज्ञान शिक्षा द्वारा (Knowledge of Philosophy through education) –शिक्षा के द्वारा ही दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। दार्शनिकों के विचारों को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए शिक्षा ही एकमात्र अस्त्र है।

शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव *(Impact of Education on Philosophy)*

शिक्षा एवं दर्शन के परस्पर संबंध का दूसरा पहलू है–शिक्षा पर दर्शन का प्रभाव। इस प्रभाव को निम्न रूपों में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है–

(1) शिक्षा-दर्शन को जिन्दा रखती है। (Education Keeps Philosophy Alive)—प्रत्येक समाज में उसका अपना दर्शन होता है जो उसकी संस्कृति से उद्धृत होता है। सामाजिक दर्शन की जानकारी शिक्षा से ही प्राप्त होती है। इसलिए भविष्य में आगामी पीढ़ी के दर्शन को जीवित रखने के लिए शिक्षा उसे मदद करती है।

(2) शिक्षा-दर्शन को गतिशील बनाती है। (Education Keeps Philosophy Dynamic)—शिक्षा व्यक्ति की मानसिक शक्तियों का विकास करने में सदैव मदद करती है जिससे समाज में नये-नये सिद्धांत व विचारधाराओं की खोज होती रहती है जिससे हम कह सकते हैं कि दर्शन में गतिशीलता बनी रहती है।

(3) शिक्षा-दर्शन के विकास में मदद करती है। (Education Helps in the Development of Philosophy)—शिक्षा-दर्शन को पैदा ही नहीं बल्कि उसके विकास में मदद करती है। शिक्षा के द्वारा नये-नये ज्ञान का विकास होता है जिससे समाज में नयी-नयी खोजों व मान्यताओं का खंडन करके व उसमें सुधार करके नई-नई खोजें प्रस्तुत की जाती हैं। शिक्षक भी दर्शन के विकास में मदद करते हैं। इसलिए शिक्षक को दार्शनिक भी कहा जाता है। कक्षा शिक्षण के समय भी नई-नई समस्याओं का हल निकाला जाता है और नवीन मूल्यों व सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है जिससे दर्शन विकसित होता जाता है।

(4) शिक्षा-दर्शन को जन्म देती है। (Education Originates Philosophy)—दर्शन की उत्पत्ति, चिंतन, मनन जिज्ञासा, तर्क, विचार आदि से होती है। जब व्यक्ति नई-नई विचारधाराओं को प्रतिपादित करता है तो उसमें उन विषयों की गहराई जानने की इच्छा जागृत होती है तथा तर्क वितर्क के आधार पर परिणामों तक पहुँचता है और जीवन के विषय में नये-नये सिद्धांतों का जन्म देता है। दूसरे शब्दों में, दर्शन की उत्पत्ति हेतु चिंतन, मनन, तर्क शक्तियों का विकास व्यक्ति में होना अति आवश्यक है जो व्यक्ति में इन शक्तियों का विकास करके दर्शन की उत्पत्ति में उसकी मदद करता है।

निष्कर्ष (Conclusion)—उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि दर्शन और शिक्षा एक दूसरे पर आश्रित हैं। दोनों में घनिष्ठ संबंध है। **रॉस (Ross)** का यह कथन पूर्णतया सत्य है कि शिक्षा एवं दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक दूसरे से पृथक् नहीं, अपितु एक से दूसरा निहित है। *(Philosophy and Education are the two sides of the same coin, the one is implied by the other, the former is the contemplative side of life and while the latter is the active side.)*

दर्शन ओर शिक्षा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। एक के अभाव में दूसरे के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती।

◆◆◆

5. शिक्षा तथा मनोविज्ञान का क्या संबंध है?
(What is relationship between education and psychology.)

उत्तर–शिक्षा का अर्थ (Meaning of Education)–शिक्षा अंग्रेजी शब्द 'एजुकेशन' (Education) का हिन्दी रूपान्तर है जिसकी उत्पत्ति लेटिन शब्द 'एजुकेटम' (Educatum) से हुई है जिसका अर्थ है 'शिक्षण की कला। इसी के समानान्तर एक और शब्द है 'एडूकेयर' (Educare) जिसका

CIMETRIX SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

अर्थ है– शिक्षित करना, पालन पोषण करना (To bring up), सामने लाना (To bring forth), नेतृत्व प्रदान करना (To lead out)। ये सभी अर्थ शिक्षा की क्रिया एवं प्रक्रिया की ओर संकेत करते हैं।

जान डीवी **(John Dewey)** के अनुसार, **"शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा वह अपने वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है तथा अपनी सम्भावनाओं को पूर्ण करता है।"**

प्रसिद्ध दार्शनिक **पेस्टालोजी (Pestalozzi)** के अनुसार, **"शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सतुंलित व प्रगतिशील विकास है।"**

महात्मा गांधी ने शिक्षा को उन सर्वश्रेष्ठ गुणों को विकसित करना माना है जो बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में विद्यमान होते हैं।

फ्रोबल (Froebel) के अनुसार, **"शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से बालक अपने आन्तरिक गुणों की अभिव्यक्ति करता है।"**

शिक्षा व्यवहार में संशोधन करती है। यह बालक के व्यवहार में वे परिवर्तन लाती है जो उसके लिये उचित होते हैं। भूतकाल में बालक के मन में ज्ञान की सामग्री को मात्र ठूँस देना ही शिक्षा कहलाती थी। बालक को इसे याद करने के लिये कह दिया जाता था। वह कुछ सिद्धान्तों एवं नियमों को स्मरण कर लेता था। शिक्षा वर्तमान से सम्बन्धित न होकर भविष्य पर केन्द्रित थी। शिक्षण के दौरान बालक की रुचियों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में शिक्षा की इस पुरानी एवं संकीर्ण धारणा को स्वीकार नहीं किया जाता।

आधुनिक धारणा (Modern Concept) के रूप में शिक्षा का अर्थ मात्र सूचनाएँ प्रदान करना नहीं है। आज शिक्षा को वर्तमान पर केन्द्रित किया जाता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीवन की प्रत्येक अवस्था में बालक का विकास एवं वृद्धि करना माना गया है। वर्तमान काल में बच्चे को शिक्षा-प्रक्रिया का सक्रिय प्रतिभागी माना गया है। पारम्परिक शिक्षा प्रणाली में बालक एक निष्क्रिय सदस्य होता था। बालक ने बहुत सी चीजें स्वयं सीखनी पड़ती थी।

आधुनिक शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। इसके लिये अध्यापक स्कूलों में उचित वातावरण तैयार करता है। शिक्षा की यह नवीनतम धारणा है लेकिन शिक्षा की इस धारणा की व्याख्या मनोविज्ञान के ज्ञान पर निर्भर करती है।

यूनिवर्सल डिक्शनरी ऑफ इंगलिश लैंगवेज (Unisversal Dictionary of English Language) के अनुसार, **"शिक्षा का अर्थ है पालन पोषण करना, प्रशिक्षण देना, शिक्षा देना तथा विषय, विकास, मस्तिष्क प्रशिक्षण, चरित्र तथा शक्तियाँ ही शिक्षा है।"**

इसी प्रकार जी. डब्ल्यू ट्रो (G.W. Trow) ने **"शिक्षा को नियंत्रित वातावरण में मानव विकास की क्रिया कहा है।"**

कालसनिक (W.B. Kolesnik) के अनुसार **"शिक्षा मानव व्यवहार की शक्तियों तथा निहित योग्यताओं का विकास है।"**

उपरोक्त विभिन्न परिभाषाओं के अध्ययन एवं विश्लेषण के पश्चात् शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं–

1. मनुष्य में अनेक मूल प्रवृत्तियाँ (Basic instincts) होती हैं।
2. शिक्षा इन मूल प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में संशोधन करती है जिससे व्यक्ति समाज का उपयोगी अंग बन जाता है तथा वह समाज का कल्याण करने के योग्य हो जाता है।
3. शिक्षा के द्वारा मनुष्य अपने वातावरण में समायोजन करने का प्रयास करता है।
4. शिक्षा नियंत्रित वातावरण में मानव विकास की क्रिया है।
5. शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास है।
6. शिक्षा की उत्पत्ति 'शिक्ष्' धातु से हुई है जिसका अर्थ है 'ज्ञान' अर्जित करना।
7. शिक्षा का अर्थ ज्ञानार्जन द्वारा संस्कारों तथा व्यवहारों का निर्माण करना है।

शिक्षा और मनोविज्ञान का सम्बन्ध
(Relation between Education and Psychology)

शिक्षा के अर्थ के अन्तर्गत यह स्पष्ट किया जा चुका है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की योग्यताओं का विकास करना है। मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव के व्यवहारों का अध्ययन करना है। यह सत्य एवं सर्वमान्य है कि व्यक्ति की योग्यताओं का विकास तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उसके व्यवहारों का पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता। शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों ही व्यक्ति को 'मनुष्य' बनाना चाहते हैं क्योंकि शिक्षा का अर्थ है– मनुष्य के व्यवहारों में संशोधन करना तथा मनोविज्ञान का कार्य है मानव-व्यवहार का अध्ययन करना। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अध्ययन के अभाव में संशोधन नहीं किया जा सकता, इसलिये शिक्षा तथा मनोविज्ञान दोनों को ही एक-दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। **डेविस (Davis)** ने ठीक ही कहा है– **"मनोविज्ञान ने छात्रों की क्षमताओं और भिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षा के विकास में योगदान दिया है।"**

प्राचीन काल में शिक्षा का केन्द्र अध्यापक हुआ करता था। अध्यापक अपनी इच्छानुसार जो चाहता, वही पढ़ाता। बालक की इच्छा तथा योग्यता का उसमें कोई स्थान न था। तब डंडे के बल पर विद्यार्थियों को रटाया जाता था। विद्यार्थी भी यही उचित मानते थे कि जो अध्यापक कहता है, वही किया जाना चाहिए।

लेकिन आज, वर्तमान में शिक्षा की मान्यताएँ बदल चुकी हैं। शिक्षा का केन्द्र बिन्दु अध्यापक नहीं, बल्कि 'बालक' हो गया है। इस बदले हुए दृष्टिकोण के अन्तर्गत शिक्षा में बालक की रुचियों (Interest), अभिरुचियों (Aptitude), अभिवृत्ति (Attitude) आदि पर अधिक बल दिया जाने लगा। इन्हीं के अनुसार शिक्षा प्रदान करने पर सहमति होने लगी है। अध्यापक के लिये मनोविज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना व्यावसायिक कुशलता की वृद्धि के लिये आवश्यक हो गया है। जिस प्रकार कुशल डॉक्टर बनने के लिये औषधि, यन्त्र आदि के साथ-साथ रोगी के स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक है, उसी प्रकार कुशल अध्यापक बनने के लिए विशेष ज्ञान देने के साथ-साथ बालकों के स्वभाव तथा उसके मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। अध्यापक इसी प्रकार बालकों के विकास में तभी योगदान कर सकता है, जब वह मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर बालकों के सीखने की क्रियाओं का संचालन करने में सक्षम हो तथा उन्हें नियंत्रित कर सके।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मानव-व्यवहार का इसके सभी रूपों में अध्ययन करता है। यह मानव-व्यवहार के कारणों का अध्ययन करके उन सिद्धान्तों का निर्माण करने का प्रयास करता है जिनके द्वारा मानव व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी (Prediction) की जा सके, मानव-व्यवहार को स्थायी (Sustain) किया जा सके तथा मानव-व्यवहार में संशोधन (Modification) लाया जा सके।

शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसका मुख्य सम्बन्ध व्यवहार में संशोधन लाने के साथ है। इस प्रकार शिक्षा हमें इस बात की ओर संकेत करती है कि 'मानव व्यवहार' कैसा हो? जबकि मनोविज्ञान हमें इस बात में सहायता करता है कि शिक्षा द्वारा बताएँ मानव-व्यवहार को 'कैसे' अर्जित किया जाये अर्थात् शिक्षा मानव-व्यवहार के 'उद्देश्यों' की ओर संकेत करती है जबकि मनोविज्ञान इन 'उद्देश्यों' को अर्जित करने की विधियों के बारे में सूचित करता है।

अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आज के वर्तमान संदर्भ में शिक्षा के बिना मनोविज्ञान तथा मनोविज्ञान के बिना शिक्षा अधूरी है। इस स्थिति में शिक्षा तथा मनोविज्ञान के बीच रेखा खींच कर शिक्षा-प्रणाली के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता और न ही मानव व्यवहार को वांछित दिशा की ओर विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार शिक्षा और मनोविज्ञान स्वयं ही आपस में सम्बन्धित होकर एक और विषय की रचना करते हैं जिसे 'शिक्षा मनोविज्ञान' कहा जाता है।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS · SKILLED INDIA

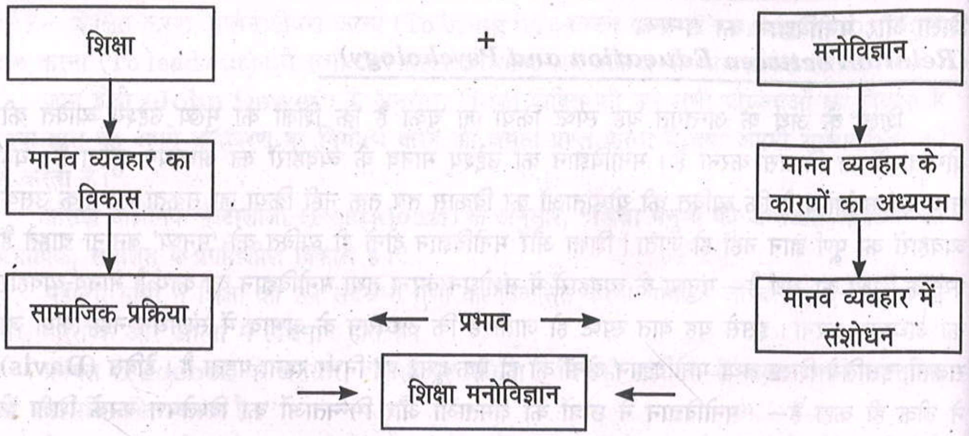

चित्र : शिक्षा और मनोविज्ञान में सम्बन्ध

उपरोक्त विवरण एवं चित्र से शिक्षा और मनोविज्ञान का सम्बन्ध निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर स्पष्ट होता है–

1. शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है।
2. शिक्षा के पुराने प्रत्यय (Concept) के अनुसार शिक्षा मात्र ज्ञान को मस्तिष्क में ठूसना था। लेकिन आज नये प्रत्यय के अनुसार शिक्षा को बालक के सर्वांगीण विकास के संदर्भ में जाना जाता है।
3. शिक्षा का पहले मुख्य बिन्दु अध्यापक था, लेकिन आज 'बालक' है।
4. मनोविज्ञान 'बालक' के व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है तथा शिक्षा बालक के व्यवहार के उद्देश्यों को निर्धारित करती है जिन्हें अर्जित किया जाना है।
5. शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों ही बालक के व्यवहार का विकास चाहते हैं तथा इस स्तर पर दोनों एक होकर नये विषय को जन्म देते हैं जिसे शिक्षा-मनोविज्ञान कहा जाता है।

शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य *(Objectives of Educational Psychology)*

शिक्षा तथा मनोविज्ञान दोनों का ही मुख्य उद्देश्य है– सम्पूर्ण व्यक्तित्त्व का विकास तथा निरन्तर वृद्धि करना। ऐसा व्यक्ति का अध्ययन करके ही किया जा सकता है। मानव की प्रकृति को जानने के परिणाम स्वरूप बच्चों में वृद्धि होगी तथा उनकी सीखने की गतिविधियों को एक निश्चित दिशा मिलेगी। उचित मार्ग दर्शन मिलने के परिणाम स्वरूप बच्चे स्वयं को सामाजिक वातावरण में स्थापित करने में सफल हो जायेंगे तथा अपने सामाजिक उत्तरदायित्व निभा सकेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य संकीर्ण न होकर बहुत ही विस्तृत हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ मुख्य सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. बालक का सर्वांगीण विकास करना (Harmonious Development of the child)– विस्तृत दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है– बालकों का सर्वांगीण विकास करना ताकि वे सामाजिक वातावरण में स्वयं को समायोजित करके अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकें। शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों के सम्बन्ध में तथ्यों तथा सामान्यीकरणों की सूचना प्रदान करके उसके व्यक्तित्त्व के सर्वांगीण विकास में सहायता कर सकते हैं।

2. अध्यापक में उचित दृष्टिकोणों का विकास (To develop proper attitudes in the teacher)–बच्चों के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य तभी अर्जित किया जा सकता है यदि हम अध्यापकों में उचित दृष्टिकोणों का विकास करें। अध्यापक अनुदेशन प्रदान (Instruction) करने की उचित विधियों को सीखें। अध्यापक यह जाने कि बालक किस सीमा तक सीख सकता है तथा किस सीमा तक उसके सामाजिक व्यवहार में संशोधन या परिवर्तन लाया जा सकता है।

3. उचित शैक्षिक परिस्थितियाँ बनाने में अध्यापक की सहायता करना (To help teacher to create proper educational situations)–वांछित लक्ष्यों के संदर्भ में, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिये उचित शैक्षिक परिस्थितियों का निर्माण करना अति आवश्यक है। इस कार्य के लिये शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है– अध्यापक की सहायता करना ताकि उचित शिक्षा प्रदान की जा सके। वह अध्यापक जानता है कि विद्यार्थी के व्यवहार में कौन-कौन से परिवर्तन करने हैं तथा वह उसी प्रकार की विषय-सामग्री अध्ययन के लिये लेगा जिससे परिवर्तन का यह उद्देश्य अर्जित किया जा सके।

4. विषय-वस्तु के संगठन में सहायक (To help organizing the subject-matter)–शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की सहायता करें ताकि वह विषय-वस्तु का उचित ढंग से संगठन कर सके। बच्चों की मानसिक संरचना को ध्यान में रखते हुए अध्यापक विषय-वस्तु का चयन करके उसे उचित ढंग से संगठित करें ताकि बच्चों का विकास हो सके।

5. सामाजिक सम्बन्धों पर बल (Emphasis on social relations)–शिक्षा विज्ञान अध्यापक की सहायता करे ताकि वह यह समझ सके कि शिक्षा-प्रक्रिया के लिये सामाजिक सम्बन्धों का बहुत ही अधिक महत्त्व है। अध्यापक विभिन्न प्रक्रियाओं का संचालन करके बच्चों में सामाजिक चेतना का विकास कर सकता है। समूह-गतिविधियों में बच्चों की सहभागिता में सहयोग कर सकता है तथा सभी प्रकार की सहायता कर सकता है।

6. अध्यापकों में विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के लिये सहायता देना (To help the teachers in treating pupils with sympathy)–विद्यार्थियों के व्यवहार का वस्तुनिष्ठ ढंग से अध्ययन करने और उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करने में अध्यापक की सहायता करना भी शिक्षा-मनोविज्ञान का एक मुख्य उद्देश्य होता है। वह अध्यापक जो विद्यार्थी या बच्चे के व्यवहार का निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्वक विश्लेषण कर सकता है, उत्तम होता है। ऐसा अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान ही तैयार करता है।

7. विषय-सामग्री के संगठन में अध्यापक की सहायता करना (To help the teacher in organizing the material)–जिस विषय-सामग्री को कक्षा में पढ़ाया जाता है उसे संगठित करने में अध्यापक की सहायता करना भी शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। अध्यापक उपयुक्त विषय-सामग्री का चयन करता है तथा उसे संगठित करता है। अध्यापक यह संगठन विद्यार्थी की मानसिक स्थिति के बारे में सूझ-बूझ की सहायता से करता है।

8. अध्यापक को स्वयं तथा अन्यों के व्यवहार विश्लेषण हेतु तकनीक प्रदान करना (To provide technique of analysing self and other's behaviour)–शिक्षा मनोविज्ञान का एक और महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है–अध्यापक को ऐसी सूचनाएँ और तकनीक प्रदान करना जिनकी सहायता से वह स्वयं का तथा दूसरों के व्यवहार का विश्लेषण कर सके। ऐसा विश्लेषण उसके व्यक्तित्त्व के समायोजन के लिये आवश्यक होता है।

9. अध्यापक को उसके व्यवसाय को समझने में सहायता देना (To help the teacher in understanding his own job)–शिक्षा मनोविज्ञान का एक और महत्त्ववूर्ण उद्देश्य है कि यह उसे अपना ही व्यवसाय समझने में सहायता देता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक में, उसके व्यवसाय में आने वाली समस्याओं के बारे में सूझ-बूझ उत्पन्न करता है। शिक्षा-मनोविज्ञान अध्यापक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है ताकि वह शिक्षा से जुड़ी समस्याओं का समाधान ढूँढ़ सके।

10. विषय-वस्तु के शिक्षण के लिये उपयुक्त विधियों को बताना (To provide the teacher with proper methods of teaching)–शिक्षा मनोविज्ञान का बहुत ही महत्त्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि यह विषय अध्यापक को उपयुक्त शिक्षण विधियों के बारे में बतायें। बालक के शिक्षण के लिये विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है तथा जो प्रभावी सिद्ध होती हैं उन्हें अपनाने के लिये बल दिया जाता है।

11. सामाजिक सम्बन्धों के महत्त्व का उद्देश्य (To consider social relationship most important)–शिक्षा मनोविज्ञान का एक और उद्देश्य है– अध्यापक को यह समझने में सहायता प्रदान करना कि शिक्षा की प्रक्रिया में सामाजिक सम्बन्धों का बहुत भारी महत्त्व है। विभिन्न क्रियाओं का संयोजन करके अध्यापक अपने विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना पैदा करता है। समूह-क्रियाओं में भाग लेने के लिये वह विद्यार्थियों की सहायता करता है।

12. शैक्षिक संस्थाओं के प्रशासन और संगठन में मार्गदर्शन करना (To guide the administrators & organizers of educational institutions)–शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य में शैक्षिक संस्थाओं के प्रशासन एवं संगठन के लिये आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना भी है। शिक्षा मनोविज्ञान अनुदेशन के निरीक्षण के लिये मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है।

13. मापन एवं मूल्यांकन की विधियाँ प्रदान करना (To provide methods of measuring and evaluating)–शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य की भाँति यह उद्देश्य भी अति महत्त्वपूर्ण है जिसके अन्तर्गत अध्यापक को विद्यार्थी के मापन और मूल्यांकन के लिये विभिन्न विधियों को प्रदान करना होता है। इसमें विद्यार्थी की जन्मजात बुद्धि का अनुमान लगाना भी शामिल है।

उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त **कैली (Kelly)** ने निम्नलिखित नौ उद्देश्यों की चर्चा की है–

1. बच्चे की प्रकृति या स्वभाव का ज्ञान अर्जित करना।
2. बच्चे को अपने चारों ओर के वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता देना।
3. संवेगों के नियंत्रण और शैक्षिक महत्त्व का अध्ययन कराना।
4. शिक्षण और अधिगम (Teaching and Learning) के सिद्धान्तों और विधियों का ज्ञान प्रदान कराना।
5. शिक्षा के उद्देश्यों से परिचित कराना।
6. पढ़ाये जाने वाले विषयों में छात्रों की योग्यताओं को मापने की विधियों से अवगत कराना।
7. चरित्र-निर्माण की विधियों और सिद्धान्तों का ज्ञान देना।
8. तथ्यों तथा सिद्धान्तों की जानकारी के लिये प्रयोग की जाने वाली वैज्ञानिक विधियों से अवगत कराना।
9. बच्चे की वृद्धि और विकास से अवगत कराना।

सी. ई. स्किनर (C.E. Skinner) ने शिक्षा मनोविज्ञान का एक सामान्य उद्देश्य बताया है– संगठित तथ्यों और सामान्यीकरणों का एक ऐसा संग्रह प्रदान करना जो अध्यापक में सांस्कृतिक और व्यावसायिक उद्देश्यों को अधिकतम सीमा तक प्राप्त करने में सहायता देता है। स्किनर ने फिर आगे कहा है कि उसी सामान्य उद्देश्य का विश्लेषण करने से कई विशिष्ट उद्देश्यों पर भी प्रकाश पड़ता है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित है–

1. इस धारणा का विकास करना कि वृद्धि (Growth) को उन्नत किया जा सकता है, अधिगम को अर्जित किया जा सकता है, सामाजिक व्यवहार को सुधारा जा सकता है, व्यक्तित्त्व का समायोजन किया जा सकता है। इस उद्देश्य को प्राप्त कर लेने से शिक्षा मनोविज्ञान का महत्त्वपूर्ण योगदान माना जाता है।
2. शैक्षिक उद्देश्यों को परिभाषित और निर्धारित करने में सहायता देनी।
3. वांछित व्यवहारों के रूप में मापदंडों को प्रदान करना, जैसे आचरण (Conduct), दृष्टिकोण इत्यादि। यदि अध्यापक को इन मापदंडों का पूर्व आभास होगा अर्थात् पहले से ज्ञान होगा तो वह उचित स्थिति का निर्माण कर लेगा जैसे पाठय सामग्री तैयार करनी, शिक्षण प्रक्रिया के बारे में सोच-विचार करना इत्यादि।
4. विद्यार्थियों के प्रति अध्यापक में निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता देना।

5. सामाजिक सम्बन्धों के महत्त्व को समझने में सहायता करना, जैसे दूसरों के साथ रहना, सामूहिक गतिविधियों में भाग लेना तथा सहयोग।
6. शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिये तथ्यों और सिद्धान्तों से अवगत कराना, जैसे अनुदेशन सामग्री का किस प्रकार से चयन किया जाये तथा उसे क्रम में किस प्रकार संगठित किया जाये, इस सामग्री का किस प्रकार बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग किया जाये, अधिगम प्रक्रिया का किस प्रकार मार्ग दर्शन किया जाये ताकि सीखने में किसी प्रकार की कोई रूकावट न आये।
7. व्यक्तियों को मानव-आचरण और शिक्षा के बारे में मनोवैज्ञानिक ढंग से सोचने के लिये प्रशिक्षित करना।
8. समस्या समाधान का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कराना।

◆◆◆

6. शैक्षिक समाजशास्त्र क्या है? शिक्षा का समाजशास्त्र के साथ क्या संबंध है? (What is educational sociology? What is the relationship of education with sociology.)

अथवा

शैक्षिक समाजशास्त्र किसे कहते हैं? शैक्षिक समाजशास्त्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्पष्ट कीजिए।

अथवा

शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ और क्षेत्र को बताते हुये इसके शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना कीजिए।

अथवा

शैक्षिक समाज के अर्थ और विषय-वस्तु को स्पष्ट करते हुये इसके शिक्षा में योगदान या शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख कीजिये।

अथवा

शैक्षिक समाजशास्त्र क्या है? शिक्षा तथा समाजशास्त्र में आपसी सम्बन्ध की परिचर्चा कीजिए। (What is educational sociology? Discuss the relationship between Education and Sociology.)

उत्तर–शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा और समाज के बीच एक माध्यम है। यह इनके पारस्परिक संबंधों के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए समाज की शिक्षा-संबंधी आवश्यकता का स्वरूप निर्धारित करता है। इसने थोड़े ही समय में विभिन्न सामाजिक प्रभावों और समस्याओं का शिक्षा के दृष्टिकोण से अध्ययन करके जो तथ्य और निष्कर्ष प्रस्तुत किये हैं, उनमें शिक्षा को उचित माध्यम से विकसित करने में पर्याप्त सहायता मिली है और इसके अभाव में शिक्षा को सामाजिक स्वरूप दिया जाना सम्भव नहीं था। इस प्रकार शिक्षा की वर्तमान उपलब्धि का एक अंश तक श्रेय शैक्षिक समाजशास्त्र को भी है।

अतः शैक्षिक समाजशास्त्र, समाजशास्त्र की एक शाखा है जो शिक्षा और समाज के परस्पर प्रभावों का अध्ययन करती है। इसका विकास **जार्ज पेने** और **जॉन डीवी** ने किया। इनके अनुसार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि व्यक्ति समाज के सम्पर्क से ही ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरी ओर शिक्षा ही व्यक्ति में सामाजिक चेतना उत्पन्न करके समाज को विकसित बनाती है। अतः विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। भारत के पूर्वकालीन समाज में शिक्षा को सामाजिक दायित्व माना गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य समाज की उन्नति के लिए प्रयत्न करना था। कालान्तर में विदेशी प्रशासकों, विशेषकर अंग्रेजों ने शिक्षा में परिवर्तन करके शिक्षा और समाज दोनों को क्षति पहुँचायी और इनके परस्पर संबंधों को प्रभावहीन कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से इस टूटी श्रृंखला को जोड़ने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं और इस दृष्टि से शैक्षिक समाजशास्त्र का अध्ययन विशेष रूप से उपयोगी होगा।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS · SKILLED INDIA

शैक्षिक समाज का अर्थ और परिभाषाएँ *(Meaning and Definitions of Educational Sociology)*

जार्ज पेने के अनुसार, **"शैक्षिक समाजशास्त्र व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करके शिक्षा में सामाजिकता के समावेश द्वारा व्यक्तित्व विकास का प्रयत्न करता है। यह व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों का अध्ययन करता है और उसके शिक्षा-संबंधी महत्व पर प्रकाश डालता है। यह शिक्षा और समाज के बीच एक ऐसे माध्यम के रूप में कार्य करता है जो दोनों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। एक ओर यह समाज के अध्ययन द्वारा शिक्षा की पद्धति और पाठ्यक्रम निर्धारण में सहायता देता है तो दूसरी ओर शिक्षा को अधिक उपयोगी बनाकर समाज के विकास में सहायता देता है।"**

ओटावे के अनुसार, **"शैक्षिक समाजशास्त्र का प्रारम्भ इस दृष्टिकोण को अपनाकर होता है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है, जो समाज में होती रहती है और उसका उद्देश्य और विधि उस समाज की प्रकृति पर निर्भर करते हैं जिसमें की वह होती है।"**

ब्राउन के अनुसार, **"शिक्षा समाजशास्त्र तथा उसके सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण में, जिसमें दूसरे व्यक्ति और समूह, सामाजिक व्यवहार के नमूने होते हैं, व्यक्ति की प्रक्रिया का अध्ययन करती है।"**

उपर्युक्त विभिन्न परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि शैक्षिक समाजशास्त्र, समाजशास्त्र की ही भाँति, व्यक्ति और समूह के पारस्परिक संबंधों को प्रभावित करने वाली सभी सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन करता है। परन्तु साथ ही साथ वह उनके शिक्षा-संबंधी महत्त्व पर भी प्रकाश डालता है। इसे कुछ उदाहरणों द्वारा और भी स्पष्ट किया जा सकता है। समाज के सभी सदस्यों को शिक्षित करना सामाजिक दायित्व माना गया है। परन्तु केवल पर्याप्त संख्या में विद्यालय और कॉलेजों की स्थापना द्वारा ही इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को समाज में मूल्यवान योगदान के लिए समर्थ होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से शिक्षा की पद्धति, पाठ्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों को समाज की माँग के अनुसार बनाने की आवश्यकता होती है। शैक्षिक समाजशास्त्र, शिक्षा और समाज के बीच में वह महत्त्वपूर्ण माध्यम है, जो एक ओर विभिन्न सामाजिक प्रवृत्तियों सामाजिक संगठनात्मक व्यवस्थाओं और सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करके शिक्षा की पद्धति, पाठ्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों के निर्धारण में सहायता करता है तो दूसरी ओर समाज की शिक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को विकसित और उचित मार्ग पर प्रवाहित करते हुए उसे पूर्ण रूप से उपयोगी बनाकर सामाजिक विकास के पथ को प्रशस्त करता है। इस प्रकार शैक्षिक समाजशास्त्र का योगदान शिक्षा और समाज दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण है। शिक्षा-व्यवस्था कैसी हो, उसकी पद्धति क्या हो, और उसका पाठ्यक्रम कैसा हो, यह एक सामाजिक समस्या है। यह शास्त्र समाज की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ शिक्षा के माध्यम से समाज के विकास को महत्त्व देता है तथा तदनुसार प्रयत्न भी करता है।

शैक्षिक समाजशास्त्र का क्षेत्र या विषय-वस्तु (Scope of Educational Sociology)– सामान्यतः शैक्षिक समाजशास्त्र सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। परन्तु उसका प्रमुख विषय शिक्षा से सामाजिक संबंधों पर और सामाजिक संबंधों से शिक्षा पर पड़ने वाले व्यापक प्रभावों का अध्ययन करना है। शैक्षिक समाजशास्त्र की विषय-वस्तु को **निम्नलिखित वर्गों में** विभाजित किया जा सकता है–

1. सामाजिक क्रियाओं को शिक्षा कार्यक्रमों की ओर प्रवाहित करना।
2. सामाजिक विकास, नियंत्रण और अच्छे जीवन और शिक्षा के लिए प्रयत्न।
3. शिक्षा पर समाज के प्रभावों का अध्ययन और उसको उपयोगी बनाना।
4. शिक्षक के सामाजिक स्तर शिक्षक और छात्र के संबंधों में सुधार।
5. स्थानीय समुदायों और सूचना और मनोरंजन साधनों का अध्ययन।

शैक्षिक समाजशास्त्र का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान या शिक्षा पर प्रभाव *(Contribution of Educational Sociology in the field of Education or Influence on Education)*

शैक्षिक समाजशास्त्र का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान या शिक्षा पर प्रभाव **निम्नलिखित प्रकार** से पड़ता है:–

1. शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा (Educational Sociology and Education)–शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस दृष्टि से इसके द्वारा विभिन्न सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक प्रभाव बाह्य प्रभाव हैं। परन्तु शिक्षा पर इनके अतिरिक्त आन्तरिक प्रभाव भी पड़ते हैं। अतः सामाजिक प्रभाव ही शिक्षा नहीं माने जायेंगे। साथ ही साथ, सभी सामाजिक व्यवहार शिक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण नहीं होते। अतः शिक्षा द्वारा सभी सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार शिक्षा को एक विशेष दृष्टिकोण से ही शिक्षा मानना उचित होगा।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि शैक्षिक समाजशास्त्र की दृष्टि से शिक्षा द्वारा विभिन्न सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। चूँकि सभी सामाजिक व्यवहार शिक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नहीं होते, अतः शिक्षा द्वारा उन्हीं सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है जिनका योगदान उसके लिए उपयोग होता है। व्यक्ति जिन विशेष बाह्य प्रभावों अथवा सामाजिक वातावरण से उत्प्रेरित होकर सीखता है और तदनुसार ही अपने व्यवहारों में परिवर्तन करता है, उसे शिक्षा-प्रक्रिया कहते हैं। यह प्रक्रिया सामाजिक संस्थाओं को विकास-कार्यों के लिए प्रोत्साहित करती है और समाज को विकसित करती है। शैक्षिक समाजशास्त्र की दृष्टि से शिक्षा वह प्रभाव है जो व्यक्ति पर विशेष प्रकार के सामाजिक व्यवहारों के कारण पड़ता है। वह प्रक्रिया है जो विशेष सामाजिक उत्प्रेरणाओं और व्यवहारों के कारण अपने आप घटित होती है और वह विधि है जो सम्पूर्ण सामाजिक प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण योगदान के लिए व्यक्ति को उत्प्रेरित करती है।

2. शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा का उद्देश्य (Educational Sociology and Educational Aims)–शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास और जीविकोपार्जन में सहायक होनी चाहिए। समाजशास्त्र की दृष्टि से शिक्षा में वैयक्तिक विकास की अपेक्षाकृत सामाजिक विकास को अधिक महत्त्व दिया जाता है। जनतन्त्रात्मक समाज में राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रम भी सम्मिलित हो जाते हैं।

अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी देश की शिक्षा उसकी वर्तमान सामाजिक दशा के अनुकूल होनी चाहिए। सामाजिक दशा में राजनैतिक अवस्था भी सम्मिलित है, क्योंकि किसी जनतान्त्रिक देश में सामाजिक एवं राजनैतिक परिवर्तनों का घनिष्ठ संबंध होता है। शिक्षा का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना होता है, जो जनतांत्रिक जीवन के अनुकूल बन सकें, अर्थात् वे समाज में अपने को सन्तुलित एवं समायोजित कर सकें। व्यक्ति को केवल अपना जीवन समाज के अनुरूप बनाना चाहिए, वरन् समाज को इस योग्य बनाना चाहिए कि वह उसकी आकांक्षाओं के अनुरूप प्रगतिशील बन सके। उसे सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा असमानताओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अतः शिक्षा का कार्य है कि वह व्यक्तियों को ऐसी क्षमता प्रदान करे कि वह (व्यक्ति) अपनी उन्नति के साथ-साथ अपने चतुर्दिक समाज का भी उत्थान कर सके। यही कारण है कि शैक्षिक समाजशास्त्री शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों पर अधिक बल देते हैं।

3. शैक्षिक समाजशास्त्र और पाठ्यक्रम (Educational Sociology and Curriculum)–समाजशास्त्र के अनुसार पाठ्यक्रम सामाजिक उद्देश्यों के अनुसार हो और उसमें सामाजिक परिवर्तनों के अनुसार परिवर्तन होते रहने चाहिए। यह ऐसा हो कि इसे सामाजिक नियंत्रण का माध्यम बनाया जा सके।

पाठ्यक्रम विकसित और उदार हो। इससे छात्रों में सामाजिक आदर्शों और मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न हो। उन्हें सफल सामाजिक जीवन और विस्तृत नागरिकता के लिए तैयार किया जाये। उनके निजी लाभ और समस्याओं को ध्यान में रखकर योग्यता का विकास किया जाये।

CIMETRIX SKILLED INDIANS - SKILLED INDIA

पाठ्यक्रम नमनीय होना चाहिए जिससे बदलते हुए समाज के साथ-साथ उसमें भी यथोचित परिवर्तन किया जा सके। ऐसा न हो कि समाज बदल जाए, उसकी आवश्यकताओं में अन्तर हो जाए और पाठ्यक्रम पुराना पड़ जाए, जिससे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति न हो सके। ऐसी दशा में शिक्षा समाज के काम की नहीं होती और शिक्षित युवकों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है।

पाठ्यक्रम में ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वह प्रगतिशील समाज के लिए अपेक्षित उच्चतम मूल्यों एवं आदर्शों को वहन कर सके। आगे आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से सर्वथा विछिन्न न हो जाए, इसके लिए कुछ ऐसे आदर्श जिनसे समाज की मर्यादा बनी रहती है, आने वाली पीढ़ी को भी हस्तांतरित होने चाहिए। यह कार्य एक अच्छे समाजशास्त्रीय पाठ्यक्रम के द्वारा ही सम्पन्न हो सकता है।

पाठ्यक्रम के द्वारा व्यक्ति में सामाजिक चेतना तथा मानवीय संबंधों की भावना का स्वस्थ विकास होना चाहिए, जिससे उसे समाज के पिछड़े वर्गों के साथ सहानुभूति हो और वह उनके उत्थान के लिए कार्य कर सके। उदाहरणार्थ भारत में व्याप्त निरक्षरता एवं गरीबी को दूर करने के लिए प्रौढ़-शिक्षा तथा लघु उद्योग धन्धों का विकास आवश्यक है। इसमें शिक्षित वर्ग की महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

पाठ्यक्रम में उन सभी व्यवसायों को सम्मानपूर्ण महत्त्व प्रदान करना चाहिए जो समाज में आवश्यक एवं उपयोगी समझे जाते हैं। शिक्षित व्यक्ति को किसी व्यवसाय के प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए। उसे श्रम के महत्त्व को समझकर सभी व्यवसायों को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर उसे कोई भी व्यवसाय अपनाने अथवा उसमें कार्य करने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।

4. शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षण विधि (Educational Sociology and Teaching)–समाजशास्त्र के अनुसार विद्यालय ज्ञान को बाहर व्यवहार में लाया जाए और छात्रों को समाज में अनुकूलन का अभ्यास कराया जाए। इस दृष्टि से सामूहिक विचार-विनिमय, व्याख्यानमाला, सेमिनार आदि विधियाँ अधिक उपयोगी होंगी।

सारांश में कहा जा सकता है कि शिक्षण-विधि ऐसी होनी चाहिए जिसमें व्यक्तिगत प्रतियोगिता की भावना के स्थान पर सामूहिक प्रतियोगिता की भावना हो, एक समूह दूसरे से बढ़कर अच्छा कार्य करने का संकल्प और प्रयास करे। लक्ष्य सबका एक हो, चाहे उस लक्ष्य तक पहुँचने के साधन भिन्न-भिन्न हों।

5. समाजशास्त्र और अध्यापक (Sociology and teacher)–कहा जाता है किसी का भाग्य उसके विद्यालयों में निर्मित होता है। दूसरी ओर शिक्षा के समाजशास्त्री आरम्भ से ही समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र शास्त्र मानते रहे हैं। उनके अनुसार समाजशास्त्र का सैद्धान्तिक पक्ष ही प्रधान है। उसका व्यावहारिक पक्ष उनके अध्ययन का विषय नहीं रहा है।

शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा के कार्य
(Educational Sociology and Functions of Education)

(1) नवीन सामाजिकता का विकास–समाज को विकासशील और अन्य सामाजिक इकाइयों के समकक्ष होना चाहिए। भारतीय समाज लम्बे समय तक परतन्त्र रहने के कारण इतना संकुचित हो गया है कि इसमें सुधार करना कठिन है। शिक्षा द्वारा इसमें आमूल परिवर्तन करके इसको विकसित बनाया जाये। यह भी ध्यान रखा जाये कि नवीन सामाजिकता का आधार पूर्व सांस्कृतिक आधार से अधिक दूर न हो और इसमें अन्य विकसित समाजों के गुणों का समावेश भी हो।

(2) संस्कृति का आत्मसाती (Assimilation of Culture)–सांस्कृतिक उत्तराधिकार शिक्षा का प्रभावशाली साधन है और बहुत-सी बातें इसी साधन द्वारा पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती रहती है। सामाजिक दृष्टिकोण से यह आवश्यक माना गया है। इसमें गतिरोध से सामाजिक विघटन आ सकता है और व्यक्तित्व-विकास कुण्ठित हो सकता है। परन्तु सांस्कृतिक आधार के ही प्रमुख होने पर सामाजिक-विकास रुक जाता है और प्रशासन शक्तिशाली होकर केवल कुछ लोगों के हाथों में चला जाता है। अतः शिक्षा का कार्य सांस्कृतिक उत्तराधिकार के साधन को अधिक उपयोगी बनाते हुए उसमें अन्य सांस्कृतिक के गुणों का समावेश किया जाये।

(3) क्रियात्मक और रचनात्मक कार्य (Creative and Constructive Functions)–शिक्षा का तीसरा प्रमुख कार्य क्रियात्मक और रचनात्मक कार्यों की प्रवृत्ति विकसित करना है। इससे समाज प्रगतिशील रहेगा और सांस्कृतिक सामंजस्य की अधिकता के कारण होने वाले गतिरोध को सरलता से दूर किया जा सकता है। इनके द्वारा समाज में जनतन्त्रात्मक दर्शन के प्रति आस्था के विकास में सहायता मिलेगी।

शैक्षिक समाजशास्त्र की सीमायें या दोष (Limitations of Educational Sociology)–शिक्षा के लिए सामाजिक आधार निस्सन्देह उपयोगी होगा। परन्तु शिक्षा विकास की दृष्टि से पर्याप्त नहीं। दूसरी ओर आदर्श शिक्षा-व्यवस्था के लिए अनेक सुझाव प्रस्तुत करते हुए भी यह आदर्श समाज और सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में कोई सुझाव नहीं देता। इसके अतिरिक्त यह शिक्षा के केवल सामाजिक अंग को ही महत्त्व देता है और शिक्षा-दर्शन से सम्पर्क स्थापित नहीं करता। अतः इसका अध्ययन एकांगी है यद्यपि अपनी सीमा के भीतर महत्त्वपूर्ण और उपयोगी है।

◆◆◆

7. समाजशास्त्र किसे कहते हैं? समाजशास्त्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्पष्ट करें।

अथवा

समाजशास्त्र तथा इसके शिक्षा पर प्रभाव के बारे में एक संक्षिप्त नोट अथवा टिप्पणी लिखिए।

अथवा

समाजशास्त्र के अर्थ को स्पष्ट करते हुये इसके शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट करें।

उत्तर–सरल शब्दों में समाज व्यक्तियों का समूह है और समाजशास्त्र इस समूह का अध्ययन है। गिन्सबर्ग के अनुसार, **"समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।"** सिमेल का कहना है कि, **"समाज मानवीय अन्तःसंबंधों के स्वरूप का विज्ञान है।"** इसी प्रकार से गिडिन्स महोदय के अनुसार, **"समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है।"** अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो कि सामाजिक जीवन के पूरे स्वरूप को, सभी मानवीय-संबंधों का तथा समाज में समय-समय पर घटित होने वाली घटनाओं का व्यापक और सम्पूर्ण अध्ययन है।

शिक्षा का समाज से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता है कि वह व्यक्ति को समाज का उपयोगी सदस्य बनाता है। समाज व्यक्तियों से ही बनता है। व्यक्ति को शिक्षा देते समय उसकी रुचि, आकांक्षा, बौद्धिक क्षमता, निहित शक्ति आदि का विचार करना आवश्यक होता है। फिर भी लक्ष्य यही रहता है कि वह समाज के लिए उपयोगी हो सके। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही विद्वान्, बलवान्, धनवान या तपस्वी हो, यदि वह समाज के काम नहीं आ सकता तो उसकी सम्पूर्ण विद्वत्ता, उसकी बल-बुद्धि, उसका धन-मान, उसकी तपस्या व्यर्थ है। अतः व्यक्ति को शिक्षित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसकी शिक्षा देश और समाज के अनुकूल हो, जिससे वह शिक्षित होकर समाज के उत्थान, प्रगति में सहायक हो सके। उसके शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ ही उसका भावनात्मक विकास इस ढंग का हो कि उसमें सच्चाई, ईमानदारी, सहानुभूति, देश-प्रेम, मानव प्रेम आदि ऐसे गुणों का समावेश हो, जिसके द्वारा वह समाज में मान-प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके। इसके लिए हमें पहले यह देखना पड़ता है कि व्यक्ति को जिस समाज में रह कर जीवन बिताना है, उसकी वर्तमान अवस्था कैसी है। साथ ही यह भी जानना चाहिए कि उस समाज का भावी रूप क्या होना चाहिए। उस समाज में कौन-कौन सी सामाजिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास, अवांछनीय भेदभाव आदि हैं जो समाज के स्वस्थ विकास में बाधक हैं और जिनको दूर करना आवश्यक है। तात्पर्य है कि हमें व्यक्ति को समाज का अंग ही नहीं बनाना है, वरन् उसका नेता, सुधारक और निर्माता भी बनाना है। उसमें नेतृत्व के गुणों का विकास करके अपने समाज का उत्थान करने और उसे प्रगतिशील बनाने के योग्य ढालना है।

समाजशास्त्र का शिक्षा पर प्रभाव (Effect of Sociology on Education)–समाजशास्त्र शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण करता है। अतः शिक्षा में उसकी भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। शिक्षा का मूल आधार समाज एवं उसकी आवश्यकताएँ हैं। किसी समाज की आकांक्षाएँ, आशाएँ एवं भावी सम्भावनाएँ, उसकी शिक्षा-प्रणाली की प्रतिबिम्ब होती हैं। अतः समाज से पृथक शिक्षा की कल्पना ही नहीं की जा सकती। शिक्षा और समाज एक दूसरे के पूरक हैं।

समाज गत्यात्मक होता है, वह सर्वदा परिवर्तित होता रहता है। उसमें होने वाले परिवर्तनों का शिक्षा पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। समाज के साथ गतिशील होने में ही विद्यालय का कल्याण है। अन्यथा वह समाज से कट कर निरर्थक हो जाएगा। विद्यालय अपने आप में ही एक संकुचित समाज है, जिसमें बच्चों का विकास होता है। यदि वह छोटा समाज बाहर के विस्तृत समाज के साथ-साथ प्रगति नहीं करता तो उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी।

समाजशास्त्र तथा शिक्षा के उद्देश्य (Sociology and Aims of Education)–किसी देश की शिक्षा उसकी वर्तमान सामाजिक दशा के अनुकूल होनी चाहिए। सामाजिक दशा में राजनैतिक अवस्था भी सम्मिलित है, क्योंकि किसी जनतान्त्रिक देश में सामाजिक एवं राजनैतिक परिवर्तनों का घनिष्ठ संबंध होता है। शिक्षा का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना होता है, जो जनतांत्रिक जीवन के अनुकूल बन सकें, अर्थात् वे समाज में अपने को सन्तुलित एवं समायोजित कर सके। व्यक्ति को केवल अपना जीवन समाज के अनुरूप बनाना चाहिए, वरन् समाज को इस योग्य बनाना चाहिए कि वह उसकी आकांक्षाओं के अनुरूप प्रगतिशील बन सके। उसे सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा असमानताओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अतः शिक्षा का कार्य है कि वह व्यक्तियों को ऐसी क्षमता प्रदान करे कि वह (व्यक्ति) अपनी उन्नति के साथ-साथ अपने चतुर्दिक समाज का भी उत्थान कर सके। यही कारण है कि शैक्षिक समाजशास्त्री शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों पर अधिक बल देते हैं।

उपरोक्त कारणों से अध्यापक को शैक्षिक समाजशास्त्र का अध्ययन और समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल नागरिकों का निर्माण करना उसका पावन कर्तव्य होना चाहिए।

समाजशास्त्र अध्यापक को यह बतलाता है कि समाज में अनेक ऐसे कारक या घटक हैं, जो शिक्षा को प्रभावित करते हैं। जैसे हमारे देश में भिन्न-भिन्न धर्म या सम्प्रदाय, जातियाँ-उपजातियाँ, धनी एवं निर्धन वर्ग इत्यादि के कारण शिक्षा में अनेक समस्यायें उत्पन्न हो जाती हैं। उन समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षक में उदारता तथा सहानुभूति होनी चाहिए, तभी वह सभी बच्चों के साथ न्याय कर सकेगा और अपने कर्तव्यों का समुचित पालन कर सकेगा। उसे सभी बच्चों में पारस्परिक सहयोग की भावना विकसित करनी चाहिए, जिससे बच्चों में किसी प्रकार की भेद-भावना न आने पाए। विद्यालय का प्रभाव इतना प्रबल होना चाहिए, उसके संस्कार ऐसे दृढ़ होने चाहिए ताकि बाहर का प्रभाव उसके सामने दुर्बल पड़ जाए। अध्यापक की सफलता इसी में है कि उसके छात्र बाह्य संसार से प्रभावित न होकर बाह्य संसार को अपने आचरणों से प्रभावित करे। विद्यालय की मान मर्यादा की रक्षा करना उनके जीवन का सबसे ऊँचा लक्ष्य होना चाहिए।

◆◆◆

---

8. प्रबंध से आप क्या समझते हैं? शिक्षा तथा प्रबंध में क्या संबंध है? विद्यालय प्रबंध की प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए।

(What do you mean by management? What is relationship between education and management? Describe the process of school management.)

उत्तर–प्रबन्ध (Management)—प्रबन्ध एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानव समूह से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। प्रबन्धक की सहायता से मानव समूह की गतिविधियों को कुशलतापूर्वक करके और वस्तु निर्माण के साधनों का कुशल व मितव्ययी ढंग से प्रयोग करके पूर्व निर्धारित

उद्देश्यों को सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। सामूहिक गतिविधियों को सफलता प्रदान करने के लिए व्यक्ति विशेष या शक्ति विशेष का नाम है प्रबन्धक जो प्रबन्ध क्रिया के द्वारा गतिविधियों को सफल बनाने में सहायक होता है। यहाँ पर यह स्पष्ट करना उचित रहेगा कि प्रबन्ध का महत्त्व व्यवसाय विशेष या संस्था विशेष तक नहीं है बल्कि जहाँ भी मानवीय क्रियाएँ होती हैं, वहाँ प्रबन्ध की आवश्यकता है जैसे शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, सामाजिक संस्था या कोई संघ। इसलिए कहा जाता है कि "यदि किसी क्रिया में से प्रबन्ध को घटा दिया जाए तो शून्य बचता है।" *("Anything minus management is nothing.")*

परिभाषाएँ (Definitions)—प्रबन्ध की एक भाषा न होकर कई परिभाषाएँ हैं। विभिन्न विद्वानों ने प्रबन्ध की विशेषताओं के आधार पर अपने-अपने ढंग से प्रबन्ध को परिभाषित किया है। कुछ विद्वानों ने इसके क्रियात्मक रूप को अधिक महत्त्व दिया है तो दूसरों के अनुसार प्रबन्ध का सम्बन्ध निर्णय लेने से है तो कुछ और विद्वानों के लिए निर्माण व कुशलता प्रबन्ध का आधार है।

प्रबन्ध की कुछ महत्त्वपूर्ण परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं–एफ. डब्लयु. टेलर (F.W. Taylor) के अनुसार, "प्रबन्ध यह जानने की कला है कि आप क्या करवाना चाहते हैं और इसके बाद यह देखना है कि वे इसे सर्वोत्तम एवं मितव्ययतापूर्ण विधि से करें।" *("Management is the art of knowing what you want to get done and then seeing that they do it in the best and cheapest way."* **—F. W. Taylor**)

पीटरसन तथा पलॉमैन के कथनानुसार, "प्रबन्ध से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक विशेष मानव समूह के उद्देश्यों का निर्धारण व स्पष्टीकरण करते हुए उन्हें कार्य रूप दिया जाता है।" *("Management may be defined as the process by means of which the purpose and objectives of a particular human group are determined, clarified and effectuated."* **—Peterson and Plowman**)

जार्ज. आर. टेरी के अनुसार, "प्रबन्ध एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन एवं नियन्त्रण सम्मिलित है। इनमें से प्रत्येक में विज्ञान एवं कला दोनों का प्रयोग करते हुए पूर्व निधारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इनका अनुसरण किया जाता है।" *("Management is a distinct process consisting of planning, organising, actuating and controlling, utilising in each, both science and art are followed in order to accomplish predetermined objectives."* **—George R. Terry**)

हेरोड कून्ट्ज (Harod Koontz) के अनुसार, "प्रबन्ध औपचारिक रूप से संगठित समूहों में, अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करने तथा करवाने की कला है।" *("Management is the art of getting things done through and with formally organised groups."* **—Harod Koontz**)

निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है कि प्रबन्ध एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव समूह को नियोजन, संगठन नियुक्तियाँ, निर्देशन व नियन्त्रण करके मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का अधिकतम व कुशलतम उपयोग सम्भव बनाती है तथा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है।

कून्ट्ज के अनुसार "प्रबन्ध संगठित समूह में एक ऐसा वातावरण बनाने की कला है जहाँ व्यक्ति, एक व्यक्ति के रूप में कार्य करते हुए भी समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग दे सके। यह इन उद्देश्यों को पूरा करने के रास्ते में आने वाली समस्याओं को दूर करने की कला है और यह लक्ष्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से प्राप्त करने के लिए कुशलता को अनुकूलतम बनाने की कला है।"

प्रबन्ध सम्बन्धित कुछ तथ्य ***(Some truths related to Management)***

(1) **प्रबन्ध एक कला है (Management is an art)**—एक प्रबन्धक दूसरों से काम करवाता है। इन समूहों का व्यवहार सदा एक-सा नहीं रहता। यह परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। इसलिए प्रबन्धक का व्यवहार कुशलता की कला में निपुण होना आवश्यक है।

CIMETRIX

(2) **प्रबन्ध का उद्देश्य कार्य को समय पर पूर्ण कराना है (The aim of management is getting things done in time)।**

(3) **प्रबन्ध अन्य व्यक्तियों से काम लेना है (Management is getting things done through others)**—आधुनिक उत्पादन में अनेक क्रियाएँ होती है। इन क्रियाओं को सम्पन्न कराने के लिए मानव समूह की आवश्यकता पड़ती है। इस मानव समूह में काम करने वालों को उनकी योग्यता के अनुसारा काम का बँटवारा कर दिया जाता है। प्रबन्ध इन सभी कर्मचारियों का निर्देशन करता है और उनमें समन्वय स्थापित करते हुए उनको प्रेरित करता है तथा उन पर नियन्त्रण रखते हुए काम को पूरा करवा लेता है।

(4) **प्रबन्ध दूसरे व्यक्तियों के साथ काम करना (Management is getting things done with other people)**—प्रबन्धक स्वयं भी काम करते हैं तथा दूसरों से भी करवाते हैं। अर्थात् जो कार्य अति महत्त्वपूर्ण होता है जिन्हें अपनी पद स्थिति के कारण वे स्वयं ही करने में समर्थ और सक्षम होते हैं। परन्तु उस कार्य की प्रकृति प्रशासकीय होती है।

(5) **कार्य के मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर करना (Removing obstacles in the way of work)**—एक प्रबन्धक का कार्य काम के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना तथा सुविधाएँ प्रदान करना है जिससे सभी व्यक्ति पूरी कुशलता तथा सहयोग से कार्य कर सकें। प्रबन्धक समय-समय पर कार्य को पूर्ण करने के लिए मार्ग में आने वाली कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करता है।

(6) **प्रबन्ध व्यक्तियों की कुशलता को अधिकतम बनाता है (Management maximises the efficiency of workers)।**

स्कूल प्रबन्ध का अर्थ *(Meaning of School Management)*

स्कूल एक शैक्षिक संस्था है और प्रबन्ध वह साधन है जिसके द्वारा किसी संगठन या संस्था का सुचारु रूप से संचालन किया जाता है चाहे वह संगठन शैक्षिक, शासकीय, सामुदायिक, धार्मिक या समाजसेवी हो। प्रबन्ध व्यक्तियों के समूह से सम्बन्ध रखने तथा उनकी क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने से है। स्कूल प्रबन्ध का सम्बन्ध मुख्य रूप से स्कूल की प्रबन्धक कमेटी, स्कूल के मुख्याध्यापक और उसके नेतृत्व में काम करने वाले शिक्षकों, अन्य कर्मचारियों तथा शिक्षा प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने वाली भौतिक सामग्री से होता है। स्कूल में स्कूल के नेता को प्रबन्धक का कार्य भार सौंपा जाता है और वह अपने साथियों की सहायता से स्कूल के प्रतिदिन के कार्यक्रमों और क्रियाओं के संचालन हेतु और निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रशासकीय कर्तव्यों को निभाता है।

स्कूल प्रबन्ध की प्रक्रिया (Process of school management)—स्कूल प्रशासन का कार्य क्षेत्र विस्तृत है। इसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ सम्मिलित हैं। इन क्रियाओं को विभिन्न वर्गों में रखा जा सकता है। इन वर्गों को तत्त्वों की संज्ञा दी जाती है। शिक्षा प्रशासन के मुख्यतः निम्नलिखित तत्त्व (प्रक्रियाएँ) हैं—

(1) योजना (Planning) (2) संगठन (Organisation)
(3) स्टाफ (Staff) (4) बजट (Budget)
(5) रिकार्ड एवं रिपोर्ट (Record and Report)
(6) दिशा (Direction) (7) ताल-मेल (Coordination)
(8) नियन्त्रण (Controlling) (9) मूल्यांकन (Evalution)

(1) योजना (Planning)—योजना कुशल-प्रशासन का केन्द्र-बिन्दु है। योजना के अन्तर्गत आरम्भ से लेकर अन्त तक कार्य की व्यापक रूप रेखा तैयार कर ली जाती है। योजना बनाते समय उद्देश्यों, प्राप्त साधनों तथा विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को सामने रखा जाता है।

आरम्भ में की गई अच्छी योजना के अच्छे परिणाम निकलते हैं। इसके लिए नियोजक में धैर्य, साहस तथा अनुभव का होना अत्यन्त आवश्यक है। योजना बनाना एक बौद्धिक क्रिया है। जिसके लिए पूर्ण ज्ञान तथा अन्तर्दृष्टि की आवश्यकता होती है।

शिक्षा-प्रशासन में योजना अपने आपमें एक स्वतन्त्र क्रिया नहीं बल्कि सम्पूर्ण प्रशासन प्रक्रिया का एक अंग है। यह अपने आपमें साध्य नहीं बल्कि किसी साध्य का साधन है।

शिक्षा योजना एक गतिशील प्रक्रिया है। यह आगे की ओर भी देखती है और पीछे की ओर भी देखती है। आगे की ओर देखते हुए यह इस बात का ध्यान रखती है कि काम किस प्रकार का होना चाहिए। काम हो चुकने पर यह इस बात का निरीक्षण करती है कि योजना के अनुसार काम हुआ है या नहीं।

योजना तैयार करते हुए कुछ ऐसी बातें हैं जो अनिवार्य है तथा जिनकी अवहेलना नहीं की जा सकती—

(i) प्रबन्धक के सामने योजना का लक्ष्य पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए।

(ii) उद्देश्य निर्धारित करने के पश्चात् उनकी पूर्ति किए जाने वाले कार्यों की विस्तृत रूप रेखा तैयार करके सूची बनानी चाहिए।

(iii) यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि विविध कार्य किन-किन विधियों, प्रणालियों तथा तकनीकों द्वारा सम्पन्न किए जा सकते हैं।

(iv) इन प्रणालियों के प्रयोग का निर्णय लेने के पश्चात् उनके कार्यान्वियन हेतु सहायक सामग्री का चयन तथा उनका वर्गीकरण करना बहुत आवश्यक है।

(2) संगठन (Organisation)—स्कूल के उचित वातावरण के लिए समूची सामग्री को उचित रूप से संगठित करना बहुत आवश्यक होता है। यह प्रशासन का महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। इसके बिना स्कूल में प्रत्येक वस्तु अस्त-व्यस्त रहती है और परिणामस्वरूप शक्ति, समय और सामग्री का अपव्यय होता है।

संगठन में दोनों प्रकार की सामग्री—मानवीय और भौतिक सामग्री को संगठित करने की आवश्यकता होती है। दोनों प्रकार की सामग्री को इस प्रकार संगठित किया जाना चाहिए कि समस्त कार्यक्रम को सुचारु ढंग से कार्यान्वित किया जा सके। योजना और संगठन दोनों एक-दूसरे से सम्बन्धित हैं। संगठन विभिन्न संसाधनों का एकीकरण करता है जिससे सम्पूर्ण कार्यक्रम को उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सुविधाजनक ढंग से क्रियान्वित किया जा सके।

(3) दिशा (Direction)—दिशा का अर्थ है स्कूल के कार्य-संचालन में मार्गदर्शन करना। इसमें बताया जाता है कि कोई काम कब आरम्भ करना चाहिए और कब उसे बन्द कर देना चाहिए। यदि पहले कोई गलत काम हो चुका हो तो मार्गदर्शन उसे सुधार कर ठीक दिशा दिखाता है। यह कार्य मुख्यतः मुख्याध्यापक द्वारा किया जाता है।

प्रशासन-प्रक्रिया में 'मार्गदर्शन' का महत्त्वपूर्ण स्थान है। व्यापक अर्थों में इसी में ही अन्य सभी क्रियाएँ—योजना, संगठन, समन्वय तथा मूल्यांकन आदि सम्मिलित है। हम बिना दिशा के संगठन की कल्पना भी नहीं कर सकते।

(4) समन्वय (Co-ordination)—समन्वय का तात्पर्य है कि जितने भी संगठन और प्रबन्ध से सम्बन्धित तत्त्व है उनमें पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित किया जाए। समन्वय के अन्तर्गत साध्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न तत्त्वों में इस प्रकार समन्वय स्थापित किया जाए। जिससे वे कुशलतापूर्वक एक साथ मिलकर कार्य कर सकें। समन्वय के द्वारा श्रम और शक्ति दोनों का अपव्यय रोका जा सकता है। इसके साथ ही परस्पर सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण होते हैं। उचित समन्वय से सभी क्रियाओं पर नियन्त्रण रहता है और इस बात का ज्ञान रहता है कि कौन-सा व्यक्ति किस क्रिया में लगा हुआ है।

आजकल स्कूलों में कार्य-विधि पर बहुत आलोचना होती है। इसका मुख्य कारण स्कूल की विभिन्न क्रियाओं में ताल-मेल का अभाव है। मुख्याध्यापक को सभी क्रियाओं को सुनियोजित करके उनमें उचित समन्वय स्थापित करना चाहिए।

CIMETRIX

(5) नियन्त्रण (Controlling)—समूची प्रशासन प्रक्रिया का निरीक्षण 'नियन्त्रण' कहलाता है। स्कूल के समस्त तानेबाने (Paraphernalia) जैसे पाठ्य-पुस्तकों, समय-सारणी, पाठ्य सहायक क्रियाओं (Co-curricular activities), अर्थव्यवस्था तथा बजट आदि सभी नियन्त्रण की आवश्यकता है। नियन्त्रण द्वारा ही किसी क्रिया के परिणामों का मूल्यांकन किया जा सकता है। नियन्त्रण प्रगति को सुनिश्चित बनाता है। यह भावी योजनाओं तथा कार्यान्वियन को आधार प्रदान करता है।

(6) स्टाफ नियुक्त करना (Staffing)—स्कूल में अच्छे स्टाफ का चुनाव उसकी आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। उनकी योग्यताएँ तथा गुण अधिकारियों द्वारा निर्धारित योग्यताओं के अनुरूप होने चाहिए। संस्थान के मुख्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने संस्थान के लिए उत्तम स्टाफ का चयन करें तथा यह भी देखे कि विभिन्न कार्यों का विभाजन उनकी कार्यक्षमता के अनुसार हो। ताकि वह उनसे सराहनीय कार्य करवा सकें।

(7) बजट (Budget)—आजकल के स्कूलों को आर्थिक पक्ष पर अधिक ध्यान देना पड़ता है। सुविधाएँ जैसे स्टाफ, भवन आदि में सुधार लाने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। स्कूल के मुख्य को आय प्राप्त करने के लिए नए साधन जुटाने होंगे ताकि वह बढ़ते हुए व्यय को पूरा कर सके। इसी प्रकार अपव्ययों पर भी रोक लगानी होगी। एक अच्छा बजट ही संस्थान को ठीक प्रकार से चलाने में समर्थ व उपयुक्त होता है।

(8) रिकार्ड एवं रिपोर्ट (Record and Report)—शिक्षा संस्थान विभिन्न कार्यों का मिश्रण है। किसी भी व्यक्ति के लिए उनका सम्पूर्ण विवरण रखना एक कठिन कार्य है। प्रशासक का मुख्य कार्य है कि उन कार्यों का निरन्तर रजिस्टर में रिकार्ड रखना तथा उन्हें सम्भालना। इसके अतिरिक्त इन कार्यों की रिपोर्ट देना भी आवश्यक है। प्रशासक को सम्बन्धित कर्मचारी को रिपोर्ट देनी होती है या उच्च अधिकारी को देनी होती है। उसे प्रत्येक विद्यार्थी की उपलब्धियाँ, इनाम तथा दण्ड आदि का भी रिकार्ड रखना होता है।

(9) मूल्यांकन (Evaluation)—मूल्यांकन स्कूल प्रबन्ध प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। कोई भी कार्य तब तक पूर्ण नहीं माना जा सकता जब तक उसके परिणामों का उचित प्रकार से मूल्यांकन न कर लिया जाए। मूल्यांकन द्वारा हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हमने अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक कर ली है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि अमुक कार्य में क्या दोष है और किन कारणों से हम वाँछित सफलता प्राप्त नहीं कर सकें।

◆◆◆

9. शिक्षा तथा आर्थिक विकास में क्या सम्बन्ध है?
(What is relationship between education and economic development?)

उत्तर–आर्थिक विकास क्या है? (What is Economic development) : बाहडबिन के अनुसार, "आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी अर्थ व्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में लम्बे समय तक वृद्धि होती रहे।

हरबाइसन तथा माइजर (Harbisan & Mysers) में प्रति व्यक्ति आय में बृद्धि होने के बावजूद आर्थिक दृष्टि से अल्पविकसित देश को आर्थिक विकास के अनतर्गत नहीं माना है जैसे सऊदी अरब, कुवैत, इरान आदि।

कुछ अन्य अर्थ शास्त्रियों के अनुसार : किसी भी राष्ट्र की कुशल जनशक्ति ही उसकी आय में वृद्धि का साधन है परन्तु सीमित पूंजी, संसाधनों के अभाव तथा कार्य करने के स्थान को कमी के कारण अतिरिक्त (Surplus) जनशक्ति राष्ट्र के आर्थिक विकास के मार्ग में अवरोध ही उत्पन्न करती है।

शिक्षा और आर्थिक विकास *(Education and Economic Development)*

एडम स्मिथ (Adam Smith) ने स्पष्ट किया कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति एक ऐसी पूंजी का निर्माण करते हैं जो कि उस सम्बद्ध व्यक्ति में निहित है। यह पूंजी न केवल इसके अपने वरन् समाज के भविष्य का भी निर्माण करती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि केवल शिक्षा ही विकास को प्रभावित नहीं करती, आर्थिक विकास का भी शिक्षा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न राष्ट्र अधिक सम्पन्न और व्यापक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है। वैसे-वैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित और कुशल कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती है और तदनुरूप हम अपनी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाते हैं और इस शिक्षा और आर्थिक विकास दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं पर आर्थिक विकास का शिक्षा पर अधिक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार आर्थिक विकास शिक्षा का योगदान है, इसका अध्ययन अति आवश्यक है।

आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका *(Role of Education in Economic Development)*

(1) राष्ट्रीय योजनाओं का निर्माण व सफलता (The Success and construction of National Plans)–योजनाओं की सफलता विशेषज्ञों द्वारा निर्माण तथा कार्यान्वित करने पर निर्भर करती है। विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा के द्वारा विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता है और वह धीरे-धीरे अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ बन जाते हैं।

(2) योजनाओं का मूल्यांकन (Evaluations of plan)–विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न योजनाएं बनाई जाती हैं, परन्तु वह सही हैं या नहीं इसका मूल्यांकन एक शिक्षित व्यक्ति ही सही ढंग से कर सकता है। उदाहरण के लिए आजकल भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अशिक्षित व्यक्ति का यही मानना है कि इस प्रकार की योजना से भारत फिर गुलाम बन जाएगा परन्तु एक शिक्षित व्यक्ति यह जान सकता है कि भारत को विकसित बनाने में विदेशी निवेश लाभकारी सिद्ध होगा।

(3) उत्पादन में वृद्धि (Increase in Production)–शिक्षा नई तकनीकों का विकास करके इन विधियों में व्यक्तियों को शिक्षित करके, इन विधियों को अपनी परिस्थितियों में ढालकर और उनमें उचित संशोधन के द्वारा उत्पादन में वृद्धि करती है। एक अनुसंधान के द्वारा यह सिद्ध भी किया गया है कि सभी व्यक्तियों को प्राथमिक शिक्षा देने पर उत्पादन में डेढ़ गुणा, माध्यमिक शिक्षा के द्वारा दो गुणा तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् चार गुणा वृद्धि हो सकती है।

(4) शिक्षा एक निवेश है (Education is Investment)–आधुनिक समय में जैसा कि मार्शल के द्वारा भी माना गया है कि शिक्षा एक निवेश है। शिक्षा में जितना धन लगाया जाता है, उससे अधिक बदले में धन प्राप्त होता है। समाज के व्यक्ति डाक्टर, इन्जीनियर, वैज्ञानिक आदि बनकर देश के उत्थान का कार्य करते हैं। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है तथा देश का आर्थिक विकास होता है।

(5) राष्ट्रीय आय में वृद्धि (Increase in National Incume)–भारत एक विकासशील देश है। इसमें शिक्षा के प्रसार से विद्यार्थी कार्य करने के वैज्ञानिक व तकनीकी ढंगों से परिचित हुए हैं। इससे उत्पादन बढ़ा है, उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।

(6) रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना (To Provide Employment Opportunities)–शिक्षा से निरक्षरता की समस्या हल होती है तथा लोगों को रोजगार के विभिन्न अवसर प्राप्त होते हैं। वे अच्छा व्यवसाय अपनाकर आत्मनिर्भर बनते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं।

(7) उच्च जीवन स्तर (High Standard of Living)–शिक्षित लोग अपना जीवन स्तर उच्च रखना चाहते हैं, उनमें महत्वाकांक्षा होती है और इसे पूरा करने के लिए उन्हें अपनी आय में वृद्धि करनी होती है।

(8) शोषण के विरुद्ध चेतना उत्पन्न करना (To Make Awareness Against Exploitation)–शिक्षा के द्वारा लोगों में शोषण के विरूद्ध चेतना उत्पन्न होती है। वे सामाजिक तथा आर्थिक शोषण के विरूद्ध आवाज उठा सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में शिक्षा का प्रसार कम होने के कारण लोगों का शोषण होता है आज भी जिस क्षेत्र में अशिक्षित लोग अधिक हैं, वहाँ अमीर लोग उनका शोषण करते हैं। शिक्षित व्यक्ति अपना फायदा नुकसान आसानी से समझ जाता है और उसका शोषण करना आसान नहीं होता। जिस देश के नागरिक कुशल व समझदार होते हैं, उस देश का आर्थिक विकास सम्भव होता है।

(9) कुशल जनशक्ति का निर्माण (Preparation of Efficient Manpower)–किसी भी देश का विकास उसके प्राकृतिक साधनों के साथ-साथ कुशल जनशक्ति पर भी निर्भर करता है। शिक्षा के द्वारा मानव संसाधनों को कुशल बनाया जाता है। प्राकृतिक साधनों का उचित उपयोग जनशक्ति पर ही निर्भर करता है। इसकी योग्यता उसमें शिक्षा दुवारा उत्पन्न होती है, साधनों के सदुपयोग से देश का विकास होता है। इस प्रकार शिक्षा कुशल जनशक्ति का विकास करके आर्थिक विकास में सहायक होती है।

(10) विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान (Invention in Various Areas of Development)–शिक्षा की सहायता से ही ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान होते हैं, जैसे अच्छी फसल के लिए किस प्रकार का बीज, खाद होनी चाहिए, उद्योगों के विकास के लिए मशीनरी की उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये अनुसंधान विकास में बहुत सहायक होते हैं।

(11) शिक्षा के विभिन्न पक्ष (Various Areas of Education)–शिक्षा के विभिन्न पक्ष जैसे उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, अध्यापक अनुशासन आदि देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य मानव संसाधनों का विकास करना तथा उत्पादकता में वृद्धि करना होना चाहिए और इसके लिए ऐसे विषयों का अध्ययन करना चाहिए जिनके अन्तर्गत सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक ज्ञान भी प्रदान किया जाए तथा ऐसी शिक्षक विधियों का प्रयोग किया जाए। जिसमें बालक की क्रियाओं का अधिक से अधिक योगदान हो। जो करके सीखने पर आधारित हो। अध्यापक को अपने विषय का सम्पूर्ण ज्ञान हो।

स्पष्ट है कि आर्थिक विकास में शिक्षा महत्वपूर्ण कार्य करती है। **प्रो. जानवे** के अनुसार–आर्थिक विकास की दृष्टि से शिक्षा निम्न कार्य करती है :

(1) प्रशिक्षित जनशक्ति प्रदान करना

(2) जनसाधारण में श्रम और कार्य कुशलता का विकास करना

(3) कृषकों को सरलता उत्पादन क्षमता प्रदान करना।

भारत में शिक्षा तथा आर्थिक विकास
(Education and Economic Development in India)

शिक्षा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। **एडवर्ड एफ. डॉसन (Edward F. Danson)** के अनुसार, "शिक्षा उपयोग नहीं है। अपितु पूँजी उत्पादन का एक आवश्यक तत्व है जिस पर आर्थिक विकास की भावी उत्पादकता निर्भर है। शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति कृषि के नये ढंग अपनाते हैं, उद्योगों का विकास होता है तथा देश उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है। भारतीय शिक्षा आयोग ने भी कहा है कि आज के विज्ञान और शिल्प के युग में शिक्षा ही लोगों का आर्थिक विकास करती है। औद्योगिकता व आधुनिकता के स्वप्न को पूरा करने के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। अब तक शिक्षा को एक लक्ष्य के रूप में माना जाता था, परन्तु अब यह समझा जाने लगा है कि शिक्षा एक माध्यम है। शिक्षा एक ऐसे समाज का निर्माण करती है, जिसकी आवश्यकताओं को भौतिक व अभौतिक दोनों रूपों में पूरा किया जा सके। शिक्षा के बिना आर्थिक विकास के लक्ष्य पूरे नहीं किये जा सकते। यह मानवीय शक्ति का विश्लेषण करती है। इसमें समस्याओं का चयन और समाधान में उपलब्ध जन-शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी शिक्षा को उत्पादकता के साथ जोड़ा है।

पांचवीं वर्ष योजना (Fifth Five Year Plan) में स्पष्ट कहा गया है कि "शिक्षा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्पादकता में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। यह विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक योग्यता वाले व्यक्ति उपलब्ध कराती है।

कोठारी आयोग के अनुसार, "आज का युग विज्ञान और शिल्प का युग है और इस युग में शिक्षा ही लोगों का आर्थिक विकास कर सकती है, उन्हें खुशहाल बना सकती है और उसके जीवन के स्तर को ऊंचा उठा सकती है, उत्पादन में वृद्धि करती है, नवीन सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों की भूमिका प्रस्तुत करती है और समाजवादी व्यवस्था को लाने में सहायता करती है। अतः आर्थिक विकास के लिए हमें भारत के क्षेत्र को अधिक से अधिक व्यापक बनाना होगा।

भारत में राष्ट्रीय आय का केवल 3 % शिक्षा पर व्यय होता है। इतनी बड़ी जनसंख्या के हिसाब से यह व्यय बहुत कम है। यही नहीं हमें कृषि और उद्योगों की शिक्षा पर बल देना होगा, विज्ञान तथा तकनीकी की शिक्षा को अनिवार्य करना होगा और विश्वविद्यालय शिक्षा ढांचे में परिवर्तन करना होगा।

भारत गांवों का देश है इसलिए गांवों से नगरों की ओर दौड़ने और वहीं बस जाने से देश की उन्नति नहीं हो सकती। हम गांवों में रहते हुए भी शिक्षित होकर अधिक उन्नति कर सकते हैं। भारत में औद्योगिकता एवं नवीनता का स्वप्न तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम शिक्षा पर पूर्णरूप से ध्यान नही देंगें।

अतः यदि भारत में हम शिक्षा को अपने आर्थिक विकास का साधन बनाना चाहते हैं तो हमें शिक्षा पर होने वाले व्यय को बढ़ाने के साथ-साथ उसके पाठ्यक्रम में भी व्यापक स्तर पर परिवर्तन करना होगा। भारत में आर्थिक प्रगति हेतु निम्न प्रयास किए जा रहे हैं :

(1) माध्यमिक शिक्षा के साथ-साथ 1994 के सजा से प्रथम डिग्री कोर्स का भी व्यावसायीकरण किया जा रहा है। अनेक विश्वविद्यालय इस प्रकार के पाठ्यक्रम चला रहे हैं।

(2) कार्य अनुभव योजना शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शुरू की जा रही है।

(3) विज्ञान व तकनीकी की शिक्षा पर पहले से अधिक जोर दिया जा रहा है।

(4) खुले स्कूल व विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं।

(5) पूर्णकालीन औपचारिक विद्यालयों व अंशकालीन निरौपचारिक व्यवस्था द्वारा सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। यह 8वी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य रहा है।

निष्कर्षतः नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत जो नये बदलाव किए जा रहे हैं उनसे शिक्षा व आर्थिक विकास का सम्बन्ध स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आता है, क्योंकि नई शिक्षा नीति का मार्गदर्शक सूत्र या आधारभूत सिद्धांत-शिक्षा है जिसका वर्तमान व भविष्य हेतु अद्वितीय निवेश है। **(Education is the unique investment is the present & future)** शैक्षिक सुविधाओं पर ज्यादा व्यय करके ही गुणात्मक सुधार के द्वारा राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

◆◆◆

10. शिक्षा तथा मानवशास्त्र का क्या सम्बन्ध है?
(What is relationship between education and anthropology?)

अथवा

अध्ययन विषयों के मानवशास्त्रीय सन्दर्भ का वर्णन कीजिए।

उत्तर–आधुनिक मानवशास्त्र मानव प्रकृति का अध्ययन है जो कि संस्कृति और सभ्यता में अभिव्यक्त होती है। यह एक बहुविषयक क्षेत्र है क्योंकि इसका आधार प्राकृतिक विज्ञानों (भौतिक मानवशास्त्र) और मानिविकी (सांस्कृतिक मानवशास्त्र) दोनों में है और इनके बीच सीमाएँ निर्धारित नहीं हैं। अमेरिकी मानवशास्त्री क्लिफोर्ड गिट्र्ज के अनुसार मानवशास्त्र की विषय-वस्तु और अभ्यास को परिभाषित करना हमेशा से कठिन रहा है। मानवशास्त्र को इसके अभ्यास से पहचाना जाता है न कि संयुक्त प्रतिमान या रिसर्च एजेंडा से।

लेकिन मानवशास्त्र की परम्परा अच्छी तरह से स्थापित है और इसका एक निश्चत मानवशास्त्री चिंतन है। आधुनिक मानवशास्त्र के प्रारंभिक युग का तुलनात्मक कार्य जो 'प्राचीन' और 'सभ्य' समाजों के बीच तुलना करता है, ने सांस्कृतिक मानवशास्त्र को एक उच्च स्थान दिलाया है और इसे 19वीं सदी में एक अलग शैक्षिक विषय के रूप में स्थापित किया। मानवशास्त्रियों ने सफलतापूर्वक दर्शाया है कि आधुनिक और प्राचीन संस्कृतियों में कई सांस्कृतिक विशेषताएँ हैं और वे बहुत समान हैं। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि मानव प्रकृति और मानव संस्कृति में कई सार्वभौमिक विशेषताएँ हैं जिनकी खोज किसी भी सामाजिक संदर्भ या किसी भी सभ्यता के संदर्भ में की जा सकती है। हाल ही में मानवशास्त्रियों ने अपना ध्यान आधुनिक समाजों के सांस्कृतिक ज्ञान की ओर लगा दिया है, और भूमण्डलीकरण और समाजों और संस्कृतियों की बढती हुई समीपता की प्रक्रिया पर चर्चा की जा रही है। इसके कारण मानवशास्त्री सीधे तौर से समाजशास्त्रियों के साथ प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गए हैं। मानवशास्त्र में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जो समाजशास्त्र के विषय भी हैं और उनको अलग करना असंभव है।

शैक्षिक विषयों को सांस्कृतिक व्यवहारों के संबंध में समझना बहुत ही मजेदार जानकारी देता है। मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से ज्ञान के निर्माण और अभ्यासकर्ताओं को अलग करता है। विभिन्न शैक्षिक समूहों की तुलना से पता चलता है कि संस्कृतियों में बहुत से ऐसे अंतर हैं जो मनमाने हैं—कम से कम एक बाहरी व्यक्ति के लिए। सभी दूसरे सामाजिक समूहों की तरह ही इन समूहों की पहचान भी मुख्य रूप से 'उनके' और 'हमारे' बीच अंतर से कायम रहती है। एक समूह में शामिल होने के लिए समूह की भाषा बोलना, समूह के सामाजिक जीवन में भाग लेना और उन्हीं विश्वासों को साँझा करने की आवश्यकता है। सामूहिक पहचान को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सामाजिक समूहों को सांस्कृतिक अंतर विकसित करने होंगे जिससे बाहरी लोग आसानी से पहचान में आ सकते हैं और कोई बाहरी आदमी समूह में शामिल नहीं हो सकता। वास्तव में बाहरी लोगों को प्रायः संदेह की दृष्टि से देखा जाता है जो यह सुनिश्चित करता है कि कबीले आपस में मिश्रित नहीं होते और अलग रहते हैं।

शैक्षिक विषयों में भाषाओं के विकास का उद्देश्य बाहरी अतिक्रमणों से ज्ञान और विषयों की पहचान की रक्षा करना है। अगर ज्ञान को सार्वभौमिक रूप से समझा जाता और हर एक आदमी के लिए उपलब्ध होता तो अध्ययन विषयों के विशेषज्ञ अपना प्राधिकार खो देंगे जिन्हें अपने विषय के संग्रहित ज्ञान का व्याख्याकार माना जाता है। गंभीर मामलो में जैसे कि परमाणु रणनीति के अध्ययन विषय में, जो कि 1950 के दशक में उभरा, ज्ञान बहुत ही गोपनीय बन सकता है और इस पर बहस में इतने अधिक तकनीकी शब्दों और विशेष शब्दावली का प्रयोग किया जा सकता है कि उन्हें केवल एक बहुत ही छोटे से उच्च वर्गीय समूह द्वारा ही समझा जा सकता है। विशेष शब्दावली और तकनीकी भाषा का प्रयोग नए विचारों की कमी को छिपाने के लिए किया जा सकता है और स्पष्ट विचार को बढाचढ़ा कर उसे विज्ञान के स्तर तक पहुँचाया जा सकता है।

जिन विषयों के विद्वानों में विधियों और विषय-वस्तु के संबंध में अधिक सहमति होती है उन विषयों में कहीं अधिक निर्धारित सीमाएँ होती हैं, अपेक्षाकृत उन विषयों के जिनकी विधियों और विषय-वस्तु के संबंध में उन विषयों के विद्वानों में अधिक सहमति नहीं होती। अच्छी तरह से परिभाषित सीमाओं वाले कठिन प्राकृतिक विज्ञान दूसरे विषयों या क्षेत्रों के साथ आसानी से सहयोग करते हैं जबकि आसान और कम परिभाषित सीमाओं वाले विज्ञानों में ऐसा नहीं है और इसलिए उनकी अधिक आलोचना की जाती है। इस प्रकार जितनी अधिक बौद्धिक दूरी होगी, ज्ञान के संयुक्त होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी।

मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण शैक्षिक संस्कृतियों की व्याख्या और विश्लेषण उनके उन सांस्कृतिक व्यवहारों से कर सकता है जो उनकी पहचान को सुदृढ बनाते हैं। शैक्षिक संस्कृतियों के कुछ कमाल के अध्ययन उपलब्ध हैं। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण है टोनी बेचर और पॉल ट्राउलर की किताब, जो 1980 और 1990 के दशकों के दौरान यूएस और ब्रिटेन का वर्णन करती है। मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण का लाभ यह है कि यह मुख्य रूप से वर्णनात्मक है और निर्देशात्मक नहीं है।

◆◆◆

4

शिक्षा का सैधान्तिक परिप्रेक्ष्य
[Theoretical Perspective of Education]

4.1 विद्यालय शिक्षा : समकालीन चुनौतियाँ
(School Education : Contemporary Challenges)

विद्यालय का क्या अर्थ है? इसकी आवश्यकता एवं महत्त्व किन कारणों से है? विवेचना कीजिए।

अथवा

विद्यालय के अर्थ को स्पष्ट कहते हुए इसकी आवश्यकता एवं महत्त्व पर प्रकाश डालिए।

अथवा

विद्यालय शिक्षण से आप क्या समझते हैं? विद्यालय शिक्षा की समकालीन चुनौतियों का वर्णन कीजिए। (What do you mean by school education? Describe the contemporary challenges in school.)

उत्तर—औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन है विद्यालय। इसके कार्यों की विवेचना करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि विद्यालय क्या है?

स्कूल का अर्थ—विद्यालय के लिए अंग्रेजी भाषा में स्कूल शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह शब्द लैटिन भाषा के 'SKHOLA' शब्द से बना है जिसका अर्थ है अवकाश या खाली समय। पहले एथेंस के युवक अपना खाली समय खेलकूद, व्यायाम या वाद-विवाद करने में बिताया करते थे और जहाँ यह समय बिताया जाता था वे स्थान अवकाशालय कहलाते थे। बाद में ये स्थान ज्ञान-विज्ञान के केन्द्र बन गए क्योंकि यहाँ आकर युवक ज्ञान प्राप्त किया करते थे तथा इन्हें विद्यालय या स्कूल कहा जाने लगा। विद्यालय शब्द का अर्थ भी वही स्थान है जहाँ यह ज्ञान प्राप्त किया जाता है।

लीच (Leach) के शब्दों में—"वाद-विवाद या वार्ता के वे स्थान जहाँ एथेंस के युवक अपने अवकाश के समय को खेलकूद, व्यवसाय और युद्ध के प्रशिक्षण में व्यतीत करते थे, धीरे-धीरे दर्शन तथा उच्च कला के स्कूलों में बदल गए। इस प्रकार एकेडमी के सुन्दर उद्यानों में व्यतीत किए जाने वाले अवकाश के माध्यम से स्कूलों का विकास हुआ।"

स्कूल की कुछ परिभाषाएँ—स्कूल की कुछ मुख्य परिभाषाएँ इस प्रकार हैं—

1. जॉन डीवी के अनुसार, **"स्कूल एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहाँ बालक के अपेक्षित विकास की दृष्टि से उसे विशिष्ट क्रियाओं व व्यवसायों की शिक्षा दी जाती है।"**
   (School i a special environment where a special quality of life and certain type of activities and occupations are provided with the object of securing the child's development along desirable lines.)
2. रॉस के अनुसार, **"विद्यालय वे संस्थाएँ हैं जिन्हें सभ्य समाज ने इस दृष्टि से स्थापित किया है जिससे समाज की योग्य एवं व्यवस्थित सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले।"**

CIMETRIX SKILLED INDIA

(Schools are institutions devised by civilized men for the purpose of aiding in the preparation of the young for well adjusted and efficient membership of society.)

इन परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विद्यालय वे संस्थाएँ हैं जिन्हें–

(i) समाज द्वारा विशेष रूप से दिशा देने के उद्देश्य से ही खोला गया है।

(ii) जो बच्चों को विशेष शैक्षिक वातावरण प्रदान करती हैं।

(iii) उन्हें समाज के सुयोग्य नागरिकों के रूप में तैयार करती हैं तथा

(iv) उन्हें विशिष्ट क्रियाओं एवं व्यवसायों का प्रशिक्षण देती हैं।

विद्यालय शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्त्व *(Need and Importance of School Education)*

आरंभ में ज्ञान का क्षेत्र अधिक विस्तृत नहीं था तथा मानव की जरूरतें भी सीमित थी अतः परिवार ही बच्चों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी संभाले हुए थे। ज्ञान में वृद्धि के साथ-साथ शिक्षा देने के लिए विशेष संस्थाओं की आवश्यकता अनुभव की गई और विद्यालय खोले जाने लगे।

आज स्थिति यह है कि विद्यालय एवं शिक्षा एक-दूसरे के पर्याय बन गए हैं। स्कूली शिक्षा के बिना बच्चे की शिक्षा अधूरी समझी जाती है। इसकी आवश्यकता व महत्त्व निम्नलिखित कारणों से है–

1. संस्कृति की सुरक्षा व विकास के लिए–प्रत्येक समाज की अपनी विशेष संस्कृति होती है जिसे वह जीवित बनाए रखना चाहता है तथा सुरक्षित अगली पीढ़ी को सौंपना चाहता है। यही नहीं, वह उसमें कुछ नया जोड़कर उसका विकास भी करना चाहता है। इसी उद्देश्य से वह विद्यालय खोलता है। इस प्रकार विद्यालय समाज की संस्कृति की सुरक्षा तथा विकास के लिए आवश्यक है।

2. ज्ञान को व्यवस्थित रूप में प्रदान करने के लिए–ज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। विद्यालय उस असीमित ज्ञान में से हमारे लिए उपयोगी अंश छांटकर उसे व्यवस्थित रूप में हमें प्रदान करते हैं। यदि विद्यालय न हों तो हमारे लिए यह समझ पाना बहुत मुश्किल है कि हम किस ज्ञान को कैसे प्राप्त करें।

3. व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने के लिए–किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके नागरिकों पर निर्भर करती है। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र अपने नागरिकों के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों के विकास के लिए प्रयत्नशील रहता है। यह कार्य वह विद्यालय के माध्यम से करता है।

विद्यालय बच्चे की केवल मानसिक योग्यताओं के विकास का ही कार्य नहीं करते उसके व्यक्तित्व के शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक तथा चारित्रिक पक्षों के विकास के लिए भी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हैं। वास्तव में बच्चे के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास विद्यालय के अतिरिक्त कहीं और संभव नहीं है।

4. राजनैतिक आदर्शों की प्राप्ति के लिए–प्रत्येक राजनैतिक व्यवस्था की सफलता अच्छे नागरिकों पर निर्भर करती है और अच्छे नागरिक की परिभाषा हर समाज में अलग-अलग है। प्रजातंत्र में अच्छे नागरिक वे हैं जो अपने अधिकारों व कर्त्तव्यों के प्रति सचेत हों, जिनमें स्वतंत्र रूप से सोचने तथा निर्णय लेने की योग्यता हो जबकि तानाशाही व्यवस्था में अच्छे नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आँख मूंदकर शासन के आदेश का पालन करें। इसलिए प्रत्येक व्यवस्था विद्यालय खोलती है तथा वहाँ बच्चों को प्रशिक्षण देकर इस प्रकार तैयार करती है कि वे राजनैतिक आदर्शों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो सके।

5. विशेष शैक्षिक वातावरण प्रदान करने के लिए–बच्चे को शिक्षित करने में उसके वातावरण का विशेष महत्त्व है। उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के अभाव में बच्चे के व्यक्तित्व का सही विकास हो ही नहीं सकता। विद्यालय का महत्त्व इस दृष्टि से भी है कि वे बच्चे को शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराते हैं जिससे बच्चे की योग्यताओं व क्षमताओं का समुचित विकास हो सके।

6. सामाजिक समस्याओ के समाधान के लिए–प्रत्येक समाज की कुछ समस्याएँ होती हैं जिनका समाधान किए बिना वह प्रगति नहीं कर सकता। इनका हल करने का प्रभावी साधन है–शिक्षा और शिक्षा देने वाली औपचारिक संस्था है विद्यालय। उदाहरण के लिए भारत में बाल-विवाह, सती-प्रथा तथा दहेज जैसी

बुराइयाँ प्रचलित हैं। आज भी हम रूढ़ियों व अंधविश्वासों के बंधन में जकड़े हुए हैं। इन सबसे मुक्ति पाए बिना विकास की बात सोचना ही बेकार है। विद्यालय शिक्षा के माध्यम से बच्चों को इन बुराइयों के बुरे परिणामों से परिचित कराते हैं और उन्हें छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं।

7. सामाजिक प्रगति के लिए–किसी भी समाज की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास विभिन्न क्षेत्रों में कितने कार्य कुशल व्यक्ति उपलब्ध हैं। इन कार्य कुशल व्यक्तियों को तैयार करने का कार्य विद्यालय ही करते हैं। वे ही शिक्षा देकर योग्य डाक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक तथा प्रशासक तैयार करते हैं जो राष्ट्र को प्रगति की दिशा में ले जाने में मदद करते हैं।

8. सामाजिक परिवर्तनों के लिए–परिवर्तन विकास के लिए आवश्यक शर्त है क्योंकि कहा भी गया है कि "जो अपने वर्तमान व अतीत से ही चिपके रहना चाहते हैं वे अपना भविष्य खो देते हैं।"

सामाजिक परिवर्तन का सर्वश्रेष्ठ साधन है शिक्षा। शिक्षा लोगों को परिवर्तन के लिए तैयार करती है, उन्हें ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में हो रही नवीनतम उपलब्धियों से परिचित कराती है, उनमें बसी अलगाववादी प्रवृत्तियों को दूर करती है जिससे समाज में परिवर्तनों की संभावना बढ़ जाती है। विद्यालय में दी जा रही औपचारिक शिक्षा ही ये सब कार्य करती है।

9. सामाजिक जीवन की तैयारी के लिए–विद्यालय को एक छोटा समाज (A miniature Community) या एक उपसामाजिक व्यवस्था (Sub-Social System) कहा जाता है क्योंकि विद्यालय बच्चों के समक्ष सामाजिक जीवन का एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। बच्चे को बड़े होकर अपना सारा जीवन समाज में ही बिताना होता है अतः उसे यह पता होना चाहिए कि समाज उससे क्या-क्या अपेक्षाएँ रखता है तथा समूह में रहने के लिए उसमें क्या-क्या विशेषताएँ होनी चाहिए।

व्यक्ति को जीवन में अनुकूल व प्रतिकूल दोनों तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है अतः उसमें समाज के साथ समायोजन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। इन सब बातों का प्रशिक्षण देकर बच्चे को सामाजिक जीवन के लिए तैयार करने के लिए विद्यालय आवश्यक है।

10. विद्यालय औपचारिक शिक्षा के सर्वोत्तम साधन–आज के युग में औपचारिक शिक्षा का महत्त्व सर्वविदित है। यह तो ठीक है कि परिवार, राज्य तथा समुदाय आदि बच्चे की शिक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पर इनके शैक्षिक कार्य इतने महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। जहाँ तक शिक्षा देने की जिम्मेदारी का सम्बन्ध है यह तो विद्यालय को ही सौंपी गई है। अन्य साधनों का सहयोग इसे अपनी इस जिम्मेदारी को अच्छी प्रकार से निभाने में मदद कर सकता है। आज नौकरी के लिए डिग्री की आवश्यकता है और यह डिग्री उसे स्कूल से ही मिल सकती है। अतः बच्चे को औपचारिक शिक्षा देने के लिए विद्यालय आवश्यक है।

विद्यालयी शिक्षा में समकालीन चुनौतियाँ *(Contemporary challenges in School Education)*

यद्यपि स्कूल औपचारिक शिक्षा का महत्त्वपूर्ण साधन हैं फिर भी ये अपने दायित्व का निर्वाह अच्छी प्रकार से नहीं कर पा रहे। इसका कारण हमारी विद्यालय व्यवस्था में व्याप्त निम्नलिखित चुनौतियाँ हैं–

1. **अलोकतांत्रिक स्वरूप**–कहने को हमने भारत में लोकतांत्रिक समाज व्यवस्था को स्वीकार किया हुआ है पर हमारे विद्यालयों का स्वरूप अभी भी लोकतांत्रिक नहीं है। बच्चे को वहाँ अपने ढंग से कार्य करने व अपनी रुचियों का विकास करने की स्वतंत्रता नहीं है। आज भी विद्यालयों का स्वरूप अंग्रेजी शासन व्यवस्था जैसा ही है।

2. **बच्चे की उपेक्षा**–आज मनोवैज्ञानिक शिक्षा का केन्द्र बिंदु बच्चे को मानने पर बल देते हैं परंतु भारतीय विद्यालय बच्चे की अपेक्षा विषय-वस्तु को अधिक महत्त्व देते हैं। अध्यापक बच्चे की रुचि, अरुचि, मानसिक स्तर तथा क्षमताओं पर कोई ध्यान नहीं देते। उनका मुख्य उद्देश्य तो बच्चे को निश्चित अवधि में निर्धारित पाठ्यक्रम सिखाना होता है। विभिन्न विषयों के अध्यापक

CIMETRIX

अपने-अपने विषय से संबंधित ज्ञान को बच्चे के मस्तिष्क में जबर्दस्ती ठूंसने का प्रयारा करते हैं। वे यह भी जानने का प्रयास नहीं करते कि बच्चे ने उसे समझा भी है अथवा नहीं।

3. **सैद्धान्तिक एवं कठोर पाठ्यक्रम**–विद्यालयों का पाठ्यक्रम पुस्तकीय होता है। उसमें विभिन्न विषयों की सैद्धान्तिक जानकारी देने पर बल दिया जाता है। व्यावहारिक प्रशिक्षण पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। पाठ्यक्रम का स्वरूप भी कठोर ही होता है। उसमें जल्दी से परिवर्तन नहीं किया जाता जबकि बदलती सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसे बनाते समय बच्चे की रुचियों व जरूरतों आदि पर भी ध्यान नहीं दिया जाता।
4. **अमनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियाँ**–मनोवैज्ञानिक ऐसी शिक्षण विधियों के प्रयोग पर बल देते हैं जिसमें बच्चे को स्वयं क्रिया करके अनुभव से सीखने का मौका मिले, लेकिन हमारे विद्यालयों में अध्यापक प्रधान विधियों का प्रयोग किया जाता है। पाठ के विकास में बच्चों का सहयोग न के बराबर होता है। वे तो मात्र मूक श्रोता बनकर बैठे रहते हैं।
5. **सहगामी गतिविधियों का अभाव**–बच्चे के व्यक्तित्व के स्वाभाविक एवं सर्वांगीण विकास की दृष्टि से पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियों का विशेष महत्त्व है क्योंकि इनमें बच्चे परीक्षा के भय से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से भाग ले सकते हैं, लेकिन हमारे स्कूलों में इन गतिविधियों का आयोजन बहुत कम किया जाता है। अध्यापकों का ध्यान निर्धारित अवधि में पाठ्यक्रम को पूरा कराने व बच्चों को परीक्षा में उत्तीर्ण कराने पर होता है। यही नहीं, खेलकूद जैसी गतिविधियों के लिए भी समय कम बच पाता है।
6. **वैयक्तिक विभिन्नता की उपेक्षा**–बच्चों में मानसिक योग्यताओं, रुचि तथा आवश्यकताओं आदि की दृष्टि से भिन्नता पाई जाती है। अतः बच्चों की इन भिन्नताओं को पहचानकर उन्हें उनके अनुसार शिक्षा देकर ही उनके व्यक्तित्व का सही विकास किया जा सकता है। पर हमारे विद्यालय वैयक्तिक भिन्नताओं की ओर कोई ध्यान नहीं देते। यहाँ प्रतिभाशाली व मंदबुद्धि बच्चों को एक ही साथ एक ही प्रकार से पढ़ाया जाता है।
7. **समुचित व्यावसायिक शिक्षा का अभाव**–कहने को तो हमारे विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है पर यह कितनी सार्थक व उपयोगी है, सब जानते हैं। साधनों तथा प्रयोगशाला आदि के अभाव में व्यावसायिक शिक्षा भी केवल सैद्धान्तिक बनकर ही रह गई है। जबकि व्यावहारिक प्रशिक्षण के बिना उसकी कोई उपयोगिता नहीं है।
8. **अयोग्य अध्यापक**–विद्यालयों में कार्य करने वाले कुछ अध्यापक इस दृष्टि से अयोग्य नहीं हैं कि उनके पास आवश्यक डिग्री का अभाव है। अयोग्य वे इस दृष्टि से हैं कि उनकी शिक्षण कार्य में कोई रुचि नहीं है। वे अध्यापन को भी अन्य नौकरियों जैसा ही मानते हैं। व्यक्तिगत शिक्षण (ट्यूशन) करना उनका मुख्य लक्ष्य रहता है। ऐसे अध्यापक बच्चों के साथ न्याय कर पाएँगे इसमें संदेह है।
9. **अमनोवैज्ञानिक व दूषित वातावरण**–शिक्षा संस्थाओं का वातावरण अमनोवैज्ञानिक तथा दोषपूर्ण है। विद्यालय राजनीति का केंद्र बन गए हैं। अध्यापकों का छात्रों के प्रति व्यवहार मैत्रीपूर्ण न होकर दमनात्मक होता है। उनमें परस्पर तादात्म्य (Interaction) का अभाव है। अध्यापक स्वयं अनेक दोषों का शिकार बने होते हैं। वे आपसी गुटबंदी के भी शिकार होते हैं। इन सब बातों का बच्चे के कोमल मस्तिष्क पर बहुत बुरा असर पड़ता है और उसके बिगड़ने की पूरी संभावना रहती है।
10. **अन्य साधनों के साथ सहयोग का अभाव**–विद्यालय शिक्षा देने के अपने कार्य को तब तक अच्छी प्रकार से पूरा नहीं कर सकता जब तक वह अन्य साधनों के साथ सहयोग न करे। विद्यालय को परिवार, राज्य तथा समुदाय आदि के सहयोग की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे विद्यालयों को उन सबका सहयोग नहीं मिल पाता। माता-पिता बच्चे को स्कूल भेजकर स्वयं को उसकी

शिक्षा की जिम्मेदारी से मुक्त समझ लेते हैं। इससे विद्यालय को अपनी कमियों का पता ही नहीं लग पाता। इसी प्रकार समुदाय में शैक्षिक महत्त्व के अनेक स्थान होते हैं, लेकिन विद्यालय उनका भी लाभ नहीं उठाता। इन सब कारणों से विद्यालय अपने शैक्षिक दायित्वों का अच्छी प्रकार निर्वाह नहीं कर पाता।

इसके अतिरिक्त विद्यालयों में सामूहिक गतिविधियों का भी अभाव है जिससे बच्चे में सामूहिक भावना का विकास नहीं हो पाता। विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की भी कमी है। न विद्यालय भवन है, न प्रयोगशाला, न पुस्तकालय तथा न ही पर्याप्त अध्यापक। कहीं-कहीं श्यामपट्ट भी नहीं हैं। कई विद्यालयों में यदि भवन हैं भी तो इतने जर्जर कि बरसात में गिरने के भय से उसे बंद कर देना पड़ता है।

उपर्युक्त दोषों के कारण हमारी शिक्षा हमें विकास के स्थान पर पतन की ओर ले जा रही है। जैसा कि एच.जी. वेल्स ने कहा है–"यदि आप यह जानना चाहते हैं कि हमारी पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ पहाड़ी नदियों के जल की भांति विनाश की ओर क्यों बढ़ती जा रही हैं तो आप किसी गैर सरकारी स्कूल को ध्यान से देखिए।"

एच.जी. वेल्स ने यह बात इंग्लैंड के स्कूलों के बारे में कही थी। भारत में यह सरकारी व गैर सरकारी दोनों प्रकार के विद्यालयों के बारे में कहा जा सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इन्हें शिक्षा का प्रभावी साधन कैसे बनाया जाए?

विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए सुझाव

1. **विद्यालय का स्वरूप प्रजातांत्रिक हो**–प्रजातंत्र जीवन की एक शैली है। इसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उतारे बिना राजनीतिक प्रजातंत्र सफल ही नहीं हो सकता। अतः विद्यालयों का स्वरूप भी प्रजातांत्रिक होना आवश्यक है। विद्यालय से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को एक परिवार का सदस्य समझना चाहिए और उससे सम्बन्धित समस्याओं का समाधान मिल-जुलकर करना चाहिए। वहाँ का वातावरण ऐसा हो जिसमें बच्चे व अध्यापक स्वतंत्रता अनुभव कर सकें।
2. **पाठ्यक्रम लचीला व क्रियाप्रधान हो**–पाठ्यक्रम में समय-समय पर व्यक्ति व समाज की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन होते रहने चाहिए। उसमें केवल सैद्धान्तिक विषय सामग्री ही न हो, वह बच्चे को कुछ करके सीखने के अवसर भी प्रदान करे। वह बच्चे की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो।
3. **मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियाँ**–वहाँ छात्र प्रधान शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना सीखने की सर्वोत्तम विधियाँ हैं। अतः इन्हीं पर आधारित प्रोजैक्ट विधि, समस्या समाधान तथा डाल्टन विधि आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। अध्यापक पाठ के विकास में बच्चों का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करें।
4. **सहगामी गतिविधियों का आयोजन**–विद्यालय जीवन की एकरसता को दूर करने के लिए समय-समय पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित की जानी चाहिए, प्रदर्शनियाँ लगाई जानी चाहिए, खेलकूद, भाषण, वाद-विवाद व कविता पाठ जैसी प्रतियोगिताएँ कराई जानी चाहिए, श्रमदान शिविर कैम्प आदि लगाए जाने चाहिए। इससे बच्चे को अपनी रुचियों का विकास करने तथा क्षमताओं की अभिव्यक्ति के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।
5. **योग्य अध्यापकों की नियुक्ति**–शिक्षण जैसे व्यवसाय के महत्त्व को देखते हुए इस क्षेत्र में केवल उन्हीं की नियुक्ति की जानी चाहिए जो वास्तव में अध्यापन में रुचि रखते हों क्योंकि पढ़ाना हर एक के बस की बात नहीं है। कहा भी गया है कि Teaching is not every body's cup of tea उन्हें अपने विषय का विशेषज्ञ तथा बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता भी होना चाहिए। अध्यापक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। पत्राचार द्वारा दिए जा रहे अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
6. **वैयक्तिक विभिन्नता के अनुसार शिक्षण की व्यवस्था**–विद्यालय में बच्चों की वैयक्तिक भिन्नता के अनुसार शिक्षण का प्रबंध होना चाहिए। अध्यापकों को प्रतिभाशाली व मंदबुद्धि छात्रों का पता लगाकर उन्हें उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। बच्चों की रुचियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं। अतः उनके विकास की दृष्टि से विभिन्न गतिविधियों का भी आयोजन किया जाना चाहिए।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS

7. शैक्षिक वातावरण का निर्माण—विद्यालय वातावरण पूर्णतः शैक्षिक होना चाहिए। वहाँ सभी शैक्षिक सुविधाएँ होनी चाहिए। वहाँ पढ़ते हुए बच्चे पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करें, विभिन्न गतिविधियों में स्वाभाविक रूप में भाग लें तथा सभी कार्यों को परस्पर सहयोग व जिम्मेदारी से करें।

8. व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर बल—विद्यालय कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चों को अपने व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का विकास करने के अवसर प्राप्त होते रहें। वह विभिन्न विषयों के शिक्षण द्वारा बच्चों का मानसिक विकास तो करता ही है उसे शारीरिक गतिविधियों द्वारा शारीरिक तथा सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक व नैतिक विकास के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। विद्यालय वातावरण ऐसा सुंदर व सुरुचिपूर्ण बनाया जाए जिससे बच्चों में कलात्मक अभिरुचि का विकास हो सके।

9. अन्य साधनों के साथ सहयोग—विद्यालय शिक्षा का प्रभावशाली साधन बन सकता है यदि वह परिवार, समुदाय तथा राज्य आदि का सहयोग प्राप्त करें। बच्चा परिवार से विद्यालय में आता है। अतः उसकी अनेक समस्याओं का कारण उसके पारिवारिक वातावरण में छिपा रहता है। बिना परिवार के सहयोग के बच्चे की उन समस्याओं को दूर ही नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार समुदाय के पास ऐसे ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा प्रशासनिक स्थल, खेत तथा कार्यशालाएँ होती हैं जिनका प्रयोग करके विद्यालय अपनी शिक्षा को अधिक प्रभावी बना सकता है। अतः विद्यालय को चाहिए कि वह शिक्षा के अन्य साधनों के साथ सहयोग करें।

10. व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था—विद्यालयों में विविध व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे छात्र अपनी रुचि के अनुरूप किसी व्यवसाय का प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। इन व्यवसायों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सभी सुविधाएँ वहाँ उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर कार्य अनुभव योजना भी लागू की जानी चाहिए जिससे उनमें श्रम के प्रति निष्ठा पैदा हो सके।

11. अध्यापकों का आदर्श व्यवहार—अध्यापकों को बच्चों के समक्ष उन सभी गुणों का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए जिनकी अपेक्षा वे बच्चे में करते हैं क्योंकि बच्चे अध्यापक को अपना आदर्श मानते हैं और उनकी प्रत्येक गतिविधि तथा व्यवहार की नकल करते हैं। अतः अध्यापक को चाहिए कि वह बच्चों के सामने अनुशासन, शिष्ट व्यवहार, नम्रता, परिश्रम तथा अच्छे सामाजिक व नैतिक मूल्यों का आदर्श रखें।

अंत में कहा जा सकता है कि यदि उपर्युक्त सुझावों पर ध्यान दिया जाए और हम विद्यालयों में सुधार लाने के लिए पक्का निश्चय कर लें तो निश्चित रूप से इन्हें शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाया जा सकता है।

◆◆◆

2. भारतीय विद्यालयों के बाधक तत्त्वों तथा उनके सुधार के उपायों का वर्णन करें।

अथवा

भारतीय साधारण विद्यालयों की दशा या बाधक तत्त्वों या कारकों तथा उनके सुधार के उपायों की विवेचना कीजिये।

अथवा

भारत के विद्यालयों के बाधक तत्त्वों या कारकों तथा विद्यालय के समाज पर पड़ने वाले प्रभावों तथा कार्यों का वर्णन कीजिये।

उत्तर–भारत के साधारण विद्यालयों की वर्तमान दशा तथा बाधक तत्त्व या कारक **निम्नलिखित प्रकार** से हैं–

1. **साधारण विद्यालयों की दशा (Position of Ordinary School)**—आज हमारा देश स्वतंत्र है। यहाँ जनतंत्रात्मक सरकार है। अतएव विद्यालयों की व्यवस्था को भी जनतांत्रिक बनाने का प्रयास तो किया जा रहा है लेकिन अनेक ऐसी बातें हैं जो विद्यालयों को ऐसा करने नहीं दे रही हैं। हमारे देश में दो प्रकार के विद्यालय चल रहे हैं—कुछ सरकारी हैं और कुछ

गैर-सरकारी अथवा व्यक्तिगत शिक्षा संस्थायें हैं। उनमें अधिकांश तो प्राचीन पद्धति पर ही चल रही हैं। उनमें किसी प्रकार की सुधारात्मक स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। एच. जी. वेल्स ने एक स्थान पर लिखा है कि यदि आप इस बात का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं कि पीढ़ियों के बाद पीढ़ियाँ किस प्रकार पहाड़ी नदियों के वेग से विनाश की ओर बढ़ रही हैं तो आप किसी गैर-सरकारी विद्यालय को देखिए।

2. हमारे विद्यालयों की प्रगति में निम्न बातें बाधक हो रही हैं—विद्यालयों में ऐसे वातावरण का निर्माण नहीं किया जा रहा है, जिससे उनका वास्तविक विकास में योग मिल सके।
3. विद्यालय में छात्रों की शिक्षा में नवीन शिक्षा विधियों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता लेकर छात्रों के वास्तविक विकास को ध्यान में रखकर शायद ही कोई विद्यालय शिक्षा देता होगा। अन्यथा सभी विद्यालय वही पुरानी लकीर के फकीर बने हुए हैं सैद्धान्तिक रूप में तो सब आदर्श ही आदर्श हैं और ऐसा कहा भी जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा सुधार हुआ, लेकिन यथार्थ में आज से 100 वर्ष पहले के विद्यालय और आज के विद्यालयों में कोई अन्तर नहीं है, सिवाय इसके कि पाठ्यक्रम परिवर्तित कर दिया गया, विषयों में उलट फेर कर दिया गया तथा विद्यालयों की संख्या में भी वृद्धि कर दी गई है।
4. प्राथमिक और पूर्व-माध्यमिक विद्यालयों में बेसिक शिक्षा चल रही है। यह भी केवल कथन मात्र के लिए। जब बेसिक शिक्षा लागू नहीं हुई थी, उस समय के प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की दशा में आज भी कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है। हाँ, इस दिशा में पाठ्यक्रम संबंधी परिवर्तन अवश्य सामने आये हैं, पर क्रिया रूप में क्या सामने है? यह किसी भी बेसिक स्कूल को देखकर जाना जा सकता है।
5. हमारे देश के विद्यालयों में जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं, वे प्रत्येक राज्यों में अलग-अलग हैं। एक प्रदेश में एक पाठ्यक्रम सबके लिए है, जबकि एक ही प्रदेश की सीमा में विभिन्न स्थानों की परिस्थितियाँ भिन्न प्रकार की होती हैं। अतएव स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने की स्वतंत्रता अवश्य होनी चाहिए पर ऐसा है नहीं।
6. हमारे देश की शिक्षा में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान नहीं रखा जाता है। यहाँ अब भी 'सब धान बाइस पसेरी' वाली कहावत चरितार्थ हो रही है।
7. हमारे देश की शिक्षा में अब भी पुस्तकीय ज्ञान को महत्ता दी जा रही है तथा खेल आदि विधियों से शिक्षा नहीं दी जा रही है।
8. छात्रों में रचनात्मक तथा सृजनात्मक शक्तियों का विकास करने के प्रयत्न नहीं हो पा रहे हैं, छात्रों की जिज्ञासा प्रवृत्तियों की उपेक्षा की जा रही है। यह सब इसलिए कि योग्य शिक्षकों का अभाव है। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे शिक्षकों की आवश्यकता है, जो शिक्षा कार्य के प्रति अनुकूल अभिवृत्ति रखते थे, किन्तु नौकरी न मिलने के कारण अन्य पेशों में रुचि रखने वाले लोग भी इसी पेशे को चुन लेते हैं। इससे उनके द्वारा अच्छे कार्य नहीं हो पाते।
9. हमारी आधुनिक शिक्षा ऐसे लोगों का निर्माण नहीं कर पा रही है, जो सामाजिक दायित्व का निर्वाह पूर्ण रूप से कर सकें। बच्चे स्कूली जीवन में तथा स्कूल से निकलने के बाद भी समाज में अनुशासनहीनता का प्रदर्शन करते हैं, साथ ही हमारे विद्यालय भी समाज में कुशल सदस्य के रूप में सफल होने की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं।

विद्यालय को शिक्षा का एक प्रभावशाली साधन बनाने के उपाय–

1. विद्यालयों को चाहिए कि वे बालकों के घर तथा परिवार से भी संबंध रखें।
2. बालकों को उनके समाज के योग्य शिक्षा दी जाये।
3. अध्यापक बालक के घर परिवार की परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी प्राप्त करें।

GIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

4. अध्यापक और अभिभावक संघों का निर्माण किया जाये।
5. सामाजिक विषयों का अध्ययन कराया जाये।
6. बालक समाज सेवा में भाग लें।
7. विद्यालय प्रौढ़ व्यक्तियों को भी शिक्षा प्रदान करने का कार्य करें।
8. समाज सेवा संघ का विद्यालय में निर्माण हो।
9. विद्यालयों को राज्य का पूर्ण संरक्षण प्राप्त हो।
10. अच्छे विद्यालयों की स्थापना हो।
11. योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाये।
12. प्रशिक्षण विद्यालयों का पुनर्गठन किया जाये।
13. समय-समय पर योग्य और न्यायप्रिय निरीक्षण मण्डल के द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण हो।

◆◆◆

3. मानव संसाधन विकास में शिक्षा की भूमिका की विवेचना करो।
(Discuss the role of education in human resource development.)

अथवा

शिक्षा और मानव संसाधन विकास पर संक्षिप्त नोट लिखिए।
(Write short note on 'Education and Human Resource Development'.)

उत्तर–प्रत्येक राष्ट्र अपने विभिन्न पक्षों का विकास करना चाहता है। एक विकसित राष्ट्र बनना उसका सपना होता है जिसे साकार करने के लिए वह निरन्तर प्रयत्नशील रहता है। इस कार्य में जो संसाधन सहायक हैं उनमें मुख्य निम्नलिखित हैं–

(1) भौतिक संसाधन (Physical Resources)
(2) आर्थिक संसाधन (Economic Resources)
(3) मानवीय संसाधन (Human Resources)

भौतिक संसाधन (Physical Resources)–ये वे संसाधन हैं जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं जैसे नदियाँ, पर्वत, जल, कोयला तथा लोहा आदि। किसी भी राष्ट्र के विकास में इन संसाधनों की मुख्य भूमिका होती है।

आर्थिक संसाधन (Economic Resources)–किसी भी कार्य को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। यही वित्तीय संसाधन है। किसी राष्ट्र के पास जितने अधिक वित्तीय संसाधन होते हैं उसके विकास की उतनी ही अधिक सम्भावनाएँ होती हैं। प्रत्येक राष्ट्र अपने धन को विभिन्न कार्यों में निवेशित करता है जिससे आने वाले समय में वह उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके और विकास की ओर अग्रसर हो सके।

मानवीय संसाधन (Human Resources)–किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या या जनशक्ति उसके मानवीय संसाधन हैं। इन तीनों संसाधनों में मानवीय संसाधनों का महत्त्व सबसे अधिक है क्योंकि वित्तीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग करने वाला तो मनुष्य ही है। यदि उसमें आवश्यक कौशल है तथा वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है तभी अन्य दोनों प्रकार के संसाधनों का समुचित लाभ उठाया जा सकता है। यही कारण है कि वर्तमान में प्रत्येक राष्ट्र अपने मानवीय संसाधनों के विकास पर विशेष ध्यान दे रहा है।

मानवीय संसाधनों के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है यह जानने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि मानवीय संसाधनों के विकास का क्या अर्थ है।

मानवीय संसाधनों के विकास का अर्थ (Meaning of Human Resource Development)–मानव में विकास की असीम सम्भावनाएँ छिपी होती हैं। अपनी बुद्धि से वह असम्भव को बनाने की क्षमता रखता है। लेकिन ऐसा तभी सम्भव है जब उसे अपनी प्रतिभा एवं अन्य योग्यताओं के विकास का अवसर मिले। अतः मानवीय संसाधनों के विकास का अर्थ व्यक्ति को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है जिससे

CIMETRIX
SKILLED INDIANS - SKILLED INDIA

उसकी अन्तर्निहित क्षमताओं का विकास हो सके। दूसरे शब्दों में किसी भी देश की जनशक्ति (जनसंख्या) को कुशल जनशक्ति में बदल देना ही मानवीय संसाधनों का विकास है। किसी समाज में मानवीय संसाधनों का विकास हो रहा है या नहीं इस बात का पता मुख्य रूप से निम्न बातों से लगता है–

(i) उस समाज में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा प्रसार की क्या स्थिति है?
(ii) वहाँ कितनी साक्षरता है?
(iii) वहाँ के लोग सामाजिक व आर्थिक रूप से कितने जागरूक है?
(iv) वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में कुशल कार्यकर्त्ताओं की उपलब्धता की स्थिति क्या है?
(v) वहाँ महिलाएँ कितनी जागरूक व शिक्षित हैं?
(vi) वहाँ प्राकृतिक संसाधनों का कितना लाभ उठाया जा रहा है।
(vii) आधुनिकीकरण की दृष्टि से उस समाज की स्थिति क्या है?

अब प्रश्न यह उठता है कि मानवीय संसाधनों का विकास कैसे करें?

मानवीय संसाधनों का विकास कैसे किया जाए (How to develop human resources)–किसी भी राष्ट्र का विकास क्योंकि मानवीय संसाधनों के विकास पर निर्भर करता है अतः उसका मुख्य उद्देश्य इन संसाधनों का विकास करना ही होता है जैसा कि भारतीय शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है–

"जहाँ भौतिक साधनों का विकास लक्ष्य प्राप्ति का साधन है वहाँ मानव संसाधन अपने आप में एक लक्ष्य है और उनके बिना भौतिक साधनों का पर्याप्त विकास सम्भव नहीं है"

(While the development of physical resources is a mean to an end and that of human resources is an end in itself and without it even the adequate development of physical resources is not possible.) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक समाज शिक्षा को एक साधन के रूप में प्रयोग करता है। विचारणीय यह है कि शिक्षा अपने इस दायित्व का निर्वाह कैसे करती है।

मानव संसाधनों के विकास में शिक्षा की भूमिका
(Role of education in human resource development)

इस संदर्भ में शिक्षा निम्नलिखित कार्य करती है–

(1) अन्तर्निहित क्षमताओं का विकास (Development of inborn talents)–प्रत्येक बच्चे में जन्म से ही कुछ विशेष योग्यताएँ होती हैं। इनका विकास उन्हें विकसित मानवीय संसाधनों के रूप में विकसित कर सकता है। शिक्षा ही उनकी क्षमताओं का विकास करती है जैसा कि पैस्टोलॉजी (Pestolozi) ने कहा है–

"शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात क्षमताओं का स्वाभाविक, विरोधहीन व प्रगतिशील विकास है।"
(Education is natural, harmonious and progressive development of man's innate powers.)

(2) व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास (Alround development of personality)–मानव संसाधन विकास के लिए व्यक्ति के व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा सामाजिक आदि विभिन्न पक्षों का विकास होना आवश्यक है। शिक्षा ही वह साधन है जो उसके व्यक्तित्व के इन सभी पक्षों का विकास करती है।

(3) विभिन्न कौशलों का विकास (Development of various skills)–यदि उद्योग, व्यवसाय, कृषि, प्रबन्धन अथवा अन्य किसी भी क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों में उन कार्यों को करने का विशिष्ट कौशल हो तो वे उस क्षेत्र में अपना विशिष्ट योगदान दे सकते हैं। शिक्षा उनमें इन विशिष्ट कौशलों का विकास करती है जिससे वे विकसित मानव संसाधन के रूप में राष्ट्रीय विकास में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान देने में सफल हो पाते हैं।

(4) प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग की योग्यता का विकास (Development of ability for utilization of natural resources)–शिक्षा व्यक्ति में उन योग्यताओं का विकास करती है जिनके माध्यम से वे अपने देश में उपलब्ध भौतिक संसाधनों का पूरा लाभ उठा सकें।

(5) कार्य करने की इच्छा पैदा करना (To develop the will to do)–व्यक्ति में कौशल होने के साथ-साथ कार्य करने की इच्छा का होना भी आवश्यक है, अन्तःप्रेरणा के अभाव में मानव संसाधन निरर्थक हैं। शिक्षा ही वह साधन है जो उनमें कार्य करने की इच्छा पैदा करती है। यही उन्हें बताती है कि किस प्रकार निरन्तर कार्य करते हुए दुनिया के विभिन्न देश विकास की ओर अग्रसर हैं। इससे उन्हें भी कुछ करने की प्रेरणा मिलती है।

(6) ज्ञान का विकास करना (To develop knowledge)–मानव संसाधनों के विकास के लिए उन्हें विभिन्न विषयों का ज्ञान होना आवश्यक है। ज्ञान ही मनुष्य को प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है। यह ज्ञान देने का कार्य शिक्षा ही करती है। शिक्षा ज्ञान प्रदानकर मानव संसाधनों का अधिकतम विकास करती है।

(7) व्यवहार में अभीष्ट परिवर्तन लाना (To bring about desirable changes in behaviour)–मानवीय संसाधनों के विकास का अभिप्राय यह भी है कि व्यक्तियों का व्यवहार वैसा ही बन जाए जैसा समाज चाहता है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति को समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप सांचे में ढालना। यह कार्य भी शिक्षा ही सम्पन्न करती है। विभिन्न विषयों व सहगामी गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा व्यक्तियों के व्यवहार को अभीष्ट रूप प्रदान करने का कार्य करती है।

(8) महिलाओं का विकास करना (Development of women)–महिलाएँ समाज का मुख्य अंग हैं। वे भी मानवीय संसाधन हैं। उनके विकास के बिना मानव संसाधनों के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारतीय समाज के पिछड़ेपन का मुख्य कारण महिलाओं का पिछड़ा होना है। जैसे-जैसे उनमें जागरूकता आ रही है। वे सशक्त होकर विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। इस प्रकार समाज की महिलाओं को मानवीय संसाधनों के रूप में विकसित करने का कार्य शिक्षा ही करती है।

(9) पिछड़े वर्गों का विकास करना (To develop backward classes)–समाज के पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्गों के लोग भी मानवीय संसाधन हैं। अतः इन संसाधनों के पूर्ण विकास के लिए इन वर्गों के विकास पर भी ध्यान देना होगा। शिक्षा इन वर्गों के लोगों में जागरूकता लाती है, उनमें आत्मविश्वास पैदा करती है, उन्हें अपनी शक्तियों को पहचानने में मदद करती है। स्पष्ट है कि शिक्षा इन वर्गों को विकास के अवसर प्रदान कर उन्हें कुशल मानवीय संसाधनों के रूप में विकसित करने का कार्य करती है।

(10) बौद्धिक शक्तियों का विकास (Development of intellecutal capacities)–मानवीय संसाधनों के विकास के लिए आवश्यक है कि उनमें बोध, चिन्तन, कल्पना व तर्क जैसी बौद्धिक शक्तियों का विकास किया जाए। शिक्षा ही इन शक्तियों के विकास का कार्य करती है जिससे तैयार मानवीय संसाधन विभिन्न क्षेत्रों में शोध कार्य कर समाज के विकास को नई दिशा प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)–निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि मानव-संसाधनों के विकास का एकमात्र साधन शिक्षा ही है। यही कारण है कि प्रत्येक समाज अपने नागरिकों के लिए सभी स्तरों पर अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करता है। भारत में भी प्राथमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण (Vocationalization), प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, महिला सशक्तीकरण प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति

व जनजाति के लोगों के लिए शिक्षा सुविधाओं का विस्तार तथा कम्प्यूटर शिक्षा जैसे प्रावधान शिक्षा द्वारा मानवीय संसाधनों के विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयास है। अन्त में भारतीय शिक्षा आयोग की ये पंक्तियाँ उल्लेखनीय हैं–

"राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में एक मुख्य कार्यक्रम है मानव संसाधनों का विकास तथा इस सन्दर्भ में दी जाने वाली शिक्षा की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

(One of the major programmes in national reconstruction is the development of our human resources and in this there can be no limit to the education to be provided.)

◆◆◆

4. शिक्षा व नई तकनीकी के एकीकरण से आप क्या समझते हैं?
(What do you mean by integration between Education and new technology? What is its importance?)

उत्तर–शिक्षा व नई तकनीकी के एकीकरण को समझने से पूर्व शिक्षा व तकनीकी शब्द का अर्थ समझना आवश्यक है। शिक्षा का अर्थ (Meaning of Education) शिक्षा एक ऐसा शब्द है जिसे अनेक प्रकार से परिभाषित किया जाता है। उन सबका निष्कर्ष यह है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यवहार का संशोधन करती है, व्यक्ति तथा समाज का विकास करती है तथा उनको सामाजिक रूप से दक्ष बनाती है।

तकनीकी का अर्थ (Meaning of Technology)–तकनीकी शब्द ग्रीक भाषा के शब्द Techniques से बना है जिसका अर्थ है–कला। इस प्रकार तकनीकी या Technology शब्द का अर्थ है विज्ञान की किसी भी शाखा के ज्ञान का रचनात्मक एवम् क्रमबद्ध प्रयोग। यह प्रयोग व्यावहारिक क्षेत्र में किया जाता है।

शिक्षा तकनीकी का अर्थ (Meaning of Educational Technology)–जब विज्ञान के ज्ञान का प्रयोग हम शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं तो उसे शिक्षा तकनीकी कहा जाता है। आरम्भ में शिक्षा के क्षेत्र में दृश्य-श्रव्य सामग्री (Audio Visual Aids) शिक्षण मशीनों (Teaching machines) तथा अभिक्रमित अनुदेशन (Programmed Instruction) आदि का प्रयोग होने लगा। 1967 संयुक्त राज्य अमेरिका के शैक्षिक विज्ञान विभाग द्वारा शैक्षिक तकनीकी राष्ट्रीय परिषद (National Council for Educational Technology) का गठन किया गया। इस परिषद ने 'शैक्षिक तकनीकी' शब्द को सरकारी रूप से प्रयोग की अनुमति प्रदान कर दी जिससे दृश्य-श्रव्य सामग्री, शिक्षण मशीनों तथा अभिक्रमित अनुदेशन आदि को इसमें समाविष्ट किया जा सके। इस प्रकार शिक्षा व तकनीकी के एकीकरण का प्रयास किया गया। इसी प्रयास के फलस्वरूप शिक्षा प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने व इसके अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए शिक्षा में नवीनतम तकनीकी का प्रयोग किया जाने लगा और 'शिक्षा' व 'तकनीकी' दोनों के एकीकरण से 'शिक्षा तकनीकी' का विकास हुआ।

शिक्षा तकनीकी की परिभाषाएं (definition of Educational Technology)–इसकी कुछ मुख्य परिषाएं इस प्रकार हैं-

एस. एस. कुलकर्णी–"शैक्षिक तकनीकी को शिक्षा प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले वैज्ञानिक व तकनीकी सिद्धान्तों एवं खोजों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।"

जे.आर. गेसेज–"शैक्षिक तकनीकी को कुछ ऐसे जटिल एवं चिरस्थाई प्रयत्नों के रूप में देखा जा सकता है जिसके द्वारा छात्रों, शिक्षकों तथा तकनीकी साधनों को प्रभावशाली ढंग से एक साथ इकट्ठा किया जा सके।"

लीथ–शैक्षिक तकनीकी से अभिप्राय है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया व अधिगम की परिस्थितियों से सम्बन्धित वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवस्थित प्रयोग जिससे शिक्षण व प्रशिक्षण की क्षमता को बढ़ाया जा सके।

CIMETRIX SKILLED INDIANS · SKILLED INDIA

शिक्षा व तकनीकी के एकीकरण से इसके तीन उपागम (Approach) सामने आई हैं—

(i) मशीन उपागम (Hardware Approach)—इस उपागम की मुख्य धारणा है कि शिक्षा तकनीक व मशीनों की तकनीक का घनिष्ट सम्बन्ध इस उपागम द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को यान्त्रिक बना देते हैं तथा विभिन्न मशीनों का प्रयोग करके शिक्षा प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जाता है।

(ii) व्यवहार उपागम (Software Approach)—यह उपागम मानव व्यवहार से जुड़ा है। इसके अन्तर्गत मनोविज्ञान के नियमों व सिद्धान्तों का प्रयोग करके शिक्षा प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जाता है।

(iii) प्रणाली उपागम (System Approach)—यह उपागम मशीन व व्यवहार उपागम को जोड़ने का कार्य करता है। इसे व्यवस्था तकनीकी (Management Technology) भी कहा जाता है। यह निर्णय लेने व समस्याओं का हल करने से सम्बन्धित है। यह नवीनतम परिवर्तनों के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया में परिवर्तन करने पर बल देता है।

अब प्रश्न यह उठता है कि शिक्षा व नवीनतम तकनीकी के एकीकरण की आवश्यकता क्यों हैं?

शिक्षा व नवीन तकनीकी के एकीकरण की आवश्यकता व महत्त्व
(Need and important of the integration of education and new technology)

1. **बदलते समाज की चुनौतियों का सामना करने के लिए (To face the challenges of changing world)**—वर्तमान दौर परिवर्तन का दौर है। विभिन्न क्षेत्रों में विकास एवं परिवर्तन की प्रक्रिया इतनी तेजी से चल रही है कि आने वाला समय चुनौती भरा होगा। शिक्षा ही हमें उन चुनौतियों का सामना करने के योग्य बना सकती है। लेकिन शिक्षा इस दायित्व का निर्वाह तभी अच्छी प्रकार से कर पाएगी जब उसका एकीकरण तकनीकी के साथ कर दिया जाए।
2. **शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए (For universalization of education)**—स्वतन्त्रता के बाद से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के प्रयास किए जा रहे हैं पर लक्ष्य अभी प्राप्त नहीं हुआ है। शिक्षा व तकनीकी के एकीकरण से ऐसी तकनीक विकसित करने में मदद मिलेगी जिससे शिक्षा की प्रत्येक बच्चे तक पहुँचाया जा सके। उदाहरण के लिए बिजली रहित गाँवों में सौर संचालित बैटरियाँ का प्रयोग इस उद्देश्य से किया जाएगा।
3. **शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्रान्ति लाने के लिए (To revolutionize teaching and learning process)**— शिक्षा का अर्थ है—शिक्षण अधिगम (Teaching and learning) इन दोनों को प्रभावशाली बनाने के लिए इनमें क्रान्तिकारी परिवर्तन अपेक्षित हैं। ये परिवर्तन शिक्षा व नवीन तकनीकी के एकीकरण से ही सम्भव हैं।
4. **विषयों की नवीनतम जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए (To-provide latest knowledge of the subjects)**—कम्प्यूटर तथा इन्टरनैट के प्रयोग से यह सम्भव हो गया है कि किसी भी विषय की नवीनतम जानकारी प्राप्त कर लें। अध्यापक सहजता से यह जानकारी प्राप्त कर विद्यार्थियों को उससे अवगत करा सकता है। अतः विद्यार्थियों तक नवीनतम ज्ञान पहुँचाने के लिए शिक्षा व तकनीकी का एकीकरण आवश्यक है।
5. **शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए (To make teaching effective)**—शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए दृश्य-श्रव्य सामग्री, शिक्षण मशीनों, प्रोजैक्टर, भाषा-प्रयोगशाला, टेप-रिकॉर्डर, टेलीविजन, रेडियो, मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों, शिक्षण मॉडल तथा शिक्षण की अन्य नवीन तकनीकों का प्रयोग आवश्यक है। शिक्षा व तकनीकी के एकीकरण से इन सबका प्रभावशाली प्रयोग सम्भव हो सकेगा।
6. **प्रभावशाली शिक्षक तैयार करने के लिए (To prepare effective teachers)**—प्रभावशाली शिक्षकों को तैयार करने के लिए भी शिक्षा व तकनीकी का एकीकरण आवश्यक है। अध्यापकों में शिक्षण कौशलों के प्रशिक्षण के लिए सूक्ष्म-शिक्षण (Micro Teaching) का प्रयोग किया जाता है। नवीनतम तकनीकी के प्रयोग से इस कार्यक्रम को अधिक सार्थक बनाया जा सकता है। इसी प्रकार शिक्षा व तकनीकी के एकीकरण से अध्यापकों के कक्षा-कक्ष व्यवहार का निरीक्षण, विश्लेषण व संशोधन प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है।

7. **तकनीकी विकास के लिए (For technological development)**—विज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ भी नवीनतम हो रहा है वह सब मानव की सृजनात्मकता, उसकी आलोचनात्मक चिन्तन शक्ति एवं तर्क क्षमता तथा गहन निरीक्षण की योग्यता का परिणाम है। शिक्षा ही व्यक्ति की इन सभी क्षमताओं का विकास करती है। इस प्रकार शिक्षा को तकनीकी के साथ जोड़ने से एक ओर शिक्षा नवीन तकनीकी परिवर्तनों के लिए मानव को प्रशिक्षित करेगी तो दूसरी ओर वर्तमान नवीनतम तकनीकी का प्रयोग करके स्वयं को अधिक प्रभावशाली बना सकेगी।
8. **शैक्षिक अवसर बढ़ाने के लिए (To increase educational opportunities)**—शिक्षा व तकनीकी का एकीकरण प्रत्येक व्यक्ति को शैक्षिक अवसर सुलभ करवाने में सहायक होगा। खुला-विद्यालय, खुला विश्वविद्यालय एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance education programme) इसके उदाहरण हैं। विभिन्न व्यवसायों में लगे लोग भी अपनी शिक्षा को जारी रख सकते हैं।
9. **दोनों का एकीकरण समय की माँग है (Integration of bath is need of the hour)**—आज विभिन्न परीक्षाएं on line आयोजित की जा रही हैं। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश की प्रक्रिया भी on line चल रही है। परीक्षा परिणाम कम्प्यूटर से तैयार होते हैं और उन्हें Net पर आसानी से देखा जा सकता है। इस प्रकार तकनीकी ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी बदलाव किए हैं। ऐसे में इन दोनों का एकीकरण तकनीकी व शिक्षा दोनों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।
10. **निरोपचारिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए (To encourage Non-formal Education)**—इवान इलियच ने जिस विद्यालय विहीन समाज (Deschooling Society) की कल्पना की थी तकनीकी व शिक्षा के एकीकरण से वह साकार रूप ग्रहण कर सकती है। इसका प्रमाण यह है कि आज निरोपचारिक शिक्षा का प्रचलन बढ़ रहा है और विभिन्न शैक्षिक वैब साइटस के माध्यम से वे घर बैठे शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)—निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि तकनीकी के साथ शिक्षा का एकीकरण हर प्रकार से उपयोगी हैं। अतः यह आवश्यक है कि ऐसी शैक्षिक योजनाएं एवं कार्यक्रम तैयार किए जाए जिससे इन दोनों के एकीकरण का समुचित लाभ उठाया जा सके।

◆◆◆

5. विद्यालय के उभरते हुए आयामी का वर्णन कीजिए।
(Describe the emerging dimension of school.)

उत्तर—**स्कूल शिक्षा के अभिकरण के रूप में (School as a Agency of Education)**—छोटे और साधारण समाजों में शिक्षा अनौपचारिक रूप से हो सकती है। बालक बड़ों के व्यवहार को प्रतिमान मानकर उनका व्यवहार सीख लेते हैं। लेकिन जब समाज का आकार बढता है और वह जटिल होता जाता है, अनौपचारिक शिक्षा का प्रभाव कम होता चला जाता है। इसलिए बच्चों की शिक्षा के लिए औपचारिक स्कूलों की आवश्यकता पड़ती है। स्कूल का समाज से गहरा संबंध है। स्कूल एक तरह से छोटा समाज ही होता है। स्कूल में बालक, अध्यापक और अन्य लोग सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं। स्कूल की अपनी एक

CIMETRIX

संस्कृति होती है। जब बालक स्कूल में प्रवेश करता है तो उसका व्यवहार स्कूल के वातावरण से भिन्न होता है। धीरे-धीरे वह स्कूल के वातावरण में समायोजन करना सीख लेता है। इस प्रकार स्कूल उस पर प्रभाव डालना शुरू करता है। बच्चों पर अध्यापकों के व्यक्तित्व और दृष्टिकोणों का प्रभाव होता है।

स्कूल के मुख्य कार्य *(Main Functions of School)*

स्कूल को एक शिक्षा अभिकरण के रूप में निम्न कार्य करने होते हैं–

1. बच्चों को अच्छे नागरिक की भूमिका के लिए तैयार करना–स्कूल का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य है बच्चों को भविष्य के अच्छे नागरिक की भूमिका निभाने के लिए तैयार करना। बच्चे किसी देश की सम्पत्ति होते हैं। वे देश का भविष्य होते हैं। प्रजातांत्रिक समाज में तो बालक की भूमिका और भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है। एक प्रजातांत्रिक समाज अपने नागरिकों से यह आशा करता है कि वे अपने कर्तव्यों और अधिकारों के लिए जागरूक हों, उनमें प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो। स्कूल बालक में इन मूल्यों का विकास करता है।

2. संस्कृति का हस्तांतरण–संस्कृति का हस्तांतरण स्कूल का प्राचीन काल से ही एक महत्त्वपूर्ण कार्य रहा है। यह कार्य स्कूल इतिहास, साहित्य, कला और शिल्प के शिक्षण के माध्यम से करता है। राष्ट्रीय, ऐतिहासिक और दूसरे त्यौहारों के स्कूल में आयोजन से भी बच्चों को उनकी संस्कृति के बारे में पता लगता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि सांस्कृतिक हस्तांतरण सामाजीकरण से भिन्न है। सामाजीकरण से अभिप्राय है सामाजिक व्यवहार को अपनाना, जबकि सांस्कृतिक हस्तांतरण का अर्थ है बच्चों को बालक के पूर्वजों की परंपराओं और रहन-सहन का ज्ञान कराना। संस्कृति का ज्ञान बच्चों के दृष्टिकोण को बदलता है। उदाहरण के लिए, स्कूल में बालक दूसरों को धैर्य से सुनता है और अपनी बारी आने पर बोलता है। यह एक सामाजिक गुण है। दूसरी ओर जब बालक बैलगाड़ी से लेकर आधुनिक कारों तक की जानकारी हांसिल करता है तो यह संस्कृति का हस्तांतरण है।

3. आधारभूत कौशलों का शिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा–आधुनिक युग में व्यावसायिक शिक्षा स्कूलों का महत्त्वपूर्ण कार्य है। माध्यमिक स्तर पर कुछ आधारभूत कौशल सिखाए जाते हैं जो बालक के व्यावसायिक विकास के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। भारत में स्कूलों में कार्य अनुभव शिक्षा को लागू किया गया है जिसका सुझाव कोठारी आयोग 1966 ने दिया था।

4. चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा–बहुत से लोग मानते हैं कि चरित्र निर्माण स्कूली शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अध्यापक को बच्चों का प्रतिमान माना जाता है। वे अध्यापक के व्यवहार का अनुसरण करते हैं। यदि अध्यापक चरित्रवान है तो वह अपने शिष्यों को भी चरित्रवान बना देता है। भारत में चरित्र निर्माण पर प्राचीन काल से ही बल दिया जाता रहा है। महात्मा गाँधी के अनुसार चरित्र शिक्षा का आधार है। स्कूल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बालक में कुछ आधारभूत चारित्रिक विषेशताओं का निर्माण करे, जैसे विवेक, सत्य बोलना, ईमानदारी और न्यायप्रियता आदि।

कुछ उभरते हुए कार्य

आधुनिक समय में स्कूल पर और अधिक कार्यों का बोझ आ गया है। स्कूल के कुछ उभरते हुए कार्य निम्न हैं–

1. व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं का समाधान–जॉन डीवी के अनुसार स्कूल का मुख्य उद्देश्य बच्चों को व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं को हल करने की योग्यता विकसित करना है। उनके अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो सामाजिक समस्याओं को हल करने की योग्यता विकसित करे, जैसे मानसिक स्वास्थ्य की समस्या, अपराध की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या आदि। सामाजिक समस्याएँ व्यक्तिगत समस्याओं से ही जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान से ही सामाजिक समस्याओं का हल संभव है।

2. सामाजिक क्षमता का विकास–आधुनिक समाज तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण की ओर बढ रहा है। तकनीकी का प्रयोग प्रतिदिन के जीवन में बढ रहा है। इन सामाजिक बदलावों के कारण नए सामाजिक कौशलों को सीखने की आवश्यकता पैदा हो गई है। उदाहरण के लिए, कंप्यूटर का प्रयोग प्रतिदिन के जीवन में बढ गया है इसके लिए कंप्यूटर शिक्षा अत्यंत आवश्यक हो गई है। इसके अलावा आधुनिक युग की व्यस्तताओं और प्रतिस्पर्धाओं के कारण आम आदमी में मानसिक तनाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। स्कूल के कार्यों में इन समस्याओं का सामना करने की क्षमता विकसित करना भी शामिल हो गया है।

3. नए ज्ञान को प्राप्त करना–21वीं शताब्दी में वैज्ञानिक खोजों और तकनीकी विकास के कारण ज्ञान का विस्फोट हो गया है। इसलिए आधुनिक समाज पहले के समाज से अधिक जटिल हो गया है। इसलिए स्कूल की भूमिका भी बढ गई है। पुराने समय में स्कूल की भूमिका केवल आधारभूत ज्ञान उपलब्ध कराने तक ही सीमित थी। लेकिन आज ज्ञान की कोई सीमा नहीं रही है। इसलिए स्कूल की भूमिका भी बहुत अधिक बढ गई है। आज विभिन्न क्षेत्रों का विशिष्ट ज्ञान उपलब्ध कराना स्कूल का ही कार्य है।

4. शिक्षा में समानता लाना–संविधान समाज के प्रत्येक सदस्य को एक समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है। सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक है कि सभी को एक समान शिक्षा मिले। स्कूल का कार्य बिना किसी भेद भाव के सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान करना है। राज्य ने सामाजिक कल्याण के लिए औपचारिक स्कूलों की व्यवस्था की है। भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने निर्देश देता है। ऐसे में स्कूल का कार्य और अधिक बढ जाता है। स्कूल लिंग, जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर भेदभाव न करते हुए सबको समान रूप से शिक्षा प्रदान करता है।

5. यौन एवं पारिवारिक जीवन के लिए शिक्षा (Sex and Family Life Education)–भारत में यौन शिक्षा कभी भी स्कूल का कार्य नहीं रहा था। लेकिन बदली हुई सामाजिक परिस्थितियों में यह महसूस होने लगा कि सेक्स और पारिवारिक शिक्षा भी स्कूल में दी जाए। वर्तमान में एड्स जैसी बीमारियों के प्रसार के साथ यह महसूस किया जाने लगा कि यौन शिक्षा स्कूलों में दी जानी चाहिए। यह एक बहस का विषय है कि क्या स्कूलों में यौन शिक्षा दी जाए या नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि यौन शिक्षा स्कूलों में दी जानी चाहिए। इसलिए यौन शिक्षा देना भी स्कूल के कार्यों में शामिल है।

6. साक्षरता का विस्तार–वर्तमान में सम्पूर्ण साक्षरता भारत जैसे देश के लिए चुनौती है। यह कार्य भी स्कूल के द्वारा ही संभव है। भारत में सम्पूर्ण साक्षरता के लिए यह आवश्यक है कि और अधिक स्कूल खोले जाएँ। किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि देश के सभी नागरिक साक्षर हों। साक्षरता से अभिप्राय है व्यक्ति में पढ़ने, लिखने और गणित की योग्यता का होना। आधुनिक भारतीय समाज में यह कार्य स्कूल का ही है।

7. एक साथ मिलकर रहने के लिए शिक्षा–एक साथ मिलकर रहना सीखना शिक्षा का एक मुख्य मुद्दा है। मानव समाज में बहुत अधिक विभिन्नताएँ पायी जाती हैं। उदाहरण के लिए, भारतीय समाज में विभिन्न जातियों, धर्मों और संप्रदायों के लोग रहते हैं। भारत में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस विभिन्नता में भी एकता बनाए रखने की भावना पैदा करना है। सामाजिक विभिन्नता कभी-कभी देश को अखण्डता की ओर ले जाती है। ऐसे में यह आवश्यक है कि अच्छे अखण्ड समाज की व्यवस्था के लिए बच्चों में एक साथ मिल कर रहने की भावना का विकास किया जाए। आज यह का उत्तरदायित्व स्कूल का है कि इस प्रकार की शिक्षा दी जाए जिससे बालक भविष्य के अखण्ड समाज का निर्माण कर सकें।

◆◆◆

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

6. अध्यापक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता, महत्त्व तथा उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। हमारे देश में अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएँ कितने प्रकार की हैं?
(What do you understand by teacher Education? Discuss the need, importance and objectives of teacher education. What are the different types of teacher training institutions in our country?)

उत्तर–

अध्यापक शिक्षा का अर्थ ***(Meaning of Teacher Education)***

(1) **सी. वी. गुड** (C.V. Good) के अनुसार, "सभी औपचारिक तथा अनौपचारिक क्रियाएँ तथा अनुभव जो किसी व्यक्ति को शिक्षण व्यवसाय के सदस्य के रूप में दायित्व सम्भालने की योग्यता प्रदान करती हैं, अध्यापक शिक्षा के अन्तर्गत आते हैं"।

(2) **मानरो** के अनुसार, "सम्पूर्ण शिक्षापूर्ण अनुभव जो स्कूलों में शिक्षण-पद के लिए व्यक्ति को तैयार करती है, परन्तु यह शीर्षक शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न कोर्स और अन्य अनुभवों सम्बन्धी कार्यक्रम पर लागू होता है जो शिक्षक और अन्य शैक्षणिक सेवाओं हेतु व्यक्ति को तैयार करने के उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं। ये कार्यक्रम अध्यापक महाविद्यालयों, सामान्य विद्यालयों और महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में लागू होते हैं"। *(The total educative experience which contribute to the preparation of person for a teaching position in schools, but this term is completely employed to designate the programme of courses and other experience offered by an educational institute for an announced purpose of preparing persons for teaching and other educational Service and for Contribution to their growth in competency for such service. Such teacher-education programmes are offered in teacher Colleges, normal schools, colleges and universities.)*

अध्यापक शिक्षा में आजकल शिक्षक छात्र के व्यक्तित्त्व के सभी तत्त्व सम्मिलित होते हैं। अध्यापक शिक्षा की परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं–

"अध्यापक शिक्षा ऐसी संस्थात्मक शिक्षा प्रक्रिया है जो अध्यापकों को उद्देश्यपूर्ण एवं संगठित रूप से तैयार करती है या उन व्यक्तियों को और अधिक शिक्षा प्रदान करती है जो अपने जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षण-क्रिया में लगे हुए हैं।"

इस प्रकार शिक्षण एक बहुत बड़ी समस्या है और इसमें हम उन कार्यक्रमों को भी सम्मिलित करते हैं जो एक व्यक्ति को अध्यापक बनाने में सहायक हों। अध्यापक शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए अध्यापक तैयार किए जाते हैं। अध्यापक शिक्षण की क्रिया अध्यापक प्रशिक्षण से अच्छी है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री किल्पैटिक के अनुसार, "सर्कस में भाग लेने वाले जानवरों और मनुष्यों को प्रशिक्षण दिया जाता है, परन्तु शिक्षक को शिक्षा प्रदान की जाती है"। *("One trains circus performer and animals but one education the teacher.")*

प्रो. एस. एन. मुखर्जी (Prof S. N. Mukherjee) ने 'अध्यापक प्रशिक्षण के स्थान पर 'अध्यापक शिक्षा' का प्रयोग किया है। इस विषय में उन्होंने कहा, "विभिन्न शिक्षा केन्द्रों में सुधार की आवश्यकता है और इस उद्देश्य हेतु 'अध्यापक शिक्षा' एक बेहतर शब्द है क्योंकि यह अध्यापक निर्माण सम्बन्ध क्षेत्र को विस्तृत बनाती है"। *("Improvement is needed in different fields of education and for this purpose teacher education is better term because it widens the field of preparation of teacher")*

अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता और महत्त्व
(Need and Importance of teacher education)

अध्यापक को उचित शिक्षा के बिना शिक्षा का कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। प्रो. हमायूँ ने ठीक ही कहा है कि अच्छे अध्यापक के बिना सर्वोत्तम प्रणाली भी असफल हो जाती है। अच्छे अध्यापकों के साथ प्रणाली के दोषों को भी दूर किया जा सकता है। किसी भी शिक्षा प्रणाली में अध्यापक का स्थान महत्त्वपूर्ण होता है। अध्यापक के चारों ओर की समूची शिक्षा घूमती है। वह विद्यार्थियों को अज्ञानता के अन्धकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है और सभ्यता की ज्योति को जलते रहने में सहायता प्रदान करता है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि समाज में शिक्षा का स्तर अध्यापकों के गुणों पर निर्भर करता है और अध्यापक के गुण उसमें प्रशिक्षण पर निर्भर करते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ठीक कहा है कि हम इस बात को मानते हैं कि प्रस्तावित शिक्षा के पुनर्निर्माण में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व अध्यापकों, उसके व्यक्तिगत गुण, उसकी शैक्षणिक योग्यताएँ, उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्कूल एवं समाज में उसका स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। अतः शिक्षा के स्तर को ऊँचा करने तथा उसे निरन्तर सुधारने रहने के लिए अध्यापक को सर्वोत्तम प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए।

(1) **बच्चे का ज्ञान (Knowledge of the child)**—अध्यापक शिक्षा अध्यापक को बच्चे की योग्यताओं, रुचियों, विकास स्तर, भावनाओं, मूल-प्रवृत्तियों, आकांक्षाओं आदि को समझने में सहायता प्रदान करती है। इससे अध्यापक को अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने में सहायता मिलती है और वह उन्हें अधिक बढ़िया ढंग से सुलझा सकता है।

(2) **अधिगम-शिक्षण का ज्ञान (Knowledge of teaching and learning)**—अध्यापक शिक्षा अध्यापक को अधिगम-शिक्षण के सिद्धान्तों, शैलियों तथा प्रतिक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। इससे उसे अपनी पाठ्य-सामग्री को नियोजित एवं सुगठित करने में सहायता मिलती है। इससे उसे विभिन्न शिक्षण साधनों तथा दृश्य-श्रव्य साधनों के प्रयोग में सहायता मिलती है।

(3) **पाठ्य-सहायक क्रियाओं के गठन का ज्ञान (Knowledge of organising co-curricular activities)**—अध्यापक शिक्षा अध्यापकों को विभिन्न पाठ्य सहायक क्रियाओं को गठित करने, निरीक्षित करने तथा उनमें भाग लेने में सहायता प्रदान करती है।

(4) **निर्देशन को संगठित करने का ज्ञान (Knowledge of organising Guidance)**—अध्यापक शिक्षा अध्यापक को स्कूल में निर्देशन कार्यक्रम संगठित करने में सहायता प्रदान करती है।

(5) **मूल्यांकन विधियों का ज्ञान (Knowledge of methods of evaluation)**—अध्यापक शिक्षा अध्यापक को विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने की विभिन्न विधियों का ज्ञान कराती है।

(6) **सुनियोजित शिक्षा की पहली आवश्यकता (Pre-requisite to better planned education)**—उद्देश्यपूर्ण तथा सुनियोजित शिक्षा के लिए अध्यापक शिक्षा पहली आवश्यकता है। अध्यापक शिक्षा में शिक्षा सम्बन्धी सभी समस्याओं के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षों को समाहित किया जाता है। परिणामस्वरूप अध्यापक शिक्षा, समूची शिक्षा प्रणाली के रूप को निश्चित करती है।

अध्यापक शिक्षा के उद्देश्य ***(Objectives of Teacher-Education)***

आज शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समाज उपयोगी व प्रभावशाली अध्यापकों को तैयार करना है। कुछ मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

(1) अध्यापक में सीखने और अध्यापन की विधियों, प्रक्रियाओं तथा सिद्धान्तों के प्रति सूझ-बूझ का विकास करना।

GMETRIX
SKILLED INDIANS - SKILLED INDIA

(2) बालकों की समस्याओं और सामंजस्य प्रक्रिया को समझने में अध्यापक की सहायता करना ताकि वह छात्रों की उचित सामंजस्य कर सकने में सहायता कर सके।

(3) शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्यों तथा अभिप्रायों को समझ सकने में सहायता कर सके।

(4) स्कूल की पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के संगठन, पर्यवेक्षण और उनमें भाग लेने के लिए अध्यापक की सहायता करना।

(5) छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का पता लगाना और शैक्षिक प्रक्रियाओं को उनके अनुसार ढालने तथा स्कूल के निर्देशन सम्बन्धी कार्यक्रम में उचित रूप से समाहित कर सकने में अध्यापक की सहायता करना।

(6) बालक की प्रकृति के प्रति सूझ का विकास करने के लिए अध्यापक की सहायता करना।

(7) बालकों तथा किशोरों की अभिवृद्धि और प्रक्रिया के प्रति अध्यापक की जानकारी को बढ़ाना।

(8) छात्र अभिवृद्धि, उसकी योग्यता और स्कूल के विषयों में उपलब्धियों के मूल्यांकन में अध्यापक को प्रशिक्षण देना।

(9) विभिन्न शैक्षिक उपकरणों, सहायक सामग्री, शैक्षिक सामग्री तथा दृश्य-श्रव्य साधनों के विकास और उनका प्रयोग कर सकने में अध्यापक की सहायता करना।

(10) कक्षा स्तर बुद्धि के आधार पर ज्ञान प्रदान करने तथा पाठ की योजना बनाने और विषय-वस्तु का संगठन करने में अध्यापक की सहायता करना।

अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रकार (Types of teacher Training Institutions)

शिक्षा के स्तर के अनुसार ही अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था हमारे देश में है। हमारे देश में इन स्तरों के अनुसार अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएँ निम्न प्रकार की हैं-

(1) पूर्व प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र (Pre-primary Teacher Training Institutions)—पूर्व प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या हमारे देश में बहुत कम है। इनमें से भी बहुत से स्वाधीनता के पश्चात् स्थापित किए गए हैं। इनके नाम भी भिन्न-भिन्न हैं जैसे प्री-बेसिक नर्सरी (Pre-basic Nursery), किंडर गारटन (Kinder garten), मांटेसरी (Mon-tessori) आदि। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद् (N. C. E. R. T.) और बड़ौदा और जबलपुर विश्वविद्यालय प्री-प्राइमरी अध्यापक प्रशिक्षण के डिप्लोमा चला रहे हैं। ये कोर्स एक वर्ष के हैं।

(2) प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान (Primary teacher education institutions)— भारत में प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र विभिन्न प्रकार के हैं। कई तो स्वयं में प्रशिक्षण केन्द हैं और कुछ उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के साथ भी प्रशिक्षण कक्षाएँ हैं। इन संस्थाओं में प्रशिक्षण दो वर्ष के लिए दिया जाता है तथा प्रवेश की शर्त मैट्रिक या हायर सैकंडरी है जो अब हरियाणा में वरिष्ठ माध्यमिक कर दी गई है।

प्राथमिक स्तर पर दो प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र हैं–बेसिक तथा अबेसिक (Basic and Non Basic) इन संस्थाओं में प्रथम वर्ष में विषय-वस्तु (Subject matter) की शिक्षा तथा दूसरे वर्ष में शिक्षण-विधि (Methods of Teaching) की शिक्षा दी जाती है।

(3) उपस्नातक अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण स्कूल (Training Schools for under graduate teachers)—बहुत से प्रान्तों में मिडल अथवा लोअर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए इन स्कूलों की स्थापना की गई है। यह कोर्स उपस्नातकों (under graduates) अथवा इन्टरमीडिएट (Intermediate) अथवा मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों के लिए है। इसकी अवधि दो वर्ष है। उत्तीर्ण छात्रों को विभिन्न प्रान्तों में T. D., L. T., S. T. C. आदि के प्रमाण-पत्र या डिप्लोमा प्रदान किए जाते हैं।

(4) स्नातक अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालय (Training Colleges for Graduate Teachers)—अध्यापक शिक्षा का चौथा महत्त्वपूर्ण स्तर स्नातक अध्यापकों को प्रशिक्षण देना है। लगभग सभी राज्यों में माध्यमिक स्तर पर अध्यापकों को तैयार करने का उत्तरदायित्व इन संस्थाओं का है।

सभी राज्यों में स्नातक स्तर अध्यापक शिक्षा के लिए सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, प्राईवेट संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण केन्द्र, राज्य शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग योगदान दे रहे हैं। इस स्तर पर भी प्रशिक्षण दो प्रकार के हैं, बुनियादी और गैरबुनियादी। सभी प्रकार की संस्थाओं में यह कोर्स एक वर्ष का है जिसके पश्चात् एल. टी. (L. T.), बी. टी. (B. T.) अथवा बी. एड. (B. Ed.) की उपाधि प्रदान की जाती है।

(5) क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय (Regional colleges of education)—बहुउद्देशीय स्कूलों में तकनीकी शिक्षा, वाणिज्य, ललित कलाएँ, गृह विज्ञान तथा कृषि आदि विषय में अध्यापकों की कमी देखने को मिलती है। इस कमी को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान परिषद् (N.C.E.R.T.) ने चार क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों (Regional colleges of education) की स्थापना की है। ये महाविद्यालय अलग-अलग प्रदेशों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उत्तरी भारत के लिए अजमेर, पूर्वी प्रदेशों के लिए भुवनेश्वर, पश्चिमी प्रदेशों के लिए भोपाल तथा दक्षिणी प्रदेशों के लिए मैसूर में ये महाविद्यालय स्थित हैं। इन महाविद्यालयों में विभिन्न व्यवस्था है। ये महाविद्यालय ग्रीष्म-कालीन तथा पत्राचार कोर्स का भी आयोजन करते हैं।

(6) विशेष प्रशिक्षण संस्थाएँ (Training Institutions for specialist teachers)—ये संस्थाएँ अलग-अलग विषयों के लिए अध्यापकों को तैयार करती हैं। इनमें डिप्लोमा कोर्स होते हैं। विद्यार्थियों को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा भी ये संस्थाएँ प्रदान करती हैं। इन संस्थाओं में उल्लेखनीय शारीरिक शिक्षा, संगीत, कला तथा नृत्य आदि के क्षेत्र हैं। विश्व भारती शांति निकेतन (Vishva Bharti shanti Niketan), जे. जे. कला स्कूल मुम्बई (J. J. School of Arts, Mumbai), अध्यापक संगीत महाविद्यालय, तमिलनाडु (Teachers Colleges of Music, Madras), कला क्षेत्र, अदेयर मद्रास (Kala Kshetra, Adyar Madras) ऐसी संस्थाओं के उदाहरण हैं।

(7) राजकीय शिक्षा संस्थाएँ (State Institutes of education)—कुछ ऐसी संस्थाएँ हैं जो राजकीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में अलग-अलग विषयों में अनुसन्धान करने में लगी हुई हैं। लगभग प्रत्येक राज्य में राजकीय शिक्षा संस्था (State Institute of Education), राजकीय इंगलिश संस्था (State Institute of English), राजकीय विज्ञान शिक्षा संस्था (State Institute of Science Education) आदि स्थापित की गई हैं। इनके साथ ही ये संस्थाएँ अध्यापकों के लिए सेवाकालीन कोर्सों का आयोजन करती हैं। इन संस्थाओं द्वारा अध्यापकों को शिक्षण की नवीन धारणाओं और प्रवृत्तियों से परिचित कराया जाता है और उन्हें शिक्षण की नवीनतम विधियों में प्रशिक्षण दिया जाताहै।

(8) स्नातकोत्तर अध्यापक शिक्षा और अनुसन्धान संस्थाएँ (Institutes for post graduate teacher education and research)—भारत में स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापक शिक्षा और अनुसन्धान की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। लगभग सभी विश्वविद्यालयों में बी. टी./बी. एड. के पश्चात् एक वर्ष के एम. एड. (M.Ed.) कोर्स की व्यवस्था है। कई प्रशिक्षण केन्द्रों के पास भी इनकी व्यवस्था है। कई विश्वविद्यालयों में स्नातक परीक्षा के पश्चात् दो वर्ष की एम. एजुकेशन (M.Edu.) की व्यवस्था है। इसी प्रकार B.Ed. की परीक्षा के पश्चात् M.Ed की व्यवस्था है। यह ध्यान देने की बात है कि M.Ed. एक प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा है जबकि शिक्षा में एम.ए. (M.A.) दूसरे विषयों की तरह एक विषय है। इसके उपरान्त विश्वविद्यालयों में पी. एच. डी. (P.H.D.) की व्यवस्था है।

शिक्षा के कुछ क्षेत्रों के लिए तीन मास से लेकर एक वर्ष के लिए डिप्लोमा कोर्स की व्यवस्था है। उदाहरण के तौर पर N. C. E. R. T. दृश्य-श्रव्य साधनों, शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन, मापन और मूल्यांकन (Measurement and Evaluation), समाज शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे डिप्लोमा कोर्स का प्रबन्ध करती है।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा *(Inservice Teacher Education)*

अर्थ (Meaning)—सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा इस आदर्श पर आधारित है कि वास्तविक अध्यापक जीवन भर समर्पित विद्यार्थी रहता है। केवल वही व्यक्ति पढ़ा सकता है जो स्वयं जीवन भर सीखते रहने को तैयार है। इस प्रकार शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश कर चुके अध्यापकों को समय-समय पर सुनियोजित कार्यक्रम द्वारा प्रशिक्षण देकर उनके ज्ञान में नवीनता प्रदान करना सेवाकालीन शिक्षा कहलाती है।

एम. बी. बुच (M.B. Buch) के अनुसार, "सेवाकालीन शिक्षा का अर्थ इस प्रकार सेवाकालीन शिक्षा उन क्रियाओं का कार्यक्रम है जिनका उद्देश्य अध्यापकों तथा सेवारत शिक्षा कर्मचारियों की निरन्तर वृद्धि है। इसमें उन क्रियाशीलताओं को कराना और उनको करना सम्मिलित है। जिनमें शिक्षा व्यवसाय के सदस्यों की नई अन्तर्दृष्टि बुद्धि, समझ और सहयोगात्मक रिवाज सम्मिलित है और उनको प्रत्येक सम्भव ढंग से जगाने और अपना सुधार करने में सहायता करते हैं।"

("Inservice education is thus a programme of activities aiming at the continuing growth of teachers and educational personnel in service. It may be regarded as the sponsoring of the pursuing of activities which will bring new insight growth, understanding and Cooperative practices to the members of the teaching profession and arouse them for actions to improve themselves in every possible manner.")

एच. एस. एस. लारेंस (H. S. S. lawrence) के विचारानुसार, "यह (सेवकालीन) वह शिक्षा है जो अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त करके शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करने के पश्चात् प्राप्त करता है। इनमें वे सब कार्यक्रम शिक्षा सम्बन्धी, सामाजिक तथा अन्य सम्मिलित हैं जिनमें अध्यापक सक्रिय भाग लेता है। वह सभी अतिरिक्त शिक्षा जो अध्यापक विभिन्न कोर्सों द्वारा प्राप्त करता है तथा इसकी सभी यात्राएँ तथा भ्रमण भी इसी में सम्मिलित हैं।"

(In Service education is the education a teacher receives after he has entered the teaching profession and after he had his education in a teacher's college. It includes all this programme, educational, Social or others in which a teacher takes a vital part, all the extra education which he receives at different institutions by way of refresher and other progressional courses and all the visits which he (teacher) undertakes")

पूर्व सेवाकालीन तथा सेवाकालीन शिक्षा में अन्तर (Difference between pre-service education and inservice education)—शिक्षा व्यवसाय में प्रवेश करने से पूर्व अध्यापक जो प्रशिक्षण प्राप्त करता है उसे पूर्व सेवाकालीन शिक्षा कहा जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही शिक्षा व्यवसाय को अपनाने के इच्छुक व्यक्ति शिक्षण कार्य के योग्य समझे जाते हैं। इसलिए शिक्षा के प्रत्येक स्तर के अध्यापकों को शिक्षा कार्य में आने से पहले प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। परन्तु वैज्ञानिक युग में शिक्षण की निरन्तर हो रही परिवर्तित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेवाकालीन शिक्षा ही पर्याप्त नहीं होती। यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षक को ज्ञान का नवीनीकरण हो। इस प्रकार सेवाकालीन-शिक्षा अध्यापकों की निरन्तर शिक्षा है तथा ऐसे अध्यापकों को दी जाती है जो पहले से ही स्कूलों में काम कर रहे होते हैं। यह अध्यापकों को विभिन्न क्रियाओं में अन्य व्यक्तियों, प्रचार्यों, सामुदायिक नेताओं के साथ मिलकर प्रभावशाली ढंग से काम करने में सहायता प्रदान करती है तथा उनकी व्यावसायिक योग्यता में वृद्धि करती है।

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्त्व (Need and Importance of Inservice Teacher education)—शिक्षा एक जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। एक सुयोग्य, बुद्धिमान तथा सच्चा अध्यापक बनने के लिए उसे समूचे जीवन में विद्यार्थी ही बना रहना चाहिए। उसे अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहना चाहिए तथा इसमें नवीनता लाने का सदा प्रयास करते रहना चाहिए। सेवाकालीन शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कोठारी आयोग ने कहा है, "शिक्षा के सभी क्षेत्रों में तेजी से उन्नति के कारण और अध्यापन के सिद्धान्तों और प्रयोगों में निरन्तर हो रहे विकास के कारण

सेवाकालीन शिक्षा की आवश्यकता बहुत ही अनिवार्य है।" *(The need of inservice education is most urgent in the teaching profession because of the rapid advances in all the fields of knowledge and continuing evolution of pedagogical theory and practice"*—**Kothari commission***)*

इसी प्रकार आलीवर (Oliver) के अनुसार, "प्रशिक्षण महाविद्यालय छोड़ने के पश्चात् अध्यापक का विकास रुक नहीं जाता। अब वह विभिन्न प्रकार के अनुभव सीखना आरम्भ कर देता है।" ("The development of a teacher does not cease when he leaves the training college. He now begins to learn from a different kind of experiences"—Oliver)

माध्यमिक शिक्षा आयोग के विचारानुसार, "अध्यापक प्रशिक्षण का कार्य कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो परन्तु इससे ही उत्कृष्ट अध्यापक का निर्माण नहीं हो सकता। आलोचनात्मक रूप से विश्लेषण किए नए अनुभवों तथा विकास के नये व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयत्नों द्वारा ही परिवर्द्धित कौशन की उत्पत्ति होती है।" *("However excellent the programme of training may be, it does not by itself produce an excellent teacher, increased efficiency will come through individual and group effect at improvement."*—**Secondary Education Commission***)*

सेवारत शिक्षा के पक्ष में निम्नलिखित दलीलें दी जा सकती है–

(1) निरन्तर सुधार के लिए (For continuous Improvement)—सेवाकालीन शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है स्कूलों के कर्मचारियों की योग्यता में निरन्तर सुधार करना। अध्यापक को निरन्तर सीखते रहना चाहिए। टैगोर के शब्दों में, "एक दीपक दूसरे दीपक को तब तक प्रज्ज्वलित नहीं कर सकता जब तक कि वह स्वयं न जलता रहे।" *("A lamp can never light another lamp unless it continues to burn its own flame. A teacher can never trenly teach unless he is still learning himself"*—**Tagore***)* सभी अध्यापकों को अपने-अपने विषयों के विकसित ज्ञान प्राप्त करने तथा शिक्षण-सिद्धान्तों एवं अभ्यासों से परिचित होने के लिए निरन्तर अध्ययन करते रहना चाहिए। कोठारी आयोग के अनुसार ज्ञान के सभी क्षेत्रों में तेज़ी से हो रही प्रगति तथा शिक्षा सम्बन्धी सिद्धान्त एवं अभ्यास में निरन्तर हो रहे विकास के कारण शिक्षण व्यवसाय में सेवाकालीन शिक्षा अत्यन्त आवश्यक हो गई है।

(2) नए अध्यापकों को सहायता प्रदान करने के लिए (To provide help to the new teachers)—किसी विशेष स्कूल में प्रवेश करने वाले नए अध्यापकों की सहायता के लिए सेवाकालीन शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है। उन्हें कई प्रश्नों के उत्तर की आवश्यकता है। सेवाकालीन शिक्षा से वे इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।

(3) निरन्तर प्रशिक्षण (Continuous training)—निरन्तर प्रशिक्षण के अभाव में शिक्षण का ज्ञान खड़े पानी के तालाब की तरह हो जाता है। निरन्तर प्रशिक्षण का अभाव शिक्षक के दृष्टिकोण को सीमित कर देता है जिसका छात्रों को कोई लाभ नहीं होता। थामस अरनालड (Thomas Arnold) के अनुसार, "मैं इस बात को पसन्द करता हूँ कि मेरे विद्यार्थी खड़े पानी के तालाब से पानी पीने की बजाए बहती नदी में पानी पिएँ।" *(I prefer my students should drink from a running stream rather than from a stagnant pool."* —**Thomas Arnold***)*

(4) शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया (Education as a dynamic process)—शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। अध्यापक को चाहिए कि शिक्षा की इस परिवर्तनशीलता के साथ कदम से कदम मिला कर चले। अध्यापक के लिए यह तभी सम्भव है जब कि वह सेवार्त शिक्षा को ग्रहण करता रहेगा। यह सेवार्त शिक्षा शिक्षक को नया ज्ञान प्रदान करती है।

(5) कमियों को दूर करना (To eliminate dificiencies)—शिक्षकों तथा शिक्षा क्षेत्रों में काम करने वाले अन्य व्यक्तियों की कमियों को दूर करने के लिए सेवाकालीन शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है। इससे शिक्षा के गुणात्मक विकास में सहयोग मिलेगा।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

(6) सेवा पूर्व प्रशिक्षण को पूर्ण करना (To supplement Pre-service training)—अपने व्यावसायिक कर्त्तव्यों को प्रभावशाली ढंग से निभाने के लिए अध्यापकों को सेवापूर्ण प्रशिक्षण ही पर्याप्त नहीं है, विशेषकर विषय अध्यापकों को और अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। अतः सेवापूर्ण प्रशिक्षण को पूर्ण करने के लिए सेवाकालीन शिक्षा आवश्यक है। इससे अध्यापक का अपने विषय के साथ सजीव सम्पर्क रहता है।

(7) समूह भावना का विकास (Development of team feeling)—सेवाकालीन शिक्षा के सुनियोजित कार्यक्रमों में भाग लेने से अध्यापकों को दूसरे अध्यापकों से मिलने का सुअवसर प्राप्त होता है। इससे अपनत्व की भावना पैदा होती है जिससे सभी अध्यापक एक टीम के रूप में अपने को मानने लगते हैं और समूह भावना का विकास होता है। इससे अध्यापक वर्ग में एकता उत्पन्न होती है। जिसका सभी अध्यापकों को लाभ होता है। इस एकता से अधिकारियों के द्वारा किसी अध्यापक के साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता। वास्तव में सेवाकालीन शिक्षा का अध्यापक तथा समुदाय के लिए बहुत महत्त्व है। सेवाकालीन आयोजित कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लेने से अध्यापक अपने व्यवसाय में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

(8) शिक्षण की नवीन शैलियों, विधियों एवं कौशलों की जानकारी के लिए (For the knowledge of new techniques, methods and skills of teaching)—सेवारत शिक्षा अध्यापकों को शिक्षण की नई-नई विधियों तथा कौशलों की जानकारी देने में बहुत अधिक सहायता प्रदान करती है। इस वैज्ञानिक युग में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति हुई है। शिक्षा का क्षेत्र भी इस युग से अछूता नहीं रह सकता। शिक्षण-प्रक्रिया और शिक्षा में नए-नए शोध हो रहे हैं जिनका ज्ञान सभी अध्यापकों को होना चाहिए। यह कार्य सेवारत शिक्षा द्वारा ही हो सकता है।

(9) विचार-विमर्श करना (To exchange news)—सेवारत शिक्षा से विचारों का आदान-प्रदान किया जा सकता है। शिक्षण व्यवसाय में अध्यापक के सामने बहुत सी समस्याएँ आती हैं जिनका वह अकेले समाधान नहीं कर सकता। सेवारत शिक्षा के कार्यक्रमों में अध्यापकों को एक-दूसरे से मिलने का अवसर मिलता है। उनकी अपनी-अपनी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक ही व्यवसाय के लोग जब कोई इकट्ठा कार्य करते हैं तो उनमें अपने व्यवसाय के प्रति अपनत्व, सहयोग एवं मैत्री की भावना उत्पन्न होती है।

(10) शिक्षण विषयों का नवीनीकरण (Innovation of teaching subjects)—शिक्षण-विषयों में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं। एक शिक्षक को इन परिवर्तनों का ज्ञान होना चाहिए। अध्यापक के द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों का नवीनीकरण किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि पाठ्यक्रम में कुछ नए विषय जोड़ दिए जाते हैं जिन्हें अध्यापक को पढ़ाने में कठिनाई महसूस होती है परन्तु इस कठिनाई को सेवाकालीन शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा दूर किया जा सकता है।

(11) शिक्षा के पुनः निर्माण में सहायक (Helpful in educational Reconstruction)—शिक्षा को व्यवसायिक तथा उपयोगी बनाने के लिए नये-नये प्रयोग हो रहे हैं। इन प्रयोगों से उचित एवं उपयोगी परिणाम भी निकल सकते हैं जैसे 10+2 प्रणाली और कार्य-अनुभव को शिक्षा से जोड़ना इत्यादि। सेवाकालीन शिक्षा के द्वारा अध्यापकों को सक्रिय भाग लेना चाहिए। ऐसा करने पर ही अध्यापक शिक्षण-प्रक्रिया में सफलता प्राप्त कर सकता है।

(12) उपयुक्त दृष्टिकोण के विकास के लिए (For the development of appropriate attitudes)—शिक्षा के किसी भी विषय को लेकर सेवारत शिक्षा कार्यक्रमों में उसका आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है। अन्त में किसी महत्त्वपूर्ण निर्णय पर पहुँचा जाता है। अध्यापक को अपने विचार दूसरों के आगे रखने का सुअवसर प्राप्त होता है। इन क्रियाओं से अध्यापकों का आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है।

(13) आत्मभिव्यक्ति के लिए (For self expression)—शिक्षक का मुख्य कार्य ही छात्रों को पढ़ाना है। प्रत्येक अध्यापक को आत्मभिव्यक्ति की कला में निपुण होना चाहिए। ऐसा देखने में आया है

कि कई शिक्षकों को अपने विषय का बहुत अधिक ज्ञान होता है, परन्तु वे अपने विचारों को अपने छात्रों तक अच्छी प्रकार से पहुँचा नहीं सकते। कुशल अध्यापक बनने के लिए इस कमी को दूर करना चाहिए। सेवारत शिक्षा में अध्यापकों को ऐसे सुअवसर प्राप्त होते हैं जहाँ वे स्वतन्त्र होकर अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं।

◆◆◆

4.4 ज्ञान तथा शिक्षाशास्त्र (Knowledge and Pedagogy)

7. ज्ञान की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। ज्ञान प्राप्त करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। (Describe the concept of knowledge Outline the various methods of acquiring the knowledge.)

उत्तर–शिक्षा व दर्शन के क्षेत्र में ज्ञान शब्द का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। ज्ञान का दर्शन के साथ घनिष्ट संबंध है क्योंकि दर्शन का अर्थ है–ज्ञान के प्रति प्रेम (Love of knowledge) जीवन, जगत, आत्मा और परमात्मा आदि के विषय में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन का उद्देश्य है जैसा कि जॉन डीवी महोदय ने कहा है–

"दर्शन का मुख्य उद्देश्य है वास्तविकता का ज्ञान।"
(The primary aim of philosophy is knowledge of reality.)

दर्शन की तीन शाखाएँ हैं–
(i) तत्व मीमांसा (Metaphysics)
(ii) ज्ञान मीमांसा (Epistemology)
(iii) मूल्य मीमांसा (Axiology)

दर्शन की दूसरी शाखा ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान के स्वरूप, विधियों तथा स्रोतों आदि की विवेचना की जाती है। अब हम सर्व प्रथम इस विषय पर विचार करेंगे कि दार्शनिक दृष्टि से ज्ञान का क्या अर्थ है?

ज्ञान का प्रत्यय/अवधारणा/अर्थ (Concept/Meaning of knowledge)–ज्ञान की दार्शनिक अवधारणा को जानने के लिए इसका शाब्दिक अर्थ जानना आवश्यक है।

ज्ञान का शाब्दिक अर्थ (Etymological Meaning of knowledge)–ज्ञान शब्द संस्कृत की ज्ञा धातु से बना है जो 'जानना' अर्थ में प्रयोग होती है। अंग्रेजी भाषा में इसके लिए प्रयुक्त knowledge शब्द भी To know से संबंध रखता है जिसका संबंध भी 'जानने' से है। इस प्रकार स्पष्ट है कि 'ज्ञान' शब्द का संबंध 'जानकारी' के साथ है। किसी वस्तु अथवा विषय आदि के बारे में हमारा आरंभिक ज्ञान उनसे संबंधित सामान्य जानकारी अथवा सूचना पर आधारित होता है। हमें तथ्यों की समझ नहीं होती। आयु बढ़ने के साथ-साथ हमारी बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है और हमारा ज्ञान भी परिपक्व होता चला जाता है।

शब्दकोश में ज्ञान के अनेक अर्थ बताए गए हैं–

(i) सूचना (Information)–किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा विषय से संबंधित जानकारी ज्ञान है।

(ii) अधिगम (Learning)–स्वयं के अनुभवों तथा प्रशिक्षण के द्वारा जो अधिगम होता है वह ज्ञान है।

(iii) निश्चित विश्वास (Assured Belief)–अपने अनुभवों व चिंतन के आधार पर व्यक्ति के जो निश्चित विश्वास बन जाते हैं वही ज्ञान है।

(iv) ज्ञात (Known)–जो ज्ञात अर्थात् जाना हुआ है वह ज्ञान है।

CIMETRIX SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

(v) प्रकाशित होना (Enlightenment)—जिसका बोध हो गया अथवा जो व्यक्ति के मन में प्रकाशित हो गया वह ज्ञान है या जो मन को प्रकाशित कर दे वह ज्ञान है।

उपर्युक्त सभी अर्थों को दर्शन के संदर्भ में प्रयोग करते हुए कहा जा सकता है कि जीवन, संसार, आत्मा व परमात्मा आदि के विषय में जो ज्ञात है, प्रकाशित है, सूचित है तथा अपने अध्ययन व अनुभवों के आधार पर जो विश्वास हमने बनाए हैं वे सभी ज्ञान हैं। मनुष्य विचारशील प्राणी है। अपने मनन व प्रयोगों के आधार पर उसके पूर्व विश्वास टूट जाते हैं और नए विश्वास बनने लगते हैं। वह जीवन तथा जगत आदि के बारे में नए निष्कर्ष निकालने लगता है। ये नवीन विश्वास व निष्कर्ष भी ज्ञान हैं।

ज्ञान की प्रकृति/स्वरूप (Nature of knowledge)—यद्यपि इसकी प्रकृति के संबंध में अनेक दृष्टिकोण हैं पर इसके अर्थों के आधार पर कहा जा सकता है कि इसकी निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—

1. बुद्धि ज्ञान का स्रोत है। इसके द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है।
2. ज्ञानेन्द्रियाँ ज्ञान प्राप्ति का साधन हैं।
3. ज्ञान व्यक्ति के अनुभवों का परिणाम है।
4. ज्ञान व्यक्ति के अंतःकरण को प्रकाशित कर देता है।
5. इसका संबंध व्यक्ति द्वारा अपने व दूसरों के अनुभवों के आधार पर विकसित विश्वासों के साथ है।
6. विभिन्न विषयों से संबंधित सूचनाएँ या जानकारी भी ज्ञान का अभिन्न अंग हैं।

संक्षेप में ज्ञान का स्वरूप समन्वयात्मक है। यह केवल बौद्धिक, अनुभवात्मक या आध्यात्मिक नहीं है।

ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ (Methods of acquiring knowledge)

दार्शनिकों ने ज्ञान के प्रकारों के आधार पर उसे प्राप्त करने की अनेक विधियों का वर्णन किया है। कुछ मुख्य विधियाँ इस प्रकार हैं—

1. प्रत्यक्ष विधि (Direct method)—यह ज्ञान प्राप्त करने की आरंभिक विधि है। हमारी पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं—आंख, कान, नाक, मुख और त्वचा। जब हमारी ये ज्ञानेन्द्रियाँ किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण करती हैं या उनके सीधे संपर्क में आती हैं तो हमें उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यही ज्ञान प्राप्ति की प्रत्यक्ष विधि है। रूसो तो ज्ञानेन्द्रियों को ज्ञान का द्वार मानता है (Senses are gateways of learning) जैन, बौद्ध, न्याय तथा वेदान्त आदि भारतीय दर्शनों ने प्रत्यक्ष विधि की व्याख्या अपने-अपने ढंग से की है। स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष विधि ज्ञान प्राप्त करने की आरंभिक लेकिन महत्त्वपूर्ण विधि है।

2. आगमन विधि (Inductive Method)—यह विधि तर्क पर आधारित है। जो ज्ञान प्रत्यक्ष विधि से प्राप्त नहीं हो सकता उसे इस विधि से प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि में हम विशेष से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। पहले कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं फिर उनके आधार पर किसी सामान्य निष्कर्ष तक पहुँचा जाता है। भारतीय दर्शनों में—न्याय, सांख्य व वेदान्त ने इस विधि का वर्णन किया है। इस विधि में ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्न सोपानों में चलती है—

(i) निरीक्षण (observation)—सर्वप्रथम व्यक्ति किसी वस्तु का निरीक्षण करता है।

(ii) तथ्यों का एकत्रीकरण (Collection of data)—उस व्यक्ति/वस्तु/विषय से संबंधित तथ्य एकत्रित किए जाते हैं।

(iii) वर्गीकरण (Classification)—एकत्रित तथ्यों का ध्यानपूर्वक वर्गीकरण किया जाता है।

(iv) व्याख्या/वर्णन (Description)—तथ्यों की उपयुक्त व्याख्या की जाती है।

(v) सामान्यीकरण (Generalization)—अंत में किसी अंतिम निष्कर्ष या सामान्य नियम तक पहुँचा जाता है।

इस विधि का जनक प्रसिद्ध दार्शनिक बेकन को माना जाता है।

3. निगमन विधि (Deductive Method)—भारतीय दर्शनों में ज्ञान प्राप्त करने की इस विधि का भी वर्णन है। यह विधि भी तर्क पर आधारित है। यह तर्क आगमन के विपरीत निगमन प्रकार का है। इसमें हम सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हैं। पहले से निर्धारित सत्य या मान्यताओं की पुष्टि अनेक उदाहरणों द्वारा की जाती है।

आदर्शवादी विचारक ज्ञान प्राप्ति की आगमन व निगमन दोनों विधियों का समर्थन करते हैं।

4. प्रयोग विधि (Experimental Method)—प्रयोगवादी विचारक इस विधि को ज्ञान प्राप्ति की सर्वोत्तम विधि मानते हैं। उनके अनुसार प्रयोग करने पर यदि कोई विचार/वस्तु हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होती है तो वही सत्य है, वही वास्तविक है। प्रयोग ही ज्ञान की सत्यता की कसौटी है।

5. अन्तः प्रज्ञा विधि (Intuitional Method)—विभिन्न दर्शन इस विधि को स्वीकार करते हैं। आदर्शवादी ज्ञान प्राप्ति में इसे विशेष महत्त्व देते हैं। जो ज्ञान अन्य विधियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता उसकी प्राप्ति इस विधि से संभव है। इस विधि में ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति वस्तु स्थिति से एक प्रकार का भावात्मक संबंध बना लेता है। वह उसमें इतना लीन हो जाता है कि स्वयं को उस वस्तु में व उस वस्तु को स्वयं में देखने लगता है। एक प्रकार से यह ईश्वर का साक्षात्कार करने की आध्यात्मिक विधि है।

6. एकाग्रता व ध्यान (Concentration & Meditation)—यह भी एक आध्यात्मिक विधि है। ध्यान व एकाग्रता के बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव ही नहीं है। चित्तवृत्तियों को अन्य बाहरी विषयों से हटाकर एकाग्रचित होकर ध्यान को ईश्वर में लगा लेने से ही हमें उसका ज्ञान प्राप्त होता है। अनेक संत-महात्माओं ने इसी विधि से परमात्मा का साक्षात्कार किया।

7. शब्द विधि (Shabd Method)—न्याय दर्शन में इस विधि का वर्णन है। इस विधि में शब्दों का प्रयोग करके किसी विषय संबंधी ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। लिखित शब्दों को पढ़कर अथवा बोले गए शब्दों को सुनकर ज्ञान प्राप्त करने की विधि ही शब्द विधि है। जैन दर्शन में इसके लिए श्रुति विधि तथा सांख्य-योग दर्शन में शब्द विधि का प्रयोग किया गया है। हमारे पूर्वजों द्वारा अर्जित ज्ञान इसी विधि से हम तक पहुँचता है।

ज्ञान प्राप्त करने की विधियों का शिक्षा पर प्रभाव (Impact of the methods of acquiring knowledge on Education)—आज हमारी शिक्षा संस्थाओं में विभिन्न विषयों के शिक्षण के लिए जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जा रहा है वे सभी ज्ञान प्राप्त करने की दार्शनिक विधियों से प्रभावित हैं। इनके कुछ प्रभाव इस प्रकार हैं।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS, SKILLED INDIA

प्रत्यक्ष पद्धति के प्रभाव (Impact of Direct Method) :

1. प्राथमिक विद्यालयों में ज्ञानेन्द्रियों का प्रयोग करके शिक्षा देने पर बल दिया जा रहा है। माण्टेसरी व किण्डर गार्टन पद्धतियाँ प्रत्यक्ष विधि पर ही आधारित हैं।
2. शिक्षण में दृश्य-श्रव्य सामग्री के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है।
3. इतिहास, भूगोल तथा नागरिक शास्त्र आदि विषयों के शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए बच्चों को वास्तविक स्थितियों के संपर्क में लाया जा रहा है। शैक्षिक भ्रमण इसके उदाहरण हैं।
4. विज्ञान शिक्षण में प्रयोग का आरंभिक चरण है— निरीक्षण। यह प्रत्यक्ष पद्धति पर आधारित है।
5. यह विधि अन्य विधियों के पूरक के रूप में भी प्रयोग में लाई जाती है।

आगमन एवं निगमन विधि (Inductive and Inductive Method)—अध्यापक इन विधियों का प्रयोग तो आवश्यकतानुसार इसी रूप में करते हैं। व्याकरण व विज्ञान आदि विषय पढ़ाने में इन्हें बहुत अधिक प्रयोग किया जा रहा है। उदाहरण के लिए आगमन विधि से संज्ञा पढ़ाने के लिए पहले बच्चों के समक्ष व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम के उदाहरण प्रस्तुत करता है और अन्त में उन्हें बताता है कि व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं।

इसके विपरीत निगमन विधि से पढ़ाते हुए वह पहले संज्ञा की परिभाषा बताता है और उसके बाद इसके उदाहरण देता है।

प्रयोग विधि के प्रभाव (Impact of Experimental Method)—आज शिक्षा में करके सीखना (Learning by doing) तथा अनुभव द्वारा सीखना (Learning by experience) पर बल दिया जा रहा है। इसी आधार पर (Project Method, Scientific Method) तथा (Problem solving Methods) परियोजना विधि, वैज्ञानिक विधि तथा समस्या समाधान विधि आदि का प्रयोग किया जा रहा है। विज्ञान तथा भूगोल जैसे विषयों का शिक्षण विशेष रूप से इस विधि पर आधारित है।

शब्द विधि के प्रभाव (Impact of Shabd Vidhi)—विद्यालयों में प्रयोग होने वाली पाठ्य पुस्तक पद्धति, भाषण, प्रश्नोत्तर तथा वाद-विवाद आदि विधियाँ शब्द विधि से प्रभावित हैं।

अन्तः प्रज्ञा विधि के प्रभाव (Impact of Intuition Method)—काव्य शिक्षण तथा संगीत व ललित कलाओं का शिक्षण अन्तः प्रज्ञा विधि पर आधारित है। इनके अध्ययन-अध्यापन में जिस आनन्द व रस का अनुभव होता है वह ब्रह्म से एकाकार होने का अनुभव होता है।

निष्कर्ष (Conclusion)—अन्त में यह कहा जा सकता है कि ज्ञान प्राप्ति की दार्शनिक विधियाँ हमारे वर्तमान अध्यापकों के लिए एक विस्तृत क्षेत्र प्रदान करती हैं। वे इनके आधार पर अपने-अपने विषयों के शिक्षण के लिए प्रभावी शिक्षण विधियों का चयन कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति की ये विधियाँ मात्र दार्शनिक ही नहीं मनोवैज्ञानिक भी हैं।

◆◆◆

8. ज्ञान प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए।
(Describe the various sources of knowledge.)

उत्तर–ज्ञान का अर्थ (Meaning of knowledge)—प्रश्न संख्या 2 देखिए।

ज्ञान के स्रोत (Sources of knowledge)—ज्ञान के स्रोत जानने से पूर्व स्रोत शब्द का अर्थ जानना आवश्यक है।

स्रोत का अर्थ (Meaning of Source)—स्रोत का अर्थ है—उत्पत्ति स्थल या उद्गम। अर्थात् वह जिससे किसी चीज की उत्पत्ति हो।

इस प्रकार ज्ञान के स्रोत वे हैं जिनसे ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। विभिन्न भारतीय दर्शन ज्ञान के अलग-अलग स्रोत बताते हैं। कुछ मुख्य स्रोत इस प्रकार हैं—

1. इन्द्रिय अनुभव (Sense Experience)—आँख, कान, नाक, जीभ व त्वचा इन ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त अनुभव ज्ञान का मुख्य स्रोत हैं। इसे ज्ञान का आरंभिक स्रोत कहा जाता है। जब हमारी इन्द्रियाँ किसी बाहरी वस्तु के संपर्क में आती हैं तो हमें उसकी संवेदना होती है और अंत में इसी आधार पर उसका प्रत्यय (Concept) हमारे मस्तिष्क में बनता है। इस प्रकार इन्द्रियाँ ज्ञान का स्रोत हैं। अनेक विश्वास हमारे इसी इन्द्रियजन्य ज्ञान से बनते हैं। जैसे—'कौआ काला है', 'तोते का रंग हरा है' आदि हमारे विश्वासों का स्रोत यह इन्द्रिय अनुभव ही है।

इन्द्रिय अनुभव को ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकारने की आलोचना भी की जाती है क्योंकि कई बार भ्रम के कारण व्यक्ति वस्तु का सही प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाता। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि यह आलोचना ठीक नहीं है क्योंकि भ्रम की स्थिति में हमारी इन्द्रियाँ ही उसका निराकरण भी कर देती हैं। उदाहरण के लिए यदि भ्रम के कारण नेत्र रस्सी को साँप समझ लेते हैं तो इस भ्रम को दूर भी नेत्र ही करते हैं। अतः इन्द्रिय अनुभव ज्ञान का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है।

2. तर्क (Reasoning)—भारतीय दर्शनों में इसे अनुमान (Inference) कहा गया है। यह इन्द्रिय अनुभव की अपेक्षा ज्ञान का अधिक व्यापक स्रोत है क्योंकि इन्द्रिय अनुभव तो केवल वर्तमान में विद्यमान वस्तुओं के ज्ञान का ही स्रोत है जबकि तर्क भूत, वर्तमान व भविष्य हर प्रकार के ज्ञान का उद्गम स्थल है। तर्क का अर्थ है— पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान तक पहुँचना।

तर्क दो प्रकार का होता है—

(i) आगमन तर्क (Inductive Reasoning)

(ii) निगमन तर्क (Deductive Reasoning)

इन दोनों तर्कों को समझने के लिए आधारिका व निष्कर्ष–इन दो शब्दों को समझना होगा।

आधारिका–इसका अर्थ है—आधार। इस प्रकार आधारिका ऐसे कथन हैं जो नए निष्कर्ष तक पहुँचने में आधार का कार्य करते हैं।

निष्कर्ष–ये वे कथन है जिन तक हम आधारिका के आधार पर पहुँचते हैं।

(i) आगमन तर्क (Inductive Reasoning)—इसका अभिप्राय यह है कि यदि हमारी आधारिका सत्य है तो यह आवश्यक नहीं कि हमारा निष्कर्ष भी सत्य ही होगा। उसके सत्य होने की सभावना मात्र हो सकती है। उदाहरण के लिए— 'अभी तक देखे गए कौए काले पर गए' यह एक आधारिका है। इसके आधार पर हम इस निष्कर्ष तक पहुँचते हैं कि 'सभी कौए काले हैं।' लेकिन हमारा यह निष्कर्ष केवल संभावना है। सभी कौए काले हो भी सकते हैं और नहीं भी।

ज्ञान के स्रोत के रूप में यह तर्क बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इस विश्व में हमारा अधिकतर ज्ञान संभावनाओं पर आधारित होता है।

(ii) निगमन तर्क (Deductive Reasoning)—इस तर्क का अर्थ है कि यदि आधारिका सत्य है तो निष्कर्ष भी निश्चित रूप से सत्य होगा। उदाहरण के लिए— "जहाँ-जहाँ ऑक्सीजन होती है वहाँ-वहाँ जीवन पाया गया" यह एक आधारिका है जो कि सत्य है। अतः इसके आधार पर 'चन्द्रमा पर क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है अतः वहाँ जीवन भी नहीं है।' निकाला गया यह निष्कर्ष भी सत्य है।

अनेक भारतीय दर्शन इस प्रकार के तर्क को ज्ञान का स्रोत स्वीकारते हैं।

3. तर्क बुद्धि (Rational Intelligence)—व्यक्ति की उस मानसिक योग्यता को तर्क बुद्धि कहा गया है जिसके द्वारा वह दो कथनों के बीच संबंध को समझता है। प्रत्यय निर्माण इसी आधार पर होता है। तर्क बुद्धिवादी (Rationalists) तर्क बुद्धि को ही ज्ञान का स्रोत मानते हैं। कुछ विचारक तर्क बुद्धि को 'तर्क' में ही समाविष्ट कर देते हैं। क्योंकि तर्क की प्रक्रिया में तर्क बुद्धि ही हमारी मदद करती है।

4. आप्त वचन (Testimony/Authority)—इसे उन विशेषज्ञों के वचन भी कहा जा सकता है जिन्होंने प्रत्यक्ष अथवा तर्क आदि के आधार पर स्वयं ज्ञान प्राप्त किया हो। आप्त वचन ज्ञान का स्रोत तो है पर आवश्यक नहीं कि ये सदैव विश्वसनीय हों। अतः इनसे प्राप्त ज्ञान को अपने अनुभव व तर्क के आधार पर परीक्षण करने के बाद ही स्वीकार करना चाहिए।

5. श्रुति (Revelation)—श्रुति शब्द का संबंध सुनने या प्रकट होने के साथ है। विभिन्न धर्म ग्रंथों के विषय में यह धारणा है कि उनके प्रवर्तकों ने उनमें वर्णित ज्ञान को अपने दिव्य ज्ञान चक्षुओं से देखा है अथवा वह ज्ञान उनके समक्ष प्रकट हुआ है। इस रूप में श्रुति को ज्ञान का स्रोत कहा जाता है। लेकिन श्रुति से प्राप्त ज्ञान कितना प्रामाणिक है यह बताना कठिन है।

6. अन्तः प्रज्ञा (Intuition)—अन्तः प्रज्ञा का संबंध आभास या अंतर्बोध से है। अन्तः प्रज्ञा एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति को परम सत्ता का आभास या बोध होता है। यह बोध अनुभूति के रूप में होता है। दार्शनिकों का मत है कि परम सत्ता का ज्ञान अन्तः प्रज्ञा के बिना प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। सामान्य व्यक्ति के लिए अन्तः प्रज्ञा द्वारा ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। परम सिद्ध योगी ही इस स्रोत से ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं।

7. आस्था (Faith)—आस्था का अर्थ है—लगाव। प्रत्येक संस्कृति में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पर हमारी आस्था केवल इसलिए होती है क्योंकि वह परम्परागत रूप में प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं। इनकी सत्यता के विषय में कोई प्रमाण नहीं होता। आज सामाजिक जीवन में हमारे अनेक कार्य हमारी आस्था से जुड़े हैं। इसलिए इसे भी ज्ञान का महत्त्वपूर्ण स्रोत कहा जा सकता है।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि विभिन्न दार्शनिकों ने ज्ञान के अनेक स्रोत बताए हैं लेकिन ये सभी स्रोत परस्पर विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं।

◆◆◆

9. ज्ञान के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए।
(Describe various types of knowledge.)

उत्तर–ज्ञान दर्शन का मुख्य विवेच्य विषय है। सभी दर्शन इसके अर्थ को स्पष्ट करने के बाद इसके प्रकारों का वर्णन करते हैं। विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं में इसका वर्गीकरण अपने-अपने ढंग से किया गया है। इस संबंध में निष्कर्ष तक पहुँचने से पूर्व इनमें से कुछ मुख्य वर्गीकरण देख लेना आवश्यक है।

ज्ञान के प्रकार : विभिन्न दर्शनों की दृष्टि में
(Types of knowledge according to various Philosophies)

श्रीमद्‌भगवद् गीता–ज्ञान तीन प्रकार का है–
1. सात्विक ज्ञान 2. राजसी ज्ञान 3. तामसी ज्ञान
इनमें सात्विक ज्ञान सर्वोच्च तथा तामसी ज्ञान निम्न कोटि का है।

जैन दर्शन : इसके अनुसार ज्ञान पाँच प्रकार का है–
1. मति ज्ञान–यह इन्द्रियों से प्राप्त होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान है।
2. श्रुति ज्ञान–वर्णन, व्याख्यान व पाठ्य-पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान श्रुति ज्ञान है।
3. अवधि ज्ञान–यह अतीन्द्रिय ज्ञान है।
4. मनः पर्यवज्ञान–यह वह ज्ञान है जिससे व्यक्ति दूसरों के मनोभावों को जान सकता है।
5. कैवल्य ज्ञान–यह शाश्वत ज्ञान है जो व्यक्ति को बंधन मुक्त कर देता है।

जैन दर्शन अंतिम तीन प्रकार के ज्ञान को उच्च कोटि का कहता है।

इसी प्रकार वेदांत, सांख्य, न्याय व योग आदि दर्शन अपने-अपने ढंग से ज्ञान के प्रकारों का वर्णन करते हैं।

उन सबके विचारों के आधार पर ज्ञान के निम्नलिखित प्रकार उल्लेखनीय हैं–

1. ऐन्द्रिक ज्ञान (Emperical knowledge)–सोफिस्ट व कुछ भारतीय दर्शन इसे प्रत्यक्ष ज्ञान भी कहते हैं। यह ज्ञान हमें इन्द्रियों से प्राप्त होता है। हमारा आरंभिक ज्ञान इसी श्रेणी में आता है क्योंकि हम वस्तुओं को देख, सुन, सूंघ, स्वाद व स्पर्श आदि के द्वारा ही जान पाते हैं।

2. बौद्धिक ज्ञान (Rational Knolwedge)–सुकरात इसे प्रत्ययात्मक तथा प्लेटो यथार्थ ज्ञान कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है इसे हम बुद्धि के द्वारा प्राप्त करते हैं। व्यक्ति की बोध, चिंतन व तर्क आदि शक्तियाँ इसे प्राप्त करने में मदद करती हैं। भारतीय दर्शनों में वर्णित अनुमान इसी प्रकार का ज्ञान है।

3. आप्तवचनात्मक ज्ञान (Authoritative knowledge)–जिस ज्ञान का स्रोत आप्त वचन अर्थात् विश्वसनीय व्यक्तियों के कथन हैं वह आप्तवचनात्मक ज्ञान कहलाता है। यह लिखित व मौखिक दोनों रूपों में प्राप्त हो सकता है। विभिन्न विषयों की पुस्तकों में संग्रहीत सामग्री, वैज्ञानिकों की खोजों के निष्कर्ष तथा विशेषज्ञों के विचारों को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। भारतीय दर्शन इसे शाब्द ज्ञान कहते हैं।

4. अन्तः प्रज्ञात्मक ज्ञान (Intuitive knowledge)–अन्तः प्रज्ञा से प्राप्त होने वाला ज्ञान अन्तः प्रज्ञात्मक ज्ञान कहलाता है। यह व्यक्ति की आन्तरिक बुद्धि या शक्ति है जिसके द्वारा वह परोक्ष वस्तुओं का भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जीवन में कई बार हमें भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। यह अन्तः प्रज्ञा द्वारा ही संभव है। इस प्रकार के ज्ञान का प्रमाण हमारे व्यक्तिगत अनुभव ही होते हैं।

5. श्रुत ज्ञान (Revealed knowledge)–यह वह दिव्य या अलौकिक ज्ञान है जिसका साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से होता है। इस संदर्भ में वेद व कुरान के उदाहरण उल्लेखनीय हैं। वेदों के विषय में यह प्रसिद्ध है कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने अपने दिव्य नेत्रों से इनको देखा जबकि मुस्लिम समाज की यह धारणा है कि हजरत मोहम्मद ने अल्लाह के फरिश्ते से कुरान के एक-एक शब्द को सुना। यह सब श्रुत ज्ञान की श्रेणी में आता है। भारतीय सांख्य दर्शन में इसे वैदिक शाब्द ज्ञान कहा गया है।

6. क्रियात्मक ज्ञान (Functional knowledge)–प्रयोगवादी दर्शन इस प्रकार के ज्ञान का वर्णन करता है। वह ज्ञान जिसका आधार हमारे कार्य व अनुभव होते हैं क्रियात्मक ज्ञान कहलाता है। वर्तमान परिवेश में यह ज्ञान बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसी से व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलती है और वह एक सफल जीवन व्यतीत कर सकता है। व्यावहारिक होने के कारण यह ज्ञान बहुत उपयोगी है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि ज्ञान के विभिन्न प्रकार उसके स्रोतों पर आधारित हैं। जिस स्रोत से कोई ज्ञान प्राप्त होता है उसी स्रोत के आधार पर ज्ञान के उस प्रकार का नामकरण कर दिया गया है। ज्ञान के ये सभी प्रकार अपने-अपने रूप में महत्त्वपूर्ण हैं और कहीं न कहीं इनके उदाहरण हमें जीवन में देखने को मिलते हैं।

अब हम संक्षेप में इस विषय पर विचार करेंगे कि ज्ञान के इन प्रकारों का हमारी शिक्षा के साथ क्या संबंध है।

ज्ञान के प्रकारों का शिक्षा प्रक्रिया पर प्रभाव (Impact of the types of knowledge on process of education)–संक्षेप में शिक्षा के विभिन्न अंगों पर ज्ञान के उपर्युक्त प्रकारों का प्रभाव इस प्रकार है–

शिक्षा के उद्देश्य (Aims of education)–आज हमारी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बौद्धिक विकास करना है। यह उद्देश्य बौद्धिक ज्ञान से संबंध रखता है। शिक्षा द्वारा चिंतन, मनन व तर्क आदि शक्तियों का विकास किया जाता है जिससे वह बौद्धिक ज्ञान प्राप्त कर सके।

आज शिक्षा का दूसरा मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक विकास (Spiritual development) करना है। इससे व्यक्ति को अन्तः प्रज्ञात्मक ज्ञान को प्राप्त करने में मदद मिलती है।

पाठ्यक्रम (Curriculum)–आज पाठ्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा लिखित पाठ्य-पुस्तकें सम्मिलित हैं। विद्यालयों में विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं तथा समय-समय पर शैक्षिक भ्रमण व अन्य सहगामी गतिविधियाँ भी आयोजित की जाती हैं जिनसे बच्चों को बौद्धिक, आप्तवचनात्मक, क्रियात्मक व ऐन्द्रिक आदि ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है।

शिक्षण विधियाँ (Teaching Methods)–बच्चों को आरंभिक कक्षाओं में ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। माध्यमिक स्तर पर पाठ्य-पुस्तक, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, प्रयोग तथा अन्य क्रिया प्रधान विधियों का प्रयोग किया जाता है। आगमन व निगमन विधियों द्वारा विषय के स्पष्टीकरण का प्रयास किया जाता है। दृश्य-श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। उच्च स्तर पर आत्म चिंतन व शोध को प्रोत्साहित किया जाता है। ये सब विधियाँ ज्ञान के उपर्युक्त सभी प्रकारों से प्रभावित हैं।

शिक्षक (Teacher)–आज सब प्रकार के ज्ञान को बच्चे तक पहुँचाने का दायित्व अध्यापक पर ही है। यह अध्यापक के शिक्षण कौशल पर निर्भर करता है कि वह कितनी कुशलता से उसे बच्चों तक पहुँचाता है या बच्चों को उसे स्वयं प्राप्त करने के योग्य बनाता है।

स्पष्ट है कि ज्ञान के ये विभिन्न प्रकार शिक्षा के विभिन्न अंगों को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं।

◆◆◆

10. शिक्षाशास्त्र से आप क्या समझते हैं? शिक्षा शास्त्र के अध्ययन का क्या महत्त्व है?
(What do you mean by Pedagogy? What is the importance of study of Pedagogy?)

उत्तर–**शिक्षाशास्त्र का अध्ययन (Study of Pedagogics)**–शिक्षाशास्त्र का अध्ययन दो शब्दों से मिलकर बना है–शिक्षाशास्त्र एवं अध्ययन। ऐसा अध्ययन जो शिक्षाशास्त्र पर आधारित हो।

अध्ययन का प्रयोग उस प्रक्रिया के लिए है जिसके द्वारा किसी वस्तु विशेष को उसके भागों, अवयवों तथा तत्त्वों में विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता है। स्कूल प्रबन्ध के द्वारा हम उसको दो भागों–स्कूल

CIMETRIX

एवं प्रबन्ध में विभाजित कर सकते हैं। किसी भी शिक्षण इकाई को हम उसके विभिन्न भागों या अवयवों, उपइकाईयों, प्रकरणों तथा अवधारण विशेष में बांटने का कार्य अध्ययन में करते हैं। इसी प्रकार किसी भी विषयवस्तु को हम उसके वृहत एवं लघु खण्डों, उपखण्डों, इकाई तथा उपइकाईयों, वृहत एवं लघु अवधारणों या सप्रंत्ययों, प्रकरण तथा उप-प्रकरणों आदि में बांटने के लिए करते हैं।

अब आगे शिक्षाशास्त्र शब्द के अर्थ को जानने की बारी आती है तो हमें इस शब्द का शब्दकोष में जो अर्थ देखने को मिलता है; वह है शिक्षा का विज्ञान *(Science of Teaching)*।

शिक्षाशास्त्र और अध्ययन इन दोनों शब्दों से परिचित होने के बाद हम शिक्षाशास्त्र के अध्ययन को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं।

किसी विषयवस्तु का शिक्षण विज्ञान या शिक्षाशास्त्र के नियमों को आधार बनाकर किया जाने वाला अध्ययन (उसके भागों तथा अवयवों में बांटने की प्रक्रिया) ही उस विषयवस्तु का **"शिक्षा शास्त्र का अध्ययन"** है।

विद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल किसी भी विषय के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है उसमें इस तरह की विषयवस्तु तथा अधिगम अनुभवों को स्थान देने का प्रयत्न किया जाता है जिससे शिक्षण-अधिगम से एक कक्षा विशेष के लिए निर्धारित शिक्षण-अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति में पूरी-पूरी मदद मिल सके। पाठ्यक्रम में विषय-विशेष की विषय-सामग्री प्रायः वृहत *(Major)* तथा लघु *(Minor)* खण्डों या विभागों, वृहत तथा लघु संप्रत्ययों *(Major and minor concepts)*, इकाईयों *(Units)*, प्रकरणों *(Topics)* तथा एकल संप्रत्यय *(Single concepts)* के रूप में आयोजित एवं संगठित रहती है। इसी तरह जब किसी अध्यापक को किसी इकाई या प्रकरण विशेष को पढ़ाना होता है तो वह अपनी सुविधा हेतु इसे इसके अवयवों यानि उप-इकाईयों; उप-प्रकरणों या एकल-संप्रत्ययों *(Single concepts)* के रूप में क्रमिक रूप में व्यवस्थित एवं संगठित कर लेता है। इस प्रकार से किसी पाठ्यक्रम, कोर्स, इकाई या प्रकरण की विषय-वस्तु को इसके अवयवों या भागों में बांटने की प्रक्रिया को जब केवल मात्र उसके क्रमिक रूप से व्यवस्थित एवं संगठित करने के उद्देश्य को लेकर संपन्न किया जाता है तब उसे उस विषय-वस्तु विशेष के अध्ययन *(Contents study)* की संज्ञा दी जाती है। परन्तु जब इसी प्रकार का अध्ययन एक शिक्षाशास्त्र एवं विधिवत् ढंग से शिक्षाशास्त्र यानी शिक्षण विज्ञान की मर्यादाओं तथा सिद्धान्तों को आधार बनाकर किया जाता है। तब उसे उस विषय विशेष की विषय-वस्तु का शिक्षाशास्त्र का अध्ययन कहा जाता है।

अब शिक्षण का विज्ञान या शिक्षाशास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। क्या वास्तव में हमारे शिक्षण को अपने प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन तथा वांछित परिणामों की उपलब्धि हेतु किसी तरह के विज्ञान की आवश्यकता है? जहां तक हमारी दिन-प्रतिदिन की जिन्दगी का सवाल है, हमें अपने कामकाज को ठीक तरह से करने के लिए और अपने आराम और प्रगति के लिए विज्ञान की सेवाएं लेनी होती हैं। विज्ञान की सहायता से हमें अपनी शक्ति तथा समय की बचत करने में मदद मिलती है। कम लागत से कम से कम समय में अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छे परिणामों की प्राप्ति करना विज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाता है। विज्ञान की यही प्रकृति है कि वह अपने प्रयोग से कम से कम साधनों का व्यय करके *(Minimum input)* अधिक से अधिक अच्छे परिणामों *(Maximum output)* की उपलब्धि में सहायक होता है। इसलिए अगर कोई चीज जिसे शिक्षण विज्ञान के रूप में मान्यता दी जा सकती है उसमें ऐसी सामर्थ्य और शक्ति अवश्य होनी चाहिए कि उसके उपयोग से एक शिक्षक को अपने शिक्षण में उसी प्रकार की मदद मिल सके जिस प्रकार की हमें अपने दिन-प्रतिदिन तथा कामकाज की जिन्दगी में विज्ञान के उपयोग से मिलती है। इस तरह यह आशा की जा सकती है कि शिक्षण के विज्ञान या शिक्षाशास्त्र के उपयोग के द्वारा शिक्षण कार्य में सीमित साधनों के अन्तर्गत भी हमें अच्छे से अच्छे शिक्षण-परिणामों की उपलब्धि कराने में पूरी-पूरी मदद मिले। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि शिक्षण विज्ञान या शिक्षाशास्त्र से अभिप्राय शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त उन सभी तरीकों या साधनों से है जिनके द्वारा अपने शिक्षण कार्य को अधिक से अधिक सहजता और प्रभावपूर्णता से वह इस ढंग से पूरा करने में समर्थ हो पाता है कि उसे कम से कम साधन और शक्ति का व्यय करके वांछित अधिगम परिणामों की सर्वोत्तम उपलब्धि हो सके।

METRIX
SKILLED INDIANS - SKILLED INDIA

शिक्षाशास्त्र के अध्ययन का महत्त्व *(Importance of Study of Pedagogy)*

(1) शिक्षण को बहुत ही सुचारु और सहज ढंग से संपादित किया जा सकता है।
(2) अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनों या शिक्षण परिणामों के रूप में अधिक से अधिक अच्छे परिणामों की उपलब्धि की जा सकती है।
(3) शिक्षाशास्त्र के अध्ययन से किसी विषय-वस्तु के शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है।
(4) शिक्षाशास्त्र के अध्ययन से किसी विषय-वस्तु के उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने से उद्देश्यों की पूर्ति आसानी से होने की आशा रहती है।
(5) शिक्षाशास्त्र के अध्ययन से किसी विषय-वस्तु को विभिन्न विधियों, प्रविधियों, तकनीकों, व्यूह रचनाओं तथा सहायक सामग्री की मदद से पढ़ाये जाने पर परिणाम बहुत अच्छे निकलते हैं।
(6) शिक्षाशास्त्र के अध्ययन से पढ़ाई गई विषय-वस्तु का कई विधियों से मूल्यांकन करने से यह पता चलता है कि उद्देश्यों की पूर्ति हुई कि नहीं।
(7) शिक्षाशास्त्र के अध्ययन से पढ़ाई गई विषय-वस्तु का मूल्यांकन करने के पश्चात् प्रतिपुष्टि *(Feed-back)* देने में सुविधा रहती है।

इस प्रकार शिक्षाशास्त्र के अध्ययन को अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कराने के उद्देश्यों से शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को चार मुख्य स्तंभों में दिखाया गया है जो सभी प्रकार की अन्तः निर्भरता तथा अन्तः सम्बन्धों को बनाये रखने का सुझाव देते हैं।

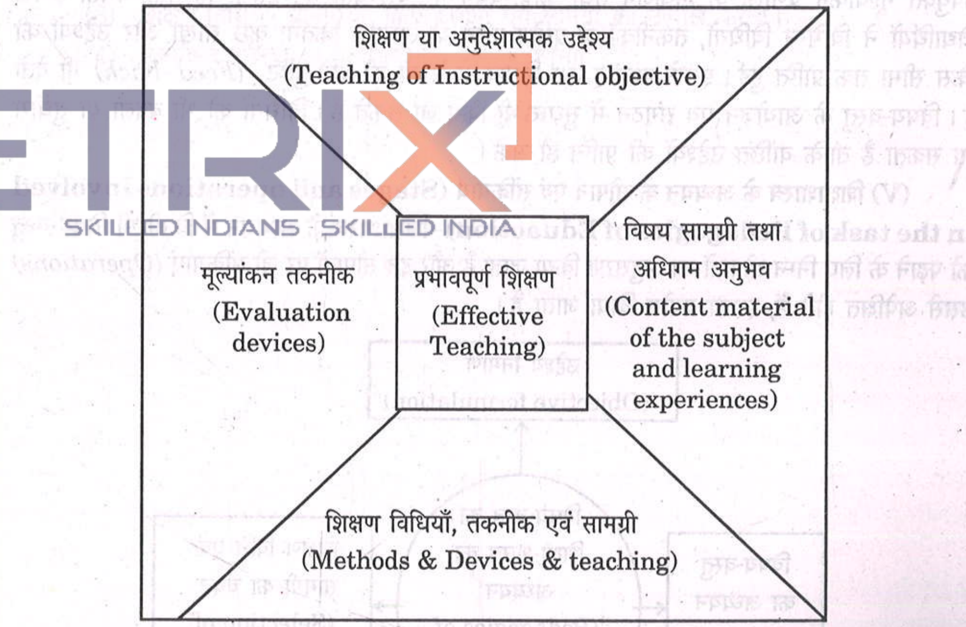

एक अध्यापक के शिक्षण में शिक्षाशास्त्र की भूमिका या शिक्षाशास्त्र का महत्त्व
(Role Played by Pedagogy in Teacher's Teaching or Scope of Pedagogics)

1. विषय सामग्री तथा अधिगम अनुभव (Content material of the subject and learning experiences)

(क) **विषय सामग्री के वृहत (Major) और लघु (Minor) बिन्दुओं की पहचान (Identification of major and minor points of subject-matter)**—किसी भी विषय-वस्तु के भली भांति वृहत *(Major)* और लघु *(Minor)* खण्डों की सर्वप्रथम पहचान की जाती है व विषय-वस्तु को विभागों, इकाईयों व संप्रत्ययों में विभक्त किया जाता है विषय-वस्तु की परिभाषा, उसके प्रकार, उसका वर्गीकरण करके विषयवस्तु का अध्ययन किया जाता है।

(ख) **अधिगम-अनुभव (Learning experiences)**–जितनी विषय-सामग्री अधिगम अनुभवों के रूप में विषय के लिए निर्धारित पीरियड में भली-भांति प्रदान की जा सकती है, उसे उतना ही शिक्षक द्वारा लिया जाता है जितना, उस पीरियड में पढ़ाया जा सके।

2. शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्य (Teaching or instructional objectives)–विषय सामग्री को व्यवस्थित, संगठित करने के पश्चात् इस पाठ के अनुदेशन उद्देश्य का निर्माण किया जाता है और उन्हें निश्चित व्यवहारजन्य शब्दावली में लिखकर, उद्देश्यपूर्ति का ध्यान रखा जाता है।

3. शिक्षण-विधियां तकनीक तथा शिक्षण-सामग्री (Teaching methods, techniques and teaching material)–पाठ या प्रकरण की विषय-वस्तु द्वारा निर्धारित अनुदेशात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का प्रयोग करके प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए उपयुक्त सुझाव शिक्षाशास्त्र द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है। इन सुझावों को ध्यान में रखकर शिक्षक प्रस्तुत पाठ के अनुदेशन हेतु आवश्यक विधियों, प्रविधियों, तकनीकों, व्यूह-रचनाओं, शिक्षण सामग्री का भली-भांति चयन करके इन्हें क्रमबद्ध रूप से शिक्षाशास्त्र की मदद से पढ़ाने की हर कोशिश की जाती है जिससे उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके।

4. मूल्यांकन तकनीक (Evaluation techniques)–शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के ठीक तरह चलते रहने के लिए उस पर विधिवत् नियन्त्रण बनाये रखना आवश्यक होता है। शिक्षाशास्त्र इस कार्य हेतु उपयुक्त मूल्यांकन प्रणाली के नियोजन तथा कार्यान्वयन पर बल देता है। इससे यह पता चलता है कि विद्यार्थियों ने विभिन्न विधियों, तकनीकों के प्रयोग करने के उपरान्त कितना कुछ सीखा और उद्देश्यों की किस सीमा तक प्राप्ति हुई। इसके पश्चात् उस हिसाब से बच्चों की प्रति-पुष्टि *(Feed -back)* भी देता है। विषय-वस्तु के आयोजन एव संगठन में सुधार भी किए जा सकते हैं। विधियों को भी बदला या सुधारा जा सकता है ताकि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके।

(V) शिक्षाशास्त्र के अध्ययन के सोपान एवं संक्रियायें (Stages and operations involved in the task of Pedagogics of Eduaction)–शिक्षाशास्त्र के अध्ययन में किसी भी विषय-वस्तु को पढ़ाने के लिए निम्न सोपानों का अनुसरण किया जाता है और इन सोपानों पर जो संक्रियाएं *(Operations)* उससे अपेक्षित होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है।

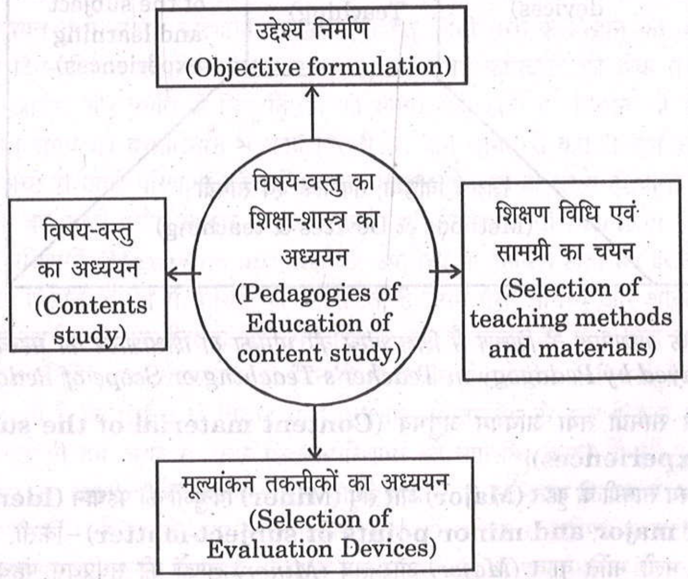

शिक्षाशास्त्र के अध्ययन के सोपान
(Stages of Pedagogics of Education)

(1) किसी भी विषय-वस्तु की किसी इकाई/प्रकरण/एकल संप्रत्य (जिसका अनुदेशन किया जाना है) का विषय-वस्तु अध्ययन *(Content study)* की जाती है।

(2) प्रस्तुत प्रकरण या इकाई की विषय-वस्तु के शिक्षण-अधिगम हेतु उचित अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्माण एवं उनका व्यवहारजन्य शब्दावली में लेखन किया जाता है।

(3) निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में उन शिक्षण विधियों, प्रविधियो तकनीक, व्यूह-रचनाओं, शिक्षण-अधिगम क्रियाओं, शिक्षण-सहायक सामग्री आदि का चयन जिनसे प्रस्तुत प्रकरण या इकाई की विषय-वस्तु के शिक्षण अधिगम में अपेक्षित सहायता मिल सके, का प्रयोग किया जाता है।

(4) प्रस्तुत प्रकरण या इकाई की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के उचित मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन प्रविधियों, या तकनीकों का उल्लेख किया जाता है।

शिक्षाशास्त्र अध्ययन में इन उपर्युक्त सोपानों पर जो संक्रियायें उससे अपेक्षित होती हैं उनका प्रयोग करके उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक बनाया जाता है।

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि जब भी किसी विषय-वस्तु का शिक्षा-शास्त्र का अध्ययन करने की आवश्यकता हो तो निम्नलिखित चार प्रकार के कार्य क्रमिक रूप से आपको करने होंगे–

(1) विषय-वस्तु का अध्ययन *(Content study)*।
(2) उद्देश्यों का निर्धारण (शिक्षण-अधिगम परिणामों को व्यवहारजन्य भाषा में व्यक्त करना)।
(3) शिक्षण-विधियों, प्रविधियों, क्रियाकलापों एवं सामग्री का उल्लेख करना।
(4) मूल्यांकन प्रक्रिया या प्रविधियों का उल्लेख करना।

◆◆◆

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

5

शिक्षा की समर्थन व्यवस्था
[Support System of Education]

5.1 अधिगम संसाधनों का पुनःप्रत्यवाद : पाठ्यपुस्तकें, कार्य पुस्तकें तथा बहुमाध्यम
(Re-conceptualism of Learning Resources : Textbooks, Workbooks, Multimedia)

1. अधिगम संसाधन से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो अधिगम संसाधनों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। (What do you mean by learning process? Explain any two types of learning Resources.)

अथवा

अधिगम या सीखने के संसाधनों के अर्थ तथा प्रकारों से आपका क्या अभिप्राय है? अधिगम या सीखने के संसाधनों के प्रबन्ध की आवश्यकता तथा उद्देश्यों की विवेचना कीजिए।
(What do you mean by meaning and types of learning resources? Discuss about the need or objectives of management of learning resources.)

उत्तर–अधिगम संसाधन (अर्थ एवं प्रकार) (Meaning and types of Learning Resources)—शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ संसाधनों की आवश्यकता होती है जिन्हें हम अधिगम संसाधन कहते हैं। जैसे–

1. **मानवीय संसाधन (Human Resources)**—प्रधानाध्यापक, अध्यापक, क्लर्क, अभिभावक, विद्यार्थी, प्रशासक एवं समाज।
2. **भौतिक संसाधन (Physical Resources)**—भवन, फर्नीचर, उपकरण, खेल के मैदान, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकें, शिक्षण सहायक सामग्री आदि।
3. **अदृश्य संसाधन (Abstract Resources)**—दर्शन, सुझाव, धर्म, विश्वास, तर्क, सामाजिक दृष्टिकोण, रीति-रिवाज, सभ्यता-संस्कृति एवं इतिहास आदि।

यह सभी संसाधन उचित प्रकार से संगृहित, व्यवस्थित एवं नियोजित किए जाने चाहिए कि इनसे अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। सीमित संसाधनों से अधिकतम एवं उत्तम कार्य लक्ष्यों को प्राप्त करना ही अधिगम-संसाधन प्रबन्ध का लक्ष्य है। उपरोक्त वर्णित संसाधनों में आपस में सहयोग एवं समन्वय इस प्रकार होना चाहिए जैसे मशीन के विभिन्न पुर्जों में। परन्तु मशीन के पुर्जों में आपस में सहयोग की अपेक्षाकृत अधिगम संसाधनों में सहयोग प्राप्त करना अधिक कठिन है क्योंकि यह मानव से सम्बन्धित हैं जिसकी अपनी विचारधारा, भावनाएँ, संवेदनाएँ, बुद्धिमत्ता होती है। परन्तु तथ्य यह है कि इन विभिन्न

संसाधनों के कार्यों में समन्वय, नियोजन एवं संगठन करना, ताकि विद्यालय एवं शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके ही विद्यालय प्रबन्धन है। जैसा कि केनार्ड (1988) ने कहा है, **''प्रबन्ध वह प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत अधिगम-संसाधन को संग्रह करना एवं उन्हें शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु समन्वित करना है।''**

डालटन के शब्दों में–**''प्रबन्ध आधारभूत संगठनात्मक गतिविधि तथा एकीकरण की प्रक्रिया है जो हमारे दैनिक जीवन से सम्बन्धित है।''**

("Management is the basic integrating process of organisational activity which surrounds our daily life."—**Dalton**)

अधिगम संसाधन प्रबन्ध की आवश्यकता अथवा उद्देश्य
(Need or Objectives of Management of Learning Resources)

आज के युग में मनुष्य शिक्षित हुए बिना न तो अच्छा जीवन जी सकता है एवं न ही अच्छी प्रकार से कार्य कर सकता है। यही कारण है कि आजकल संसार भर में विद्यालय संरचना एवं प्रबन्ध पर शोध एवं इसे बेहतर बनाने के लिए प्रयास जारी है। क्योंकि पूर्ण विकसित व्यक्तित्व ही स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। अतः बेहतर जीवन, सामाजिक परिवेश को उन्नत करने के लिए, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं विकास के लिए सामाजिक संगठनों के द्वारा विद्यालयों के प्रबन्ध में रुचि ली जानी चाहिए। उचित प्रबन्ध के बिना अच्छे से अच्छे प्रयास भी बेकार चले जाते हैं या उचित प्रकार से उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाते। संसाधन कुप्रबन्ध का शिकार होकर अल्पनियोजित अथवा कुनियोजित हो जाते हैं एवं मानवीय प्रयास गलत दिशा में चले जाते हैं, लक्ष्य या तो प्राप्त नहीं होते या अत्यधिक कठिनता से प्राप्त होते हैं, सामाजिक लाभ अलाभकारी स्थिति में चले जाते हैं और व्यक्तियों का विकास सही दिशा में नहीं हो पाता।

प्रबन्ध का आधारभूत सिद्धान्त है कि अगर प्रबन्ध अच्छा है तो संसाधन प्रबन्धक की आज्ञा का पालन करते हैं। परन्तु अगर प्रबन्ध अच्छा नहीं है तो संसाधन आज्ञापालक न रहकर आदेशक बनने लगते हैं। सच्चाई यह है कि संसाधन एक अच्छा सेवक है व बुरा मालिक। इसका प्रयोग उतनी ही सावधानी से होना चाहिए जितना कि बिजली का प्रयोग। जैसे आग के अनेकों सदुपयोग हैं परन्तु जब यह मालिक बना दी जाती है–अनियंत्रित होकर सब कुछ तबाह कर देती है।

इसी प्रकार संसाधनों का प्रयोग बुद्धिमानी एवं सावधानी से होना चाहिए। इस प्रकार किया गया प्रयोग लक्ष्य प्राप्ति में सहायक है। उचित संसाधन प्रबन्धन द्वारा ही सभी संसाधन जैसे अध्यापक, विद्यालय, मुख्याध्यापक, अभिभावक, उपकरण, पाठ्यक्रम एवं सह-पाठ्यक्रम क्रिया आदि एक बैनर के नीचे लाई जाती हैं। इसके अन्तर्गत बहुत से तत्त्व शामिल हैं जिनको समझने की नितान्त आवश्यकता है ताकि अधिगम संसाधन प्रबन्धन को अधिक से अधिक निपुण बनाया जा सके। आज के युग में प्रबन्ध पर जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इससे प्रभावशाली परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। संक्षेप में अधिगम संसाधन प्रबन्धन में निम्न तत्त्वों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

1. उद्देश्य (Aims)—शिक्षा के निम्न उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे–शारीरिक, सामाजिक, वैवाहिक, भावनात्मक एवं आत्मिक विकास या व्यक्तित्व का चहुँमुखी विकास। फिर भी विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे अमेरिका में समाजीकरण को, चीन में श्रम एवं सुविधाओं से सम्बन्धित कार्यविधि को अधिक महत्त्व दिया जाता है। कुछ देशों में धर्म की शिक्षा को सर्वोच्च दिया गया है। राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप ही शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध एवं नियोजन की आवश्यकता है। उदाहरणतः भारत का लक्ष्य राष्ट्रीय विकास है अतः सभी शिक्षण संस्थाएँ इस उद्देश्य के प्रति समर्पित हैं। चाहे निरक्षरता प्रचुर मात्रा में रास्ता रोके खड़ी है। अतः इसे दूर करने के लक्ष्य रखे गए हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (NLM) इस दिशा में उठाया गया कदम है। इसी प्रकार 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा निशुल्क एवं अनिवार्य कर दी गई है। इन सभी योजनाओं का निर्धारित लक्ष्य है। जिसे अनुशासनात्मक तरीके से प्राप्त करने की आवश्यकता है।

CIMETRIX

2. संसाधन (Resources)—विद्यालय प्रबन्धन के अन्तर्गत संसाधनों का प्रबन्ध भी शामिल है। जैसे–मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन, अदृश्य संसाधन, वित्तीय एवं सामुदायिक संसाधन जैसे अजायबघर, चिड़ियाघर आदि। इन सभी संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करवाना प्रबन्ध का लक्ष्य है। कार्यस्थल पर संसाधनों का उचित प्रयोग ही संसाधनों को अर्थ प्रदान करता है। एक विद्यालय के पास संसाधनों की बहुतता हो सकती है लेकिन जब विद्यार्थियों के विकास के लिए उचित उपयोग ही सार्थक है। यह सब उचित प्रबन्धन द्वारा ही संभव है। बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन कमजोर प्रबन्धन के कारण वह इसका पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते। इसके विपरीत कुछ विद्यालयों के पास संसाधनों की कमी होते हुए भी प्रबन्ध गुणवत्ता अधिक होती है जिससे वे बेहतर गुणवत्ता के विद्यार्थी एवं खिलाड़ी पैदा करते हैं। इसी प्रकार पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं की सार्थकता भी इनके अधिकतम उपयोग में हैं। अतः संसाधन प्रबन्ध के अन्तर्गत सर्वप्रथम संसाधन उपलब्ध करवाना एवं इसके उपरान्त इनका सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित कराना है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अच्छा प्रबन्ध संसाधनों की न्यूनता में भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकता है।

3. समन्वय (Co-oodination)—सबसे महत्त्वपूर्ण प्रबन्ध कार्यों में विद्यालय प्रक्रिया में विभिन्न गतिविधियों की कार्य प्रणाली में इस प्रकार समन्वय लाना है कि उनकी उपयोगिता से विद्यार्थियों, अध्यापकों एवं प्रबन्ध को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। उदाहरणतः विद्यालय में भीड़ की समस्या के समाधान के लिए इसे दो पारियों–सुबह और शाम में चलाना। आजकल राजनीतिक हस्तक्षेप एवं लाल फीताशाही के कारण सरकारी विद्यालय कुप्रबन्धन के शिकार हो रहे हैं। जब सरकार, शिक्षा विभाग, मुख्याध्यापक एवं विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाएँ, समाज एवं शिक्षक इन सबमें उचित तालमेल होगा तभी अच्छी प्रबन्ध व्यवस्था संभव हो सकती है। इसकी मानव शरीर से विभिन्न अंगों के तालमेल से तुलना की जा सकती है जैसे अगर शरीर में सिर, पैर, आंखें, कान, फेफड़े सब अपना-अपना कार्य करते रहे बिना एक दूसरे को सहयोग दिए तो आप जानते हैं कि जीवन रुक जाएगा। इसी प्रकार विद्यालय में विभिन्न संसाधन जैसे–पुस्तकालय की सेवाएँ, प्रयोगशालाएँ, खेल के मैदान, कम्प्यूटर कक्ष, समन्वय के बिना अर्थहीन हैं। सभी को टीम भावना रखते हुए एक दूसरे के कार्य में सहयोग देना चाहिए। समन्वय का प्रबन्ध के अन्तर्गत यही अर्थ है।

4. नियंत्रण (Control)—विद्यार्थी एवं समाज को लाभकारी सेवाएँ प्रदान करने हेतु नियंत्रण अति आवश्यक है। आत्मनियंत्रण सर्वोत्तम होते हुए विद्यार्थियों में इसकी भावना पैदा की जानी चाहिए। परन्तु इसमें बहुत अधिक मेहनत एवं समय चाहिए। जब सम्पूर्ण समाज में आत्मानुशासन की भावना जागृत होगी तभी विद्यार्थी आत्मनियंत्रित बनेंगे। गृह परीक्षाओं में विद्यार्थियों को अनुशासन सिखाने पर वे वार्षिक बोर्ड परीक्षा में भी अनुशासित रहेंगे। जो बच्चे अच्छे स्कूलों में शिक्षित होते हैं, जिनमें कड़ा अनुशासन एवं नियंत्रण होता है, आसानी से पहचाने जाते हैं। अमेरिका में विद्यालयों को समय की पाबंदी, मेहनती एवं कर्तव्य परायणता की शिक्षा दी जाती है। नियंत्रण, प्रजातंत्रात्मक, समझ एवं समन्वय से लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि प्रजातंत्रात्मक समाज में निरंकुश नियंत्रण कामयाब नहीं होता।

5. निर्देशन (Direction)—भारत में हम बहुत बड़े दिशा निर्देश बनाते हैं। इन्हें विद्यालयों में महत्त्वपूर्ण स्थानों पर टंगवाया भी जाता है। लेकिन व्यवहार में इनका पालन नहीं किया जाता। यह बुरे प्रबन्ध को दर्शाता है। उदाहरण के लिए जैसे विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए वर्दी (Uniform) लगाई जाती है तो इस नियम का सख्ताई से पालन होना चाहिए। जो भी नियम बनाए जाएँ व्यवहार में प्रत्येक स्तर–मुख्याध्यापक, अध्यापक, विद्यार्थी, चपरासी आदि सभी कड़ाई से पालन करें।

6. नियोजन (Planning)—भविष्य में की जाने वाली गतिविधियों का वर्तमान में ही निर्धारण करके तैयारी करना नियोजन कहलाता है। नियोजन प्रबन्धन का आधारभूत एवं मुख्य कार्य है। जितना सुदृढ़ नियोजन होगा उतना ही बेहतर परिणाम होगा क्योंकि नियोजन के द्वारा आने वाली कठिनाइयों, मुश्किलों एवं अपव्यय को न्यूनतम करने का प्रयास किया जाता है। विद्यालय गतिविधियों को अधिक प्रभावी, अर्थपूर्ण एवं सफल बनाने के लिए हमें निम्न क्षेत्रों में सुदृढ़ नियोजन की आवश्यकता है–

1. वित्त (Financing)
2. नियुक्तियाँ (Staffing)
3. संसाधन (Resources)
4. अभिप्रेरण (Motivation)
5. विकास (Development)
6. पर्यवेक्षण (Supervision)
7. मूल्यांकन (Evaluation)

7. मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण (Evaluation and Supervision)–प्रत्येक प्रकार की विद्यालय गतिविधियों में बेहतरी की गुंजाइश होती है। शुरुआती स्तर पर पर्यवेक्षण अत्यावश्यक है। समय-समय पर विभिन्न गतिविधियों का मूल्यांकन करते रहना चाहिए ताकि कमियों एवं दोषों को पहले ही दूर किया जा सके।

8. अन्य लाभ (Other Benefits)—अधिगम संसाधन प्रबन्ध से निपुणता एवं कौशल वृद्धि होती है। इससे समय की बचत होती है। मानव सम्बन्ध बेतहर बनते हैं। संसाधनों में मितव्ययता आती है। प्रबन्धकों का मनोबल बढ़ता है।

◆◆◆

2. पाठ्यपुस्तक तथा कार्यपुस्तक के बारे में क्या जानते हैं? कार्यपुस्तक तथा पाठ्यपुस्तक के महत्त्व का वर्णन कीजिए।

(What do you know about textbook and workbook. Describe the importance of workbooks and textbooks.)

अथवा

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्य-पुस्तकों के स्थान और महत्त्व की विवेचना कीजिए।

(Discuss the importance and place of textbook in the teaching learning process.)

उत्तर–प्राचीन काल में जब मुद्रण कला का विकास नहीं हुआ था, समस्त विषयों की शिक्षा मौखिक रूप से ही दी जाती थी। मुद्रण कला के साथ-साथ ज्ञान को पुस्तकों के रूप में संगठित करने के प्रयत्न हुए। शिक्षा के इतिहास में एक ऐसा समय भी आता कि इन पुस्तकों का अध्ययन ही शिक्षा समझा जाता था। विकास के पथ पर हम बढ़ते ही रहे, ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में हमने बहुत अधिक उन्नति की और आज ऐसी स्थिति में हैं जब हम आपसी शिक्षा को बड़े व्यवस्थित ढंग से चलाते है। आज उसके उद्देश्य, पाठ्यचर्या (Curriculum) निश्चित की गई है। प्रत्येक स्तर की पाठ्यचर्या के आधार पर हमने उस स्तर का पाठ्य-विवरण (Syllabus) तैयार किया है। भिन्न-भिन्न स्तर के लिए भिन्न विषयों की पाठ्यचर्या पर अब भिन्न-भिन्न पुस्तकों का निर्माण हुआ है। इन पुस्तकों को हम पाठ्य-पुस्तकें कहते है। इस प्रकार पाठ्य-पुस्तकें वे पाठ्य हैं जो किसी स्तर के बच्चों के पाठ्यचर्यानुसार तैयार की जाती हैं। इनमें वे तथ्य एवं सूचनाएँ संगठित होती हैं जिनका ज्ञान उस स्तर के छात्रों को देना चाहते है।

आज की पूरी शिक्षा पाठ्य-पुस्तकों पर आधारित है। आज यह शिक्षा के मुख्य साधन के रूप में प्रयोग की जाती है। पाठ्य-पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें भी शिक्षा के क्षेत्र में सहायक होती हैं। परन्तु यहाँ हम केवल पाठ्य-पुस्तकों पर ही विचार कर रहे हैं।

कार्यपुस्तक *(Workbook)*

कार्य पुस्तक के निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तैयार की जाती है। कार्य पुस्तक में छात्रों के करने के लिए विभिन्न कार्य दिए गए होते हैं जिनके करने के बाद छात्र उनमें दक्षता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये कार्य विभिन्न विषयों के विभिन्न प्रकरणों से संबंधित होते हैं।

कार्य पुस्तक में विभिन्न प्रकृति तथा कठिनाई स्तरों के अभ्यास दिए होते हैं जिन्हें छात्रों को हल करना होता है। कार्य पुस्तक में पहले सरल तथा बाद में कठिन स्तर के प्रश्न दिए गए होते हैं। प्रत्येक कार्य पुस्तक के शुरू में पूर्वज्ञान के मापन हेतु एक परीक्षण रखा जाता है जो यह बताता है कि छात्र को उस

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

विषय से संबंधित मूलभूत तत्त्वों का ज्ञान है या नहीं। इसके पश्चात् विषय से संबंधित इकाइयों या प्रकरणों पर समस्यात्मक प्रश्न अभ्यास में दिए गए होते हैं।

कार्य पुस्तक में प्रत्येक प्रकार के अभ्यास के लिए आवश्यक निर्देश संकेत तथा उत्तर दिए गए होते हैं। छात्रों को चाहिए कि वे पहले विषयवस्तु को पढ़े और समझे और निर्देशों के अनुसार अभ्यास कार्य करने का प्रयास करें। कठिनाई होने पर दिए गए संकेतों को समझकर उसके अनुसार पुनः अभ्यास करना चाहिए और समस्या समाधान तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। कार्य पुस्तक से छात्रों में परिश्रम तथा आत्मविश्वास के गुण विकसित होते हैं और उनका विषयवस्तु के स्पष्ट करने में मदद मिलती है। कार्य पुस्तक विद्यार्थियों में ज्ञान की वृद्धि करती है तथा उन्हें दक्षता तथा कौशल प्रदान करती है।

पाठ्य-पुस्तकों के लाभ *(Advantages of Text-books)*

पाठ्य-पुस्तकें अध्यापक एवं विद्यार्थियों दोनों के लिए उपयोगी है। पाठ्य-पुस्तकों से सामान्य रूप से निम्नलिखित लाभ होते हैं–

1. **शिक्षा प्रक्रिया का व्यवस्थित होना (Educational process becomes organised)**–पाठ्य-पुस्तकों की सहायता से शिक्षा की प्रक्रिया बड़े व्यवस्थित ढंग से चलती है। इनसे कक्षा-विशेष की पाठ्यचर्या स्पष्ट हो जाती है तथा अध्यापक अपने वर्ष भर के कार्य की योजना बनाने में समर्थ होते हैं। उन्हें बहकाने का अवसर नहीं रहता।
2. बच्चों को यह पता रहता है कि उन्हें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। उनके भटकने की गुंजाइश नहीं रहती।
3. **अध्यापक को पाठ की तैयारी करने में सहायता प्रदान करना (Helps the teacher in preparing the lesson)**–पाठ्य-पुस्तकें अध्यापक को पाठ की तैयारी करने एवं बच्चों को पाठ पढ़ने के लिए तैयार होने, दोनों में सहायक होती हैं।
4. **ज्ञान विस्फोट (Knowledge explosion)**–आधुनिक युग ज्ञान के विस्फोट का युग हैं। आज के बालक को बहुत कुछ सीखना है और उसका मूल्यांकन करना है। उसने अपने अन्दर बहुत से दृष्टिकोणों को अपनाना है तथा जीवन में बहुत से निर्णय लेने हैं। ये सारी क्षमताएँ केवल प्रत्यक्ष अनुभव (Direct Experience) पर निर्भर रहकर प्राप्त नहीं की जा सकतीं। किसी ने सच ही कहा है कि आधुनिक सभ्यता न सुधरने वाली पुस्तकों की सभ्यता है। इसलिए पुस्तकों का सामान्य तौर पर और पाठ्य-पुस्तकों का विशेष तौर पर बड़ा महत्त्व है।
5. **ज्ञान को इकाइयों में बाँटने के लिए (To divide the knowledge into units)**–आज के युग में हमें पूर्ण ज्ञान को इकाइयों में बाँटने की बहुत आवश्यकता हैं। पाठ्य-पुस्तक से शिक्षक को यह लाभ होता है कि उसे यह देखना तथा समझना सरल हो जाता है कि किस-किस पाठ में दिया गया ज्ञान समान है या एक-दूसरे पर आधारित है। इस आधार पर शिक्षक समस्त ज्ञान को इकाइयों में बाँट सकता है तथा ऐसा करने के पश्चात् ज्ञान प्रदान कर सकता है जिसे छात्र सरलता से ग्रहण कर पाते है।
6. **शिक्षण में एकरूपता लाने के लिए (To bring an uniformity in teaching)**–राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा में एक रूपता आवश्यक है। परन्तु इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि सभी विद्यार्थियों का परिवेश एक जैसा नहीं होता तथा उनके स्तर भी भिन्न होते है। यही बात अध्यापकों के बारे में भी कहीं जा सकती है। इन्हीं बातों का ध्यान में रखकर नयी शिक्षा नीति में एकरूपता पर बल दिया गया है। पाठ्य-पुस्तकों ही एक ऐसा साधन है जो शिक्षा में एकरूपता ला सकती हैं।
7. **मितव्ययिता (Economy)**–पाठ्य-पुस्तकें कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन होती हैं। इनकी सहायता से एक साथ अनेक बच्चों को पढ़ाना सम्भव होता है।

8. **व्यष्टि-शिक्षण (Individual teaching)**–व्यष्टि शिक्षण में भी पाठ्य-पुस्तकों का अपना महत्त्व होता है। डाल्टन (Dalton) आदि प्रणालियों में बच्चे पुस्तकों का अध्ययन करके अपने ज्ञान को स्पष्ट एवं निश्चित करते हैं। अध्यापक तो केवल पथ-प्रदर्शक के रूप में कार्य करते है।
9. **शिक्षक की पूरक (Supplement the teacher)**–पाठ्य-पुस्तकें शिक्षण की पूरक होती हैं। कक्षा में जो कुछ पढ़ाया जाता है, यह आवश्यक नहीं कि बच्चे उसे पूर्ण रूप से ग्रहण कर लें। उस स्थिति में पुस्तकें बच्चों की सहायता करती है। वे घर में इन पुस्तकों का अध्ययन कर विषय का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करते हैं।
10. **पाठ को दोहराने के लिए (To revise the lesson)**–ये पुस्तकें पाठ को दोहराने एवं गृहकार्य करने में भी बच्चों की सहायता करती हैं।
11. **स्वाध्याय की आदत का निर्माण (Creates the habit of self study)**–पाठ्य-पुस्तकों के अध्ययन से बच्चों में स्वाध्याय की आदत का निर्माण होता है।
12. **विद्वानों तथा शिक्षकों के विचारों को प्रदान करना (To provide view-points of scholars and teachers)**–पाठ्य-पुस्तकें छात्रों तथा सामान्य अध्यापकों को विद्वानों तथा उच्चकोटि के अध्यापकों के विचारों तथा अनुभवों को प्रदान करती है। वे इन अनुभवों से लाभ उठाने में समर्थ होते हैं।
13. **कम प्रतिभा वाले अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए (To make up for the deficiency of very talented teachers)**–पाठ्य-पुस्तकें अध्यापकों के पूरी प्रकार से दक्ष न होने की कमी को पूरा करती है। यदि अध्यापक पूरी तरह से परिपक्व (Mature), सन्तुलित, सुशिक्षित तथा अनुभवी है तो वह अपनी रूप रेखाओं (Outlines) का प्रयोग करके कक्षा में पढ़ा सकता है। ऐसा अध्यापक आधारभूत पाठ्य-पुस्तक की आवश्यकता महसूस नहीं करता। परन्तु जैसी देश की अध्यापक शिक्षण प्रणाली की दशा है, ऐसे अध्यापक देश में अधिक मात्रा में नही है। अधिकांश अध्यापकों में ऐसा करने की समर्थता नहीं है। बहुत से अध्यापकों को कई बार सृजनात्मक विचार सूझते नहीं। ऐसे अध्यापकों के लिए पाठ्य-पुस्तकें अनिवार्य है।
   (Text-books can be used to confirm and did the teacher who has run out of new ideas or does not have any at all.)
14. **भाषण विधि की सीमाओं के कारण (Due to the limitation of lecture method)**–प्रचलित परीक्षा प्रणाली ने भी पाठ्य-पुस्तक के महत्त्व को बहुत बढ़ा दिया है। अगली कक्षा में प्रवेश करवाने के लिए परीक्षाएँ वर्ष के अंत में होती है। भाषण-विधि से अर्जित किया हुआ ज्ञान विद्यार्थियों को बहुत सीमा तक भूल जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि भाषण पद्धति की अपनी ही कुछ सीमाएँ हैं। बहुत बढ़िया तरीके से बोले हुए शब्दों का प्रभाव भी अस्थायी प्रकृति का होता है। इसका प्रभाव विद्यार्थी आंशिक रूप में ही ग्रहण करते हैं और समय के साथ-साथ यह प्रभाव श्रोताओं के मस्तिष्क में मिटता जाता है और प्रायः देखा गया है कि बहुत ध्यान से सुनने वाले श्रोता भी कुछ मुख्य संबंधों को छोड़कर भाषण का बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए जब परीक्षा का समय समीप आता है तो पाठ्य-पुस्तक ही उनके काम आती है। किसी ने सच्च ही कहा है कि पाठ्य-पुस्तक के बिना शिक्षा ग्रहण करना उतना ही कठिन है जितना कि दिशा-सूची के बिना समुद्र में यात्रा करना। *(Without the help of a really good text-book, we will be sailing pedagogical sea without a compass.)*
15. **पुस्तकालयों की अच्छी स्थिति न होना (Libraries are not in good shape)**–भारत एक निर्धन देश है। यहाँ के अधिकांश विद्यार्थियों की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है। इसलिए वे संदर्भ पुस्तकों (Reference books) को खरीदने की बात सोच भी नहीं सकते। इसके अतिरिक्त जिन स्कूलों में ये बच्चे पढ़ते है उनके पुस्तकालय इस स्थिति में नहीं हैं कि एक ही विषय पर अनेकों पुस्तकें रख सकें। इसलिए प्रत्येक बच्चे को अपनी पाठ्य-पुस्तक जरूर खरीदनी चाहिए।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

16. अनेक तथ्य एक ही स्थान पर (Many facts at one place)—पाठ्य-पुस्तक में व्यय-विशेष से संबंधित अनेक तथ्य एवं सूचनाएँ एक ही स्थान पर पढ़ने को मिल जाती हैं। इस प्रकार इसके माध्यम से बच्चे कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं।

17. मनोरंजन (Recreation)—पाठ्य-पुस्तकें ज्ञान के विकास के साथ-साथ बच्चों का मनोरंजन भी करती है। बच्चे जब अनेक आश्चर्यजनक बातों की इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं तो इन्हें आनन्द की अनुभूति होती है।

18. परीक्षा लेने में सहायक (Helpful in giving examination)—पाठ्य-पुस्तकें बच्चों के ज्ञान की परीक्षा लेने में भी अध्यापक की सहायता करती है। ये परीक्षा में पूछे जाने वाले ज्ञान की सीमा निश्चित करती है। इसकी सहायता से अध्यापक यथा स्तर के प्रश्न-पत्र बनाने में सफल होते है।

19. कक्षा-कक्ष के अनेक दोषों को दूर करने के लिए (For removing various defects of class-room teaching)—

(i) कक्षाओं में बच्चों की संख्या अत्यधिक होना (Excessive number of students in the class-room teaching)—प्रायः देखने में आया है कि भारतीय स्कूलों के कक्षा-कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या इतनी अधिक होती है कि वहां का वातावरण बहुत दूषित बन जाता है। यदि किसी कक्षा में 100 या इससे भी अधिक बच्चे हो तो अध्यापक के द्वारा दिया हुआ भाषण कैसे सबको अच्छी तरह से समझ में आ सकता है? प्रायः देखा गया है कि आगे के पाँच बैंचों पर बैठे विद्यार्थी तो अध्यापक का भाषण सुनते हैं और पीछे बैठे हुए अधिकांश विद्यार्थी भाषण का पूरी तरह से लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि या तो वे अध्यापक के भाषण को सुन ही नहीं सकते या अपने आप को अनुशासन क्रियाओं में संलग्न कर लेते हैं।

(ii) बोझिल पाठ्यक्रम को पूरा करना (To complete heavy syllabus)—पाठ्यक्रम के निर्माता प्रायः हर कक्षा के लिए बहुत बोझिल पाठ्यक्रम निर्धारित कर देते हैं। विद्यालय के (मुख्याध्यापक) अथवा शिक्षा अधिकारियों की ओर से अध्यापक को यह निर्देश होता है कि वे समय से पहले पाठ्यक्रम को कक्षा में पूरा कर लें। इसलिए अध्यापक को तो केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने की ही चिन्ता होती हैं। क्योंकि इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए उसके पास कुछ निश्चित कालांश होते हैं, इसलिए वह यह नहीं देखता कि वह कक्षा के समक्ष प्रभावशाली ढंग से अध्यापन करवा भी रहा है या नहीं। उन्हें तो केवल एक ही बात की चिन्ता होती है कि चाहे वह कैसे भी पढ़ाए, पाठ्यक्रम को पूरा कर दें। इसलिए इस प्रभावहीन अध्यापन का उपचार पाठ्य-पुस्तक ही है।

(iii) अन्य अध्यापन सामग्री का अभाव (Lack of other teaching material)—भारत एक निर्धन देश है जहाँ अन्य अध्यापन सामग्री के उपलब्ध होने की बात सोची भी नहीं जा सकती। इसलिए भी पाठ्य-पुस्तक की आवश्यकता पड़ जाती है।

20. माता-पिता की निरक्षरता (Illiteracy of Parents)—पाठ्य-पुस्तक एक प्रकार से घर से निरक्षरता के विरुद्ध एक बीमा है। भारत में साक्षरता बहुत कम है। सरकार के पूरे यत्नों के बावजूद भी 40% से अधिक लोग साक्षर नहीं है। निरक्षर माता-पिता या अभिभावक घर से बच्चों की सहायता नहीं कर सकते। अध्यापक भी केवल दिन के समय ही बच्चों के पास होते हैं। इसी प्रकार वर्ष में बहुत से दिन तो अवकाश के होते हैं। ऐसे अवसरों पर पाठ्य-पुस्तक ही बच्चों के काम आती हैं।

21. अभ्यास के लिए (For exercises)—ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब उसे प्रयुक्त किया जाए तथा उसे प्रयोग करने के लिए आवश्यक है कि उसे आत्मसात् (Assimilate) किया जाए।

ऐसा केवल सतत अभ्यास से ही सम्भव हो सकता है। बड़ी कक्षाओं या श्रेणी में किया गया अध्ययन के साथ ही अध्ययन क्रम का न तो अन्त होता है न ही होना चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति उस समय तक व्यर्थ है, जब तक उसे याद रखकर समय-समय उसका प्रयोग न किया जाए। ऐसा तभी सम्भव है जब श्रेणी में की गई पढ़ाई के नोट बनाए जाएँ या रिकार्ड रखा जाए। किन्तु सामान्य विद्यार्थी में इतनी योग्यता नहीं होती कि वह एक ही समय में अध्यापक द्वारा बताई जाने वाली बातों को सुन, समझ व नोट कर सकें। अतः बालकों के अभ्यास के लिए अध्यापक को प्रश्न व समस्याएँ आदि देनी पड़ती है। अच्छा अध्यापक सदा अपने शिक्षण-कार्यक्रम को मौलिक ढंग से तैयार करता है और सामग्री को प्रस्तुत करने का उसका ढंग भी मौलिक होता है। किन्तु हर अध्यापक में न तो इतनी योग्यता होती है और न हमारी शिक्षा-पद्धति उन्हें इतनी स्वतन्त्रता प्रदान करती है कि वे अपनी मौलिकता को दर्शन दे सकें। यही कारण है कि सामाजिक अध्ययन जैसे विषय को पढ़ाने के लिए अच्छी पाठ्य-पुस्तक की बड़ी आवश्यकता है।

पाठ्य-पुस्तक से होने वाली हानियाँ *(Disadvantages of Text-Books)*

इसमें कोई संदेह नहीं कि पाठ्य-पुस्तकों से हमें उपर्युक्त लाभ होते हैं परन्तु इनके प्रयोग से कुछ हानियाँ भी होती हैं जो निम्नलिखित हैं—

1. अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना (Limits the field of study)—निश्चित पाठ्य-पुस्तकें अध्यापक एवं छात्र दोनों के अध्ययन क्षेत्र को सीमित कर देती हैं। वे प्रायः विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता को ही नहीं समझतीं।

2. रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना (Encourages the disposition of cramming)— पाठ्य-पुस्तकों से बच्चों को सभी आवश्यक तथ्य एवं सूचनाएँ मिल जाती हैं, वे उन्हें समझने का प्रयत्न ही नहीं करते, अपितु उन्हें रटकर परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रयत्न करते हैं।

3. सैद्धान्तिक ज्ञान पर बल (Emphasis on theoretical knowledge)—पाठ्य-पुस्तकें बच्चों को सैद्धान्तिक ज्ञान अधिक देती हैं। इनकी सहायता से शिक्षण करने पर बच्चे व्यावहारिक ज्ञान से वंचित रह जाते हैं।

4. दोषपूर्ण सामग्री (Defective Material)—पाठ्य-पुस्तकें प्रायः दोषयुक्त सामग्री से पूर्ण होती हैं। विस्तृत अध्ययन के अभाव में छात्र इन अशुद्ध सूचनाओं को रट लेते हैं और अज्ञानी से कुज्ञानी हो जाते हैं।

5. ज्ञान स्थायी नही होता (Knowledge attained is not permanent)—पाठ्य-पुस्तकों की उपस्थिति में बच्चे 'करके सीखना' की आवश्यकता नहीं समझते। इनके माध्यम से वे जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह स्थायी नहीं होता।

6. अध्यापकों द्वारा पाठ्य-पुस्तकों का सही उपयोग न करना (Even teachers do not make use of text-books properly)—अध्यापन पाठ्य-पुस्तकों का सही उपयोग नहीं करते। वे स्वयं पाठ्य-पुस्तकों का कक्षा में पठन करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते हैं। बहुत से अध्यापक तो इतना भी कष्ट नहीं करते। वे तो बच्चों को ही मौन पठन का आदेश देकर कक्षा में सो जाते हैं।

7. बच्चों का अध्ययन के प्रति सचेत न होना (Students do not remain active towards studies)—पाठ्य-पुस्तकों के प्रयोग से सबसे बड़ी हानि यह होती है कि बच्चे अध्ययन की ओर सचेत नहीं होते, परीक्षा के समय ही वे इन पुस्तकों का अध्ययन करते हैं और कुछ थोड़ा-बहुत रटकर परीक्षा के मैदान में कूद पड़ते हैं।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

पाठ्य-पुस्तक के उपयोग तथा कार्य *(Uses and Functions of text-books)*

प्रायः देखा जाता है कि भारत के अधिकांश अध्यापक तथा विद्यार्थी पाठ्य-पुस्तक को एक बड़ा साधन मानते हैं। उनके विचार से उसके सभी पक्ष स्वतः स्पष्ट होते हैं और वे अनुभव, प्रयोग तथा विशेष प्रशिक्षण के बिना ही उसका पूरा-पूरा लाभ उठा सकते हैं। किन्तु उनकी ऐसी धारणा नितान्त असत्य है। वास्तव में पाठ्य-पुस्तक एक ठोस इकाई होने के कारण बड़ी जटिल वस्तु बन जाती है। अतः बड़ी सूझ-बूझ व कुशलता के पश्चात् ही उसका समुचित प्रयोग किया जा सकता है। उनका पूरा-पूरा लाभ तभी उठाया जा सकता है, जब उसमें सभी आवश्यक बातों की व्याख्या की गई हो और फिर बालक उन बातों का अभ्यास भी करें क्योंकि बालक अपना अधिकांश समय पाठ्य-पुस्तक के अध्ययन में ही लगाते हैं, अतः अध्यापक को देखना चाहिए कि वे उसका समुचित प्रयोग जानते हों। यह और भी अधिक अच्छा रहेगा कि अध्यापक कभी-कभी स्वयं पाठ्य-पुस्तक के समुचित प्रयोग का प्रदर्शन बालकों के सम्मुख करें और फिर बालकों को उसका अनुसरण करने को कहें। यह बात भी सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि पाठ्य-पुस्तक कोई शिक्षण-विधि नहीं, अपितु यह तो एक केवल प्रभावशाली सहायक साधन मात्र है। इसी रूप से इसका प्रयोग भी होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य-पुस्तक के प्रभावपूर्ण प्रयोग के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं—

1. **विषय-सूची का परिचय (Introduction of its Contents)**—वर्ष के आरम्भ में ही बालकों को समस्त पाठ्य-पुस्तक की विषय-सूची तथा उसकी विशेषताओं से परिचित करा दिया जाना चाहिए। इससे उन्हें पर्यावरण अध्ययन के पूर्ण कार्यक्रम को समझने में सहायता मिलेगी और वर्षभर के कार्य के लिए सामान्यतः तैयार हो जाएँगे।
2. **विषय-सामग्री की क्रमबद्धता की जाँच (Determining the sequence of events)**—ऐसा सम्भव हो सकता है कि लेखक ने पाठ्य-पुस्तक को विषय-वस्तु की क्रमबद्धता का ध्यान रखे बिना ही उसे निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार लिख दिया। इसके अतिरिक्त वह इस बात का निर्णय भी नहीं कर सकता कि किसी विशिष्ट समय, स्थान या कक्षा के लिए कौन सी बातें उपयुक्त या अनुपयुक्त है। अतः यह आवश्यक है कि अध्यापक स्वयं अपनी कक्षा तथा परिस्थितियों के अनुसार ही सामग्री की क्रमबद्धता का निर्णय करें।
3. **प्रत्येक इकाई की तैयारी (Developing a readiness for each unit)**—इसके अन्तर्गत कक्षा में किया जाने वाला वाद-विवाद, रेखाचित्र सम्बन्धी कार्य तथा अन्य सभी ऐसी क्रियाएं आती हैं जिनसे मुख्य इकाई के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है।
4. **अधिगम का सार-रूप समझने के लिए (In order to understand the substances of subject matter)**—अधिगम की बहुत सी पद्धतियाँ हैं। छात्र उनमें से कई पद्धतियों का चुनाव करके अधिगम करता है। ऐसा करने के लिए उसे समस्त विषय-वस्तु का सार समझना आवश्यक है। इस विषय-वस्तु का सार समझने के लिए भी पाठ्य-पुस्तक का प्रयोग किया जाता है। पाठ्य-पुस्तक क्रमबद्ध तथा संगठित रूप में रख सकता है। अध्यापक को चाहिए कि वह विषय-वस्तु के सार को समझने में छात्रों की सहायता करें। इसके लिए उसे कई युक्तियों और विधियों का प्रयोग करना चाहिए।
5. **अध्याय के अन्त में दिए गए प्रश्नों व अभ्यासों का समुचित प्रयोग (Proper use of questions and exercises at the end of each unit)**—इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पाठ के अन्त में दिए गए प्रश्नों व अभ्यासों को अध्यापक पहले स्वयं भली प्रकार देख लें। इनकी सहायता से जहाँ सामान्य विद्यार्थी पाठ की दोहराई कर सकते है, वहाँ चतुर बालकों को अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य में भी लगाया जा सकता है।

पाठ्य-पुस्तक के कार्य *(Functions of a text-book)*

पाठ्य-पुस्तकों के निम्नलिखित कार्य हैं—

1. **रिकार्ड का कार्य (The functions of record)**—पाठ्य-पुस्तक उस चिन्तन का रिकार्ड है जो निर्देशन उद्देश्यों में संयोजित किया जाता है। किसी भी विषय का उदाहरण ले लें, उसमें निर्देशन के लिए कुछ सामग्री का जुटाना होता है। उसे क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना होता है। पाठ्य-सामग्री को जुटाने तथा क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करने कार्य पाठ्य-पुस्तक करती है।
2. **स्तर निर्धारित करना (To establish standards)**—पाठ्य-पुस्तक किसी भी अध्ययन के लिए स्तर निर्धारित करती है। इसका लाभ यह होता है कि इस बात से बचा जा सकता है कि विषय-वस्तु अत्यधिक सरल या कठिन न हो जाए।
3. **जानकारी प्रदान करना (To provide information)**—पाठ्य-पुस्तक इस बात का भी संकेत देती है कि किसी स्तर के विषय-वस्तु के लिए अध्यापक की क्या-क्या जानकारी होनी चाहिए। उसमें कौन-कौन से दृष्टिकोण होंने चाहिएँ। यही बात विद्यार्थियों के लिए भी कहीं जा सकती है।
4. **सहायक सामग्री (Aid material)**—एक अच्छी पाठ्य-पुस्तक अध्यापन, अधिगम तथा प्रयोग में आने वाली सहायक सामग्री का उल्लेख भी करती है।
5. **शिक्षक तथा छात्रों के लिए मार्गदर्शक तथा सहायक (Guide and helpful to teachers and students)**—एक अच्छी पाठ्य-पुस्तक अध्यापक को विषय-सामग्री को इकाइयों में बाँटने में सहायता करती है। पाठ योजना के निर्माण में सहायता करती है तथा पाठ्यक्रम के निर्माण को पर्याप्त सीमा तक सहायता कर सकी है।
   विद्यार्थियों को पाठ्य-पुस्तक से यह लाभ प्राप्त होता है कि उसे समस्त ज्ञान एक स्थान पर प्राप्त हो जाता है। क्रमबद्ध होने के कारण इस ज्ञान को समझने में उसे अधिक कठिनाई भी नहीं होती। ऐसा ज्ञान दोहराने तथा गृह-कार्य देने में सुगम होता है तथा विद्यार्थियों को तथ्यों को याद करने में सहायक होता है।
6. **परोक्ष रूप से अनुशासन बनाए रखने में सहायक (Helpful in maintaining discipline in an indirect manner)**—पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध होने के कारण छात्रों का ध्यान विषय-वस्तु पर रहता है तथा वे अध्यापक की अनुपस्थिति में भी पुस्तकें पढ़ते रहते है जिससे कक्षा-कक्षा में अनुशासन बना रहता है।
7. **मूल्यांकन में सहायक (Helpful in evaluation)**—एक अच्छी पाठ्य-पुस्तक मूल्यांकन विधि के चयन में प्रश्न-पत्र बनाने में तथा छात्रों को मूल्यांकन के लिए तैयार करने में सहायक सिद्ध हो सकती है।
8. **विस्तार तथा आकार में परिवर्तन सुगम (Change in the size and expansion convenient)**—पाठ्य-पुस्तक अपना विस्तार ओर आकार समय के साथ बदलती रहती है। इसका मापदण्ड समय की माँग है।

◆◆◆

बहु-माध्यम (Multimedia)

3. बहु-माध्यम उपागम से क्या तात्पर्य है? अनुदेशनात्मक विकास में बहुमाध्यम के प्रयोग की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसके प्रयोग में आप किन-किन सिद्धान्तों को ध्यान में रखेंगे।
(What do you mean by Multimedia Approach? How multimedia can be used in instructional development and what are the principles of using multimedia approach in teaching & learning?)

CIMETRIX
SKILLED INDIANS . SKILLED INDIA

अथवा

बहु-माध्यम क्या है? शैक्षिक तकनीकों में बहु-माध्यम उपागम के उपयोगों की व्याख्या कीजिए।
(What is multimedia? Discuss the uses of multimedia approach to educational technology.)

उत्तर–शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक तकनीकी में दो उपागमों का प्रयोग किया जाता है। यह अनुदेशन की प्रक्रिया के माध्यम के रूप में काम करते हैं। रेडियो, टेलीविजन, टेपरिकार्डर, शिक्षण मशीन तथा कम्प्यूटर को शैक्षिक हार्डवेयर उपागम कहते हैं। शिक्षण को हार्डवेयर उपागम से यान्त्रीकरण किया जाता है। सम्प्रेषण माध्यम का कार्य करता है। सॉफ्टवेयर में मनोविज्ञान तथा वैज्ञानिक सिद्धान्तों का उपयोग शिक्षण नियोजन तथा अनुदेशन सामग्री की रचना में किया जाता है जिससे विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है।

अनुदेशन माध्यम एक साधन है जिससे शिक्षा का प्रसार किया जाता है। अनुदेशन माध्यम से छात्रों की दूरी की समस्या का समाधान होता है। यह दो प्रकार के होते हैं-प्रक्षेपित तथा अप्रेक्षित। शिक्षण सामग्री को विविध रूप में एक पाठ्य-वस्तु के लिए इन्हें प्रयुक्त किया जाता है जिसे बहुमाध्यम उपागम कहा जाता है। सम्प्रेषण माध्यम को अनुदेशन की विविध प्रविधियों के साथ भी सुगमता से प्रयुक्त किया जा सकता है। इस विशिष्ट मिरण का प्रयोग सम्पूर्ण अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करके अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। इसका प्रयोग केवल शिक्षक ही नहीं अपितु छात्र भी सीखने के लिए करते हैं। शिक्षण में बहुमाध्यम उपागम के प्रयोग को अनुदेशनात्मक विकास भी कहते हैं। इस प्रकार यह शिक्षण उपागम की समस्याओं के समाधान में लाभदायक है।

इसके अतिरिक्त शिक्षण-अधिगम हेतु बहु-माध्यमिक उपागम का प्रयोग औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण-अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जा रहा है। स्कूली छात्रों के लिए विभिन्न विषयों में रेडियो, टी.वी. पाठों का प्रसारण किया जाता है। रेडियो एवं टी.वी. के प्रयोग के अतिरिक्त विभिन्न विषयों के शिक्षण के लिए कम्प्यूटर का भी प्रयोग किया जाने लगा है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक टी.वी. कार्यक्रम निर्मित करने के लिए शैक्षणिक माध्यमिक अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की गई है। विभिन्न माध्यमों के प्रयोग के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों जैसे केन्द्रीय शैक्षणिक तकनीकी संस्थान तथा राज्यों में राज्य शैक्षणिक तकनीकी संस्थानों की स्थापना की गई है।

शिक्षण-अधिगम के बहु-माध्यमिक उपागम के क्षेत्र में अनुसंधानों से पता चला है कि जिन छात्रों को इस उपागम से पढ़ाया जाता है उनकी उपलब्धि परम्परागत शिक्षण के द्वारा पढ़ाए गए छात्रों की उपलब्धि से अधिक होती है। इस उपागम के प्रयोग के क्षेत्र में हुए सभी अनुसंधान यही बात बताते हैं क्योंकि इन अनुसंधानों के परिणामों में कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार से शिक्षण-अधिगम में बहु-माध्यमिक उपागम का प्रयोग शिक्षण-अधिगम को प्रभावशाली बनाने में सहायक होता है।

नई शिक्षा नीति में भी शिक्षण-अधिगम में बहु-माध्यमिक उपागम के प्रयोग पर विशेष बल दिया गया है। इस नीति के तहत शिक्षा के सभी स्तरों पर एवं सभी विषयों के शिक्षण में बहु-माध्यमिक उपागम के प्रयोग के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे अध्यापकों एवं विभिन्न विषयों के अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे शिक्षण-अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण करते समय एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग कर सकें। प्राथमिक, माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षण-अधिगम में बहु-माध्यमिक उपागम के साधनों जैसे रेडियो, टी.वी., टेपरिकॉर्डर, वी.सी.आर., कम्प्यूटर इत्यादि का प्रावधान किया जा रहा है ताकि इन शिक्षण संस्थानों में शिक्षण-अधिगम प्रभावशाली बने एवं अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकें।

अनुदेशनात्मक विकास में बहुमाध्यम के प्रयोग की प्रक्रिया (Using Multimedia in Instructional Development)–शिक्षण तथा अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए बहुमाध्यम उपागम का प्रयोग अनिवार्य है इसके लिए निम्नलिखित सोपानों का अनुकरण किया जाता है-

1. अन्तिम व्यवहार का निर्धारण करना तथा उसे परिभाषित करना।

2. पाठ्यवस्तु तथा व्यूह रचना की व्याख्या करना।
3. शिक्षण विधि तथा व्यूह रचना का प्रयोग।
4. मूल्यांकन में प्रयोग करना।
5. निदानात्मक निर्माण के आधार पर सुधारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था तथा पृष्ठ पोषण प्रदान करना।

1. **अन्तिम व्यवहार का निर्धारण करना तथा उसे परिभाषित करना**–विद्यालय में प्रवेश करने के पश्चात् अध्यापक के लिए यह जानना आवश्यक है कि विद्यार्थी की योग्यता कितनी है जिससे वह उसका व्यवहार किस सीमा तक बदल सकता है, इसलिए बहुमाध्यम का प्रयोग करके वह विद्यार्थी के अन्तिम व्यवहार को निर्धारित कर लेता है उसे परिभाषित करता है।
2. **पाठ्यवस्तु तथा व्यूह रचना का प्रयोग**–पाठ्यवस्तु वह माध्यम है जो शिक्षण तथा अधिगमकर्त्ता के मध्य अन्तःक्रिया के लिए हस्तक्षेप करती है जिस पाठ्यवस्तु की जानकारी प्राप्त करता है तथा व्यूह रचनाओं के प्रयोग के लिए निर्णय लेता है।
3. **शिक्षण विधि तथा व्यूह रचना का प्रयोग**–शिक्षा में नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करके अधिगमकर्ता को शिक्षण किया जाता है शिक्षण विधियों में बहुमाध्यम का प्रयोग क्यों कब और कैसे किया जाए इसका निर्धारण आवश्यक है।
4. **मूल्यांकन करना**–मूल्यांकन वह माध्यम है जिससे विद्यार्थी के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ इसकी जानकारी प्रदान करने में सहायक है। विभिन्न बहुमाध्यम प्रविधि के प्रयोग से मूल्यांकन आसान हो जाता है।
5. **निदानात्मक निर्णय के आधार पर सुधारात्मक अनुदेशन**–विद्यार्थी की योग्यता, रुचि, रुझान आवश्यक अथवा उसकी अन्तर्निहित शक्तियों की जानकारी प्राप्त करके अध्यापक सुधारात्मक अनुदेशन प्रदान करता है। इसमें बहुमाध्यम प्रविधि का प्रयोग सहायक है। अध्यापक यदि चाहे तो अन्त में पृष्ठपोषण भी सुविधाजनक रूप से कर सकता है।

सिद्धान्त (Principles)–कक्षा शिक्षण में शैक्षिक माध्यम के रूप में प्रयोग करने में अधोलिखित पाँच सिद्धान्तों का अनुसरण करना चाहिए–

1. उद्देश्यों को ध्यान में रखकर चयन करना।
2. कक्षा में तत्परता लाने के लिए माध्यम का चयन।
3. भौतिक परिस्थितियों के लिए तैयारी।
4. विद्यार्थी अनुक्रिया सफल बनाने के लिए निर्देशन।
5. माध्यम की प्रभावशीलता की जानकारी प्राप्त करने के लिए लगातार मूल्यांकन करना।

भारतवर्ष में (N.C.E.R.T.) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने बहुमाध्यम उपागम का प्रयोग किया। प्रयोग में दूरदर्शन, रेडियो का प्रयोग सेवारत शिक्षकों के लिए किया है।

उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग (Satellite Instructional Television Experiment (SITE)–यह माध्यम अभी नया प्रयोग है लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावशाली सम्प्रेषण है। दूरदर्शन का विस्तार सीमित है परन्तु उपग्रह की सहायता से इनका विस्तार बढ़ा दिया गया है। इस उपग्रह को आकाश में 22,300 मील ऊंचाई पर विषुवत् रेखा पर प्रक्षेपित किया गया है। ये विषुवत् रेखा की परिधि में घूमते हैं और दूरदर्शन के प्रसारण केन्द्र का कार्य करते हैं। इसके शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग के सम्बन्ध में अधिक वाद-विवाद रहा, अन्तर्राष्ट्रीय उपग्रह का सुझाव दिया और उसका प्रयोग दूरदर्शन सम्प्रेषण में किया जाये। उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन का प्रयोग (SITE) ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 40 करोड़ जनसंख्या के लिए किया गया।

उपग्रह दूरदर्शन के प्रयोग के उद्देश्य (Objectives of SITE)–उपग्रह दूरदर्शन प्रयोग योजना के अनेकों उपयोग हैं। इसके सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

CIMETRIX

1. प्रभावशाली सामूहिक सम्प्रेषण (Mass Media) में इसके प्रयोग का विशेष महत्त्व तथा योगदान देना।
2. ग्रामीण क्षेत्र के लिए दूरदर्शन का अनुदेशनात्मक प्रणाली के लिए विशेष उपयोग करना।
3. बालकों तथा प्रौढ़ों के लिए ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु उपग्रह दूरदर्शन योजना का व्यवहारिक उपयोग करना।

आर्थिक तथा सामाजिक राष्ट्रीय विकास हेतु उपग्रह योजना का उपयोग करना (Use of Satellite Television Programme)–उपग्रह दूरदर्शन की योजना की उपयोगिता–

1. इसका प्रयोग कक्षा तथा कक्षा से बाहर किया जा सकता है।
2. प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक-शिक्षा में प्रभावशाली रूप से प्रयोग किया जा सकता है।
3. विभिन्न विषयों के विशिष्ट ज्ञान का प्रसारण किया जा सकता है।
4. राष्ट्रीय तथा सामाजिक विकास के लिए तथा परिवर्तन हेतु इस योजना का प्रयोग किया जा सकता है।
5. वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जा सकता है।
6. पत्राचार पाठ्यक्रम, ओपन विश्वविद्यालय प्रसारण योजना मे उपग्रह-दूरदर्शन का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया जा सकता है।

उपग्रह दूरदर्शन योजना द्वारा शिक्षा (Education through SITE)–

1. भाषा शिक्षण तथा सामाजिक व्यवहार के विकास प्रत्ययों तथा कौशलों की जानकारी आसानी से दी जा सकती है।
2. सामाजिक परिवर्तन तथा वैज्ञानिक प्रगति के सही दृष्टिकोण को विकसित करना।
3. स्वास्थ्य, आदतों तथा सौन्दर्यानुभुति के विकास में सहयोग।
4. शैक्षिक योजनाओं तथा शैक्षिक तकनीकी के प्रति अभिरुचि तथा अभिवृत्तियों का विकास करना।
5. अनुदेशनात्मक कौशल का विकास तथा व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना।

उपग्रह दूरदर्शन योजना का महत्त्व (Importance of Satellite Television)–उपग्रह दूरदर्शन के प्रयोग ने यह सिद्ध कर दिया है कि अनुदेशन तथा सम्प्रेषण माध्यम में सुधार लाया जा सकता है तथा इसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है–

1. विकसित राष्ट्रों के घरेलू कार्यों में इसका विशेष योगदान है।
2. यह एक महँगी योजना है लेकिन अन्य देशों की तरह भारत ने भी इसे अपनाया है।
3. उपग्रह दूरदर्शन योजना सम्पूर्ण राष्ट्र की शिक्षा के लिए किया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की सामूहिक माध्यम शिक्षा के लिए उपयोग किया जा सकेगा।
4. ग्रामीण जनसंख्या के आर्थिक तथा सामाजिक विकास हेतु प्रयुक्त किया जायेगा।
5. ग्रामीण जनसंख्या को शैक्षिक ज्ञान की जानकारी दी जा सकेगी।
6. इसमें सामाजिक मूल्यों का विकास किया जा सकेगा।

भारतवर्ष में शैक्षिक प्रणाली तथा कक्षा वातावरण में इस योजना का विशेष महत्त्व है।

बहुमाध्यम केन्द्र (Multi-Media Centre)–विद्यालयों के उपयोग हेतु माध्यम केन्द्र (Media Centre) स्थापित करने चाहिए। इन्हें अनुदेशनात्मक सामग्री केन्द्र अथवा (अधिगम स्रोत केन्द्र) भी पुकारा जा सकता है। इन केन्द्रों का प्रमुख कार्य अध्यापक तथा विद्यार्थियों को आवश्यक अधिगम सामग्री की सुविधा प्रदान करनी है। इन केन्द्रों में 'अनुदेशनात्मक सामग्री' दृश्य-श्रव्य सामग्री, अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री तथा अन्य बहुमाध्यम उपागम सामग्री को इकट्ठा करके रखा जाता है तथा इसके प्रयोग के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता हैं। प्रयोग के लिए हर प्रकार की सुविधा जुटाना भी बहुमाध्यम केन्द्र का कार्य है। विविध प्रकार के चार्ट, पोस्टर, फोटोग्राफ तथा रिकार्डस की भी व्यवस्था की जाती है। इन केन्द्रों पर व्यवहारिक तकनीकी के विशेषज्ञों की नियुक्ति भी की जानी चाहिए। इसमें विधि प्रकार के अनुभवों की समन्वित रूप में एकीकरण की व्यवस्था की जा सके और केन्द्र पर उपलब्ध सामग्री का समुचित रूप में उपयोग किया जा सके।

अनुदेशनात्मक विकास के बहुमाध्यम उपकरण
(Multi Media tools for Instructional Development)

शिक्षण-मशीन (Teaching Machines)–मौलिक रूप से बी.एफ. स्किनर ने अनुदेशन के प्रस्तुतीकरण के लिए शिक्षण मशीन का विकास किया था–

1. यह शिक्षण समस्या के समाधान में सहायक होती है।
2. इसमें बाह्य अनुक्रिया के लिए अवसर दिया जाता है। छात्र अनुक्रिया को लिखता है और स्वयं उसकी पुष्टि भी करता है।
3. छात्रों को इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि उनकी अनुक्रिया सही है अथवा गलत। गलत अनुक्रिया करने पर छात्र स्पष्टीकरण किया जाता है जिससे उसे पुनर्बलन प्राप्त होता है।
4. इसका प्रयोग अभिक्रमित अनुदेशन में किया जाता है। रेखीय अनुदेशन इससे सरल तथा मितव्ययी होता है।
5. शिक्षा मशीन छात्र की अनुक्रियाओं का आलेख तैयार करती है। आलेख छात्र को इस बात की जानकारी प्रदान करता है कि उसने कितना पढ़ा है।
6. जिस पाठ्यवस्तु को शिक्षण मशीन में प्रस्तुत किया जाता है उसका निर्माण प्रथम रूप से किया जाता है और मूल्यांकन के पश्चात् उसे शिक्षण मशीन को दिया जाता है।
7. इस प्रकार इस मशीन द्वारा कई प्रकार के अनुदेशनों का प्रस्तुतीकरण किया जा सकता है।

शिक्षण मशीन के प्रकार *(Types of Teaching Machines)*

1. **स्वतः अनुदेशनात्मक मशीन (Auto Instructional Device)**–इसमें प्रक्षेपित तथा अप्रक्षेपित (Projected & Non Projected) मशीनों को सम्मिलित किया जाता है जैसे–रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्र आदि।
2. **शृंखला शिक्षण मशीन (Linear Teaching Machine)**–इसको शृंखला अनुदेशन सामग्री के अध्ययन के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
3. संचित सूचनाओं में से अपेक्षित प्रदत्तों का चयन करता है।
4. विद्युत टंकन मशीन द्वारा सूचनाओं का सम्प्रेक्षण करता है।

कम्प्यूटर का उपयोग (User or Computer)–

1. शिक्षण तथा अनुदेशन प्रक्रिया में छात्रों के निदान के आधार पर सुधारात्मक शिक्षण करता है।
2. शिक्षा के शोध कार्यों में प्रदत्तों के विश्लेषण में सभी अनुसंधानकर्त्ता करने लगे हैं।
3. इसका प्रयोग शैक्षिक निर्देशन तथा परामर्श में भी किया जाता है।
4. परीक्षा प्रणाली मे छात्रों के परीक्षाफल तैयार करने, अंक चित्र तैयार करने तथा प्रमाण-पत्र तैयार करने में किया जाता है।

क्लोज़ड सर्किट दूरदर्शन (Closed Circuit Television (CCTV)–(Mass Media) सामूहिक माध्यम प्रणाली के नवीन प्रवर्त्तक में क्लोज़ड सर्किट टी.वी. का भी हाल में ही विकास किया गया है। यह शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावशाली माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। इस योजना के अन्तर्गत केबिल की सहायता से छात्रों को सूचनाएँ भेजी जाती हैं इसकी दूरी केबिल के विस्तार पर निर्भर होती है। शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।

उपयोग (Use)–

1. कई कक्षाओं में एक साथ एक ही पाठ्य-वस्तु को शिक्षण किया जा सकता है।
2. इस योजना से शैक्षिक संस्थाएँ दूरदर्शन को बढ़ावा दे सकती है। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार इसका विस्तार किया जा सकता है।
3. कक्षा शिक्षण में जिन तथ्यों को प्रस्तुत करना कठिन होता है उन्हें बड़े रूप में इस योजना से प्रदर्शित किया जा सकता है।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

4. इस योजना के प्रयोग से शिक्षक को अवसर मिलता है।
5. अन्य संस्थाओं के शिक्षकों से प्रकरण के सम्बन्ध में विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं।
6. इसका प्रयोग प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा भी किया जा सकता है। इससे शिक्षक व्यवहार में सुधार लाया जा सकता है।
7. इसका प्रयोग मैडिकल महाविद्यालयों में बहुत उपयोगी है जब किसी मरीज का ऑपरेशन हो रहा है तो थियेटर से बाहर विद्यार्थी इसका प्रदर्शन देख सकते हैं।

सीमाएँ (Limitations)–

1. इस योजना में सम्प्रेषण एकांगी होता है। छात्र अपनी कठिनाइयाँ हल नहीं कर पाते।
2. शिक्षण तथा छात्र का पारस्परिक सम्पर्क नहीं होता जिससे ज्ञानात्मक विकास सम्भव नहीं।
3. इसमें छात्र निष्क्रिय रहता है।
4. यह अधिक खर्चीली योजना है।

रेडियो (Radio)–यह एक प्रभावशाली श्रव्य साधन है और कक्षा भवन में एक साथ बहुत से छात्रों को उपयोगी जानकारी तथा अधिगम अनुभव प्रदान करने में मदद करता है। रेडियो के प्रसारण दो प्रकार के होते हैं। एक साधारण प्रसारण जो स्थिति की सामान्य जानकारी प्रदान करता है। दूसरा शैक्षिक प्रसारण जो विशेष रूप से तैयार किया जाता है ताकि कक्षा अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

लाभ (Advantage)–

1. शैक्षिक रुचि वाले भाषण, वाद-विवाद, विचार, गोष्ठि, वार्त्तालाप को सुनना सम्भव हो जाता है जिसमें प्रसिद्ध लेखक, शिक्षाशास्त्री, विद्वान, विचारक, डॉक्टर वकील, इन्जीनियर तथा अन्य प्रभावशाली व्यक्ति भाग ले सकते हैं।
2. स्कूल विषयों से सम्बन्धित विभिन्न उपविषयों पर आयोजित क्रमिक शैक्षणिक पाठों के माध्यम से रेडियो प्रसारण कक्षा-कक्ष अध्यापक को शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति में मदद करता है।
3. यह शिक्षा को जीवन के यथार्थ अनुभवों से एकीकृत करता है।
4. यह स्वस्थ मनोरंजन तथा आनन्द का साधन है।
5. जनसंचार साधन के रूप में रेडियो प्रसारण शैक्षिक अधिगम के किफायती साधन है।
6. यह शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं का समाधान करने में समर्थ है।

सीमाएँ तथा दोष (Limitation and Shortcomings)–

1. रेडियो प्रसारण के शैक्षिक मूल्य मूलतः सुनने की शक्ति पर निर्भर करते हैं। निरन्तर सुनने से अधिगम अनुभवों को प्राप्त करने के काम में छात्र रुचि नहीं लेते और लापरवाही करने लग जाते हैं।
2. इसमें शिक्षण अधिगम कार्य एक तरफा संचार प्रक्रिया बन जाता है।
3. सभी विषयों के कार्यक्रमों को सूचिबद्ध करना कठिन होता है इसलिए अध्यापकों तथा छात्रों को इन कार्यक्रमों को स्कूल में अपनी शैक्षिक एकीकृत करने में कठिनाई होती है।
4. नियत पुस्तकों एवं पर्याप्त सूचनाओं के अभाव में अध्यापक तथा विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ताहै।

◆◆◆

4. शिक्षण अधिगम हेतु बहु-माध्यम या बहु-माध्यमिक उपागम से आपका क्या अभिप्राय है? शिक्षण अधिगम में बहु-माध्यम उपागम के प्रयोग तथ महत्त्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालिए।

अथवा

शिक्षण-अधिगम के क्षेत्र में बहु-माध्यमिक या बहु-माध्यम उपागम का क्या अर्थ है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अन्तर्गत इस उपागम के प्रयोग तथा उपयोगिता एवं महत्त्व की विवेचना कीजिए।

अथवा

शिक्षा तकनीकी में बहु-माध्यम उपागम का वर्णन कीजिए। इस उपागम का कक्षा-कक्ष शिक्षण में प्रभावशाली रूप में कैसे प्रयोग किया जा सकता है?

अथवा

शैक्षिक तकनीकी में बहु-माध्यमं उपागम क्या है? विद्वता परिणाम को प्रभावी रूप से अधिकतम सीमा तक बढ़ाने में इसके प्रयोगों की चर्चा कीजिए।

उत्तर–सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि शिक्षण अधिगम हेतु बहु-माध्यमिक उपगम के अंतर्गत सभी प्रकार के हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का प्रयोग आ जाता है। हार्डवेयर के अन्तर्गत एपिडइस्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, जादुई लालटेन, रेडियो, दूरदर्शन, टेपरिकॉर्डर, फिल्म प्रोजेक्टर, वी. सी.आर., कम्प्यूटर तथा शिक्षण यंत्रों को शामिल किया जाता है। सॉफ्टवेयर में छपी हुई एवं हस्त-लिखित सामग्री, चित्र, ग्राफ, चार्ट, मानचित्र, व्यंग्य चित्र, अभिक्रमित अधिगम सामग्री, मॉड्यूलस, स्लाइडस, फिल्म स्ट्रिप्स, ट्रान्सपेरेंसीज, रेडियो पाठ, टी.वी., पाठ, ऑडियो एवं वीडियो कैसेटस एवं कम्प्यूटर अभिक्रम आदि का उल्लेख होता है। विचारों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जिन माध्यमों से इन्हें अभिव्यक्त किया जाता है उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर कम्प्यूटर के भीतर प्रस्तुत प्रोग्राम उसका सॉफ्टवेयर तथा कम्प्यूटर उसका हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर की भूमिका विषय से संबंधित महत्त्वपूर्ण विचारों को प्रस्तुत करने के माध्यमों के रूप में होती है।

शिक्षण-अधिगम हेतु बहु-माध्यमिक उपगम से अभिप्राय शिक्षण-अधिगम की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शिक्षण अधिगम के एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग है। इस उमागम का प्रयोग करते समय शिक्षक केवल शब्दों का ही प्रयोग नहीं करता, वह इसके अलावा कई और माध्यमों का भी प्रयोग करता है, जैसे रेडियो, टी.वी., टेपरिकार्डर, वी.सी.आर., कम्प्यूटर, अभिक्रमित अधिगम सामग्री, मॉड्यूलस इत्यादि। इस प्रकार से शिक्षण-अधिगम हेतु बहु-माध्यमिक उपागम से अभिप्राय वह शिक्षण के साधन एवं शिक्षण सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य-सामग्री को समझाने में सहायता देती है।

शिक्षण-अधिगम हेतु बहु-माध्यमिक उपागम की ऐसी परिभाषा जो सभी को स्वीकृत हो देना कठिन है। इस उपगम से विभिन्न व्यक्ति विभिन्न अर्थ लेते हैं। कुछ शिक्षा शास्त्री इसका अर्थ इतना विस्तृत लेते हैं कि इसमें शिक्षण अधिगम से संबंधित प्रत्येक बात को शामिल कर देते हैं। इस उपागम के इतने विस्तृत अर्थ को समझाना कठिन हो जाता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षण-अधिगम के बहु-माध्यमिक उपागम के सही अर्थ को समझने हेतु इस उपागम से संबंधित सीमाओं को निश्चित करना होगा तथा साथ ही इस कार्य हेतु इस उपागम के शिक्षण-अधिगम में प्रयोग के क्षेत्र में अनुसंधान को आधार मानना होगा तभी हम इसके वास्तविक अर्थ के बारे में जान सकते हैं।

शिक्षण-अधिगम में बहु-माध्यमिक उपागम के प्रयोग के क्षेत्र में हुए अनुसंधान के आधार पर इस उपागम को प्रभावशाली शिक्षण-अधिगम के लिए एक से अधिक माध्यमों जैसे रेडियो, टी.वी., टेपरिकॉर्डर, वी.सी.आर., कम्प्यूटर, अभिक्रमित अधिगम सामग्री एवं मॉड्यूलस का प्रयोग कहा जा सकता है। इस उपागम का यही अर्थ लेते हुए शिक्षण-अधिगम में इस उपागम की प्रभावशीलता देखने के लिए अनुसंधान किया गया है। इस प्रकार का अनुसंधान विभिन्न विषयों के शिक्षण में चल रहा है एवं इसके आधार पर शिक्षण-अधिगम हेतु बहु-माध्यमिक उपागम का संप्रत्यय विकसित हो रहा है। इस उपगम के शिक्षण-अधिगम में हुए प्रयोग के क्षेत्र में प्रत्येक नये अनुसंधान से इस उपागम का संप्रत्यय विस्तृत होता जा रहा है।

शिक्षण अधिगम में बहु-माध्यम उपागम का प्रयोग
(Use of Multi Media Appraoch to Teaching-Learning)

शिक्षण-अधिगम में बहु-माध्यम उपागम का प्रयोग निम्न क्षेत्रों में किया जा रहा है–

1. शिक्षण-अधिगम में बहु-माध्यम उपागम का प्रयोग शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में छात्राध्यापकों तथ सेवारत शिक्षकों दोनों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु किया जाता है। नई शिक्षा-नीति (1986) के अन्तर्गत भी शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु बहु-माध्यम उपागम के प्रयोग पर विशेष जोर दिया गया है तथा शिक्षक-प्रशिक्षण के अन्तर्गत टी.वी, कम्प्यूटर तथा वी.सी.आर. आदि के प्रयोग पर विशेष बल दिया गया है।

CIMETRIX
SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

2. शिक्षण-अधिगम के क्षेत्र में बहु-माध्यम उपागम का उपयोग दूरस्थ-शिक्षा (Distance Education) के क्षेत्र में भी रेडियो, टेलीविजन तथा वीडियो फिल्मों आदि के प्रयोग के रूप में किया जा रहा है। दूरस्थ-शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों हेतु भिन्न-भिन्न पत्राचार पाठ्यक्रमों के लिए आल इण्डिया रेडियो तथा टेलीविजन के माध्यम विभिन्न विषयों से सम्बन्धित पाठ प्रसारित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त दूरस्थ शिक्षा के छात्रों के लिए भिन्न-भिन्न विषयों से सम्बन्धित वीडियो-ऑडियो कैसेट भी तैयार किये हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षण अधिगम में बहु-माध्यम प्रयोग का एक सशक्त उदाहरण इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय (Indira Gandhi National Open University) है। इस विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययन केन्द्रों में टीवी, ऑडियो, तथा वीडियो कैसेटों का प्रयोग शिक्षण-अधिगम कार्य हेतु किया जाता है।

3. शिक्षण अधिगम के बहु-माध्यम उपागम के क्षेत्र में हुए अनुसंधानों के आधार पर यह देखने में आया है कि जिन छात्रों को इस प्रकार के उपागमों के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है उनकी उपलब्धि परम्परागत-शिक्षण (Traditional Teaching) के द्वारा पढ़ाए गये छात्रों की उपलब्धि की तुलना में अधिक होती है।

4. नई शिक्षा नीति (1986) के अन्तर्गत भी शिक्षण-अधिगम में बहु-माध्यम उपागम के प्रयोग पर विशेष जोर दिया गया हैं प्राथमिक माध्यमिकविद्यालय, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों आदि के अन्तर्गत भी शिक्षण-अधिगम के लिए बहु-माध्यम उपागम से संबंधित विभिन्न साधनों जैसे– रेडियो, टी.वी., वी.सी.आर. तथा कम्प्यूटर आदि का प्रावधान किया जा रहा है ताकि इन शैक्षिक संस्थानों शिक्षण अधिगम कार्य को प्रभावशाली बनाया जा सके तथा साथ ही अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके।

5. बहु-माध्यम उपागमों का प्रयोग औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में तथा अनौपचारिक क्षेत्रों में भी शिक्षण-अधिगम का अधिक प्रभावशाली तथा उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए किया जा रहा है।

शिक्षण-अधिगम में बहु-माध्यम उपागम का महत्त्व
(Importance or Utility of Multi Media Approach to Teaching Learning)

शिक्षण-अधिगम में बहु-माध्यमिक उपागम का विशेष महत्त्व है। इस उपागम का प्रयोग शैक्षिक कार्यक्रम को प्रभावशाली बनने हेतु किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस उपागम का शिक्षण-अधिगम में प्रयोग इस उद्देश्य से भी किया जाता है कि शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया तभी प्रभावशाली सिद्ध होती है, जब इसके लिए एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग किया जाए। शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में बहु-माध्यम उपागम की उपयोगिता या महत्त्व निम्न प्रकार से हैं–

1. छात्रों के द्वारा ग्रहण किये गए ज्ञान को स्थायी बनाने में सहायक–शिक्षण-अधिगम में बहु-माध्यमिक उपागम का प्रयोग छात्रों द्वारा ग्रहण किये गए ज्ञान को स्थायी बनाने में सहायक होता है। इस उपागम द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान छात्रों के लिए स्पष्ट होता है। व्याख्यान द्वारा ग्रहण किये गए ज्ञान को छात्र जल्दी ही भूल जाते हैं परंतु अभिक्रमित अधिगम सामग्री, मॉड्यूलस एवं फिल्म द्वारा प्राप्त किये गए ज्ञान को वह बहुत समय तक याद रखते हैं।

2. कठिन एवं जटिल विषय-सामग्री को पढ़ाने एवं सीखने में अध्यापक एवं छात्रों को समय एवं शक्ति की बचत में सहायक–शिक्षण-अधिगम में बहु-माध्यमिक उपागम का प्रयोग कठिन एवं जटिल विषय-वस्तु को पढ़ाने एवं सीखने में शिक्षक एवं छात्रों के समय एवं शक्ति की बचत करने में सहायक होता है। कठिन विषयों को केवल शब्दों के माध्यम से पढ़ाकर स्पष्ट करने में शिक्षक को बहुत समय एवं शक्ति लगानी पड़ती है। लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी पढ़ाया गया पाठ छात्रों को स्पष्ट नहीं हो पाता। ऐसी कठिन एवं जटिल विषय-वस्तु को अगर वीडियो फिल्म दिखाकर पढ़ाया जाए तो यह छात्रों के लिए स्पष्ट हो जाती है। वीडियो फिल्म द्वारा कठिन और जटिल विषय-वस्तु को सीखने में छात्रों के समय एवं शक्ति की बचत होती है।

3. रटने की प्रवृत्ति को कम करने में सहायक–शिक्षण-अधिगम में बहु-माध्यमिक उपागम का प्रयोग रट्टे को कम करने में सहायक होता है। केवल शब्दों के माध्यम से पढ़ाया गया पाठ विद्यार्थियों के लिए कठिन होता है। इसलिए वह इसे समझ नहीं पाते और रट्टा लगाकर याद करते हैं। बहु-माध्यमिक उपागम के द्वारा पढ़ाया गया पाठ छात्रों के लिए सरल एवं स्पष्ट होता है जिसके कारण उन्हें पढ़ाये गए पाठ को रटने की आवश्यकता नहीं होती।

4. औपचारिक शिक्षा, दूरस्थ-शिक्षा तथा शिक्षक-प्रशिक्षण को प्रभावशाली बनाने में उपयोगी–शिक्षण-अधिगम में बहु-माध्यमिक उपागम का प्रयोग केवल औपचारिक शिक्षा को प्रभावशाली बनाने में ही सहायक नहीं होता, इसका प्रयोग अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण को प्रभावशाली बनाने में भी सहायक होता है। इसलिए इस उपागम का प्रयोग सभी प्रकार की शिक्षा में किया जा रहा है। अनौपचारिक शिक्षा में रेडियो एवं टेलीविजन का प्रयोग किया जाता है। दूरस्थ शिक्षा में भी रेडियो, टी.वी., टेपरिकार्डर एवं वी.सी.आर. का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक प्रशिक्षण में भी इन सभी माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। इस उपागम का प्रयोग छात्राध्यापकों एवं सेवारत अध्यापकों दोनों के प्रशिक्षण के लिए किया जा रहा है। शिक्षण प्रशिक्षण में बहु-माध्यमिक उपागम के प्रयोग सभी विषयों के शिक्षण में किया जाता है।

5. इस उपागम का दिन-प्रतिदिन पढ़ता प्रयोग तथा इससे सम्बन्धित अनुसंधान कार्य–शिक्षण-अधिगम में बहु-माध्यमिक उपागम का दिन-प्रतिदिन बढ़ता प्रयोग एवं इसमें अनुसंधान इसका महत्त्व बताता है। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण में एवं सभी स्तरों एवं सभी विषयों के शिक्षण में बहु-माध्यमिक उपागम का दिन-प्रतिदिन बढ़ता हुआ प्रयोग यह बताता है कि एक ही माध्यम द्वारा शिक्षण-अधिगम को प्रभावशाली बनाने में असमर्थ होता है। वह यह भी बताता है कि प्रभावशाली शिक्षण-अधिगम के लिए बहु-माध्यमिक उपागम का प्रयोग आवश्यक है। शिक्षण-अधिगम में बहु-माध्यमिक उपागम के प्रयोग के क्षेत्र में किया गया अथवा किया जा रहा अनुसंधान यह बताता है कि बहु-माध्यमिक उपागम से पढ़ाये गये छात्रों की उपलब्धि एक ही माध्यम द्वारा पढ़ाए गए छात्रों की उपलब्धि से अधिक होती है।

6. इस उपागम का प्रयोग कक्षा-कक्ष में अनुशासनहीनता को नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध होती है–शिक्षण-अधिगम में बहु-माध्यमिक उपागम का प्रयोग कक्षा-कक्ष में अनुशासनहीनता को नियंत्रित करने में सहायक होता है। केवल शब्दों के माध्यम से पढ़ाया गया पाठ छात्रों के लिए कठिन एवं नीरस होता है जिसके कारण कक्षा-कक्ष में अनुशासनहीनता की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। बहु-माध्यमिक उपागम के द्वारा पढ़ाया गया पाठ छात्रों के लिए सुगम एवं रूचिकर होता है। वह सीखने में इतने लीन हो जाते हैं कि अनुशासनहीनता की समस्या पैदा ही नहीं होती।

7. यह उपागम पढ़ाये जाने वाली विषय-वस्तु को स्पष्ट करने में सहायक होता है–शिक्षण-अधिगम हेतु बहु-माध्यमिक उपागम पढ़ाये जाने वाली विषय-वस्तु को स्पष्ट करने में सहायक होता है। इसके प्रयोग से विषय-वस्तु छात्रों के लिए सरल बन जाती है। अगर भूगोल शिक्षण में किसी पर्वतीय क्षेत्र का विवरण देना हो तो इसे शब्दों के माध्यम से बताने की बजाय इस पर वीडियो फिल्म दिखाई जाए तो पढ़ाया गया पाठ छात्रों को अधिक स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार हिन्दी शिक्षण में अध्यापक के द्वारा की गई किसी कविता की व्याख्या छात्रों के लिए इतनी स्पष्ट नहीं होती जितनी कि एक अच्छे अध्यापक द्वारा टी.वी. से प्रसारित पाठ में की गई व्याख्या।

8. यह छात्रों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने में सहायता करता है–शिक्षण-अधिगम में बहु-माध्यमिक उपागम का प्रयोग छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में सहायक होता है। अगर शिक्षक कक्षा में केवल शब्दों के माध्यम से ही पढ़ाता है तो छात्र अपना ध्यान अधिक समय तक पाठ में नहीं लगा पाते। वह उब जाते हैं क्योंकि केवल एक ही माध्यम के द्वारा पढ़ाया जा रहा पाठ उनके लिए नीरस हो जाता है। वह पाठ को सीखने के लिए तत्पर नहीं होते क्योंकि एक ही माध्यम से पढ़ाया जा रहा पाठ उनमें इसे सीखने

CIMETRIX
SKILLED INDIANS - SKILLED INDIA

के लिए इच्छा नहीं उत्पन्न करता है। इसका परिणाम यह होता है कि अधिकतर छात्र या तो कक्षा में जंभाई लेते हैं या सो जाते हैं अथवा कोई शरारत करते हैं। एक से अधिक माध्यमों जैसे रेडियो पाठ, टी.वी. पाठ, टेपरिकॉर्डर अथवा वी.सी.आर. के प्रयोग से छात्रों की पाठ में रुचि उत्पन्न की जा सकती है एवं उन्हें सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है।

अतः सारांश रूप में निष्कर्षस्वरूप यह कहा जा सकता है कि इस उपागम का प्रयोग सभी प्रकारों, स्तरों एवं विषयों के शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में आवश्यक है। शिक्षण-अधिगम को प्रभावशाली बनाने में बहु-माध्यमिक उपागम के महत्त्व को देखते हुए नई शिक्षा नीति में इसके प्रयोग पर विशेष बल दिया गया है। हमारी केन्द्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों ने भी अन्य देशों की भाँति शिक्षण-अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए बहु-माध्यमिक उपागम की आवश्यकता एवं महत्त्व को स्वीकार किया है एवं वह इसके प्रयोग को प्रोत्साहित कर रही है।

◆◆◆

5.2 विद्यालयों का परिविक्षण तथा मूल्यांकन
(Monitoring and Evaluation of Schools)

5. विद्यालयों के परिवीक्षण तथा मूल्यांकन का वर्णन कीजिए।
(Describe monitoring and evaluation of school.)

उत्तर–परिवीक्षण का अर्थ (Meaning of Monitoring)–शिक्षा के अन्तर्गत 'परिवीक्षण' शब्द बहुत प्राचीन है। परिवीक्षण प्रणाली का प्राचीन शिक्षा में विशेष महत्व रहा है। परिवीक्षक की प्रथा आज भी कक्षा में प्रचलित है। शिक्षा नीति (1986) में भी 'परिवीक्षण' शब्द का उपयोग किया है। परिवीक्षण का उपयोग शिक्षा नीति के अनुसार राष्ट्र तथा राज्य स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यक्रमों, नीतियों तथा शोध कार्यों में किया है। राष्ट्र, राज्य के कार्यक्रमों का, राज्य अपने क्षेत्रीय तथा जिला स्तर के शैक्षिक कार्यक्रमों का निरीक्षण करे तथा उनमें सुधार एवं विकास करने का प्रयास करे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक विद्यालयों के कार्यक्रमों का निरीक्षण किया जाता है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक अर्थात् बेसिक शिक्षा के कार्यक्रमों का निरीक्षण किया जाता है। बेसिक शिक्षा के विकास एवं सुधार का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार निरीक्षण की क्रिया निरन्तर की जाती है।

परिवीक्षण का अर्थ निरीक्षण से भिन्न है। 'मानीटर' कम्प्यूटर के उपकरण में होता है। जो भी कार्यक्रम किया जाता है, मॉनीटर पर उसको देखा जा सकता है और साथ-साथ उनमें त्रुटियों का सुधार किया जाता है ताकि कार्यक्रम का शुद्ध रूप तैयार किया जा सके। इस प्रकार परिवीक्षण का अर्थ है कार्यक्रम की गतिविधि का साथ अवलोकन करना तथा त्रुटि में सुधार करना। परिवीक्षण की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है।

परिवीक्षण की विशेषताएँ–

1. परिवीक्षण की प्रक्रिया निरन्तर चलने वाली है।
2. परिवीक्षण में जवाबदेही को ध्यान में रखा जाता है।
3. परिवीक्षण की प्रक्रिया में आकलन निदान हेतु किया जाता है ताकि कमजोरियों का साथ-साथ उपचार किया जा सके।
4. परिवीक्षण में कार्यक्रमों का सम्पादन अपेक्षित दिशा में किया जा रहा है अथवा नहीं, इसका निदान करके साथ-साथ मार्गदर्शन भी किया जाता है।
5. परिवीक्षण का लक्ष्य कार्यक्रमों का नियंत्रण करना और उनमें सुधार करना होता है।

6. परिवीक्षण में नियन्त्रण के साथ आकलन, निदान हेतु किया जाता है और उसके लिए उपचारात्मक साधन उपलब्ध कराये जाते हैं।
7. प्राचार्य जब शिक्षकों को कार्यक्रमों का स्वतंत्र भार सौंप देता है तब परिवीक्षण का कार्य प्राचार्य का होता है।
8. परिवीक्षण में गहनता होती है क्योंकि इसमें निदान के साथ-साथ उपचार भी किया जाता है।

परिवीक्षण के लाभ
(Advantages of Monitoring)

परिवीक्षण की भूमिका के निम्नलिखित लाभ होते हैं–

1. परिवीक्षण निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है इसलिए सभी शिक्षक तथा छात्र लगन से कार्य करते हैं।
2. परिवीक्षण की भूमिका से प्रशासन की कार्यप्रणाली प्रभावशाली होती है और शिक्षा में गुणवत्ता आती है।
3. राजकीय शिक्षा अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद को राज्य के शैक्षिक कार्यक्रमों का परिवीक्षण करना चाहिए तथा डाइट को भी परिवीक्षण की भूमिका निभानी चाहिए।
4. परिवीक्षण से विद्यालय में अनुशासन का अनुरक्षण होता है, विद्यालय वातावरण सीखने तथा सीखाने योग्य बनता है।
5. इसकी भूमिका से कार्यक्रमों का आकलन तथा निदान भी होता है और सुधार तथा उपचार हेतु सुझाव दिये जाते हैं।
6. परिवीक्षण प्राचार्य की जवाबदेही में सहायता करता है।
7. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद को देश के माध्यमिक विद्यालयों के कार्यक्रमों का परिवीक्षण करना चाहिए।
8. शिक्षा राज्य का विषय है अतः राज्य के विभिन्न स्तरों के अधिकारियों को अधीनस्थ कार्यक्रमों का परिवीक्षण करना चाहिए।
9. यदि शिक्षा के विभिन्न स्तरों के अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यक्रमों तथा योजना का परिवीक्षण करें तो शिक्षण की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और नियन्त्रण भी कर सकते हैं।
10. यदि परिवीक्षण की प्रक्रिया राष्ट्रीय स्तर पर लागू की जाए तो सम्पूर्ण शिक्षा में गुणवत्ता लाई जा सकती है।

मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Evaluation)–मूल्यांकन शब्द का अर्थ मापन से भी कहीं अधिक व्यापक है, जिसमें गुणात्मक तत्त्वों को भी संख्यात्मक द्वारा बताया जाता है। मूल्यांकन के अन्तर्गत परीक्षणों के सिद्धान्त, उनकी रचना मानकीकरण, प्रशासन एवं उनके माध्यम से प्राप्त परिणाम की व्याख्या आदि को सम्मिलित किया जाता है। मूल्यांकन से तात्पर्य है, पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित उद्देश्यों और मूल्यों के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों की प्रगति की जांच करना। शिक्षा के उद्देश्यों, शैक्षणिक अनुभवों एवं मूल्यांकन में बहुत नजदीकी सम्बन्ध है। शैक्षणिक अनुभवों की योजना उद्देश्यों के आधार पर तैयार की जाती है। इन उद्देश्य की प्राप्ति हुई या नहीं इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। अनुभवों के किसी भी स्तर पर इस बात का मूल्यांकन किया जा सकता है कि किस सीमा तक अनुभवों के माध्यम से वांछित परिवर्तन हो रहा है।

परीक्षण की अपेक्षा मूल्यांकन शब्द का अधिक व्यापक अर्थ है। मूल्यांकन विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों एवं अध्यापक की शिक्षण पद्धति को अत्यधिक प्रभावित करता है। मूल्यांकन के द्वारा कौन-सी चीज अच्छी है या कौन-सी चीज बुरी है, के बारे में बताया जा सकता है। मूल्यांकन की मदद से न केवल

CIMETRIX SKILLED INDIANS SKILLED INDIA

विद्यार्थियों की विभिन्न विषयों में योग्यता का पता लगता है, बल्कि उनके व्यक्तित्व का किस सीमा तक विकास हुआ है, की जानकारी भी मिलती है। इसके द्वारा अध्यापक व उसकी शिक्षण विधियों की सफलता या असफलता के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। निम्नलिखित परिभाषाएं मूल्यांकन के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करती हैं–

1. क्यूलैन एवं हाना के अनुसार– **"मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा स्कूल में प्रगति करते हुए विद्यार्थियों के व्यावहारिक परिवर्तन के साक्ष्यों को एकत्रित करके उनकी व्याख्या की जाती है।"**
2. जॉन. यू. माईक्लिस के अनुसार–**"मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा इस बात का निश्चय किया जाता है कि लक्ष्यों की प्राप्ति कहां तक हुई? इससे शिक्षण के परिणामों को जांचने के लिए अध्यापक, बच्चों, प्रिंसिपल तथा अन्य स्कूल-सम्बन्धी व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं।"**
3. मोफेट के अनुसार–**"मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और इसका सम्बन्ध विद्यार्थियों की केवल औपचारिक शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ नहीं है बल्कि इसके क्षेत्र अधिक व्यापक हैं। यह व्यक्ति की भावनाओं, चिंतन तथा कार्यों से सम्बन्धित वांछित व्यावहारिक परिवर्तन के विकास में रुचि लेता है।"**
4. जेम्स एम. ली. के अनुसार–**"स्कूलों, कक्षाओं तथा स्वयं विद्यार्थी द्वारा निर्धारित शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति में विद्यार्थियों की प्रगति की जांच करना मूल्यांकन है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को और अधिक सिखाने के लिए मार्गदर्शन करना है और सत्य के प्रति उस प्रगति में सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार मूल्यांकन नकारात्मक प्रक्रिया न होकर स्वीकारात्मक प्रक्रिया है।"**
5. रेमर्स एवं गेंज के अनुसार–**"मूल्यांकन के अन्दर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों की दृष्टि में जो उत्तम है अथवा वांछनीय है, उसको मानकर चला जाता है।"**
6. टोरगेसेन तथा एडम्स के अनुसार–**"मूल्यांकन का अर्थ किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना है। इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य है शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की क्रिया से उत्पन्न उपयोगिता के बारे में निर्णय देना।"**
7. डांडेकर के अनुसार–**"मूल्यांकन क्रमबद्ध ढंग से हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त किया है।"**
8. कोठारी कमीशन के अनुसार–**"अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है, यह सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है और शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है।"**
9. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण-परिषद् के अनुसार–**"मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किये गये हैं। कक्षा में दिये गये अधिगम अनुभव कहां तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहां तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं।"**
10. वेस्ले के अनुसार–**"मूल्यांकन एक समावेशित धारणा है, जो इच्छित परिणामों के गुण, महत्त्व, प्रभावशीलता का निर्णय करने के लिए समस्त प्रकार के प्रयासों एवं साधनों की ओर संकेत करती है। यह वस्तुगत प्रमाण आत्मगत निरीक्षणों का मिश्रण है। यह सम्पूर्ण एवं अन्तिम अनुमान है। यह नीतियों के रूप परिवर्तनों एवं भावी कार्यक्रम के लिए महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक पथ-प्रदर्शक है।"**

उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण करने से पता लगता है कि मूल्यांकन सूचना प्राप्त करने तथा निर्णय के लिए प्रयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया है। यह ऐसे परिवर्तनों का परीक्षण करता है, जो शिक्षण के परिणामों से छात्रों में उत्पन्न होते हैं, जिनके अन्तर्गत व्यावहारिक परिवर्तन भी सम्मिलित होते हैं। मूल्यांकन शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया का महत्त्वपूर्ण अंग है। इसमें परीक्षाएं एवं उपलब्धि को सम्मिलित किया जा सकता है। मूल्यांकन शिक्षक के कार्य का आवश्यक अंग है, क्योंकि इसके बिना शिक्षण-कार्य सम्भव नहीं है। इसके द्वारा वह अपने छात्रों की रुचियों, योग्यताओं एवं उपलब्धियों को समझ लेता है। इसके अतिरिक्त वह अपनी शिक्षण विधियों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करके सुधार करते हुए स्वयं के शिक्षण के प्रभाव को जानने के लिए उत्सुक रहता है। इस प्रकार उपरोक्त कार्यों को सफल करने के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।

मूल्यांकन का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य छात्रों के मानसिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक विकास का मार्गदर्शन करते हुए उनकी शक्तियों एवं कमियों की जानकारी देना है। विभिन्न विषयों के शिक्षण का उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। इसके द्वारा छात्रों के व्यवहार में किस सीमा तक परिवर्तन हुए हैं, का भी पता चलता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से आवश्यक सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं और इनको निर्णय लेने में भी प्रयोग किया जाता है।

विद्यालय का मूल्यांकन *(Evaluation of Schools)*

यह महत्वपूर्ण है कि विद्यालय की कार्यप्रणाली का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए जिससे विद्यालय की उपलब्धियों और सफलता का बोध हो सके। विद्यालय के मूल्यांकन से शिक्षक के निष्पादन का भी बोध होता है और छात्रों तथा शिक्षकों को एक पृष्ठ-पोषण मिलता है। मूल्यांकन में सामान्यतः शिक्षकों की प्रभावशीलता, छात्रों की उपलब्धियों को ही प्राथमिकता दी जाती है। परन्तु विद्यालय प्रणाली का आकलन नहीं होता है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रणाली विश्लेषण का उपयोग किया जाए जिससे विद्यालय की प्रणाली का आकलन और निदान दोनों ही किये जा सके। निदान से विद्यालय प्रणाली की कमजोरियों का बोध होता है और उनमें सुधार किया जा सकता है।

एक प्राचार्य को चाहिए कि विद्यालय के आकलन में उसकी प्रगति, प्रोन्नति, क्षमताओं तथा कठिनाईयों को महत्व दिया जाये। इस सम्बन्ध में निम्नांकित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाए–

1. छात्रों के प्रश्न-पत्रों का अवलोकन किया जाए कि वे अधिक सरल तो नहीं है।
2. प्रश्नपत्र के अन्तर्गत समस्त पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे गये हैं या नहीं इसका अवलोकन किया जाए।
3. विद्यालय शिक्षा के अन्तर्गत मासिक परीक्षाएँ या साप्ताहिक परीक्षाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे छात्रों के अध्ययन में निरन्तरता रहती है।
4. छात्रों की प्रगति का संचयी आलेख भी तैयार किया जाना चाहिए जिससे छात्रों को भी प्रगति का बोध होता रहे।

प्राचार्य को केवल मूल्यांकन की नीतियों तथा क्रियाओं को ही महत्व न दिया जाना चाहिए बल्कि विद्यालय की अन्य कार्य प्रणाली तथा क्रियाओं को भी ध्यान में रखा जाए। प्राचार्य को स्वयं भी अपनी कार्यप्रणाली का आकलन करना चाहिए। क्योंकि प्राचार्य की कार्यप्रणाली का प्रभाव सभी पर पड़ता है। प्राचार्य को आकलन के समय सकारात्मक तथा निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मानवीय संबंधों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

यह प्रशासन की अन्तिम क्रिया होती है। नियंत्रण का आधार पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन होता है। किसी भी संस्था में जितनी गतिविधियाँ चलती हैं, उन्नति के लिए जितने कार्य किए जाते हैं तथा संगठन में जितने व्यक्ति रखे जाते हैं उनकी बुराई-भलाई तथा उनकी कार्यक्षमता या मापन नियंत्रण की प्रक्रिया द्वारा ही सम्भव

होता है। व्यक्तियों को उचित निर्देशन भी मूल्यांकन के पश्चात् ही दिया जा सकता है तथा दुर्बलताओं का ज्ञान करने के पश्चात् सुधार के लिए प्रयास किया जा सकता है। शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण प्रणाली तथा दुर्बलताओं का ज्ञान करने के पश्चात् सुधार के लिए प्रयास किया जा सकता है। शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण प्रणाली तथा शिक्षकों के कार्यों का मूल्यांकन करने के अतिरिक्त पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तकें, निर्देशन सामग्री, पाठ्येत्तर क्रियाएँ, आदि सभी का मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षा संस्था की उन्नति में जो क्रिया सहायक और उपयोगी है केवल उसे ही प्रोत्साहन दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति के अनुचित तथा अवांछित व्यवहार को रोका जा सकता है। कौन व्यक्ति किसी सीमा तक अधिकारों का प्रयोग करेगा, वास्तव में इसका निर्धारण नियन्त्रण प्रक्रिया के बिना नहीं हो सकता है। इस सम्बन्ध में सीयर्स का भी कथन है—"कोई भी जब तक सम्बन्धित व्यक्तियों, वस्तुओं तथा लक्ष्यों पर भली प्रकार नियन्त्रण न कर ले तब तक वह क्रिया के सम्बन्ध में निर्देशन नहीं दे सकता।"

सीयर्स का यह कथन उपयुक्त प्रतीत होता है क्योंकि किसी भी संस्था का संचालन करने में कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हो सकी है, उसका समुचित ज्ञान मूल्यांकन द्वारा ही विदित होता है।

प्राचार्य की भूमिका आन्तरिक तथा बाह्य मूल्यांकन दोनों में होती है। आन्तरिक मूल्यांकन में परीक्षा प्रश्न-पत्रों की रचना से छात्रों की अंक तालिकाओं तथा परीक्षाफल तक होती है। आन्तरिक मूल्यांकन शिक्षण पर आधारित होना चाहिए। जिस प्रकार तथा जैसा कुछ पढ़ाया गया है उसी प्रकार परीक्षा प्रश्न पत्र होने चाहिए, उनका परिवीक्षण करना आवश्यक होता है। अतः विद्यालय के मूल्यांकन की विद्यालय की प्रगति में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है।

◆◆◆

CIMETRIX
SKILLED INDIANS · SKILLED INDIA